खण्ड–486, अंक–3
गुरुवार, 28 भाद्रपद, शक संवत् 1935
(19 सितम्बर, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2013)

(खण्ड 486 में 4 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-111
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों श्री बदन सिंह यादव, श्री दुलारे लाल, श्री रामफेर कोरी, श्री बब्बन सिंह, श्री हरदयाल सिंह, श्री जमुना प्रसाद, श्री शुकरू लाल, श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय, श्री पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री राम सरन सिंह, श्री पहलवान, श्री गुलाम मोहम्मद खान, श्री रमेश चन्द्र, श्री महेन्द्र पाल सिंह, श्री राम स्वरूप निम, श्री केदार सिंह, श्री देवी प्रसाद, श्री रामहर्ष राय, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, डा0 राम सिंह, श्री राम रेखा यादव, श्री हर सरन सिंह, श्री मंगल प्रसाद आर्य, श्री मुन्नू सिंह, श्री गन्धर्व सिंह भदौरिया, भगौती प्रसाद, श्री श्याम देव, श्री रमेश बहादुर सिंह, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री जागेश्वर, श्री माधव, श्री रती राम, श्री मेड़ी लाल रावत एवं श्री सोहनवीर सिंह तोमर के निधन पर शोकोद्गार	111-119
निधन के निदेश के समय सदन में गम्भीरता बनाये रखने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	120
उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री रोमेश भण्डारी के निधन पर शोकोद्गार ...	120-122
माह जून, 2013 में उत्तराखण्ड में हुई त्रासदी के सम्बन्ध में शोक-प्रस्ताव ...	122-123
मुजफ्फरनगर दंगे में मारे गये लोगों के प्रति सरकार की ओर से शोक-संवेदना प्रस्ताव लाने का अनुरोध	123-124
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	124-126
नियमों को शिथिल करते हुए नियम-301 की सभी सूचनाओं को लिए जाने का अनुरोध	126-127
जनपद सहारनपुर की तहसील रामपुर मनिहारन में ग्राम शेरपुर में ग्राम सभा के सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127-128
वाराणसी महानगर में व्याप्त भीषण पेयजल संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में बैर हिरनौटी सम्पर्क मार्ग के अवशेष 1.5 कि0मी0 भाग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128-129
जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में अवैध कब्जे हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129-130

विषय	पृष्ठ-संख्या
वाराणसी नगर के कतिपय मोहल्लों में व्याप्त पेयजल संकट के निराकरण हेतु हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	130
जनपद बांदा में बाढ़ पीड़ितों को दैवीय आपदा राहत न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130-131
जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज-मुहम्मदपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131
जनपद मिर्जापुर के बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131-132
जनपद आगरा की विभिन्न जर्जर सड़कों की मरम्मत व लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ के अन्तर्गत कस्बा कोठी में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरी घाट एवं फतेहपुर मंडाव को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133
जनपद गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका क्षेत्र में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई जल निगम के द्वारा कराये गये सीवेज व वाटर ट्रीटमेन्ट कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	133
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में विद्युत समस्या का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133-134
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर स्थित महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वाणिज्य की कक्षायें प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत गागैन नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	134-135
पश्चिम उ0 प्र0 के निवासियों तथा अधिवक्ताओं की मांग पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक खण्डपीठ उ0 प्र0 के जनपदों यथा-सहारनपुर, बागपत, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	135-136
मा0 सदस्यों द्वारा नियम-51, 301 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के उत्तर मा0 सदस्यों को निर्धारित अवधि में न प्राप्त होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	136-138

विषय	पृष्ठ-संख्या
राष्ट्र एवं समाज की रक्षा एवं शान्ति के लिए प्राण गंवाने वाले शहीदों के नाम भी विधान मण्डल विकास निधि मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अति विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	138-139
भारत के संविधान के अनुच्छेद-170 (1) के उपबन्ध 333 के अधीन उत्तर प्रदेश विधान सभा में परिसीमन के आधार पर 500 सदस्य किये जाने हेतु प्रस्ताव भेजकर लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	140-141
बजट सत्र, 2013 में मुख्य मंत्री द्वारा सभी मा0 विधायकों की संस्तुति पर 100-100 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने की घोषणा के अनुसार नगरीय क्षेत्रों के लिए शासनादेश जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	141-142
जनपद शाहजहांपुर में अवैध खनन को रुकवाने हेतु थाना निगोही के थानाध्यक्ष द्वारा फोन पर अशोभनीय भाषा का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा तथा श्री काली चरन सुमन, सदस्य, विधान सभा का व्यक्तिगत प्रकरण	142-143
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 में नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण	143
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-546/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(90)-2013, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 (सदन के पटल पर रखी गयी)	143
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-623/ग्यारह-9(66)-2012-उ0प्र0अधि0-5-2008-यू0पी0 वैट नियमावली-08-आदेश-(91)-2013, दिनांक 13 मई, 2013 (सदन के पटल पर रखी गयी)	144
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-603/ग्यारह-9(33)-2012-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(92)-2013, दिनांक 13 मई, 2013 (सदन के पटल पर रखी गयी)	144
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-643/ग्यारह-9(66)-2012-उ0 प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(94)-2013, दिनांक 16 मई, 2013 (सदन के पटल पर रखी गयी)	144
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-606/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(95)-2013, दिनांक 22 मई, 2013 (सदन के पटल पर रखी गयी)	144

विषय	पृष्ठ-संख्या
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-729/ग्यारह-9(1)-2008-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(98)-2013, दिनांक 13 जून, 2013 (सदन के पटल पर रखी गयी)	145
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-730/ग्यारह-9(227)-12-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(99)-2013, दिनांक 13 जून, 2013 (सदन के पटल पर रखी गयी)	145
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-857/ग्यारह-9(1)-2008-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(100)-2013, दिनांक 08 जुलाई, 2013 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	145
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	145
परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1237/30-4-2013-346-95-टी0सी0, दिनांक 10 जुलाई, 2013 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	145
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	146
यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	146
माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध एवं रिहाई की सूचनायें	146-147
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	147-149
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित) ...	150
श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 के प्रथम गुरुवार के अता0 प्रश्न संख्या-156 के उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर प्रश्न का संशोधित उत्तर	150-151
श्री कालीचरन सुमन, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2013 के प्रथम मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या-4 के त्रुटिपूर्ण उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर प्रश्न का संशोधित उत्तर (जारी)	152
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का अनुरोध	152-153

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री कालीचरन सुमन, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2013 के प्रथम मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या-4 के त्रुटिपूर्ण उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर प्रश्न का संशोधित उत्तर	153-154
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	154-165
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों की मांग पर चर्चा और मतदान ...	165-196
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक बजट को समेकित लगायत के रूप में लिये जाने का अनुरोध	196
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुरूप अनुदानों की मांग पर चर्चा एवं मतदान ...	
अनुदान संख्या-2 आवास विभाग (स्वीकृत)	196-197
अनुदान संख्या-3 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) ...	197
अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत)	197
अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)	197
अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत)... ...	198
अनुदान संख्या-9 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	198
अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)	198
अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	198-199
अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) ...	199
अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत) ...	199
अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ...	199
अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) ...	200
अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	200
अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	200
अनुदान संख्या-22 खेल विभाग (स्वीकृत)...	200-201
अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)... ...	201
अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	201
अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	201
अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	202
अनुदान संख्या-31 चिकित्सा शिक्षा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)...	202

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)...	...		202
अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ...	...		202-203
अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	...	...	203
अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	...	...	203
अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग (स्वीकृत)	...	...	203
अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग (स्वीकृत)	...	...	204
अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	...	...	204
अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग (स्वीकृत)	...	...	204
अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग (स्वीकृत)	...	...	204-205
अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	...	...	205
अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	...	...	205
अनुदान संख्या-48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	...	...	205
अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	...	...	206
अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	...	...	206
अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत) ...			206
अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...		206-207
अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	...	...	207
अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत)	...	...	207
अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) (स्वीकृत)		...	207
अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) (स्वीकृत)		...	208
अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) (स्वीकृत)		...	208
अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)		...	208
अनुदान संख्या-60 वन विभाग (स्वीकृत)	...	...	208-209
अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)		...	209
अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)		...	209
अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	...	...	209
अनुदान संख्या-69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	...	...	210
अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...	210
अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...	210
अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद्) (स्वीकृत) ...			210

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	211
अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	211
अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	211
अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	211
अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	212
अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ...	212
अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	212
अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग (स्वीकृत)	213
अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	213
अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) (स्वीकृत)... ...	213
अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	213-214
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	214
उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 का अनुपूरक) विधेयक, 2013 (पारित) ...	214-220
मुजफ्फरनगर दंगों के सम्बन्ध में विभिन्न चैनलों पर दिखाये गये स्टिंग आपरेशन की जांच, अन्वेषण एवं प्रतिवेदन हेतु संसदीय समिति के गठन की सूचना ...	220
उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित) ...	220-222
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित) ...	222-224
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित)	224-227
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित)... ...	227-229
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 के पुनः पारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	229
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	229-233
जनपद प्रतापगढ़ स्थित ट्रांसफार्मरों के रिपेयर/मरम्मत की कार्यशाला बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	233-234

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ में जल निकासी हेतु सीवर लाइन डालने के कार्य में हो रहे विलम्ब के कारण विकास नगर, इन्दिरा नगर, शिवाजीपुरम्, सुरेन्द्र नगर, इस्माईलगंज में मार्गों का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कलराज मिश्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य का स्थगन	234
मेसर्स साईं फायर एप्लाईसेस प्रा0 लि0 बी-21 सेक्टर-10 नोएडा के अम्बेडकर अस्पताल में अग्निशमन कार्य हेतु टेण्डर दिलाये जाने के सम्बन्ध में, की धोखाधड़ी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	234-236
जनपद इलाहाबाद में राष्ट्रीय नदी गंगा एवं यमुना के भीषण बाढ़ से पीड़ित लोगों को प्रतिपूर्ति एवं राहत दिलाकर एस0टी0पी0 रिंग बांध टूटने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	236-238
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के एन0एच0-91 से कन्दौली जगतपुर आदि गांवों से होते हुए बसई जाने वाले सम्पर्क मार्ग के अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ठा0 दलवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	238
जनपद शाहजहांपुर की सदर तहसील में कम्बोज जाति के सिखों को ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	239-240
जनपद अलीगढ़ विधान सभा क्षेत्र खैर के कतिपय मार्गों पर सरकारी बस सेवा संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवती प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन ...	240
जनपद मथुरा में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का कार्य कराये जाने हेतु केन्द्र सरकार को धनराशि तत्काल उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	240
नत्थी	241-247

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2013

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-364

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय, श्री — वाराणसी
7. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
8. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
9. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
10. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
11. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
14. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
15. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
17. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
18. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
19. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
20. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
21. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
22. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
23. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
24. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
25. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
26. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
27. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
28. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
29. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
30. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
31. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
32. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
33. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
34. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
35. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
36. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
37. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
38. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
39. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
40. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
41. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
42. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
43. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
44. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
45. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
46. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
47. आशीष यादव, श्री — बदायूं
48. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
49. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
50. इकबाल, श्री — बिजनौर
51. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
52. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
53. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर

54. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
55. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
56. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
57. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
58. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
59. उदयराज, श्री उन्नाव
60. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
61. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
62. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
63. उमाशंकर, श्री बलिया
64. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
65. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
66. ओम कुमार, श्री बिजनौर
67. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
68. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
69. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
70. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
71. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
72. काली चरन सुमन, श्री आगरा
73. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
74. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
75. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
76. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
77. कैलाश, श्री गाजीपुर
78. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
79. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
80. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
81. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
82. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
83. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
84. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
85. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
86. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
87. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
88. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
89. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
90. गोमती यादव, श्री लखनऊ
91. गोरख पासवान, श्री बलिया
92. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
93. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
94. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
95. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
96. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
97. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
98. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
99. जगपाल, श्री सहारनपुर
100. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
101. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
102. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
103. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
104. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
105. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
106. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
107. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
108. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
109. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
110. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
111. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
112. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
113. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
114. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
115. दलजीत सिंह, श्री बांदा
116. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
117. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
118. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
119. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद,
120. दीप नारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी

121. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
122. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
123. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
124. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
125. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
126. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
127. धर्मराज, श्री बाराबंकी
128. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
129. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
130. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
131. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
132. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
133. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
134. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
135. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
136. नारद राय, श्री बलिया
137. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
138. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
139. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
140. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
141. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
142. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
143. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
144. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
145. पीतमराम, श्री पीलीभीत
146. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
147. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
148. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
149. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
150. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
151. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
152. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
153. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
154. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
155. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
156. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
157. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
158. फेरन लाल, श्री ललितपुर
159. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
160. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
161. बदलू खां, श्री उन्नाव
162. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
163. बाबू खां, श्री हरदोई
164. बाबूलाल, श्री गोण्डा
165. बावन सिंह, श्री गोण्डा
166. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
167. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
168. बृजेश कटेरिया, इंजी0 मैनपुरी
169. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
170. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
171. बैजनाथ, श्री मऊ
172. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
173. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
174. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
175. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
176. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
177. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
178. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
179. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
180. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
181. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
182. मनबोध, श्री देवरिया
183. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
184. मनीष रावत, श्री सीतापुर
185. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
186. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
187. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
188. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर

189. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
190. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
191. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
192. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
193. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0 नगर
194. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
195. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
196. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
197. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
198. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
199. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
200. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
201. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
202. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
203. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
204. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
205. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
206. मो0 आसिफ जाफरी, सी0ए0 कौशाम्बी
207. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
208. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
209. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
210. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
211. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
212. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
213. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
214. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
215. यासर शाह, श्री बहराइच
216. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
217. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
218. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
219. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
220. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
221. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
222. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
223. रणजीत सुमन, श्री एटा
224. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
225. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
226. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
227. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
228. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
229. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
230. रवि शर्मा, श्री झांसी
231. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
232. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
233. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
234. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
235. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
236. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
237. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
238. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
239. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
240. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
241. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
242. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
243. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
244. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
245. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
246. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
247. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
248. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
249. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
250. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
251. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
252. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
253. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
254. राम करन आर्य, श्री बस्ती

255. राम खिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
256. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
257. राम गोविन्द, श्री बलिया
258. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
259. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
260. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
261. रामपाल राजवंशी, श्री बस्ती
262. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
263. राम मगन, श्री बाराबंकी
264. राममूर्ती वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
265. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
266. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
267. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
268. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
269. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
270. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
271. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
272. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
273. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
274. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
275. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
276. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
277. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
278. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
279. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
280. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
281. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
282. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
283. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
284. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
285. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
286. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
287. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
288. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
289. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
290. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
291. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
292. विजय सिंह, श्री रामपुर
293. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
294. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
295. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
296. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
297. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
298. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
299. वीरपाल राठी, श्री बागपत
300. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
301. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
302. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
303. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
304. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
305. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
306. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
307. शाकिर अली, श्री देवरिया
308. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
309. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
310. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
311. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
312. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
313. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
314. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
315. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
316. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
317. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
318. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
319. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
320. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
321. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती

322. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
323. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
324. सतवीर सिंह, गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
325. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
326. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
327. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
328. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
329. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
330. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
331. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
332. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
333. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
334. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
335. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
336. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
337. सियाराम सागर, डा0 बरेली
338. सीमा, श्रीमती जौनपुर
339. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
340. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
341. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
342. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
343. सुधाकर, श्री मऊ
344. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
345. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
346. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
347. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
348. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
349. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
350. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
351. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
352. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
353. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
354. सुल्तान बेग, श्री बरेली
355. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
356. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
357. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
358. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
359. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
360. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
361. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
362. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
363. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
364. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा कारागार, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00 बजे] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में लगे उद्योग एवं पूंजी निवेश करने वाले उद्यमियों की जानकारी

*01-श्री धर्मपाल सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 2012 से अप्रैल, 2013 के मध्य प्रदेश में कितने उद्योग लगे हैं एवं कितने उद्यमियों ने पूंजी निवेश किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)-

प्रदेश में अप्रैल, 2012 से अप्रैल, 2013 के मध्य 31921 उद्योग लगे हैं जिसमें लगभग इतने ही उद्यमियों ने पूंजी निवेश किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि प्रश्नगत अवधि में 31921 उद्योग लगे हैं। इसमें ऐसे कितने उद्योग हैं जिनमें 50 मजदूर से लेकर 500 मजदूर तक काम करते हैं ? ऐसे कितने उद्योग हैं जिसमें 500 से लेकर 1000 मजदूर काम करते हैं ? कितने उद्योग ऐसे हैं जिसमें 1000 से ऊपर मजदूर काम करते हैं ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, अलग-अलग बताने में समय लगेगा। मेरे पास पूरी लिस्ट है । अगर आप चाहेंगे तो उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक हैं आप लिस्ट उपलब्ध करा देंगे। यह उद्योग कहां-कहां पर लगे हैं मण्डलवाइज सूचना हम बता देते हैं। आगरा मण्डल में 2517 उद्योग लगे हैं, अलीगढ़ मण्डल में 1277, आजमगढ़ मण्डल में 1052, इलाहाबाद मण्डल में 2561, फैजाबाद मण्डल में 1445, देवीपाटन मण्डल में 820, गोरखपुर मण्डल में 1122, बस्ती मण्डल में 625 और लखनऊ मण्डल में 3487 उद्योग लगे हैं।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर सही प्रतीत नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में स्थिति भयावह है कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है। आप बता रहे हैं कि तीन हजार उद्योग लगे हैं और गिना दिये आपने 10 हजार उद्योग।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, मैंने 31921 उद्योग बताये हैं। तीन हजार नहीं बताये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न यह है कि आपने जो बता दिया है कि इतने-इतने उद्योग लगे हैं वह कह रहे हैं कि उत्तर स्पष्ट नहीं है।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, मैंने टोटल उद्योगों की संख्या जो बतायी है वह 31921 बतायी है।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उद्योगों के साथ पूरे प्रदेश का विकास जुड़ा हुआ है। माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने हजारों की संख्या में उद्योग बता दिये हैं। मान्यवर, कुछ उद्योग हैवी इंडस्ट्री की श्रेणी में आते हैं। ऐसी कितनी हैवी इंडस्ट्री विगत एक साल में उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई हैं। दूसरे उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए भी जरूरी है कि प्रोत्साहन मिले। बिजली मिले, इन्फ्रास्ट्रक्चर सही हो, कुछ टैक्स रिलेक्सेशन मिले। कुछ ऐसे आकर्षण हों जिससे उद्योग लग सकें। मान्यवर, उद्योगों के साथ-साथ पूरी की पूरी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। तो मान्यवर, में आपके माध्यम से इतनी जानकारी करना चाहता हूं कि हैवी इंडस्ट्री कितनी लगी हैं, कितनी इंडस्ट्री इस एक साल में बन्द हुई हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण, कानून-व्यवस्था की स्थिति सही न होने के कारण, बिजली सही तरीके से न होने के कारण और इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई ठोस योजना बनायेगी जिसकी यहां पर घोषणा करेगी कि बिजली में हम यह रियायत देंगे, टैक्सेशन में यह रियायत देंगे और इन्फ्रास्ट्रक्चर यह उपल्ब्ध करायेंगे, क्या माननीय मंत्री जी यह बात बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी हैवी इंडस्ट्री कितनी लगी हैं और कितनी बन्द हुई हैं यह बता दें ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, 100 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेन्ट के जो उद्योग हैं यह 11 हैं और 10 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ तक 22 हैं, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 41 हैं, एक करोड़ से 5 करोड़ तक 361 और 25 लाख से एक करोड़ तक 1175, 25 लाख तक 29,864 हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है और इसी से संदेश जाने वाला है, इसी से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

आपके नेता वाजपेयी जी खड़े हैं, आप बैठ जायें, बाजपेयी जी को प्रश्न पूछ लेने दीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को पूछने के पीछे मेरी जो मूल भावना थी वह यह थी कि आगरा में एक उद्योग समिट हुआ था और उस उद्योग समिट के बाद सरकार की तरफ से यह जानकारी जनता में आई थी काफी अनुकूल वातावरण में हुई है और बहुत बड़ा औद्योगिक निवेश उत्तर प्रदेश में होने वाला है। मैं स्पष्ट एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आगरा में हुई उस उद्योग समिट के बाद किन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों ने कितना पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में किया यह कृपा करके आप सरकार को निर्देश दे दें कि वह बताने की कृपा करें ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसे लिखकर दे दें बता दिया जायेगा, इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात है जहां तक उद्योगों की बात है तो हमारी सरकार ने सितम्बर, 2012 में नई औद्योगिक नीति जो है अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति बनाई है जिसमें उद्योगपतियों को तमाम सुविधाएं दी गयी हैं। ब्याज के बारे में और बिजली के बारे में तमाम सुविधाएं दी गयी हैं अगर चाहेंगे तो उपलब्ध करा दिया जायेगा। इसमें देख लेंगे पूरा इसमें लिखा हुआ है कि उद्योगपतियों को कौन-कौन सी सुविधाएं दी जायेंगी सिंगिल विन्डो दिया जायेगा और भी तमाम ब्याज में छूट दिया जायेगा, ट्रांसपोर्टेशन में छूट दिया जायेगा, सारी व्यवस्था है इसमें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इस प्रश्न में है कितने उद्योग लगे हैं और कितने उद्यमियों ने पूंजी निवेश किया है तो इसकी सूचना होगी आपको, कितने उद्यमियों ने पूंजी निवेश किया है इसको बता दीजिए ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, यह तो हमारे पास है।

श्री अध्यक्ष-

वही तो वह पूछ रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, वह बतायेंगे संख्या। मेरा स्पेशिफिक प्रश्न है कि आगरा में हुई औद्योगिक समिट के बाद राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कितने उद्योगपतियों ने कितना-कितना पूंजी निवेश किया है ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक सवाल है आगरा समिट के बारे में कितने उद्योग लगे हैं इसके बारे में अलग से क्वैश्चन करेंगे तो बता दिया जायेगा। जहां तक सवाल है, जो अभी मैंने बताया है यह टोटल है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अब यह पूंजीनिवेश राष्ट्रीय उद्योगपति तो करेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आप बाजपेयी जी, सुन तो लीजिए किसने पूंजी निवेश किया है वह बता रहे है। आप सुनने का भी कष्ट करिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, हमें 100 करोड़ या 200 करोड़ से ऊपर का निवेश करने वालों के नाम बता दें।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने बताया कि इतने उद्योग लगे।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, 100 करोड़ से ऊपर का निवेश करने वाले...

श्री अध्यक्ष-

नाम हो आपके पास तो वह बता दीजिए ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में इसमें 202 उद्योग संख्या है इसमें निवेश जो है 18 करोड़ 88, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में (शोर) आप सुन तो लीजिए आपके राज्य में कोई उद्योग लगे नहीं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, 1-2 उद्योगपतियों का नाम बता दीजिये।

(पुनः डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी के खड़े होने पर)

बाजपेयी जी आप पहले सुन तो लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप मुझे कृपापूर्वक संरक्षण दें और मंत्री जी से कहें कि वह मुझे लिखित उत्तर भेज दें।

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, बाजपेयी जी बहुत पुराने सदस्य हैं और एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। यह जो उद्योगपतियों के नाम जानना चाह रहे हैं तो उसके लिये अलग से पूछ लेंगे तो हम उपलब्ध करा देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप मुझे कृपापूर्वक संरक्षण दीजिये और माननीय मंत्री जी को यह निर्देशित कर दीजिये कि मेरे इस प्रश्न का लिखित उत्तर भेज दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह लिखित उत्तर भेज देंगे आपको। बता रहे हैं लिखित भेज देंगे आपको।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी का नाम पुकारे जाने पर)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, जब वह लिखित उत्तर देने को तैयार हैं तो आप कृपा करके निर्देशित तो कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

वह कह रहे हैं कि हम लिखित उत्तर भेज देंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी के द्वारा दिये गये जवाब से उत्पन्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 31921 उद्योग लगे हैं। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने मंडलवाइज

संख्या बताई कि किस मंडल में कितने उद्योग लगे। मैं सिर्फ पूर्वांचल के मंडलों का जोड़ रहा था, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, फैजाबाद आदि (एक माननीय मंत्री जी की ओर इशारा करते हुये) वह भी इसी में आ गया। मुझे आपकी भी चिन्ता है और मुझे विश्वास है कि जब मैं प्रश्न पूछूंगा तो माननीय मंत्री जी खड़े होकर मेरा समर्थन भी करेंगे। तो 31921 उद्योगों में से कुल मिलाकर 7600 उद्योग पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगे हैं। मेरा प्रश्न यही है कि जब सरकार यह तथ्य जान गयी है कि प्रदेश में जो भी औद्योगीकरण हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वह अधिकांशतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है और पहले से पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है और अब इस सरकार के कार्यकाल में जैसा कि स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां कहा था कि मैं ऐसी व्यवस्थायें कर रहा हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का औद्योगीकरण बेहतर हो। प्रश्न यह है कि उनकी इस व्यवस्था करने के बाद भी जो उद्योग पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगे हैं वह बहुत कम हैं। माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात का आंकलन किया है कि उनकी नीतियों के बनने के बावजूद पूर्वी उत्तर प्रदेश में इतना औद्योगीकरण कम क्यों हुआ और इसको देखते हुये क्या अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन करने पर उन्होंने विचार किया है या परिवर्तन करने पर वह विचार करेंगे ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, जो हमने अभी बताया कि हमारी सरकार ने सितम्बर, 2012 से नई औद्योगिक नीति बनाई है, उसमें खासकर पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखंड के लिये स्थापित होने वाली इकाइयों के लिये तमाम सुविधायें दी गयी हैं। जैसे स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई गयी है और तमाम सुविधायें हैं, मैं आपके पास भेज दूंगा, देख लीजियेगा। पूर्वांचल, बुन्देलखंड के लिये खासकर नई औद्योगिक नीति जो हमारी सरकार ने बनाई है, उसमें तमाम प्रावधान रखा गया है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 31921 उद्योग लगे हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि इन उद्योगों से कितने लोगों को रोजगार मिला है और कितना पूंजी निवेश हुआ है, वह बता दें ।

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, अप्रैल, 2012 से अप्रैल, 2013 तक इसमें जो सृजित रोजगार हैं, 2 करोड़ 59 हजार 871 हैं।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

देखिये इस प्रश्न पर 15 मिनट का समय हो गया है, अब आप लोग कृपया बैठ जाएं। एक सवाल पर 15 मिनट हो गया बहुत हो गया, आप लोग कृपया बैठ जाएं।

*02-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

[2सरे सोमवार के ता0प्र0सं0-6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति पर विचार

*03-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में देशी तथा विदेशी पूंजी निवेश बहुत कम होने के कारण औद्योगिक एवं आर्थिक रूप से प्रदेश काफी पिछड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में देशी तथा विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने की कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

जी नहीं।

प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने तथा निवेशपरक वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 लागू की गयी है, जिसके मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं :-

- समस्त आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसरों का सृजन करना।
- राज्य के क्षेत्रवार औद्योगिक असन्तुलन को दूर करते हुए सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश का लाभ पहुंचाना।
- प्रदेश में उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में गुणात्मक वृद्धि करना।
- अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना।
- औद्योगिक वातावरण में सुधार करना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट प्रदान करना।
- सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक शासनादेश एवं नियमावली निर्गत करते हुए समयबद्ध रूप से नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना।
- उच्च स्तरीय समिति गठित कर नीति के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मान्यवर, सदन में उठाये जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जिस तरह से आ रहे हैं उससे अफसरों की कार्यशैली का पता चल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया प्रश्न पूछिये, भाषण मत कीजिए।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या प्रदेश में देशी तथा विदेशी पूंजी निवेश बहुत कम होने के कारण औद्योगिक एवं आर्थिक रूप से प्रदेश काफी पिछड़ा है ? उत्तर दिया गया जी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आप भाषण लिख करके न पढ़ें, कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछें उस उत्तर के सम्बन्ध में, आप तो उसी बात को दोहरा रहे हैं।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर सही नहीं आया है इसलिए मैं उसे पूछ रहा हूं। मा0 अध्यक्ष जी, जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि 2012-13 में उत्तर प्रदेश पिछले पांच वर्षों में अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी पीछे है।

श्री अध्यक्ष-

यह क्या कर रहे हैं आप, आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाषण कर रहे हैं। माननीय तिवारी जी, यह आपके सदस्य हैं आप इन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछना तो बता दीजिए। ये तो प्रश्नों को दोहरा रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रदेश में देशी तथा विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जमीन आवंटन, वैट दरों में कमी, सरकारी विभागों में लालफीताशाही को रोकने, उद्यमियों को बेहतर माहौल देने, उद्योगों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उपाय कर रही है ?

श्री अध्यक्ष-

एक-एक करके प्रश्न पूछिये।

डॉ0 शिव प्रताप यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, जो अभी हमने बताया कि जो हमारी 2012 के सितम्बर में नई औद्योगिक नीति बनाई गई है, उसमें सारी चीजों का प्रावधान किया गया है जैसे वैट में छूट, ब्याज में छूट आदि की सारी व्यवस्था की गई है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको उपलब्ध करा दिया जायेगा वह देख लेंगे कि इसमें सारी सुविधाएं मेन्संड हैं।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि पिछला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ था, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं चूंकि वह चार बार उस किताब को दिखा चुके हैं तो क्या उन्होंने उस किताब को पढ़ा है। जैसे आपने मा0 सदस्य को कहा कि पढ़कर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से प्रश्न पूछिए, यह आपका सर्वाधिकार है और आपका संरक्षण सभी को मिलता है। मान्यवर, जैसे आपने मा0 सदस्य से कहा कि पढ़ करके प्रश्न को मत पूछिए तो मा0 मंत्री जी पहले किताब पढ़ लेते और उसके बाद बता देते कि हमने टैक्स में इतनी छूट दी है, वैट में इतनी छूट दी है, बिजली के लिए हमने यह प्रबन्ध किया है, जमीन के लिए हमने यह किया है, मान्यवर, कुछ तो बता दें। मा0 मंत्री जी के पास सारे प्रश्नों के उत्तर में एक ही जवाब है कि यह किताब छाप दी गई है, आपके पास भिजवा दी जायेगी आप पढ़ लीजिएगा। मान्यवर, आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, अगर आपने पढ़ी है तो स्पष्ट रूप से इसका उत्तर दें कि बिजली की जो दरें बढ़ायी गयी हैं क्या उसको कम

करेंगे ? मान्यवर, यह बतायें कि जमीन पर सब्सिडी देंगे, औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए इन्फ्रास्क्ट्रक्चर उपलब्ध करायेंगे ? बार-बार यही प्रश्न आ रहा है लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसका उत्तर दिलवा दीजिए। अब पढ़ना शुरू हो गये हैं, कम से कम पढ़ करके ही इसका उत्तर बता दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, मा0 सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या उद्योगों को कोई छूट जमीन के मामले में, बिजली के मामले में, वैट के मामले में देंगे, वह अगर आपकी नीति में हो तो बता दीजिए।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, हमारी जो अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति, 2012 है उसके अंतर्गत पूर्वान्चल, मध्यांचल और बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली इकाइयों को स्टैम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायी गयी है और औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति योजना के अन्तर्गत पूर्वान्चल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली नई इकाइयों जिनमें स्थायी पूंजी निवेश 5 करोड़ या उससे अधिक हो एवं प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित होने वाली इकाइयों को सुविधायें दी गयी हैं। इनमें वैट में, ब्याज में भी छूट है तथा ब्याज मुक्त जमीन दी जायेगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों जिसमें स्थायी पूंजी निवेश 5 करोड़ या उससे अधिक हो उसमें प्रथम बिक्री तिथि से 10 वर्ष तक उनके द्वारा जमा किये वैट में केन्द्रीय बिक्रीकर के समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय धन का 10 प्रतिशत धनराशि जो कम हो ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 07 वर्ष में देय होगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, केवल एक बात बता दें कि बिजली की जो वर्तमान दरें बढ़ायी थी उसको वापस लेंगे या नहीं ? इसको हां या ना में बता दें।

डा0 शिव प्रताप यादव-

यह इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसी से रिलेटेड है।

डा0 शिव प्रताप यादव-

बिजली का मामला इससे कहां रिलेटेड है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय महाना जी, अगर उत्तर की प्रति आपके पास होती तो शायद आप सवाल न करते। उसमें सारी चीजें दी गयी हैं क्या-क्या देंगे ? नये रोजगार का सृजन करना, पूंजी निवेश में लाभ पहुंचाना, औद्योगिक वातावरण में सुधार करना, लघु एवं मध्यम उद्यम को प्रोत्साहन देना, अनुदानों में छूट देना ये सारी चीजें लिखी हुई हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, उत्तर की प्रति मेरे पास है और जो कुछ आप बता रहे हैं वह सही है। विनम्रता के साथ अनुरोध है कि केवल एक बात बता दें कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो विद्युत में दरें बढ़ायी थीं क्या उसको कम करने पर सरकार विचार करेगी या नहीं ? हां या ना में बता दें।

डा0 शिव प्रताप यादव-

यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है इसलिए इसका उत्तर देना इसमें शामिल नहीं है।

*04-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[1ले शुक्रवार के तारां0 प्र0 सं0-12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बरेली सहित पूरे रूहेलखण्ड क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति

*05-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली सहित पूरे रूहेलखण्ड क्षेत्र में आर्थिक विकास हेतु औद्योगीकरण के लिये वर्तमान सरकार की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

जी हां।

औद्योगीकरण के लिए बनाई गई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत रूहेलखण्ड क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के लिए निम्न योजनाएं बनाई गयी हैं :-

- समस्त आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसरों का सृजन करना।
- राज्य के क्षेत्रवार औद्योगिक असन्तुलन को दूर करते हुए सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश का लाभ पहुंचाना।
- प्रदेश में उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में गुणात्मक वृद्धि करना।
- अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना।
- औद्योगिक वातावरण में सुधार करना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट प्रदान करना।
- सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक शासनादेश एवं नियमावली निर्गत करते हुए समयबद्ध रूप से नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना।
- उच्च स्तरीय समिति गठित कर नीति के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जब इधर के माननीय सदस्य कागज से अपने अनुपूरक प्रश्न को पूछ रहे थे तो आपने स्वयं टोका था कि पढ़ो मत अनुपूरक प्रश्न पूछो। तो

माननीय मंत्री जी लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी को तो अनुमन्यता है और माननीय सदस्य जो नए चुनकर आए हैं उनको अनुमति नहीं है। इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी आपने सुना नहीं होगा वह प्रश्न को ही दोहराकर पढ़ रहे थे मैंने उस पर टोका था। अब मंत्री तो फाइल से उत्तर देते हैं उत्तर लम्बा होता है इस पर कोई व्यवस्था नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

सदस्य न पढ़ें माननीय मंत्री जी पढ़ें यह अनुचित है।

श्री अध्यक्ष-

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिए। माननीय सदस्य अनुपूरक पूछें।

डा0 अरुण कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया आपको धन्यवाद। मैं यह पूछना चाहता हूं आपकी औद्योगिक नीति के बाद रूहेलखण्ड में एक हजार करोड़ रुपए के ऊपर की कितनी योजनाएं लागू हुई हैं/शुरू हुई हैं अब तक ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष जी इसका मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न एक बार फिर से पूछें।

डा0 अरुण कुमार-

मान्यवर, मैं यह पूछ रहा था कि रूहेलखण्ड में आपकी योजनाओं का जो आपने नई योजना बनाई इसका क्या असर हुआ है और एक हजार करोड़ रुपए से ऊपर की कितनी योजनाएं शुरू हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष-

इसमें योजना तो उत्तर में पढ़ ली। प्रश्नकर्ता यह पूछना चाहते हैं कि एक हजार करोड़ से अधिक की कितनी योजनाएं शुरू हुईं तो इसकी सूचना है। यह कहना अच्छा नहीं है कि प्रश्न बनता नहीं है।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, इसके बारे अलग से प्रश्न कर लें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी यह कह दीजिए कि सूचना नहीं है। इस तरह का उत्तर क्यों दे रहे हैं ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, प्रस्ताव आ रहे हैं विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष-

हां, इस तरह उत्तर दीजिए कि प्रस्ताव आ रहे हैं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रूहेलखण्ड के अन्तर्गत हमारा जनपद शाहजहांपुर भी आता है। तो जो कार्य योजना बनाई गई है उसमें शाहजहांपुर में कोई ऐसे उद्योग लगाने के प्रस्ताव सरकार के पास आए हैं।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में तमाम जिलों में प्रस्ताव आए हैं उस पर विचार चल रहा है अलग-अलग जिलों के बारे में जब प्रस्ताव फाइनल हो जाएगा तो हम बता देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसी के संदर्भ में एक बहुत सीधा और स्पष्ट प्रश्न करना चाहता हूं। आपने नई औद्योगिक नीति बनाई तो जो नई औद्योगिक नीति बनाई उसमें उद्योगों को आकर्षित करने के लिए तमाम आपने बिन्दु दिए हैं जिसमें नीचे से तीसरा बिन्दु है पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट प्रदान करना। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि नए उद्योगों के लिए कोई सब्सिडी की व्यवस्था की है और सब्सिडी की व्यवस्था की है तो उसकी दर क्या है ? अगर कोई 100 करोड़ का उद्योग लगाएगा तो उसमें कितने प्रतिशत सब्सिडी देंगे।

श्री अध्यक्ष-

वित्तीय छूट देने का प्राविधान तो बता दिया अब आप यह पूछ रहे हैं कि क्या देना है क्या नहीं देना है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सब्सिडी की व्यवस्था नई औद्योगिक नीति में की है। नए उद्योग जो लगेंगे उसमें सब्सिडी की व्यवस्था सरकार ने की ।

श्री अध्यक्ष-

नीति में तो है कि पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट प्रदान करना। यह तो उत्तर में है ही।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नए उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी की क्या व्यवस्था है और कितने प्रतिशत तक सब्सिडी नए उद्योगों को दे सकते हैं ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

अध्यक्ष जी पूंजी निवेश के बारे में उत्तर में लिखा गया है और बताया गया है जहां तक माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसके बारे में निवेश में जो छूट है ब्याज में व्यवस्था किया गया है सारी चीजें हमारी औद्योगिक नीति में हैं।

उर्वरक पर सब्सिडी घटाते हुए कम्पनियों को डी0ए0पी0 के खुदरा मूल्य में कमी करने के निर्देश

*06-श्री सतीश महाना-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा यूरिया एवं डी0ए0पी0 खादों पर सब्सिडी घटाकर खादों के दाम बढ़ाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खाद के बढ़े दामों पर सब्सिडी देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

केन्द्र सरकार द्वारा गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2013-14 में डी0ए0पी0 उर्वरक पर सब्सिडी घटायी गयी है किन्तु दाम न बढ़ाते हुए उर्वरक कम्पनियों को डी0ए0पी0 के अधिकतम खुदरा मूल्य में कमी करने के निर्देश दिये गये हैं। यूरिया में सब्सिडी नहीं घटायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह प्रदेश के किसानों से सीधा जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने स्पष्ट पूछा था कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा यूरिया एवं डी0ए0पी0 खादों पर सब्सिडी घटाई गई है जिस कारण से खादों के दाम बढ़ गये हैं। माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है कि सब्सिडी घटाई गई है। सब्सिडी घटाई गई है इसका मतलब उसके ऊपर जो छूट थी वह कम कर दी गई है, खत्म कर दी गई है और दाम बढ़ गये। आगे मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि जो कम्पनियां हैं। उनको कहा गया है कि जो अधिकतम मूल्य लगा है उसमें कुछ छूट कर दें। मान्यवर, सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी और सब्सिडी खत्म करने के बाद खाद के दाम, उर्वरक के दाम, डी0ए0पी0 के दाम स्वाभाविक रूप से बढ़ गये क्योंकि उसमें सब्सिडी समाप्त हो गई। सरकार ने सब्सिडी समाप्त करके जो दुकानदार हैं, जिनको इन्होंने वितरक कहा है, उनको इन्होंने अधिक मूल्य पर देना शुरू कर दिया क्योंकि इन पर सब्सिडी नहीं रही और दुकानदार से आप अपेक्षा करते हैं कि इसके ऊपर सब्सिडी समाप्त कर दे। अधिकतम मूल्य में से न्यूनतम मूल्य लेना शुरू कर दे। मान्यवर, जिस रेट से आप दे रहे हैं कोई न्यूनतम रेट निर्धारित नहीं किया गया है कि अधिकतम में से कम कर देंगे। आप उसका अधिकतम मूल्य ही ऐसा निर्धारित करें ताकि कम करने की आवश्यकता न पड़े एक बात। दूसरा मान्यवर, प्रश्न यह है कि आज से दो वर्ष पहले जिस खाद, डी0ए0पी0, यूरिया के दाम 400 रुपये थे अब लगभग 1200 हो गये। लगभग तीन गुना बढ़े हैं और मान्यवर, आपकी जानकारी में है। तीन गुना ज्यादा दाम बढ़ गये हैं और तीन गुना दाम बढ़ने के बाद भी मान्यवर, किसान की न तो केन्द्र सरकार को चिन्ता है न आपने उसके लिये कोई प्रयास किया है। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक स्पष्ट एक प्रश्न है कि जो खाद और यूरिया, डी0ए0पी0 सबके दाम सब सम्मिलित हैं, मैं इसलिये अलग-अलग नहीं बता रहा कि आज से दो वर्ष पूर्व जो दाम थे उस दाम के ऊपर आज सरकार यह खाद और डी0ए0पी0 उपलब्ध कराने के लिये आश्वासन देगी।

कुंवर आनन्द सिंह-

मान्यवर, महाना जी ने कहा कि दाम बढ़ गये हैं। दाम का यूं है कि सब्सिडी के बाद भी आज डी0ए0पी0 1130 रुपये पर निर्धारित की गई है जो 1811 रुपये थी। एन0पी0के0 1118 रुपये थी आज 1053 रुपये निर्धारित की गई है। एम0ओ0पी0 840 रुपये थी आज 800 रुपये निर्धारित है और इसी मूल्य पर किसानों को मिलेगा। अब यह खुद देख सकते हैं कि दाम बढ़ गये हैं कि दाम घट गये हैं। यूरिया पर कोई सब्सिडी का फर्क नहीं है लेकिन उससे सिर्फ 10-11 रुपये एक में और 15 रुपये एक में फर्क हुआ है। यह ए0सी0टी0एन0 की वजह से बढ़े हैं किसी ने बढ़ाया नहीं है। एडिशनल कास्ट टू बी नॉन रिकग्नाइज्ड इनपुट टैक्सेस यह केन्द्र सरकार का है। महाना जी कहते हैं कि हमने कोई प्रयास नहीं किया। हमने बहुत प्रयास किया है लेकिन थोड़ा इधर भी ध्यान दें आप। सब्सिडी कहां से आती है, सब्सिडी कौन कम करता है, सब्सिडी कौन बढ़ाता है, मूल्य निर्धारित कौन करता है ? हम तो आप ही की तरह पीड़ित समझिये बैठे हैं। आप भी इनके सामने हाथ जोड़ते हैं। हम भी आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। देखिये जितना हो सकेगा हम करेंगे और दूसरा प्रश्न आप फिर बता दें महाना जी।

श्री सतीश महाना-

मैं बता रहा हूं। मान्यवर, अनुपूरक में से एक बात निकलकर आ गई है। मैंने दूसरा प्रश्न यह पूछा था जिसको आप 1130, 1811 बता रहे हैं तो यह दो साल पहले क्या 400 रुपये थी ? जब 400 रुपये से मान्यवर, लगभग तीन गुना हो गई। मान्यवर, सरकार को समर्थन यह दे रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम इनको कहें कि कम कर दें। तो मान्यवर, यह अजीब सी बात है। समर्थन आप दे रहे हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम कम करा दें। हम कहेंगे तो यह 1100 से 2200 करा देंगे और कहेंगे कि हमने कहा है कि कम न करना। आप ही मान्यवर, कह कर देख लें।

कुंवर आनन्द सिंह-

इन चीजों का दाम जो है वह इम्पोर्ट की वजह से है, चूंकि जो चीजें विदेश से आती हैं वह हमारे कन्ट्रोल में नहीं हैं। फास्फेट का जो कोसेन्ट है वह टोटली इम्पोर्टेड है। जब मार्केट बढ़ता है तो मांगे बढ़ती हैं और मार्केट घटता है तो घटती हैं। यह हमारे भारतवर्ष के कन्ट्रोल में भी नहीं है अगर वर्ड प्राइज बढ़ेगा तो यहां भी बढ़ेगा और हम सब्सिडी दें यही तो बात है ना, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी वित्तीय स्थिति नहीं है कि हम वित्तीय सब्सिडी दे पाएं यह प्रश्न आपने पिछले वर्ष भी पूछा था इस बार भी आपका वही प्रश्न है। अगर आपको चाहिए हम कह सकते हैं कि आप फूड सिक्योरिटी बिल पर इतना महत्व दे रहे हैं, केन्द्र सरकार क्यों नहीं हमें फर्टिलाइजर बिल लाकर देती हैं, हम लोग उसको मानेंगे, हमें फर्टिलाइजर सिक्योरिटी बिल चाहिए, हमको एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी बिल चाहिए, हमको इरीगेशन सिक्योरिटी बिल चाहिए, किसानों को जो चीजें चाहिए हमें उसकी सिक्योरिटी चाहिए, हमें यह नहीं चाहिए कि किसान मरने लगे तो एक बूंद गंगाजल डालकर आप अंगूठा लगवा लें फिर पांच साल तक ले जाऐं, फिर जब किसान की हालत बुरी हो तो फिर वही करें। आप हमको मछली खिलाइए नहीं मछली पकड़ना सिखाइए।

श्री अध्यक्ष-

बस आ गया, श्री दलवीर सिंह जी।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आभारी हूं आपने बोलने का मौका दिया मैं आपके माध्यम से सरकार से केवल यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने रेट बढ़ाए चाहे इन्होंने बढ़ाए, चाहे किसी ने बढ़ाए लेकिन बिजली के बिल मंहगे हो गए किसानों के लिए, मजदूरी मंहगी हो गई, डीजल मंहगा हो गया, हर चीज मंहगी हो गई। क्योंकि वर्तमान सरकार किसान सरकार के रूप में जानी जाती है, मा0 मुलायम सिंह यादव जी को किसानों के नेता के रूप में जाना जाता है, वह चौधरी चरण सिंह के अनुयायी माने जाते हैं तो वर्तमान सरकार जो सत्ता में बैठी है अपनी तरफ से कोई अनुदान या सब्सिडी देना चाहती है इस पर मैं सरकार का जबाव चाहता हूं ?

कुंवर आनन्द सिंह-

केन्द्र में इनके मंत्री हैं यह वहां कह सकते हैं यह प्रश्न यहां उठा रहे हैं यह प्रश्न इनके केन्द्रीय मंत्री को उठाना चाहिए मैंने पहले ही कह दिया कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि हम कोई और सब्सिडी बढ़ा सकें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही मैं उसका स्वागत करता हूं मा0 मंत्री जी ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल से ज्यादा यह आवश्यकता है कि फर्टिलाइजर सिक्योरिटी बिल लाते, आपने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इरीगेशन सिक्योरिटी बिल लाते बड़ी अच्छी बात कही, इस सदन में इतनी अच्छी बात आई है कम से कम सदन में उसका स्वागत होना चाहिए, अगर आलोचना होती है तो स्वागत भी होना चाहिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो इन्होंने सिक्योरिटी बिलों का जिक्र किया है यह विधान सभा से प्रस्ताव पास करके केन्द्र को भेजकर निवेदन करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की नीति

*07-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की नीति और अनुमन्य धनराशि क्या है ? क्या उक्त नीति के अन्तर्गत पात्र सभी वृद्ध लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी लाभार्थियों को पेंशन दिये जाने हेतु कोई नई पारदर्शी नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बी0पी0एल0 सूची-2002 में सम्मिलित सभी वर्गों के पात्र वृद्धजनों को रु0 300/-प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से प्रतिवर्ष दो छमाही किश्तों में बैंक खातों/डाकघरों के माध्यम से पेंशन अनुमन्य है। दिनांक 01-04-2011 से 60 से 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः रु0 200/-(केन्द्रांश के रूप में) एवं रु0 100/-(राज्यांश के रूप में) प्रतिमाह प्रति लाभार्थी अनुमन्य है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-04-2011 से योजनान्तर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बी0पी0एल0 सूची-2002 में सम्मिलित सभी वर्गों के पात्र वृद्धजनों को केन्द्रांश के रूप में रु0 500/-प्रतिमाह, प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन अनुमन्य है।

वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति हेतु ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 सूची-2002 में उल्लिखित पात्र वृद्धजन तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 के मानक के पात्र वृद्धजन अर्ह हैं। उक्त पात्रता में आने वाले सभी वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य है।

यथोपरि।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार कई योजनाएं चला रही है, उदाहरण स्वरूप बेरोजगारी भत्ता दे रही है, अन्य कई योजनाएं चला रही है तो यह स्पष्ट है कि सरकार के पास संसाधन की कमी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जिन योजनाओं का माननीय मंत्री जी

ने उल्लेख किया है, उनमें जिन योजनाओं में राज्य सरकार का अंशदान सिर्फ 100 रुपये का है और बाकी 200 रुपया केन्द्र सरकार देती है, यानि कुल मिला करके उन अभागों को, वृद्धजनों को, दयनीय आर्थिक स्थिति से गुजरने वालों को कुल 300 रुपया प्राप्त होता है तो क्या सरकार जब उसके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो इच्छा शक्ति की तो क्या इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपना योगदान राज्य सरकार 200 रुपया और बढ़ा दे यानि प्रदेश सरकार का 300 रुपया और केन्द्र सरकार का 200 रुपया, कुल 500 रुपया देने पर सरकार विचार करेगी या आश्वासन देगी ?

श्री अवधेश प्रसाद-

अध्यक्ष जी, जहां तक सवाल सरकार की इच्छा शक्ति का है तो सरकार की इच्छा शक्ति, नीति और नीयत में कहीं पर कोई कमी नहीं है। जहां प्रश्न आता है किसान का, जहां प्रश्न आता है, वृद्धजनों का, जहां प्रश्न आता है, छात्राओं का, छात्रों का, महिलाओं का तो जो सवाल मा0 चौधरी जी ने पूछा है, उस सवाल पर हम भी विचार कर रहे हैं, उसे बढ़ाने पर श्रीमन्, हम भी विचार कर रहे हैं लेकिन अभी वर्तमान में सरकार की जो आर्थिक स्थिति है, इसको देखते हुए अभी फिलहाल नहीं, लेकिन हम भी इच्छा रखते हैं, इसको बढ़ाने के लिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपना अनुपूरक करने से पहले ही यह कहा कि सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है, बेरोजगारी भत्ता दे रही है, कन्या विद्या धन योजना चला रही है, लैपटाप बांट रही है, पी0सी0 बांट रही है और बहुत सी अन्य योजनाएं चला रही है। यह एकदम सुस्पष्ट है कि सरकार के पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा थी तो यह सारी योजनाएं सरकार चला रही है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विचार कर रहे हैं, केवल विचार न करें, सदन को आश्वासन दें कि हम अपना अंशदान 300 रुपया करके और 200 रुपये का केन्द्र सरकार का अंशदान मिला करके उन लोगों को 500 रुपये प्रतिमाह कर देंगे, इसमें बहुत विचार करने की बात नहीं है, इच्छा शक्ति की बात है तो क्या सरकार इच्छा शक्ति प्रदर्शित नहीं करेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, माननीय चौधरी जी ने जो प्रश्न रखा है और वर्तमान शासन द्वारा चलाई गई तमाम कल्याणकारी योजना की उन्होंने चर्चा भी की है। पेंशन से सम्बन्धित जो हमारी रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना है, जिसमें प्रति लाभार्थी को 400 रुपया प्रति महीने देने का प्राविधान है और यही नहीं, यह योजना ऐसे लोगों के लिए है जिनके नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं हैं लेकिन वह गरीब हैं, ऐसे लोगों को रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना में पेंशन देने की व्यवस्था है। इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की इच्छा शक्ति, नीति और नीयत में कोई अन्तर नहीं है। सरकार पूरी तरह से कल्याणकारी योजनाओं को अच्छे ढंग से लागू करना चाहती है।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी आपने यह कहा कि उन वृद्धों को यह पेंशन की सुविधा दी जाएगी जो बी0पी0एल0 कार्ड धारक हैं। आपके उत्तर में यह लिखा हुआ है वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग

के बी0पी0एल0 सूची-2002 में सम्मिलित सभी वर्गों के पात्र वृद्धजनों को रुपये 300/- प्रतिमाह, प्रति लाभार्थी की दर से प्रति वर्ष दो छमाही किश्तों में बैंक खातों/डाकघरों के माध्यम से पेंशन अनुमन्य है। इसमें सूची का उल्लेख है और आगे आपका जवाब है कि शहरी क्षेत्र में नगरीय विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 के मानक के पात्र वृद्धजन अर्ह हैं। धारक के पात्र नहीं हैं। मानक यानी कि जिनकी आय 24000/- रुपये से सालाना कम है। तो क्या यह आप स्पष्ट करेंगे कि जिन वृद्धों की आय 24000/- के नीचे है लेकिन वह बी0पी0एल0 कार्ड धारक नहीं हैं तो क्या सरकार उन्हें भी पेंशन देने का कार्य करेगी।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, पेंशन देने के लिए जो बी0पी0एल0 सूची 2002 की है उसमें यह है कि अगर लाभार्थी का नाम बी0पी0एल0 सूची में है और उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो उनको पेंशन देने का प्राविधान है।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष-

असीजा जी, आपका उत्तर आ गया अब दूसरे को बोलने दें। अब नहीं। मैंने श्री सुदेश शर्मा जी को बुला लिया है।

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई योजना बतायी है उसमें बिना बी0पी0एल0 में नाम हुए भी उसमें पेंशन पा सकते हैं। क्या मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले 18 महीनों में सरकार द्वारा कितनी पेंशन बांटी गयी ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न नहीं है। बैठिये।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या पेंशनों की आती है। कोई वृद्ध महिला खड़ी है कोई विकलांग है। उनको बहुत इच्छा रहती है कि वह अपने विधायक के पास आकर कहें और वह उनकी पेंशन के लिए कहें। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि विधायकों की संस्तुति पर पात्र व्यक्तियों को पेंशन दिलवाने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

पात्र व्यक्ति को वैसे ही पेंशन मिलती है विधायक की संस्तुति की क्या जरूरत है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, जो व्यवस्था बतायी गयी है आपकी सरकार में भी वही व्यवस्था का अनुपालन किया गया था। अब इसमें ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव पास होता है। लोकतंत्र में उनका भी महत्व है। मैं

समझता हूं कि जैसा मा0 सदस्य ने विधायकों के लिए कहा है यह व्यवस्था नहीं है। अगर मा0 सदस्य के पास ऐसे कोई आवेदन-पत्र हैं ऐसे पात्र लाभार्थियों की संख्या है तो वह सूची हमें दे दें हम उन्हें दिलवा देंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, सारी बातें बी0पी0एल0 सूची के इर्दगिर्द हो रही हैं। वर्ष 2002 की सूची डिफेक्ट हो चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम होना चाहिए था लेकिन नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं होना चाहिए था लेकिन है। केन्द्र सरकार से भी निर्देश आया था कि एक आर्थिक सर्वेक्षण करके एक नयी बी0पी0एल0 सूची बनायी जाये। शायद उत्तर प्रदेश अकेला राज्य होगा जहां यह बी0पी0एल0 सूची पुनः बनायी नहीं गयी है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी जानना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के निर्देश के बाद भी बी0पी0एल0 सूची पुनः बनाने में पर्याप्त रुचि नहीं ले रही है ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से संबंधित तो है नहीं ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रश्न से संबंधित है। मा0 अध्यक्ष जी यह सीधे-सीधे प्रश्न से सम्बन्धित है क्योंकि सारा का सारा लाभार्थी बी0पी0एल0 सूची पर है, जिसका नाम बी0पी0एल0 सूची पर है उसी को लाभ मिलेगा, जिसका नाम नहीं है, उसको नहीं मिलेगा। मान्यवर, वर्ष 2002 से 2013 यानी 11 साल हो गये हैं, पूरे देश में बी0पी0एल0 सूची बन चुकी है, अब सवाल यह है कि यह उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाई जा रही है ? क्या रीजन्स हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बी0पी0एल0 सूची को अद्यतन करने में रुचि नहीं ले रही है ? जब तक नई बी0पी0एल0 सूची नहीं बनेगी अध्यक्ष जी, तब तक आखिर यह विधवा पेन्शन मिलेगी कैसे ? अतः यह प्रश्न से सम्बन्धित है, मा0 अध्यक्ष जी, इसका जवाब दिलवा दीजिए। अब इतना तो संरक्षण मा0 अध्यक्ष जी आपका होना चाहिए कि जो पेन्शन सिर्फ बी0पी0एल0 सूची पर आधारित है, उस सूची के बारे में तो मा0 मंत्री जी कुछ बतायें।

श्री अध्यक्ष-

ये पेन्शन से सम्बन्धित है, सूची से सम्बन्धित तो है नहीं। मा0 मंत्री जी हैं, अगर उनके पास जानकारी हो, तो वह जवाब दे दें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर मा0 मंत्री जी के पास जानकारी न हो तो इसे स्वीकार कर लें।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं है और बहुत जल्दी ही बीपीएल की नई सूची तैयार हो जायेगी तो आपकी मन्शा पूरी हो जायेगी।

श्री बब्बन सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे चन्दौली जिला में हजारो फाइलें ऐसी हैं बीपीएल सूची की, जो जिला कार्यालय पर आज तक ऐसे ही

रखी हुई हैं, लेकिन आज तक न तो इनके द्वारा उस पर पेन्शन दिया जा रहा है और वह फाइलें इसी तरह अटकी हुई हैं, जो हजारों लोग चक्कर काट रहे हैं जिले का, क्या मा0 मंत्री जी इसको संज्ञान में लेंगे।

श्री अवधेश प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो अगर पेण्डिंग होगा तो इन्हीं की सरकार का होगा, लेकिन मैं इनको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि यह पेण्डिंग की सूची भेज देंगे तो एक सप्ताह के अन्दर हम उनको पेन्शन भी दिलवा देंगे और अगर किसी ने उस पर कोताही बरती होगी, लापरवाही बरती होगी, तो 15 दिन के अन्दर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करके मा0 सदस्य को सूचित भी कर देंगे।

प्रदेश में शुगर मिलों के प्रदूषण एवं जहरीले पानी के रिसाव से निपटने के उपाय

*08-श्री सुरेश राणा तथा श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शुगर मिलों में मानक के विपरीत लगी चिमनी से हो रहे प्रदूषण एवं जहरीले पानी के रिसाव के कारण हो रही गम्भीर बीमारियों से निपटने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, प्रश्न संख्या-08 स्थगित है, इसलिए अब मैं प्रश्न संख्या-09 ले रहा हूं।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक मिनट का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं, मैंने अगला प्रश्न ले लिया है, प्रश्नकाल खत्म हो जाये तो आप हमसे बात कर लीजिएगा।

प्रदेश में तहसीलों व एस0डी0एम0 कोर्ट में राजस्व सम्बन्धी लम्बित मुकदमों से निपटने की योजना सम्बन्धी जानकारी

*09-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तहसीलों व एस0डी0एम0 कोर्ट में राजस्व संबंधी मुकदमें लम्बित होने के कारण वादियों को न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त विवादों (मुकदमों) के शीघ्र निस्तारण हेतु राज्य सरकार कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण हेतु कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश समय-समय पर निर्गत किये गये हैं, तथापि कतिपय मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के कारण जनसामान्य की अपेक्षानुसार त्वरित गति से निस्तारण न होने के भी प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

राजस्व सम्बन्धी मुकदमों/विवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली की योजना प्रदेश के सभी मण्डल/जनपद/तहसील स्तरीय न्यायालयों में लागू की जा रही है।

इस प्रबन्धन से राजस्व न्यायालयों में लम्बित सभी वादों, अपीलों तथा निगरानियों (पुनरीक्षण वादों) के समयबद्ध निस्तारण की दिशा में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संभव हो सकेगा जिससे निस्तारण में अपेक्षित गति आयेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो हम लोगों के राजस्व न्यायालय हैं, उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी उपयोगिता है और उसके कारण बहुत सारे किसान प्रभावित होते हैं। इसमें एक कोटा सिस्टम चलता है निर्णयों को निर्णीत करने का, जो नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एस0डी0एम0 की कोर्ट पर लागू होता है और उसमें वास्तव में मुकदमें निर्णीत नहीं होते हैं, आपस में वह एक पक्षीय निर्णय कर लेते हैं और उसके बाद दूसरे दिन उनका सेटिंग होता है कि वाद दायरा ले लिया जायेगा जबकि अपील करने का अवसर भी होता है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। क्या वाद दायरा लेने का जो सिस्टम है और कोटा प्रणाली राजस्व मुकदमों को निर्णीत करने की है, उसको समाप्त करने का काम करेंगे, नम्बर एक प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि नायब तहसीलदार की कोर्ट का बहुत महत्व राजस्व न्यायालयों में होता है। इस समय शासन के द्वारा स्वीकृत कुल नायब तहसीलदार के 1234 पदों के सापेक्ष 475 नायब तहसीलदार उ0प्र0 में काम कर रहे हैं। जो लगभग सृजित पदों की संख्या का एक बटा तीन है। क्या प्रोन्नति की जो फाइलें रुकी हुयी हैं, वैसे प्रोन्नति करके नायब तहसीलदारों को या सीधी भर्ती करके नायब तहसीलदारों के पदों को भरा जायेगा जिससे राजस्व के न्यायालय ठीक ढंग से काम करें। तीसरा प्रश्न यह है, एक बहुत छोटा सा प्रश्न यह है और मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एस0डी0एम0 की कोर्ट का भी बहुत महत्व तहसील स्तर पर होता है लेकिन एस0डी0एम0 के पास बहुत सारे कार्य होते हैं जिसके कारण वह न्यायालय पर बहुत कम समय दे पाते हैं जिससे किसान बहुत दूर-दूर से आ करके और केवल तारीखें लेकर चले जाते हैं। क्या एस0डी0एम0 न्यायिक का पद हर तहसील में सृजित करके, क्या एस0डी0एम0 न्यायिक के न्यायालय की अलग व्यवस्था करेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, वैसे तो अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें वाद के बहुत से मामले थे, पेण्डिंग थे, वाद निपटाये नहीं जा रहे थे, उसकी वजह से देरी हो रही थी। अभी तक 9 लाख वाद के मुकदमें पेण्डिंग थे लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी वादों को निपटाये जाने के लिये कम्प्यूटराइजेशन भी कर दिया गया जिससे सही स्थिति भी आ गयी है। पहले तो इतना था कि 4 लाख पर ही संख्या हो रही थी, अब 9 लाख है इस समय लेकिन इसके लिये हमने अभी तुरन्त ही जी0ओ0 निकाल दिया है तो इनमें शीघ्र वाद निपटाने के लिये मण्डलायुक्त से ले करके सभी अधिकारियों को, मण्डलायुक्त 40 वाद निपटाने के लिये प्रति महीने, कम से कम 40 मुकदमें और अपर आयुक्त प्रशासन

80 मुकदमें प्रति महीने, अपर आयुक्त न्यायिक जिलाधिकारी 160 मुकदमें और अपर जिलाधिकारी प्रशासन 50 मुकदमें, जिलाधिकारी 30 मुकदमें, अपर जिलाधिकारी वित्त, राजस्व 50 मुकदमें। जिन जनपदों में अपर जिलाधिकारी प्रशासन की स्वीकृति नहीं है, उनमें मुख्य राजस्व अधिकारी 100 और उप जिलाधिकारी 60, तहसीलदार और नायब तहसीलदार 100 मुकदमे प्रति महीना निपटायेंगे और इसी तरीके से चकबन्दी के भी बहुत मुकदमें पेण्डिंग हैं। जिला उप संचालक चकबन्दी और जिलाधिकारी 10 निगरानी प्रतिमाह और अपर जिलाधिकारी 50 निगरानी प्रतिमाह, उप संचालक चकबन्दी 150 निगरानी प्रतिमाह, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी 150 अपील प्रतिमाह तो इस तरीके से उनकी सीमायें निर्धारित कर दी हैं प्रत्येक अधिकारी की। इसके साथ-साथ निस्तारण की स्तरीय समीक्षा प्रतिमाह होगी, जिले में तो जिलाधिकारी इसकी समीक्षा करेगा, मण्डल पर आयुक्त करेगा और राजस्व परिषद् स्तर पर समीक्षा होगी और इनकी रिपोर्ट्स शासन को प्रति महीना आयेगी तो इस तरीके से जितने भी पेण्डिंग मुकदमें हैं, हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी निपटें और किसी को परेशानी न हो। शेष जो नायब तहसीलदार का बचा है, उसके प्रमोशन की बात कही गयी है। प्रमोशन में भी हम जल्दी काम करेंगे और जो नायब तहसीलदार, तहसीलदार की जो भी रिक्तियां हैं वह लोक सेवा आयोग करता है, उसमें भी जल्दी से जल्दी आयोग से हम यहां से जितनी सृजित जगह हैं। उन्हें भेजने का बहुत जल्दी करेंगे। जितनी पदोन्नतियां पेण्डिंग हैं, उनको भी बहुत जल्दी पदोन्नति की शुरुआत कर दी। जैसे ही हमारी सरकार बनी है, ज्यादा से ज्यादा हमने प्रयास यह किया है कि पदोन्नतियां जल्दी हों।

(श्री अजय मिश्र 'टेनी' के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप तीन प्रश्न पूछ चुके हैं। ठा0 दलवीर सिंह आप बोलें। अब उनको बुला लिया है टेनी जी, आप फिर पूछ लीजिएगा।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं पूरा सदन बैठा है कि 45-46 की कार्यवाही, जिसे आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, पूरा सदन जानता है पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों एकड़ जमीन 45-46 की कार्यवाही होने के बाद 20-20, 30-30 सालों से पड़ी है इस आशा में कि कब मुकदमा तय हो। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई विशेष अभियान चलाकर इस तरह की जमीनें जो 50 वर्षों से पूरे प्रदेश में पड़ी हैं उनको न्याय दिलवाने के लिए अलग से कोई कार्यवाही करेगी प्रश्न नंबर एक यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि मुकदमा पेण्डिग होने की वजह से पूरे प्रदेश में खाद्यान्नों की, गेहूं आदि फसलों के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। उसके लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है, यह जानना चाहता हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, सभी सक्षम अधिकारियों को निर्देश दे दिये गए हैं। कहीं पर भी मामला पेण्डिग हो, कहीं पर भी जमीन पर कब्जा, कहीं पर भी अगर मुकदमा है, कहीं पर भी विवाद है तो उसे जल्दी से जल्दी निपटा दें। ये निर्देश दे दिए गए हैं। सख्ती के साथ दे दिए गए हैं। उसमें कोई ढिलाई नहीं है।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

(अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

उनको पूछ लेने दीजिए, उनके मन में कुछ रह गया है।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो पहले अनुपूरक का उत्तर इन्होंने दिया है कि कोटा सिस्टम लागू किया। उसी के बारे में मैंने कहा था कि जो कोटा सिस्टम लागू हुआ, वह तो ठीक है, लेकिन उसमें वास्तव में होता क्या है, व्यावहारिक रूप में वहां पर वे मुकदमें निर्णीत नहीं किए जाते। वहां पर केवल एकपक्षीय कार्यवाही करके निर्णय दे दिया जाता है और दूसरे दिन अपील का विकल्प होने के बावजूद दूसरे वकील से वाद-दायरा ले करके फिर वह मुकदमा शामिल हो जाता है। इसलिए संख्या वादों की कम नहीं हो रही है, मैं यह कहना चाहता हूं कि वाद दायरा का सिस्टम खत्म करके अपील के विकल्प का लोग प्रयोग करें और वह मुकदमा उस कोर्ट से निर्णीत हो जाए, और अगली कोर्ट में जाए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, कहीं-कहीं वकीलों से दिक्कत आती थी। कभी-कभी वकील हड़ताल कर देते थे और कभी-कभी वकील जाते नहीं थे, तारीख पर। उसमें भी निर्देश दे दिए गए हैं कि सीधी सुनवाई हो, अगर जो भी मुवक्किल है वह सीधी बहस कर सकता है और उसमें शीघ्र से शीघ्र अधिकारी निर्णय लें और निर्णय लेने के बाद जो भी कानूनी कार्यवाही है उसमें देरी अब नहीं होगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेश त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता था कि मुकदमों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए गोरखपुर जनपद के गोला तहसील में एक नई दीवानी बनाने के लिए आदेश किया गया था, वह सरकार के पास पत्रावली लम्बित है। उस पर बाकी व्यवस्था के लिए क्या सरकार इसे शीघ्रातिशीघ्र करायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से संदर्भित नहीं है। प्रश्न से इसका मतलब नहीं है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, जानकारी कर लें।

श्री अध्यक्ष-

अब जानकारी अलग से कर लीजिएगा, इसका इस प्रश्न से मतलब नहीं है।

*10-श्री हुकुम सिंह-

[3सरे मंगलवार के तारा0 प्र0 सं0-4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरने व इस हेतु उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के गठन सम्बन्धी जानकारी

*11-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पड़े हजारों पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि लम्बे समय से निष्क्रिय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का गठन कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के कुल कितने पद हैं और उसमें कितने पद रिक्त हैं ?

श्री अभिषेक मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के 1622 कुल पद हैं, जिसमें से 518 रिक्त हैं।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

और महाविद्यालयों में कितने रिक्त हैं ?

श्री अभिषेक मिश्र-

महाविद्यालयों में कुल 2219 पद हैं, जिसमें से 820 पद रिक्त हैं।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कितने शिक्षार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी के मानक क्या हैं ? यह मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने शिक्षार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति है और क्या उत्तर प्रदेश में जितने शिक्षार्थी हैं उसके अनुरूप शिक्षक के पद सृजित हैं, यह मैं जानना चाहता हूं और अगर हैं तो बताएं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, क्या आपके पास सूचना है।

श्री अभिषेक मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी, यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हिसाब से रेशियो बनाया जाता है। एक्जाक्ट संख्या अलग-अलग कोर्स के हिसाब से होती है, इंजीनियरिंग में अलग होगी, कामर्स में अलग होगी, आर्ट्स में अलग होगी और साइसेंज में अलग होता है। इसमें मा0 सदस्य चाहेंगे तो उनको अलग से सूचना दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उत्तर आ गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें एक प्रश्न है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का गठन सरकार कब तक करेगी ? कोई निश्चित समय-सीमा है कितने दिनों में करेगी यह हम जानना चाहते हैं ? गठन हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो कितने दिनों में होगा ?

श्री अभिषेक मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी, डा0 उदयराज गौतम, जो निर्वतमान अध्यक्ष थे, उनका देहांत हो गया था दिनांक 25-07-2012 को, इसलिए पद रिक्त है। इस समय यह प्रकरण विचाराधीन है। इसको शीघ्र कर लिया जायेगा।

*12-साध्वी निरंजन ज्योति-

[3सरे गुरुवार के लिए स्थगित]

प्रदेश में समस्त क्षेत्रों में निवेशकर्ताओं को वन विण्डो सिस्टम की व्यवस्था/वेब आधारित निवेश मित्र व्यवस्था

*13-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निवेशकर्ताओं को वन विण्डो सिस्टम की व्यवस्था किन-किन क्षेत्रों में निवेश करने पर दी जा रही है ? क्या सरकार द्वारा वन विण्डो सिस्टम का लाभ प्रदान करने के लिये कोई मानक निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2013-14 में निवेश का लक्ष्य क्या है ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

निवेशकर्ताओं को वन विण्डो सिस्टम की व्यवस्था पूरे प्रदेश में समस्त क्षेत्रों (पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल) में निवेश करने हेतु की गयी है।

समस्त निवेशकर्ताओं के लिये प्रदेश में वेब आधारित 'निवेश मित्र' व्यवस्था लागू की गयी है।

प्रदेश में उद्यमियों को विभिन्न विभागों से स्वीकृतियां/अनुमतियां/अनापत्तियां इत्यादि प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं के निराकरण के दृष्टिगत तथा उन्हें अपने उद्यम को सुगमता पूर्वक स्थापित एवं संचालित करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यूजर फ्रेण्डली 'निवेश-मित्र' व्यवस्था को लागू किया गया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु विभिन्न विभागों में बार-बार जाने से होने वाले बहुमूल्य समय और धन की बचत कराना है।

विकास दर को प्राप्त करने के लिए वर्षवार अपेक्षित विनियोजन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। विनियोजन की फांट कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक नहीं होती है।

12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में विनियोजन का अनुमान निम्नवत् है :-

क्षेत्र	अपेक्षित निवेश (लाख करोड़ रुपये में)
1-निजी क्षेत्र-	11.84
2-सार्वजनिक क्षेत्र-	4.86
(1) राज्य सरकार	3.24
(2) केन्द्र सरकार	1.62
योग :	16.70

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूकर प्रश्न पूछने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत, धन्यवाद। मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वन विण्डो सिस्टम जो प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है, उसे वास्तव में कब से लागू किया गया है और इस वन विण्डो सिस्टम में किन-किन विभागों को शामिल किया गया है ? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार गांव में अगर किसी को अगर एक छोटा सा उद्योग लगाना पड़े, चक्की तक लगानी पड़े, जिसका 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की सीमा या बेस होता है, उसको शायद चक्कर काटने में एक वर्ष से 5 वर्ष तक भी लग जाते हैं। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वन विण्डो सिस्टम में किस सीमा तक निवेश करने वालों को क्या सुविधा प्रदान की जाती है और उसमें कौन-कौन से विभाग शामिल किये जाते हैं ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि अगर वन विण्डो सिस्टम में एक व्यवस्था जनता के लिए उपलब्ध करायी गयी है और अगर समय से उस कार्यवाही को सम्बन्धित अधिकारी नहीं करते हैं तो क्या सरकार उन पर कोई कार्यवाही करती है और अगर करते हैं तो कितने लोगों के खिलाफ अब तक कार्यवाही हुई है ? पहला यह मेरा पहला अनुपूरक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे, पहले इसका उत्तर दे दें।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, वन विण्डो सिस्टम जो है, सभी जनपद के मुख्यालयों तक लागू की गयी है।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, इसमें कोई समय-सीमा है क्या ? अगर एक वर्ष से लगातार कोई निवेशकर्ता चक्कर लगा रहा है तो सिंगल विण्डो सिस्टम बेमतलब हो गया, यह अर्थहीन हो गया इसलिए माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वन विण्डो सिस्टम में अगर कोई निवेशकर्ता किसी स्तर का ग्रामीण उद्योग हो, चाहे बड़ा उद्योग हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो उसकी कोई समय-सीमा है और अगर उस समय-सीमा में कार्य उसका पूरा नहीं होता तो उसमें कोई कार्यवाही का विधान है, अगर है तो उसे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिंगिल विण्डो सिस्टम में सभी जो हैं वांछित समस्त लाइसेंस, अनापत्तियां, स्वीकृतियां, अनुमोदन इत्यादि सिंगिल विण्डो क्लीयरेंस आनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था

है और इसमें कम से कम समय में यह स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए प्राविधान किया गया है कि कम से कम समय में किया जाय।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, मेरा प्रश्न समाप्त नहीं हुआ मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से 5 वर्ष तक मैं जानता हूं कि मेरे यहां के बहुत से आवेदक ऐसे हैं जो 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक इन्वेस्ट करने वाले हैं वह कई वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं अगर यह सिस्टम लागू हुआ है और चक्कर लगा रहे हैं लोग तो फिर यह सिस्टम बेमतलब हो जा रहा है। इस सिस्टम में जल्दी से जल्दी शब्द की जगह महीने दो महीने, कोई दिन अवधि निर्धारित है अगर उतने दिन में उसको अनापत्ति नहीं मिलेगी तो क्या दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार करेगी ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, अब पिछली सरकार में क्या हुआ 5 साल या 10 साल में नहीं मिला मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि कोई यह प्रकरण बता दें क्लीयरेंस कराकर उसको अनापत्ति दे दिया जायेगा।

प्रदेश में आपदाओं से राहत प्रदान करने हेतु आपदा मोचक निधि तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था

*14-श्री मनीष असीजा तथा श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये सरकार द्वारा ''आपदा प्रबन्धन'' विभाग के लिये कितने बजट का आवंटन किया गया है ? क्या सरकार वर्तमान उत्तराखण्ड त्रासदी से सबक लेते हुए प्रदेश में आपदा प्रबन्धन के उच्चीकरण के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनाने एवं इससे सम्बन्धित जनपदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका सम्पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से राहत प्रदान किये जाने के लिए मुख्य रूप से राज्य आपदा मोचक निधि में रु0 446.13 करोड़ तथा आपदा के प्रति लोगों को सशक्त करने हेतु क्षमता निर्माण के अन्तर्गत रु0 10.00 करोड़ (रु0 दस करोड़) की व्यवस्था है।

भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही आपदा प्रबन्धन हेतु कार्य योजना बनाई गई है।

उक्त कार्य योजना के अन्तर्गत निम्न प्रशिक्षण/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं :-

1-प्रदेश के समस्त जनपदों में क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के तहत विभिन्न चरणों में प्रशिक्षणों का आयोजन।

2-प्रत्येक जनपद के 120 संवेदनशील ग्राम सभाओं को आपदा के प्रति जागरूक किये जाने का कार्यक्रम।

3-प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा से निपटने हेतु प्रशिक्षण दिये जाने का कार्यक्रम।

4-जनपद एवं मण्डल स्तर पर आपदा के प्रति जागरूक किये जाने तथा पूर्व तैयारी हेतु कार्यशालाओं का आयोजन।

5-आपदा के जोखिम को कम करने हेतु सभी विभागों द्वारा योजना बनाये जाने और उसे अपनी विभागीय योजना में सम्मिलित कर क्रियान्वित किये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं वर्तमान समय के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक करना चाहता हूं जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कुछ समय पूर्व ही उत्तराखण्ड में एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने पूरे देश को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को हिला दिया। अब इस त्रासदी के बाद की सारी समीक्षाएं इस बात पर आकर टिक गयी थीं कि वहां पर जिस प्रकार का आपदा प्रबन्धन होना चाहिए था, जिस प्रकार के रेस्क्यू आपरेशन वहां समय रहते हो जाने चाहिए थे शायद इतनी जनहानि और जानमाल का नुकसान न होता। इसी के आलोक में मेरा यह प्रश्न है और मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक जिले, मण्डल का अपना विशिष्ट स्वभाव होता है, अपनी विशिष्ट परिस्थतियां होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के जितने भी जिले हैं, क्या वहां उस क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुये यदि वह औद्योगिक क्षेत्र है, या नदी किनारे का क्षेत्र है, वह तराई का क्षेत्र है, या वहां फैक्टरियां हैं, ऐसी विशिष्टताओं के हिसाब से आपदा प्रबन्धन के लिये कोई कार्यक्रम तय किया गया है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य जी ने शंका जाहिर की है, यह तो साबित हो गया कि उत्तराचंल में इतनी बड़ी त्रासदी थी और उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आई, इससे पहले 1934 में जो बाढ़ आई थी, उसका भी अबकी बार रिकार्ड टूटा है। यह बात सही है कि 37 जिले उत्तर प्रदेश के बाढ़ की चपेट में हैं, इसमें से 21 जिले संवेदनशील भी हैं। वैसे तो हमने बाढ़ आने से पहले हमारे जो बाढ़ आयुक्त हैं, उनके निर्देशन में हर एक कर्मचारी से लेकर जितने भी गांव हैं जहां-जहां संवेदनशील होते हैं, उनको सचेत किया और इसके साथ-साथ उनको ट्रेनिंग भी दी गयी कि बाढ़ आ गयी तो क्या करेंगे, किस तरीके से बचेंगे तो यह सब काम किया है। इसकी वजह से इतनी वर्षा होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में बाढ़ में कोई गंभीर घटना नहीं हुयी। वैसे तो कुछ घटनायें हुयी हैं, नुकसान भी हुआ है, लेकिन बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ है। जबकि हमारे प्रदेश में बहुत से तटबंध हैं, उसमें केवल एक संतकबीर नगर का तटबंध टूटा है, उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समस्या इस वर्ष बलिया में रही है, इसके अलावा गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद में भी बाढ़ आई। लेकिन जिस तरीके से उत्तराचंल में नुकसान हुआ है और जनहानि हुयी है, उस तरह से उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो शंका जाहिर की है, उसके हिसाब से हम सचेत हैं और हमारी सरकार सचेत है और हमने प्रबन्ध किया है। जब भी बाढ़ आयेगी तो हम यह चाहते हैं कि बाढ़ का परमानेंट इलाज हो कहीं पर उत्तर प्रदेश में ज्यादा नुकसान न हो तो यह हमारी योजना है। इसके लिये वित्तीय साधन की जरूरत है और केन्द्र से भी सहायता लेनी पड़ेगी।

इसके लिये हमने केन्द्र सरकार से प्रयास किया है और हमें सफलता भी मिली है। तो हम लोग प्रयास में लगे हैं, आगे चलकर चाहे उद्योग हों, बाढ़ से जनहानि न हो, पशु हानि न हो, सभी तरह का प्रयास किया है और निश्चित ही इसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, आधा मिनट अभी बाकी है, कृपया मेरा प्रश्न ले लें, जवाब आ जायेगा ।

श्री अध्यक्ष-

12.20 हो गया है, आप बैठिये।

प्रदेश में कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश का कथित प्रकरण

*15-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी विदेशी कम्पनियों के प्रतिनिधियों से कृषि क्षेत्र में काम करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? क्या इस क्षेत्र में विदेशी निवेश से राज्य के किसानों को लाभ होगा ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक इसे कार्यान्वित कराये जाने की योजना है ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद इलाहाबाद की तहसील कोरांव के ग्राम पथरताल स्थित तालाब की भूमि पर अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग

01-श्री जन्मेजय सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पथरताल, तहसील कोरांव, जिला इलाहाबाद स्थित तालाब की भूमि संख्या-886/1023 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा एवं खलिहान की भूमि संख्या-165 रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ग्राम पथरताल तहसील कोरांव, जिला इलाहाबाद स्थित भू-खण्ड संख्या-886/1023 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा 7 धूर, जोत चकबन्दी आ0पत्र 45 के खाता संख्या-420 पर सीलिंग के खाते में दर्ज

नोट :-नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या-14 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

है। इस भू-खण्ड का कृषि आवंटन श्री जगदीश प्रसाद पुत्र लक्षिमन के पिता को 0.244 हे0 एवं श्री विन्दवास पुत्र केशई को 0.228 हे0 एवं श्री रमा शंकर पुत्र मिश्री लाल के पिता को 0.228 हे0 किया गया था। प्रश्नगत भू-खण्ड संख्या-886/1023 पुराने भू-खण्ड संख्या-2479 मि0 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा 7 धूर से निर्मित है। पुरानी भू-खण्ड संख्या-2479 मि0 सन् 1359 फसली के खसरे में तालाब के रूप में अंकित होने के कारण तत्कालीन उप जिलाधिकारी, कोरांव द्वारा दिनांक 19-8-2006 को पुरानी भू-खण्ड संख्या-886/1023 रकबा 1.230 हे0 के सन्दर्भ में उक्त आवंटियों की प्रविष्टि निरस्त करने का आदेश पारित किया गया, जिसका अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में करा दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध निगरानी संख्या-241 सन् 2006 धारा-219 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अपर आयुक्त (द्वितीय) के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें सुनवाई की अगली तिथि 18-9-2013 नियत है।

ग्राम पथरताल, तहसील कोरांव, जनपद इलाहाबाद स्थित भू-खण्ड संख्या-165 का कुल रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा 14 धूर है तथा जिल्द बन्दोबस्त में जो0 चकबन्दी आकार पत्र 45 के क्रमशः खाता संख्या-433 में भू-खण्ड संख्या-165ख रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा ऊसर के खाते में तथा खाता संख्या-435 में भू-खण्ड संख्या-165क रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा 14 धूर खलिहान के रूप में अंकित है। मौके पर उपरोक्त भू-खण्ड संख्या-165 के दोनों भाग आपस में मिले हुए हैं तथा उनमें कोई विभाजन नहीं है। इस भू-खण्ड में श्री जगदीश प्रसाद पुत्र लक्षिमन द्वारा 0.006 हे0 पर अनगढ़ पत्थरों व मिट्टी की दीवार व छप्पर रखकर व अमरजीत पुत्र बाबूलाल ने 0.013 हे0 पर कच्चा खपरैल का मकान बनाकर तथा अनारकली पत्नी देवी शंकर ने पक्की ईंट की दीवार, जिस पर छत नहीं पड़ी है, बनाकर निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त दोनों गाटों का शेष रकबा मौके पर खाली है। अनारकली पत्नी देवी शंकर के पक्ष में स्वीकृत आवास आवंटन दिनांक 28-11-1991 अपर कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) इलाहाबाद द्वारा वाद संख्या-11/07-08 धारा-115पी में पारित आदेश दिनांक 31-3-2008 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

श्री जगदीश प्रसाद पुत्र लक्षिमन के विरुद्ध उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122बी के अन्तर्गत पारित तहसीलदार के बेदखली आदेश के विरुद्ध योजित निगरानी अपर कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) इलाहाबाद द्वारा दिनांक 25-10-2007 को निरस्त की गयी। इस आदेश के विरुद्ध जगदीश प्रसाद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-63313/2007 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15-1-2008 को याची को बेदखल न किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त रिट याचिका दिनांक 01-5-2012 को पक्षों के उपस्थित न होने के कारण निरस्त हो गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-5-2013 द्वारा याचिका सुनवाई हेतु पुनर्स्थापित कर ली गयी है।

गाटा संख्या-886/1023 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा 7 धूर के सम्बन्ध में न्यायालय अपर आयुक्त (द्वितीय) में विचाराधीन निगरानी के निर्णय होने पर तथा गाटा संख्या-165 (क) 165 (ख) पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में पारित निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करने की मांग

02-सुश्री सावित्री बाई फूले-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के नगर क्षेत्र सीतापुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हेतु जिला योजना वर्ष 2012-13 में बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अन्तर्गत प्रस्तावित परिव्यय रुपया 02 करोड़ 20 लाख अनुमोदित हुआ है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर के पत्र दिनांक 05-09-2013 द्वारा जिला योजना समिति सीतापुर द्वारा अनुमोदित वर्ष 2013-14 के परिव्यय के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की मांग

03-सुश्री सावित्री बाई फूले-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के नगर क्षेत्र सीतापुर (पुराने शहर) में राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5 के पत्र सं0-सी0एम0वि0को0-40/सत्तर-5-2012-40(15)2012, दिनांक 24 मई, 2012 द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव जिलाधिकारी, सीतापुर को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

शासन के पत्र दिनांक 24-05-2012 के क्रम में जिलाधिकारी, सीतापुर के पत्र दिनांक 03-07-2012 द्वारा नजूल की भूमि निःशुल्क प्रस्तावित राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना हेतु हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु शासन में प्राप्त हुआ। वर्तमान में जनपद सीतापुर के विकास खण्ड गोदलामऊ के अन्तर्गत ग्राम कुचलाई में राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है। इसलिए उक्त नजूल की भूमि पर एक अन्य राजकीय बालिका महाविद्यालय स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार की भांति राज्य सरकार भी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में एन0सी0सी0 को विशेष रूप में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में जानकारी

04-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आपदा प्रबन्ध सामाजिक सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं युवाओं के व्यक्तिगत विकास हेतु केन्द्र सरकार की भांति राज्य सरकार भी राज्याधीन

विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में एन0सी0सी0 को विषय के रूप में आगामी शिक्षा सत्र, 2013-14 में सम्मिलित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन संचालित राज्य विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारण विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् एवं कार्य परिषद् द्वारा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सीमा पर यमुना नदी के भू-भाग के स्थाई समाधान हेतु मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश

05-श्री वीरपाल राठी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सीमा पर यमुना नदी के भू-भाग पर फसलों की कटाई एवं बुआई को लेकर प्रति वर्ष विवाद होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके स्थाई समाधान हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

इसके स्थायी समाधान हेतु शासन द्वारा दीक्षित अवार्ड 1979 के क्रियान्वयन हेतु जनपद बागपत में सन् 2004 से हरियाणा से उ0 प्र0 को आये क्षेत्रफल को उ0 प्र0 के राजस्व अभिलेखों में सम्मिलित करने व उ0 प्र0 से हरियाणा को गये क्षेत्रफल को पृथक करने के लिए सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया हेतु एक नायब तहसीलदार सर्किल के अन्तर्गत सर्वे स्टाफ की तैनाती की गयी है। उ0 प्र0 से हरियाणा को गये क्षेत्रफल को हरियाणा राज्य के राजस्व अभिलेखों में सम्मिलित करने के लिए हरियाणा के राजस्व अधिकारियों द्वारा कार्य किया जाना है। इस सम्बन्ध में हरियाणा, पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में दायर विभिन्न याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-08-2011 द्वारा उक्त कार्य को 02 वर्ष की सीमा अवधि में हरियाणा के राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित किसान दुर्घटना बीमा योजना

06-श्री वीरपाल राठी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत परिवार के मुखिया को सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार परिवार के मुखिया की दुर्घटना होने पर परिवार के अन्य सदस्यों को किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत लाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषक दुर्घटना बीमा योजना केवल खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिये संचालित की गयी है।

प्रदेश में छात्रवृत्ति विवरण, वृद्धावस्था पेंशन, गरीब लड़कियों के विवाह हेतु अनुदान को कम्प्यूटराइज कर बैंक खाते के जरिए भुगतान की व्यवस्था

07-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छात्रवृत्ति वितरण, वृद्धावस्था पेंशन, गरीब लड़कियों के विवाह हेतु अनुदान, पारिवारिक लाभ योजना के वितरण में गड़बड़ियों की शिकायतें सरकार के संज्ञान में आई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को पारदर्शी बनाने के लिये कोई कारगर उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

जनपदों में छात्रवृत्ति वितरण, वृद्धावस्था पेंशन, गरीब लड़कियों के विवाह हेतु अनुदान, पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों को धनराशि वितरण में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जाती है। योजनाओं को पारदर्शी बनाने हेतु छात्रवृत्ति वितरण योजना को कम्प्यूटराइज किया गया है। एन0आई0सी0 की सम्बन्धित वेबसाइट 'स्कालरशिप डाट यू0पी0 डाट निक' पर जनपद की पूर्व दशम्/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत मांग को अपलोड किया जाता है, जिसे पात्र छात्र द्वारा देखा जा सकता है। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नियमावली/शासनादेशों में उल्लिखित वरीयता श्रेणी के अनुसार किया जाता है। योजनान्तर्गत कक्षा 9 एवं उच्चतर कक्षाओं में छात्र के बैंक खातों के माध्यम से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान किया जाता है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना का भी कम्प्यूटराइजेशन किया गया है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष सत्यापन के उपरान्त वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि का बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी व गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना में भी लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था लागू की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद से सम्बन्धित जांच आख्या पर जानकारी

08-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के 2सरे गुरुवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राप्त जांच आख्या पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जांच की कार्यवाही पूर्ण हो गयी है। चूंकि कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के नियुक्ति प्राधिकारी महामहिम कुलाधिपति हैं। अतः प्रकरण में प्राप्त जांच आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त अभिमत सहित पत्रावली दिनांक 25-7-2013 को प्रमुख सचिव, महामहिम कुलाधिपति को संदर्भित की गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पंचशीलनगर का नाम हापुड़ किये जाने की मांग

09-श्री गजराज सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पंचशील नगर का नाम हापुड़ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद पंचशील नगर का नाम परिवर्तित करते हुए हापुड़ किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हापुड़ के ग्राम व तहसील धौलाना की ग्राम समाज की भूमि अनियमित रूप से लाभ देकर अध्यापकों के पुत्रों के नाम करने पर जांच कर कार्यवाही की मांग

10-श्री धर्मेश सिंह तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम व तहसील-धौलाना, जिला-हापुड़ के निवासी अनुदान प्राप्त विद्यालय के सरकारी अध्यापक को यू0पी0जेड0ए0 की धारा 229बी का अनियमित रूप से लाभ देकर ग्राम समाज की भूमि के खसरा नम्बर-1345, 2204ख व 1401 पर तथा उनके पुत्रों को खसरा नम्बर-284ग, 25 व 1758ख पट्टे के रूप में आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

ग्राम धौलाना के खसरा संख्या-1345, 2204 व 1401 रकबा 0.835 हे0 पर न्यायालय परगनाधिकारी, हापुड़ (गाजियाबाद) द्वारा वाद संख्या-96/2004 अन्तर्गत धारा-229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम शिवशंकर बनाम उ0 प्र0 सरकार में दिनांक 06-06-2005 को शिवशंकर पुत्र फुन्दन लाल को बतौर संक्रमणीय भूमिधर घोषित करने के आदेश पारित किये गये हैं। व्यक्ति के पद से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

ग्राम धौलाना के खसरा नम्बर-25, 1758ख व 248ग शिवशंकर शर्मा के पुत्रों को पट्टे के रूप में आवंटित नहीं थे, बल्कि उनके द्वारा पट्टे की भूमि बैनामे द्वारा क्रय की गयी थी, जिसे धारा-229बी के अन्तर्गत वाद योजित कर अपना नाम दर्ज कराया गया है।

उपरोक्त आदेश न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पारित किये गये हैं, जिसकी वैधानिका का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हापुड़ के परगना डासना के ग्राम हसनपुर की भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर लाभ पहुंचाये जाने की जांच

11-श्री धर्मेश सिंह तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-हसनपुर लौढ़ा, परगना-डासना, तहसील-धौलाना, जिला-हापुड़ के खाता नम्बर-551 खसरा नम्बर-358 व 359ख तालाब की भूमि को तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 28 मार्च, 2011 द्वारा पट्टा कर एवं दिनांक

01 अगस्त को उक्त भूमि की श्रेणी का परिवर्तन कर संक्रमणीय भूमि दर्ज कर कतिपय लोगों को अनियमित रूप से लाभ पहुंचाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। ग्राम हसनपुर लौढ़ा के ख0नं0 358/0.278 हे0 जो चकबन्दी आकार पत्र 45 व वर्ष 1358फ में भी बंजर दर्ज है तथा गाटा संख्या-359ख जो0च0 प्रपत्र-45 में श्रेणी-4 के रूप में राजवीर, महावीर, सतवीर पुत्रगण अतरा के नाम दर्ज थी, जिसे उप जिलाधिकारी, हापुड़ के आदेश दिनांक 22-8-2006 के द्वारा निरस्त कर ग्राम सभा में दर्ज कर दी गयी। प्रश्नगत भूमि का आवंटन भू0प्र0सं0 द्वारा दिनांक 08-01-87 को श्रीमती विद्या पत्नी शोभाराम निवासी हसनपुर लौढ़ा को किया गया था, जिसकी स्वीकृति तत्कालीन उप जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा दिनांक 19-3-87 को की गयी थी।

उप जिलाधिकारी, हापुड़ के आदेश दिनांक 28-03-2011 के अन्तर्गत खसरा संख्या-358/0.278 हे0 व 359ख/0.076 हे0 पर श्रीमती विद्या पत्नी शोभा राम नि0 ग्राम हसनपुर लौढ़ा तहसील हापुड़ जिला गाजियाबाद को असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं। प्रचलित खतौनी में खसरा संख्या-358 जोहड़ तथा 359ख ग्राम सभा के रूप में दर्ज है। श्रीमती विद्या पत्नी शोभा राम नि0 ग्राम हसनपुर लौढ़ा के प्रार्थना-पत्र दिनांक 9-5-2011 पर प्रस्तुत रजिस्ट्रार कानूनगो की आख्या से सहमत होते हुए श्रीमती विद्या पत्नी शोभा राम को उक्त खसरा नम्बरानों पर संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

प्रकरण की जांच कराने हेतु जिलाधिकारी हापुड़ को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पी0एच0डी0 उपाधि अध्यादेश, 2012 पर अनुमोदन की लम्बित कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

12-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी0एच0डी0 उपाधि अध्यादेश, 2012 पर अनुमोदन की कार्यवाही लम्बित है ? यदि हां, तो किस स्तर पर लम्बित है और इसके क्या कारण हैं ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। शासन के पत्र दिनांक 14 जून, 2013 द्वारा सभी राज्य विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिया गया है कि विश्वविद्यालय की स्थानीय व विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में विहित प्रक्रिया अपना कर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् के माध्यम से अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वायुयान, हेलीकाप्टर की संख्या व ईंधन मरम्मत में व्यय की गई धनराशि की जानकारी

13-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के पास में इस समय कितने वायुयान, हेलीकाप्टर हैं और वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 में इन वायुयानों एवं हेलीकाप्टरों

पर कितनी धनराशि ईंधन तथा मरम्मत में व्यय की गई ? क्या सरकार प्रदेश के वित्तीय घाटे को दृष्टिगत रखते हुए ईंधन में कटौती करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन वर्तमान में 06 वायुयान तथा 04 हेलीकाप्टर हैं।

उक्त वायुयानों/हेलीकाप्टर के ईंधन-एवियेशन टरबाईन फ्यूल (ए0टी0एफ0) तथा मरम्मत में व्यय की गई धनराशि वर्षवार विवरण निम्नवत् है :--

ईंधन पर व्यय-

वर्ष	धनराशि (रुपये में)
2009-10	3,36,12,084.00
2010-11	3,13,66,312.00
2011-12	3,20,58,080.00
2012-13	3,35,40,956.00

मरम्मत पर व्यय-

वर्ष	धनराशि (रुपये में)
2009-10	18,15,12,546.00
2010-11	9,60,87,851.00
2011-12	9,83,96,715.00
2012-13	11,10,37,276.00

अल्प सूचना पर अपरिहार्यता/आकस्मिकता की स्थिति में हवाई मार्ग से यात्रा कम समय में सम्पादित की जाती है। इसलिए लोकहित में अपरिहार्यता/आकस्मिकता की स्थिति में हवाई यात्रा को प्राथमिकता दी जाती है। जबकि सामान्य परिस्थितियों में सड़क मार्ग से यात्रा सम्पादित की जाती है।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले नागरिकों को सरकारी सहायता प्रदान करने की मांग

14-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में असहाय निराश्रित एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे वृद्ध जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में है किन्तु बी0पी0एल0 कार्ड धारक न होने के कारण वृद्धावस्था पेंशन से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे गरीबी की रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले नागरिकों को सरकारी सहायता प्रदान करने का कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

शासनादेश संख्या 158 भा0स0/26-2-2007 दिनांक 08-11-7000 में निहित व्यवस्थानुसार वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अतर्गत 60 वर्ष

या उससे अधिक आयु वर्ग के बी0पी0एल0 सूची-2002 में सम्मिलित सभी वर्गों के पात्र वृद्धजनों को पेंशन अनुमन्य है।

वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति हेतु ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 सूची-2002 में उल्लिखित पात्र वृद्धजन तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 के मानक के पात्र वृद्धजन अर्ह है। उक्त पात्रता में आने वाले सभी वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में संविदा कार्मिकों की विनियमित करने की नीति

15-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में संविदा पर कार्यरत 800 अध्यापकों का सरकार विनियमितीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संविदा/मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों को विनियमित करने के परिप्रेक्ष्य में कोई नीति/निर्देश विद्यमान नहीं है।

प्रदेश के राजस्व संग्रह अमीनों की पदोन्नति सेवा नियमावली, 2003 को समाप्त करने का प्रकरण

16-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजस्व संग्रह अमीनों की पदोन्नति नियमावली को सरकार द्वारा वर्ष 2003 में समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 2003 में नियमावली समाप्त किये जाने के बाद वर्तमान में कौन सी सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फर्जी विश्वविद्यालयों के प्रकरण की विशेष अनुसंधान दल से जांच

17-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में फर्जी विश्वविद्यालयों का संचालन किये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में आई है ? यदि हां, तो सरकार प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से बचाने के लिये इसे रोकने का क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

फर्जी संस्थाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है तथा प्रकरण की विशेष अनुसंधान दल से जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर किसान महोत्सव, 2012-13 के आयोजन पर व्यय धनराशि

18-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत डी0एम0/ ए0डी0एम0एफ0आर0 की देखरेख में शाहजहांपुर किसान महोत्सव का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो इस आयोजन पर कितनी धनराशि व्यय की गई ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त आयोजन हेतु अनुमति शासन से प्राप्त की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत आयोजन पर रु0 4.00 लाख (रुपये चार लाख) मात्र का व्यय हुआ था।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बदायूं के दमयन्ती राज आनन्द राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला भवन हेतु अनुदान

19-श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर उनके कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या-पी0जी0/10106384/ 2012, दिनांक 16-08-2012 द्वारा दमयन्ती राज आनन्द राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या निर्माण हेतु धन आवंटित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं में दमयन्ती राज आनन्द राजकीय महाविद्यालय बिसौली में परास्नातक कक्षाएं आरम्भ करने का प्रकरण

20-श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर उनके कार्यालय के आदेश कम्प्यूटर संख्या-पी0जी0/ 10103950/2012, दिनांक 16-08-2012 द्वारा दमयन्ती राज आनन्द राजकीय महाविद्यालय बिसौली जनपद बदायूं में परास्नातक कक्षायें प्रारम्भ किये जाने के विषय में आदेश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या परास्नातक कक्षायें आरम्भ किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की तहसीलों में प्रस्तावित चकबन्दी की जानकारी

21-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी में किन-किन तहसीलों में चकबन्दी हो चुकी है तथा किन-किन तहसीलों में चकबन्दी होना प्रस्तावित है ? क्या फोर लाइन रोड के किनारे स्थित भूमि चकबन्दी में शामिल है ? यदि हां, तो सड़क से कितनी दूरी तक है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद झांसी में तहसील झांसी के 134, तहसील मऊरानीपुर में 149, तहसील गरौठा के 151, तहसील मोठ के 195 एवं तहसील टहरौली के 149 ग्रामों में चकबन्दी हो चुकी है तथा तहसील झांसी के 22, तहसील मऊरानीपुर के 04, तहसील गरौठा के 02 एवं तहसील मोठ के 03 ग्रामों में चकबन्दी प्रस्तावित है।

जी हां।

सड़क के किनारे कितनी भूमि चकबन्दी प्रक्रियाओं में अथवा उससे पृथक रखी जाय, इसका निश्चय प्रत्येक ग्राम में चकबन्दी समिति के परामर्श से किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के सिराथू में सूर्खा अमरूद क्षेत्र का विस्तार एवं जीर्णोद्धार

22-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में इलाहाबादी अमरूद के नाम से सूर्खा अमरूद जो सिराथू विधान सभा क्षेत्र में ही पैदा होता है, का क्षेत्रफल घट रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार घटते क्षेत्रफल को रोकने के लिये अलग से पैकेज देकर अमरूद किसानों की मदद करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिराथू विधान सभा क्षेत्र सहित जनपद-कौशाम्बी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत अमरूद क्षेत्र विस्तार विगत वर्षों के स्थापित अमरूद उद्यानों का द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अनुरक्षण तथा पुराने अनुत्पादक/अल्प उत्पादक अमरूद उद्यानों का जीर्णोद्धार कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है, जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में भी प्राविधान किया गया है।

उ0 प्र0 अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2012 के लिये एन0आई0सी0 द्वारा मथुरा के0डी0 डेन्टल कालेज को प्रतिपूर्ति की धनराशि

23-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 के लिये उ0प्र0 के समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2207/26-3-2012-4(358)/ 07-टी0सी0-2 दिनांक 26 सितम्बर, 2012 के अनुपालन में वर्ष 2012-13 के लिये छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं प्रतिपूर्ति) की धनराशि जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या यह छात्रवृत्ति जनपद मथुरा के के0डी0 डेन्टल कालेज को उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

वर्ष 2012-13 में एन0आई0सी0 की सम्बन्धित बेवसाइट पर अपलोडेड दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि रु0 1399.24 करोड़ के सापेक्ष रु0 1117.25 करोड़ की धनराशि जनपदों को जारी की गयी है, जिसमें जनपद मथुरा को रु0 42.15 करोड़ की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि भेजी गयी है।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 के अनुपालन में वर्ष 2012-13 में वरीयता श्रेणी-क, 'ख' एवं 'ग' के सभी पात्र एवं अपलोडेड अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्र/छात्राओं को तथा वरीयता श्रेणी-'घ' से आच्छादित ऐसे पात्र एवं अपलोडेड अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्र/छात्राओं जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रुपया 72000/-तक है, को अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि छात्रों के बैंक खातों में अन्तरित कर भुगतान जारी करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

वरीयता श्रेणी-'घ' से आच्छादित अवशेष अनुसूचित जाति एवं श्रेणी-'च' के अन्तर्गत आने वाले सभी अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्र जिनका डाटा एन0आई0सी0 की सम्बन्धित बेवसाइट पर अपलोड है, को भारत सरकार से अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति वर्ष 2012-13 भुगतान की जायेगी। के0डी0 डेन्टल कालेज, मथुरा वरीयता श्रेणी-'च' के अन्तर्गत आने के कारण संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के दशमोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति भारत सरकार से अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर अपलोडेड डाटा के अनुसार पात्र अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रों को भुगतान की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा को अभिलेखों में न होने के निरस्त किये जाने विषयक प्रकरण

24-श्री कलराज मिश्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या जनपद फैजाबाद में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा जैन मन्दिर के एक कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव

द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2004 को की गई थी ? यदि हां, तो उक्त घोषणा पर सरकार कब तक कार्य प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

घोषणा प्रकोष्ठ के अभिलेखों में दर्ज नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

घोषणा प्रकोष्ठ के पत्र दिनांक 29 मई, 2007 द्वारा पूर्व सरकार के कार्यकाल दिनांक 28-8-2003 से 11-5-2007 तक की घोषणाओं में से अपूर्ण घोषणाओं को निरस्त किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं।

लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना तथा महामाया योजना में चयनित लाभार्थियों को पेंशन

25-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां में किस-किस गांव सभा में पात्रता के आधार पर लोगों को चयनित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पूर्व में संचालित महामाया योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों में शेष बचे पात्र लाभार्थियों को भी रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोहम्मदी में समस्त 82 ग्राम सभाओं व विकास खण्ड पसगवां की समस्त 94 ग्राम सभाओं में पात्रता के आधार पर क्रमशः 3887 एवं 3042 व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

सर्वे के आधार पर पूर्व में संचालित महामाया योजनान्तर्गत चयनित समस्त पात्र लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखीमपुर खीरी की धौरहरा व अन्य तहसीलों में 1962 के बाद बन्दोबस्त की कार्यवाही

26-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में 1962 के बाद बन्दोबस्त नहीं हुआ है, जबकि अन्य तहसीलों में बन्दोबस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम बेलुआ, शंकरपुर, रेड़ी व तिरकोबिया सिगावर, तहसील-धौरहरा में बन्दोबस्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा एवं अन्य तहसीलों में भी 1962 के बाद बन्दोबस्त की कार्यवाही की गयी है।

ग्राम बेलुआ, शंकरपुर, रेड़ी व तिरकोबिया सिगावर में रेड़ी ग्राम का शुद्ध नाम मूडी है व तिरकोबिया ग्राम सिगावर ग्राम का मजरा है। ग्राम बेलुआ, शंकरपुर, मूड़ी एवं राजस्व ग्राम सिगावर का धारा-52(1) जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत प्रकाशन क्रमशः दिनांक 03-05-1980, 06-01-1981, 03-02-1990 एवं 05-05-1979 को हो चुका है।

नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के युवाओं में नशे की रोकथाम हेतु नशा निर्व्यसन केन्द्रों में भर्ती हेतु प्रेरित करना

27-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश के युवाओं में बढ़ रहे नशे की रोकथाम के लिये कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मद्यनिषेध विभाग उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के रोकथाम हेतु युवाओं के लिए विशेष रूप से योजनाबद्ध तरीके से निम्न शिक्षात्मक कार्य किये जा रहे हैं :-

1-शिक्षण संस्थाओं में नशे के विरुद्ध शिक्षात्मक, ज्ञानवर्धक व खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

2-पोस्टर, भाषण, निबन्ध, लेख, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है।

3-होडिंग्स की स्थापना, वालपेंटिंग, प्रभातफेरी, दौड़, रैली, संगोष्ठी एवं सेमिनार आदि का समय-समय पर आयोजन एवं प्रचार साहित्य का वितरण किया जाता है।

4-नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के विरुद्ध जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदर्शनियों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, दूरदर्शन/आकाशवाणी से विविध कार्यक्रम एवं समाचार पत्रों में लेखों के प्रकाशन के माध्यम से किया जाता है।

5-नशे से ग्रसित युवाओं को उपचार हेतु नशा निर्व्यसन केन्द्रों में भर्ती होने हेतु प्रेरित किया जाता है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्रबन्धक एवं वरिष्ठ पदों पर अनियमित रूप से डिप्लोमा धारक प्रभारियों की नियुक्ति का प्रकरण

28-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत उद्यान विभाग एवं विद्युत विभाग में प्रबन्धक एवं वरिष्ठ के पदों पर डिप्लोमा धारकों से प्रभारी बनाकर कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदों पर अर्हता के अनुसार नियुक्ति करते हुए अनियमित ढंग से नियुक्त प्रभारियों को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में वर्क सर्किल ई एण्ड एम-2 में फर्म/ऐजन्सियों के स्वीकृत टेण्डर

29-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में वित्तीय वर्ष 2012-13 में विद्युत विभाग ई एण्ड एम-2 में कितने टेण्डर एवं किन-किन को स्वीकृत किये गये ? क्या यह सही है कि उक्त टेण्डरों की खुली बिक्री न करके प्राधिकरण में कार्यरत सुपरवाइजर आदि को अनियमित ढंग से दे दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता का भौतिक परीक्षण कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में ग्रेटर नोएडा के वर्क सर्किल ई एण्ड एम-2 में कुल 19 टेण्टर निम्नलिखित फर्मों/एजेन्सियों को स्वीकृत किये गये हैं :--

(1) मै0 अमन इलेक्ट्रिकल्स

(2) मै0 क्लासिक इलेक्ट्रिकल्स

(3) मै0 चौधरी इन्टरप्राईजेज

(4) मै0 तेजेन्दर सिंह

(5) मै0 दीपक इन्टरप्राईजेज

(6) मै0 अनुपम कान्स्ट्रक्शन

(7) मै0 शिवगंगा प्रोजेक्ट्स

(8) मै0 मनोज इलेक्ट्रिक वर्क्स

(9) मै0 कल्याणी इन्जीनियरिंग

(10) मै0 इलेक्ट्रो बिल्डटेक

(11) मै0 कुमार इलेक्ट्रिकल्स

(12) मै0 गुप्ता इन्टरप्राईजेज

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में पयागपुर में मण्डी परिषद् द्वारा सम्पर्क मार्गों के डामरीकरण के सम्बन्ध में जानकारी

30-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में मण्डी परिषद् से सम्पर्क मार्गों के डामरीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/13-14/क-5नं0-138051/4048, दिनांक 19-04-2013 सम्पर्क मार्गों की सूची सहित सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के कृषि उत्पादन मण्डी समिति के कोष लिपिक की नियम विरुद्ध सेवामुक्ति करने एवं देयकों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

31-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती संध्या देवी पत्नी श्री प्रकाश श्रीवास्तव, नि0 पाण्डेय बाजार जनपद बस्ती के पति जनपद बहराइच के कृषि उत्पादन मण्डी समिति के कोष लिपिक को वर्ष 2005 में नियम विरुद्ध सेवामुक्त किये जाने के पश्चात रुके हुए वेतन तथा देयकों के भुगतान विषयक प्रश्नकर्ता का अनुरोध पत्र दिनांक 15-03-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मा0 विधायक का प्रश्नगत पत्र दिनांक 15-03-2013 उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद्, फैजाबाद को परिषद् पत्रांक अधि0 'ग'/431/को0लि0/2013-1856, दिनांक 29-05-2013 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद्, फैजाबाद ने अवगत कराया है कि मण्डी समिति, मिहीपुरवा के कार्यकाल में व्यवहरित धनराशि रु0 210393.55 के विरुद्ध श्री श्रीवास्तव का पंचम वेतनमान अवशेष रु0 68133.00 तथा सी0पी0एफ0 मद से रु0 54732.00 कुल रु0 115865.00 की वसूली कर ली गयी है, शेष वसूली अपेक्षित है।

श्री श्रीवास्तव द्वारा अपनी ग्रेच्युटी एवं सामूहिक बीमा दावा का वर्तमान का प्रार्थना-पत्र मण्डी समिति के माध्यम से सम्भागीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 40 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पालीथीन की पन्नियों व लिफाफों पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार

32-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पालीथीन की पन्नियों एवं लिफाफों के उपयोग से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन पन्नियों एवं लिफाफों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

40 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पालीथीन की पन्नियों एवं लिफाफों के प्रयोग से पर्यावरण को सम्भावित नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम, 2011 प्रख्यापित है जो कि प्रदेश में लागू है एवं जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति किसी अप्रयोज्य या पुनः चक्रित या कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने किसी कैरी बैग का जो मोटाई में 40 माइक्राकन्स से कम है, विनिर्माण, भण्डारण वितरण या विक्रय नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी प्लास्टिक के उपयोग व निस्तारण हेतु उ0 प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और वितरण का विनियमन), अधिनियम, 2000 प्रख्यापित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

फैजाबाद के रूदौली क्षेत्र में अग्निकाण्ड की घटनाएं एवं अहेतुक अनुदान का वितरण

33-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की विधान सभा क्षेत्र रूदौली में 16 जनवरी, 2012 से 16-05-2013 तक आग लगने की कितनी घटनायें हुईं तथा उसमें कितने लोगों के घर जले एवं कितनी मौतें हुईं और कितने घायल हुए ? क्या सरकार द्वारा अग्निपीड़ितों को बढ़ी हुई दर से राहत राशि का वितरण किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली में 16 जनवरी, 2012 से 16-05-2013 तक अग्निकाण्ड की 354 घटनायें हुई, जिसमें 581 लोगों के घर जले, जिसमें 02 व्यक्तियों एवं 22 पशुओं की मृत्यु हुई और 02 व्यक्ति घायल हुए।

जी हां।

अग्नि पीड़ित व्यक्तियों को बढ़ी हुई दर से राहत राशि का वितरण किया जाता है जिसमें गृह अनुदान रु0 12,74,100/-अहेतुक सहायता रु0 9,37,600/- तथा अनुग्रह अनुदान रु0 4,46,650/- वितरित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा मा0 विधायकों की संस्तुति पर फैजाबाद के रूदौली क्षेत्र में चयनित ग्रामों की जानकारी

34-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मण्डी परिषद् द्वारा ग्रामों के विकास हेतु जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के चयन की नीति क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना का चयन मा0 विधायकों की संस्तुति के आधार पर किया जाता है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में प्रश्नकर्ता की संस्तुति पर कितने ग्रामों का चयन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

इस योजना के अन्तर्गत उन्हीं ग्रामसभा/मजरे का चयन किया जाता है जो विकास की दृष्टि से पिछड़ी हुई हो एवं ग्रामसभा/मजरे की आबादी कम से कम 250 हो और सी0सी0 रोड, नाली, हैण्डपम्प, विद्युतीकरण एवं सौर ऊर्जा से प्रकाश व्यवस्था जैसी अवस्थापना सुविधाओं से वंचित हो। ग्रामों का चयन मा0 जनप्रतिनिधियों की संस्तुति के पश्चात् मा0 अध्यक्ष मण्डी परिषद् के विवेकानुसार किया जाता है।

मा0 जनप्रतिनिधियों की संस्तुति के पश्चात् मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद् के विवेकानुसार किया जाता है।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में वित्तीय वर्ष 2013-14 में वर्तमान तक किसी ग्राम का चयन उक्त योजना के तहत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

फसल बीमा योजनान्तर्गत सम्पूर्ण प्रीमियम का भुगतान किसान दुर्घटना बीमा की भांति किये जाने की मांग

35-श्री सुरेश राणा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसल बीमा योजना लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार फसलों के बीमा की सम्पूर्ण प्रीमियम का भुगतान किसान दुर्घटना बीमा की तरह करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

फसल बीमा योजना भारत सरकार के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को देय प्रीमियम पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अनुदान अनुमन्य है। फसलों की उपज में क्षेत्र विशेष में क्षति की स्थिति में बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

किसान दुर्घटना बीमा योजना राज्य सरकार की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति/मृत्यु की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर क्षतिपूर्ति दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश में कतिपय शिक्षण संस्थानों द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का फर्जी प्रवेश व अरबों का घोटाला किये जाने का प्रकरण

36-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का फर्जी प्रवेश दिखाकर अरबों रुपये के घोटाले का प्रकरण सरकार के संज्ञान में आने के उपरान्त क्या सरकार इसकी जांच करवा रही है ? यदि हां, तो उक्त की जांच पूर्ण हो गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कौन-कौन से शिक्षण संस्थान उक्त कृत्य में सम्मिलित पाये गये हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के माध्यम से प्रकरण संज्ञान में आया है।

जी नहीं।

जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण दूर करने हेतु वायु गुणता अनुश्रवण कार्य तथा नए स्टोन क्रेशर उद्योगों की स्थापना पर रोक

37-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में लगातार औद्योगिक इकाइयों द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण की नेशनल एयर मानीटरिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत वायु प्रदूषण की जांच वर्ष 2007 से आज दिनांक 16-5-2013 तक कब-कब हुई है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि जांच का निष्कर्ष क्या था तथा वायु प्रदूषण को दूर किये जाने हेतु कौन-कौन से उपाय किये गये ?

श्री अखिलेश यादव-

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनपद सोनभद्र में ''नेशनल एयर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम'' के अन्तर्गत दो निम्न स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण कार्य किया जा रहा है :--

1-अनपरा कालोनी, अनपरा, सोनभद्र।

2-रेनू सागर कालोनी, रेनूसागर, सोनभद्र।

उक्त अनुश्रवण कार्य पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सप्ताह में दो दिन 24 घंटा लगातार एवं वर्ष में 104 दिन वायु गुणता का कार्य/जांच किया जा रहा है/किया गया है। वर्ष 2007 से 16-05-2013 तक किये गये वायु गुणता अनुश्रवण सम्बन्धी निष्कर्ष निम्नवत् है :-

(1) उपरोक्त दोनों स्थलों पर प्रत्येक वर्ष परिवेशीय वायु में पर्टिकुलेट मैटर (पी0 एम0 10) की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाई गई है।

(2) दोनों स्थलों पर गैसीय प्रंचालक सल्फर डाई आक्साइड एवं नाइट्रोजन डाई आक्साइड की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई है।

(3) वर्ष 2012 में वर्ष 2007 की तुलना में पर्टिकुलेट मैटर की मात्रा में आंशिक बढ़ोत्तरी हुई है तथा सल्फर डाई आक्साइड एवं नाइट्रोजन डाई आक्साइड की मात्रा में सुधार पाया गया है।

जनपद सोनभद्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्न उपाय किये गये हैं :--

1-जनपद सोनभद्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु नये स्टोन क्रशर इकाइयों की स्थापना को प्रतिबन्धित किया गया है।

2-जनपद सोनभद्र में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु सिंगरौली एक्शन प्लान लागू किया गया है।

3-सिंगरौली एक्शन प्लान के अन्तर्गत उद्योगों द्वारा उत्पादन की स्वच्छ तकनीकी अपनाना, वायु उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणता के निरन्तर अनुश्रवण, शुद्धिकृत उत्प्रवाह का अधिकतम पुनः प्रयोग करना तथा थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाले फ्लाई ऐश का बेहतर प्रबन्धन यथा फ्लाई ऐश को सीमेन्ट उत्पादन में प्रयुक्त किये जाने की व्यवस्था जैसे उपाय शामिल हैं।

इस एक्शन प्लान की प्रगति समीक्षा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला प्रशासन के सहयोग से की जाती है।

औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा मानकों के अनुरूप विकास कार्यों के सूचना पट्ट निर्माण स्थल पर लगाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

38-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा करोड़ों रुपये के विकास कार्य कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं यू0पी0एस0आई0डी0सी0 विकास कार्यों के मानकों के अवलोकन हेतु निर्माण स्थल पर सूचना पट्ट पर विवरण प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विकास कार्यों के पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए सूचना पट्ट निर्माण स्थल पर लगे हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

हमीरपुर के राजकीय महिला महाविद्यालय व राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुछेहा में अध्यापकों का लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद से चयन करने की मांग

39-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय हमीरपुर व राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुछेहा में स्वीकृत विषयों में से अधिकतर विषयों के अध्यापक मानक के अनुरूप तैनात नहीं होने के कारण छात्र/छात्राओं का अध्ययन कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजकीय महाविद्यालय में मानक के अनुरूप अध्यापकों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

लोक सेवा आयोग उ0प्र0, इलाहाबाद से चयन की संस्तुति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय व छात्रवृत्ति का विवरण

40-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में विभाग द्वारा कुल कितने विद्यालय संचालित हैं तथा उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत कितने छात्रों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में छात्रवृत्ति दी जा चुकी है ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों एवं छात्रों का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद सोनभद्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्न 04 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं :--

1-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, घोरावल।

2-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, राबर्ट्सगंज।

3-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, दुद्धी।

4-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, गुरमुरा।

उक्त राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्रों व अन्य छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान नहीं है, क्योंकि सभी छात्रों को भोजन, वस्त्र व आवास आदि की निःशुल्क सुविधा विद्यालय में विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

जनपद में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विभागीय आवर्तक अनुदान पर निम्न 06 विद्यालय संचालित हैं :--

1-प्राथमिक विद्यालय, घुवास।

2-प्राथमिक विद्यालय, सिन्दूर।

3-जूनियर हाईस्कूल, म्योरपुर।

4-जूनियर हाईस्कूल, सिलथम।

5-प्राथमिक विद्यालय, देवअंजानी।

6-प्राथमिक विद्यालय, बिल्लीबाड़ी।

उक्त विभागीय आवर्तक अनुदान पर स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित 06 विद्यालयों में अनुसूचित जाति के 122 छात्रों को रु0 53340/- एवं सामान्य वर्ग के 36 छात्रों को रु0 16740/- छात्रवृत्ति की धनराशि वर्ष 2012-13 में वेबसाइट पर अपलोड डाटा के अनुसार वितरित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद, बागपत आदि कतिपय जनपदों में उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषण जल से हिण्डन नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में

41-श्री अमर पाल शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में स्थापित उद्योगों द्वारा प्रदूषित जल और कचरे को हिण्डन नदी में गिराया जा रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इसका प्रभाव क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार हिण्डन नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में स्थापित कार्यरत उद्योगों में वांछित पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित एवं संचालित है तथा औद्योगिक प्रक्रिया से जनित होने वाले उत्प्रवाह को बोर्ड मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत कर निस्तारित किया जाता है।

जनपद गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के मुख्य चिकित्साधिकारियों से प्राप्त आख्या में हिण्डन नदी के जल से उक्त क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्रवासियों में बीमारी फैलने/स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों से जनित जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पूर्व से ही जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू है।

सीतापुर नगर में बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु नये माडल राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना

42-श्री राधेश्याम जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगर में बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु कन्या डिग्री कालेज बनवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र कम्प्यूटर

संख्या-पी0जी0 10150160 दिनांक 17-10-2012 द्वारा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा को डिग्री कालेज के निर्माण हेतु बजट में प्राविधान कराये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्राथमिकताओं के अन्तर्गत 12वीं योजना में भारत सरकार द्वारा चिन्हित न्यून सकल दर वाले 36 जनपदों में नये माडल राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना की जा रही है, जिसमें जनपद सीतापुर भी सम्मिलित है। जनपद सीतापुर के विकास खण्ड गोदलामऊ के अन्तर्गत ग्राम कुचलाई में राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) के स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है।

अतः सीतापुर नगर में कन्या डिग्री कालेज स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में सांसदों को प्रदत्त प्रवेशीय कोटे की भांति विधायकों को भी प्रवेशीय कोटा प्रदान करने की मांग

43-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर शैक्षिक विषयों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मा0 सांसदों को प्रदत्त प्रवेशीय कोटे की भांति प्रदेश सरकार मा0 विधायकों को भी प्रवेशीय कोटा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी मानकों का निर्धारण उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के अन्तर्गत परिनियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर में ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र की स्थापना

44-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की नगर पंचायत टोडी फतेहपुर में मण्डी न होने के कारण आस-पास के करीब 40 गांवों के किसानों को अपनी कृषि उपज दूर ले जानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नगर पंचायत में कृषि उपज मण्डी की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद झांसी की नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर में मण्डी स्थल का निर्माण न होने से वहां के कृषक अपनी कृषि उपज वर्तमान में गुरूसरांय एवं मऊरानीपुर मण्डी में बिक्री हेतु ले जाते हैं।

मण्डी समिति, गुरूसरांय क्षेत्रान्तर्गत टोड़ी फतेहपुर मौजा इटवा में नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर की 2.00 हे0 भूमि पर ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (RIN) बनाया जाना प्रस्तावित है।

भूमि प्राप्त होने पर यथाशीघ्र निर्माण कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्द शहर के सिकन्दराबाद में मेसर्स अमित केमिकल द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाह को रोके जाने विषयक जानकारी

45-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में स्थापित मेसर्स अमित केमिकल द्वारा दूषित पानी खुले प्लाट में छोड़ा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उद्योग के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मै0 अमित केमिकल्स के नाम से औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद में कोई इकाई नहीं है। वस्तुतः मै0 अमित प्लास्टिसाइजर्स के नाम से प्लाट नं0 आई-1, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद में क्लोरोनिटेड पैराफिन वैक्स उत्पादन क्षमता-250 मीट्रिक टन/माह की इकाई है। इकाई द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारण नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषि जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने हेतु ब्लाक, जिला एवं मण्डल स्तर पर कृषक मेलों का आयोजन

46-श्री सुरेश राणा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को उन्नत बीज, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने सम्बन्धी जानकारी तथा अनेक प्रकार के कृषि कार्य सम्बन्धी जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्लाक, जिला, मण्डल स्तर पर कृषक मेलों का आयोजन किया जाता है ? यदि हां, तो क्या उसकी जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करायी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में गोविन्द शुगर मिल ऐरा में प्रदूषित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना

47-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोविन्द शुगर मिल, ऐरा से निकलने वाले जहरीले व प्रदूषित पानी से आस-पास के गांव जैसे तम्बोलीपुरवा, ईशवारा, समदा, सुजावलपुर तथा वहानाला पास भेटरिया व पैकापुर में आर्सेनिक जहर से कितने लोगों की आंखें चली गयी हैं तथा कई लोगों को कैंसर व जानलेवा बीमारी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानव जीवन व पशुओं के स्वास्थ्य एवं जीवन पर विपरीत प्रभाव को दृष्टिगत रखकर उक्त को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मै0 गोविन्द शुगर मिल ऐरा लखीमपुर खीरी द्वारा गन्ने की क्रशिंग कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से प्रदूषित प्रकृति का उत्प्रवाह जनित होता है। उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। दिनांक 27-12-2012 को शुद्धिकरण के उपरान्त एकत्रित नमूने में विश्लेषण के उपरान्त परिणाम बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

प्रश्नगत क्षेत्र में आंखें, कैंसर व जानलेवा बीमारी के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पत्र दिनांक 05-07-2013 द्वारा बीमारी शून्य बताई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसान मित्रों के पदों को बहाल करने की मांग

48-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत सरकार ने वर्ष 2010 में किसान मित्रों के पद को समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसान मित्रों के पदों को बहाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी नहीं। किसान मित्र का कोई पद सृजित नहीं था। किसान मित्र योजना मानदेय के आधार पर संचालित थी। योजना को उपयोगी न पाये जाने के कारण शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा समाप्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

49-डा0 अरूण कुमार-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच स्थित पयागपुर के पात्र वृद्ध आवेदकों को पेंशन प्रदान करने विषयक-पत्र

50-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के पात्र वृद्ध आवेदकों को पेंशन प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0 151690/234, दिनांक 28-4-2013 जिला समाज कल्याण अधिकारी, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

मा0 विधायक जी के पत्र संख्या-वि0 प्र0/ज0 हि0/क-5नं0 151690/234 दिनांक 28-04-2013 के क्रम में की गयी कार्यवाही निम्नवत् है :--

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड पयागपुर के 69, विशेश्वरगंज के 95, हुजूरपुर के 42, कैसरगंज के 218 एवं जरवल के 146 अर्थात कुल 570 वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, बहराइच को प्राप्त हुए। जिसमें कार्यवाही की स्थिति इस प्रकार है :-

(I) विकास खण्ड पयागपुर के समस्त पात्र 69 आवेदन पत्र स्वीकृत करते हुए धनराशि प्रेषित की जा चुकी है।

(II) विशेश्वरगंज के 95 आवेदन पत्रों के सापेक्ष 84 पात्र आवेदन-पत्र स्वीकृत करते हुए धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। शेष 11 लाभार्थियों के आवेदन पत्रों में बैंक खाता संख्या प्राप्त न होने के कारण तत्समय लाभान्वित नहीं कराया जा सका। उक्त 11 लाभार्थियों के बैंक खाते प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

(III) विकास खण्ड हुजूरपुर के 42 आवेदन पत्रों के सापेक्ष 03 लाभार्थियों के आवेदन-पत्र स्वीकृत करते हुए धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। शेष 39 आवेदकों को तहसील से सत्यापन में अपात्र कर दिया गया था।

(IV) विकास खण्ड कैसरगंज के प्राप्त 218 आवेदन पत्रों के सापेक्ष 110 लाभार्थियों के आवेदन-पत्र स्वीकृत करते हुए धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। शेष 108 आवेदकों को तहसील से सत्यापन में अपात्र कर दिया गया था।

(V) विकास खण्ड जरवल के पात्र 146 आवेदन पत्रों के सापेक्ष 120 आवेदकों को पेंशन स्वीकृत करते हुए पेंशन प्रेषित की जा चुकी है। शेष 26 आवेदकों को तहसील से सत्यापन में अपात्र कर दिया गया था।

उपरोक्तानुसार।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद लखीमपुर खीरी में मण्डी परिषद् द्वारा गांवों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण विषयक जानकारी

51-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में मण्डी परिषद् द्वारा गांवों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में क्षेत्रीय विधायकों से प्रस्ताव मांगे गये थे ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में किन-किन मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा उसमें कितने मार्गों का निर्माण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर व सीतापुर में महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग

52-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के सभी महाविद्यालय कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं जो 300 कि0मी0 दूर पड़ता है ? क्या सरकार इस असुविधा को दूर करने हेतु लखीमपुर या सीतापुर में विश्वविद्यालय स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नही।।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति लखीमपुर या सीतापुर में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना विचाराधीन नहीं है।

जनपद बस्ती के मे0 बभनान शुगर मिल द्वारा फैलाये जा रहे ध्वनि प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने की मांग

53-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती के मे0 बभनान शुगर मिल द्वारा फैलाये जा रहे ध्वनि प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण के कारण स्थानीय कस्बा वासियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए सरकार प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद गोण्डा स्थित मेसर्स बभनान शुगर मिल लि0 यूनिट बभनान गोण्डा द्वारा 10000 टन/दिन केन क्रशिंग कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में स्थापित ब्वायलरों पर वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में वेट स्क्रबर की स्थापना की गयी है एवं गैस के निस्तारण हेतु भू-तल से 40 मी0 ऊंची चिमनी की स्थापना की गयी है। उद्योग वर्तमान में आफ सीजन के कारण

बन्द है। उद्योग का संचालन की अवस्था में दिनांक 25-2-2013 को स्टैक मानिटरिंग करायी गयी थी जिसमें एस0पी0एम0 (संस्पेडेड पर्टिकुलेट मैटर) की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी।

उद्योग को ध्वनि प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के तहसील-भानपुर तथा रूधौली के राजस्व गांवों में सरहदी पत्थरों को पुनः स्थापित करने की मांग

54-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के तहसील भानपुर तथा रूधौली के अधिकांश राजस्व गांवों में सरहदी पत्थर गायब हो जाने के कारण सीमांकन विवाद का खतरा बढ़ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरहदी पत्थरों को पुनः स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के कुआनों तथा आमी नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाने की मांग

55-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के कुआनों तथा आमी नदी का जल, फैक्ट्रियों के वेस्ट तथा रासायनिक कचरे के कारण काला एवं प्रदूषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद में स्थापित फैक्ट्रियों को प्रतिबन्धित कर नदियों के जल को प्रदूषण रहित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बस्ती में उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा आमी नदी एवं कुआनों नदी की जल गुणता का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाता है। वर्ष 2012 एवं वर्ष 2013 के विगत 6 माह के औसत आंकड़ों के अनुसार आमी नदी का जल ''ई'' श्रेणी अर्थात सिंचाई हेतु उपयोगी पाया गया है जब कि कुआनों नदी का जल ''डी'' श्रेणी अर्थात मत्स्य पालन हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। जनपद बस्ती एवं संतकबीरनगर में स्थापित उद्योगों में आमी नदी में उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले मुख्यतः मे0 बजाज हिन्दुस्तान लि0, शुगर यूनिट एवं आसवानी इकाई, रूधौली बस्ती, मे0 रायना पेपर बोर्ड मिल्स प्रा0 लि0 युनिट-1 एवं मेसर्स रायना पेपर बोर्ड मिल्स प्रा0 लि0 यूनिट-2 संतकबीरनगर स्थित है। उक्त सभी इकाईयों में उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की गयी है। उक्त उद्योगों में एक आसवनी इकाई मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि0, अठदमा, रूधौली द्वारा शून्य उत्प्रवाह निस्तारण की स्थित बनाये रखने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर के प्राविधानों के अनुरूप व्यवस्था स्थापित की गयी है।

उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के नियमित संचालन हेतु समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर, सीतापुर, बरेली के जीर्ण-शीर्ण मार्गों के मरम्मत की मांग

56-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में एन0एच-24 पर मेजवान होटल के सामने सीतापुर बरेली मार्ग (बाई पास) से सी0डब्लू0सी0 को जाने वाला मण्डी परिषद् द्वारा बनाया गया मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उक्त मार्ग मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित नहीं कराया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी में राजकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना कराने की मांग

57-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में वर्तमान में एक भी राजकीय कृषि महाविद्यालय नहीं हैं जबकि भारतीय चारा अनुसंधान केन्द्र स्थापित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपद में राजकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में सरकार की प्राथमिकता भारत सरकार द्वारा चिन्हित न्यून सकल नामांकन दर वाले 36 जनपदों में राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) स्थापित किये जाने की है।

जनपद-सीतापुर की चार सड़कों का निर्माण मण्डी परिषद् से कराये जाने विषयक दि0 24-4-13 के आदेश की जानकारी

58-श्री राधेश्याम जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सीतापुर की चार सड़कों का निर्माण मण्डी परिषद् से कराये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री के पत्र कम्प्यूटर संख्या-पी0जी0 10256022, दिनांक 24-4-2013 द्वारा आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, पत्र संख्या 256022/2013 दिनांक 25-04-2013 के माध्यम से चार सड़कों का निर्माण कराये जाने का संदर्भ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ था।

500 से अधिक आबादी की चिन्हित बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु शासन के निर्देश हैं। इससे भिन्न मार्गों के निर्माण कराने में कठिनाई है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सोनभद्र में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय योजना में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की जानकारी

59-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय योजना के तहत वर्ष 2009 से मई, 2013 तक कुल कितने वृद्धों की पेंशन स्वीकृत की गयी तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में कितने लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार ओबरा विधान सभा के विकास खण्ड राबर्ट्सगंज, चोपन तथा म्योरपुर के लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद सोनभद्र में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत आलोच्य अवधि में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष लाभान्वित किये गये पेंशनरों की संख्या वर्षवार निम्नवत् है :--

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	निर्धारित भौतिक लक्ष्य	लाभान्वित पेंशनरों की संख्या
1	2009-10	60105	55697
2	2010-11	55697	54044
3	2011-12	55697	52258
4	2012-13	55697	51186
5	2013-14	55697	51591

ओबरा विधान सभा के विकास खण्ड राबर्ट्सगंज, चोपन तथा म्योरपुर के लाभार्थियों की सूची दिनांक 22-07-2013 को मा0 विधायक, ओबरा विधान सभा को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद स्थित मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं0 की स्थापना में किसानों की अधिग्रहीत भूमि की बिक्री पर रोक

60-श्री सुदेश शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद स्थित मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं0 द्वारा मोदीपोन कं0 की स्थापना हेतु 1965 में उ0 प्र0 सरकार द्वारा किसानों की अधिग्रहीत की गयी 125 एकड़ भूमि को एम0के0 मोदी द्वारा अवैध रूप से बिक्री करने पर रोक लगाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्रांक-546/रालोद/वि0म0द0/2013, दिनांक 8-5-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच कराकर अरबों की भूमि सरकार के गजट के अनुसार राज्य सरकार में निहित कराने की कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नकर्ता का पत्रांक 546/रा0लो0द0/वि0म0द0/2013 दिनांक 08-05-2013 राजस्व विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि इसी विषय पर अन्य पत्र संख्या-623/रा0लो0द0/वि0म0द0/2013, दिनांक 05-06-2013, पत्र संख्या-108/रा0लो0द0/वि0म0द0/2013, दिनांक 16-07-2013, पत्र संख्या-122/रा0लो0द0/वि0म0द0/2013, दिनांक 12-08-2013, पत्र संख्या-123/रा0लो0द0/वि0म0द0/2013, दिनांक 12-08-2013, संख्या-138/रा0लो0द0/वि0म0द0/2013, दिनांक 22-08-2013 एवं पत्र संख्या-139/रा0लो0द0/वि0म0द0/2013, दिनांक 22-08-2013 औद्योगिक विकास विभाग में प्राप्त हुआ है।

प्रकरण में शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है तथा सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में राबर्ट्सगंज व अन्य ग्रामों के पात्र वृद्धास्था पेंशनर व स्वीकृत धनराशि की जानकारी

61-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड म्योरपुर, चोपन तथा राबर्ट्सगंज में कुल कितने पात्र वृद्धावस्था पेंशनर हैं तथा उनकी पेंशन हेतु वर्ष 2012-13 में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ? स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी तथा कितनी शेष है ? क्या सरकार अवशेष धनराशि को अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड म्योरपुर में 4448, चोपन में 11383 तथा राबर्टसगंज में 7892 अर्थात कुल 23723 पात्र वृद्धावस्था पेंशनर्स हैं। उक्त लाभार्थियों हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल रु0 848.715 लाख (रु0 आठ करोड़ अड़तालीस लाख इकहत्तर हजार पांच सौ मात्र) धनराशि स्वीकृत की गयी।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शत-प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गयी तथा कोई धनराशि शेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय में वाणिज्य स्नातक पाठ्यक्रम शुरू कराने की योजना

62-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के वि0स0 क्षेत्र निघासन में स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, लालपुर में विज्ञान व वाणिज्य स्नातक पाठ्यक्रम शुरू कराने

की योजना लम्बित है ? यदि हां, तो कक्षायें कब तक प्रारम्भ करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि महाविद्यालय की संचालक सोसाइटी द्वारा स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रस्ताव/आवेदन कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर को प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद बस्ती में संचालित राजकीय आवासीय आश्रम पद्धति में मानदेय पर नियुक्त अध्यापकों के वेतनमान की जानकारी

63-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ग्राम भानपुर (जोगिया) में संचालित राजकीय आवासीय आश्रम पद्धति विद्यालय में मानदेय पर नियुक्त अध्यापकों का वेतन माह जुलाई, 2012 से बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको वेतन बकाये का भुगतान शीघ्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली स्थित बजाज शुगर हिन्दुस्तान लि0 थानाभवन में चिमनी से हो रहे फसलों के नुकसान की भरपाई

64-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली स्थित बजाज शुगर हिन्दुस्तान लि0, थानाभवन में चिमनी मानक के अनुरूप न होने के कारण आस-पास की फसलों को नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम एवं नुकसान की भरपाई की कोई कार्य योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0 (शुगर इकाई), थानाभवन, जनपद शामली में कच्चे माल के रूप में गन्ने का प्रयोग कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की गन्ना पेराई क्षमता 10,000 टन/दिन एवं विद्युत उत्पादन क्षमता 33 मेगावाट/दिन है। उद्योग में 90 टन/घण्टा क्षमता के 02 ब्वायलर स्थापित है। ब्वायलरों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर तथा संयुक्त रूप से 65 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जो कि बोर्ड मानकों के अनुरूप है। उद्योग की चिमनी उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणता की जांच दिनांक 18-01-2013 को की गई, जिसमें सभी प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के

अनुरूप है। जिला कृषि अधिकारी शामली के पत्र दिनांक 16-07-2013 में उद्योग की चिमनी से उत्सर्जित वायु से आस-पास के क्षेत्र में फसलों पर कुप्रभाव पड़ने की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सिद्धार्थनगर में उपज बीज को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन धनराशि को पुनः चालू करने की मांग

65-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में बीज विकास निगम के द्वारा बीज उत्पादक कृषकों को जो प्रोत्साहन धनराशि विगत वर्षों में दी जा रही थी, वह बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो कृषि उपज बीज को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन धनराशि को पुनः लागू किये जाने एवं उसे बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है जिसके कारण योजना का क्रियान्वयन बन्द कर दिया गया है।

जनपद बहराइच में 1962 में बसाये गये बंगाली शरणार्थी परिवारों को पट्टा देने के सम्बन्ध में पत्र

66-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में 1962 में बसाये गये बंगाली शरणार्थी परिवारों को पट्टा देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-5नं0-138420/1883, दिनांक 3-2-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पी0एच0डी0/डाक्ट्रेट कोर्स में प्रवेश हेतु शासन की नीति

67-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पी0एच0डी0/डाक्ट्रेट कोर्स में प्रवेश हेतु शासन द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा 01 जून, 2012 को कराया गया था ? यदि हां, तो परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात् किन-किन विश्वविद्यालयों में पी0एच0डी0 कोर्स में कितने अभ्यर्थियों का प्रवेश अब तक लिया गया है ? यदि नहीं, तो प्रवेश न लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2009 के अनुसरण में पी0एच0डी0 उपाधि अध्यादेश पर अनुमोदन की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिये गये।

उपरोक्तानुसार।

जनपद वाराणसी में काशी विद्यापीठ व अन्य ब्लाकों को फूलों की खेती का दर्जा देने का प्रस्ताव

68-सुश्री अनुप्रिया पटेल-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में काशी विद्यापीठ, आराजी लाइन तथा सेवापुरी ब्लाक में फूलों की खेती को उद्योग का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अन्य कृषि फसलों की भांति फूलों की खेती एक बागवानी फसल है।

69-साध्वी निरंजन ज्योति-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बुन्देलखण्ड के किसानों को सिंचाई हेतु पाइप एवं पम्पिंग सेट उपलब्ध कराने की मांग

70-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के किसानों को सिंचाई हेतु पाइप एवं पम्पिंग सेट उपलब्ध कराने की योजना के तहत आगे भी अनुदान पर सरकार किसानों को पाइप एवं पम्पिंग सेट उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड के किसानों को सिंचाई हेतु स्पिंकलर सेट, पाइप एवं पम्पिंग सेट वर्तमान में अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज में माडल डिग्री कालेज की स्थापना करने विषयक जानकारी

71-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज में माडल डिग्री कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/13-14/क-5नं0-102764/4147, दिनांक 4-5-2013 उन्हें तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा,

उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज में एक माडल डिग्री कालेज स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में शुल्क निर्धारण की जानकारी

72-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में कितने स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं तथा इनमें पाठ्यक्रमों के निर्धारित शुल्क मदवार लिये जा रहे हैं ? क्या यह सही है कि प्रबन्धतंत्र द्वारा मनमाने ढंग से शुल्क वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर शुल्क निर्धारण की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी में अद्यतन कुल 19 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं। शेष के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड कैसरगंज में माडल डिग्री कालेज की स्थापना

73-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड कैसरगंज में माडल डिग्री कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/13-14/क-5नं0-102773/4150, दिनांक 4-5-2013 उन्हें तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड कैसरगंज में एक माडल डिग्री कालेज खोले जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की रौजा मण्डी में पीने के पानी की व्यवस्था

74-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद की रौजा मण्डी में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डी परिसर में नया हैण्डपम्प लगवाने के साथ-साथ पुराने हैण्डपम्प को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। पीने के पानी की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

तदैव।

प्रदेश में वृद्धा आश्रम बनाने व वृद्धावस्था पेंशन देने की मांग

75-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में वृद्धा आश्रम बनाने की योजना है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बढ़ी हुई मंहगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार वृद्धावस्था पेंशन 3000 रु0 प्रतिमाह करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

जी नहीं।

उक्त आशय का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के किसानों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दर पर बीज, खाद, कीटनाशक और लोटनल खरीद नीति की जानकारी

76-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दर पर बीज, खाद, कीटनाशक और लोटनल खरीद के लिए खरीद नीति के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2013-14 में आनलाइन टेण्डर जारी किये जाने की मंजूरी दी गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? क्या सरकार उक्त बीज की खरीद टेण्डर प्रक्रिया से न कर राजकीय संस्थाओं से उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

क्योंकि निवेशों की खरीद (आपूर्ति व्यवस्था) विषयक शासनादेश संख्या 1365/58-2013-440/2012, दिनांक 15-5-2013 के अनुरूप कार्यवाही होती है तथा उक्त शासनादेश में ऐसी व्यवस्था नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम बेल्तुआ व ईसानगर के क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग

77-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम बेल्तुआ, विकास खण्ड ईसानगर में 3 वर्ष पहले बनी मण्डी परिषद् की सड़क उखड़ कर क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, बेल्तुआ मार्ग 2007-2008 में निर्मित कराया गया है। मात्र गांव में जल भराव के कारण दो जगह पैच बनकर क्षतिग्रस्त है। मार्ग का शेष भाग संतोषजनक स्थिति में है।

मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सोनभद्र के आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने तथा बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु योजनायें

78-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़े जाने तथा उन्हें बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार कोई प्रभावी कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद सोनभद्र के आदिवासियों (अनुसूचित जनजाति) को समाज की मुख्यधारा में जोड़े जाने तथा उन्हें बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनायें पूर्व से ही संचालित हैं जिनका विवरण निम्नवत् है :-

1-अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, सोनभद्र के माध्यम से आर्थिक विकास हेतु कृषि विकास (बीज, खाद, कीटनाशक दवा) पशुपालन योजना, स्वच्छ पेयजल योजना तथा आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद सोनभद्र में निवासरत गैर अनुसूचित जनजातियों का विकास योजना के अन्तर्गत कृषि/बागवानी तथा कुटीर उद्योग हेतु अनुदान योजना का संचालन किया जा रहा है।

2-जनपद सोनभद्र में रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के पात्र व्यक्तियों को रु0 400/- प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है।

3-वनाधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत के व्यक्तियों को वन भूमि के उपयोग का पट्टा (टाइटिल) वनाधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधान के अनुसार दिया जा रहा है।

4-अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विकास हेतु भारत सरकार की सहायता से रु0 1137.46 लाख की धनराशि से एक एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है। भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर केन्द्रीय विद्यालय (सी0बी0एस0सी0) के पैटर्न पर विद्यालय का शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत संचालन किया जायेगा, जिसमें छात्रों को निःशुल्क भोजन तथा शिक्षा आदि उपलब्ध करायी जायेगी।

5-छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पूर्वदशम/दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है।

6-अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये जनपद में एक बालक तथा एक बालिका छात्रावास के भवन निर्माण हेतु धनराशि की मांग भारत सरकार से की गई है।

7-अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये जनपद में एक बालक तथा एक बालिका राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भवन निर्माण हेतु धनराशि की मांग भारत सरकार से की गई है।

79-श्री दलवीर सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बहराइच के पयागपुर में माडल डिग्री कालेज की स्थापना करने विषयक-पत्र

80-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में माडल डिग्री कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/13-14/क-5नं0-102761/4146, दिनांक 4-5-2013 उन्हें तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में एक माडल डिग्री कालेज स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी के वी0पी0एल0 कार्डधारक वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन की मांग

81-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में कुल कितने बी0पी0एल0 कार्डधारक वृद्ध हैं जो पात्र होने के बावजूद भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं पा रहे हैं ? क्या सरकार उक्त सभी का प्रस्ताव ग्राम सभा/विकास खण्डवार तैयार कराकर उसे भारत सरकार को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में विकास खण्डवार ऐसे बी0पी0एल0 कार्डधारक वृद्धजनों जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, की संख्या निम्नवत् है :-

1-विकास खण्ड मोहम्मदी में कुल 9777 बी0पी0एल0 कार्डधारक हैं जिनमें से कुल 5334 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है।

2-विकास खण्ड पसगवां में कुल 12938 बी0पी0एल0 कार्डधारक हैं जिनमें से 7368 को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है।

3-विकास खण्ड मितौली में कुल 12242 बी0पी0एल0 कार्डधारक हैं जिनमें से 8065 को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है।

उपरोक्त विकास खण्डों के अवशेष बी0पी0एल0 कार्डधारक जिनका बी0पी0एल0 सूची-2002 में नाम अंकित न होने, उम्र निर्धारित आयु सीमा 60 वर्ष से कम होने एवं विधवा/विकलांग पेंशन पाने के कारण वृद्धावस्था पेंशन के लिये पात्र नहीं है।

वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति हेतु ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 सूची-2002 में उल्लिखित वृद्धजन तथा शहरी क्षेत्र में नगरी विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 मानक के वृद्धजन अर्ह है।

उक्त पात्रता में आने वाले वृद्धजनों को योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी अथवा सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति की जाती है। भारत सरकार को वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के जर्जर सड़कों के मरम्मत की मांग

82-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी विगत 5 वर्षों में मण्डी परिषद्, लखीमपुर द्वारा निर्मित सड़कें जर्जर होकर गड्ढायुक्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। वर्षा के कारण कतिपय मार्गों की पटरी में रेन कट्स एवं ब्रिक सोलिंग कहीं-कहीं बैठ गई है।

मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी में ब्लाक स्तर पर राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराने की मांग

83-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में ऐसे कितने ब्लाक हैं जिनमें राजकीय महाविद्यालय नहीं हैं ? क्या सरकार ब्लाक स्तर पर राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी में 14 विकास खण्ड (निघासन, रमिया, बेहर, कुम्भी गोला, बांकेगंज, बिजुआ, मोहम्मदी, मितौली, पसगवां, बेजहम, लखीमपुर, फूलबेहर, नकहा, धरोहरा एवं ईषानगर) ऐसे हैं जिनमें राजकीय महाविद्यालय नहीं हैं।

जी नहीं, ब्लाक स्तर पर राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के निराश्रित परिवारों को आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराने की जानकारी

84-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में बाढ़ व कटान से निराश्रित हुये लोगों को आवास हेतु जमीन खरीद कर देने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो अभी तक कितने निराश्रित परिवारों को कहां-कहां तथा कितनी-कितनी भूमि उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

बाढ़ व कटान से निराश्रित हुए 651 परिवारों को पुनर्वास हेतु तहसील धरौरा के ग्राम मिर्जापुर, मल्लापुर में 2.1979 हेक्टेयर व ग्राम भदयीपुरवा मजरा सरैंया कला में 1.110 हेक्टेयर तथा ग्राम खगियापुर में 3.645 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने के लिये धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी का प्रस्ताव दिनांक 30-08-2013 शासन को प्राप्त हुआ है। धनराशि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शेष परिवारों को बसाये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा भूमि की तलाश की जा रही है। जिलाधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर में डी0ए0पी0 की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग

85-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को डी0ए0पी0, यूरिया की आपूर्ति समय से न होने से उन्हें परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बुलन्दशहर में डी0ए0पी0 की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी नहीं।

जनपद बुलन्दशहर में चालू खरीफ, 2013 में दिनांक 15 अगस्त, 2013 तक निर्धारित लक्ष्य 10080 मी0टन के सापेक्ष 18863 मी0टन डी0ए0पी0 की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार जनपद में लक्ष्य से अधिक डी0ए0पी0 उपलब्ध कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी त0 फतेहपुर के किसानों की भूमि पर दबंगों द्वारा किये गये अनधिकृत कब्जे को हटवाने की कार्यवाही

86-श्री पूरन प्रकाश-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर के ग्राम करीमपुर, मजरे बजगहनी के कतिपय किसानों की कृषि भूमि गाटा संख्या-96/0.304 व 103 मी0/0.46 पर दबंगों द्वारा किये गये अनधिकृत कब्जे को हटवाने विषयक श्री नारद राय, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 18 फरवरी, 2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

खतौनी ग्राम दीनपनाह परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी के खाता संख्या-213 गाटा संख्या-96/0.304 तथा 103 मि0/0.462 हे0 कुल दो किता क्षे0 0.766 हे0 पर परशुराम आदि पुत्रगण द्वारिका द्वारा खाता संख्या-392 गाटा संख्या-103 मि0/0.759 हे0 पर रमेश चन्द्र आदि पुत्रगण छत्रपाल सिंह तथा खाता संख्या-275 गाटा संख्या-103मि0/0.506 पर महिपाल सिंह आदि पुत्रगण सरदार सिंह का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। चेतराम आदि खाता संख्या-213 गाटा संख्या-96/0.304 हे0 तथा 103 मि0/0.462 हे0 कुल दो किता क्षेत्रफल 0.766 हे0 पर दर्ज खातेदार के पुत्र हैं। गाटा संख्या-103 पर दर्ज अन्य खातेदारों के मध्य कब्जेदारी को लेकर विवाद है। गाटा संख्या-103मि0/0.759 हे0 पर दर्ज खातेदार द्वारा यह भूमि पंजीकृत विक्रय के आधार पर क्रय की गई है। जांच के समय ग्राम प्रधान व अन्य उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि छत्रपाल द्वारा अपनी भूमि की पैमाइश धारा 41 भू0रा0अधि के अन्तर्गत लगभग एक वर्ष पूर्व कराई गई थी जिसके आधार पर रमेश चन्द्र आदि का कब्जा है। प्रश्नगत भूमि पर दर्ज विभिन्न खातेदारों के मध्य आपसी सहमति के आधार पर पैमाइश कर समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया गया परन्तु खातेदारों के मध्य सहमति न बनने के कारण पैमाइश सम्भव नहीं हो सकी। प्रार्थीगण संक्रमणीय भूमिधर हैं। अतएव प्रार्थीगणों को नियमानुसार धारा 41 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा विकास प्राधिकरण के बोर्ड में सीमा विस्तार में चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त करने विषयक पत्र

87-श्री सुदेश शर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण के बोर्ड में सीमा विस्तार में अनुशंसित तहसील एत्मादपुर के ग्राम जमुनीपुर, सेवरा, भीकनपुर, बाकरपुर एवं खांडा में चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-624/रालोद/वि0म0दल/2013, दिनांक 5 जून, 2013 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम जमुनीपुर, सेवरा व भीकनपुर बाकरपुर की चकबन्दी प्रक्रिया को निरस्त करने हेतु जिलाधिकारी/उप संचालक चकबन्दी की संस्तुति के आधार पर विज्ञप्ति दिनांक 11-9-2013 जारी की जा चुकी है। ग्राम खाण्डा में ग्राम प्रधान व अन्य कृषकों द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 05-07-2013 प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में ग्राम खाण्डा में चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त करने की आवश्यकता नहीं पाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2013 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को स्नातक स्तर पर प्रवेश की योजना

88-श्री सतीश महाना तथा श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण समस्त छात्र-छात्राओं को स्नातक स्तर पर प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। शासनादेश दिनांक 7 अगस्त, 2013 द्वारा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान पाठ्यक्रम के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश में आ रही समस्याओं के निदान के सम्बन्ध में वर्तमान सीटों में आवश्यकतानुसार सीट वृद्धि किये जाने हेतु सभी राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय की परिनियमावली में की गई व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के जरवल में माडल डिग्री कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में पत्र

89-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड जरवल में माडल डिग्री कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/13-14/क-5नं0-102770/4149, दिनांक 4-5-2013 उन्हें तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड जरवल में एक माडल डिग्री कालेज स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

90-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[दिनांक 16-9-2013 को अता0 प्र0 सं0-143 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी क्षेत्र मोहम्मदी में नाबार्ड योजनान्तर्गत चयनित सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य

91-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में नाबार्ड योजनान्तर्गत चयनित सम्पर्क मार्गों हेतु धनराशि जारी कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, क्योंकि मण्डी परिषद् द्वारा नाबार्ड योजनान्तर्गत चयनित सम्पर्क मार्गों का कार्य नहीं कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई में श्री यदुनाथ प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद के बाग में जबरन बाथरूम/शौचालय का निर्माण

92-श्री सतीश महाना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम राघवरामपुर, ब्लाक मल्लावां, तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई में श्री यदुनाथ प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद द्विवेदी के बाग में जबरन बाथरूम/शौचालय का निर्माण कराने से तथा प्राथमिक विद्यालय के परिसर में अवैध रूप से छप्पर डालकर कब्जा करने के विरुद्ध मा0 सोबरन सिंह, स0वि0स0 का पत्र दिनांक 5-6-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम राघौरामपुर ब्लाक मल्लावां तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई में महेश प्रसाद व यदुनाथ प्रसाद द्विवेदी पुत्रगण ज्वाला प्रसाद द्विवेदी आदि नि0 राघौरामपुर के बाग की गाटा संख्या-79/0.202 हे0 में शौचालय राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नोखे नि0 राघौरामपुर द्वारा बनवाया गया था जिसे पुलिस बल की सहायता से पूर्व मे हटवाया जा चुका है एवं प्राथमिक पाठशाला की गाटा संख्या-76/0.061 हे0 की भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा छप्पर डालकर कब्जा नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पूर्वी एग्रो-क्लाईमेटिक जोन में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु गोरखपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना

93-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश को नौ एग्रो-क्लाईमेटिक जोन में बांटा गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार पूर्वी एग्रो-क्लाईमेटिक जोन में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु गोरखपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी हां।

भांभर एवं तराई जोन, बुन्देलखण्ड जोन, मध्य जोन, पूर्वी मैदानी जोन, मध्य पश्चिमी मैदानी जोन, उत्तर-पूर्वी मैदानी जोन, दक्षिण पश्चिमी अर्द्ध शुष्क जोन, विन्ध्यन जोन एवं पश्चिमी मैदानी जोन।

जी नहीं, क्योंकि पूर्वी मैदानी एग्रो-क्लाईमेटिक जोन में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद में स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट में वित्तीय वर्ष में छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की मांग

94-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित श्री राम स्वरूप मेमोरियल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट में सत्र 2010-11, 2011-12, 2012-13 के एम0सी0ए0 कोर्स के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु विभाग द्वारा धन हस्तान्तरित किया जा चुका है ? यदि हां, तो उसके आवंटन का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

लखनऊ स्थित श्री राम स्वरूप मेमोरियल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट में सत्र 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के एम0सी0ए0 कोर्स के एन0आई0सी0 की छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु विभाग द्वारा धनराशि हस्तान्तरित की जा चुकी है।

वर्ष 2011-12 में एन0आई0सी0 की छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड उक्त संस्थान के एम0सी0ए0 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 10 छात्रों की छात्रवृत्ति की धनराशि रु0 47850/- छात्रों के बैंक खातों में एवं दशमोत्तर शुल्क की प्रतिपूर्ति की धनराशि रु0 694600/- का भुगतान संस्थान के बैंक खाते में कर दिया गया है। दशमोत्तर सामान्य वर्ग के 38 छात्रों को छात्रवृत्ति धनराशि रु0 128490/- छात्रों के खातों एवं धनराशि की उपलब्धता के आधार पर 16 सामान्य वर्ग के दशमोत्तर छात्रों को शुल्क की प्रतिपूर्ति धनराशि रु0 689600/- का भुगतान संस्था के खाते में किया गया है।

2-वर्ष 2011-12 में छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड उक्त संस्थान के एम0सी0ए0 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 07 छात्रों को छात्रवृत्ति रु0 34100/- छात्रों के बैंक खातों में एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रु0 537300/- का भुगतान संस्था के बैंक खाते में कर दिया गया है। दशमोत्तर सामान्य वर्ग के 57 छात्रों को छात्रवृत्ति रु0 183930/- एवं धनराशि की उपलब्धता के अनुसार 09 छात्रों को सामान्य वर्ग दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रु0 209000/- कुल रु0 392930/- का भुगतान छात्रों के बैंक खातों में किया गया है।

3-वर्ष 2012-13 में छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोडेड उक्त संस्थान के एम0सी0ए0 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 08 छात्रों को छात्रवृत्ति रु0 51150/- एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि रु0 656800/- कुल रु0 707950/- का भुगतान धनराशि की उपलब्धता के अनुसार छात्रों के बैंक

खातों में किया गया है। सामान्य वर्ग के 08 छात्रों को छात्रवृत्ति धनराशि रु0 52800/- एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि रु0 656800/- कुल रु0 709600/- का भुगतान छात्रों के बैंक खातों में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन

95-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0-196925/200/13, दिनांक 24-4-2013 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

मा0 विधायक जी के पत्र संख्या वि0प0/ज0हि0/क-5 नं0 196925/200/13, दिनांक 24-4-2013 के क्रम में की गई कार्यवाही निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	कुल लाभार्थियों की संख्या	सत्यापनोपरान्त पाये गये मृतक/अपात्र पेंशनरों की संख्या	नवीन स्वीकृत पेंशनरों की संख्या	सत्यापनोपरान्त पात्र पाये गये पेंशनरों की संख्या
1	2010-11	86035	20787	0	65248
2	2011-12	65248	4606	2540	63182
3	2012-13	63182	4421	16615	75376
4	2013-14	75376	4780	8060	78656

जिलाधिकारी बहराइच के पत्रांक 497-98/स0क0/वृ0पें0यो0/मांग-पत्र/2013--14 दिनांक 16-7-2013 द्वारा प्रेषित मांग-पत्र के अनुरूप 78656 लाभार्थियों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम छमाही किश्त की धनराशि रु0 1485.369 लाख जनपद बहराइच के नोशनल खाते में स्थानान्तरित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के दैनिक वेतन कर्मियों के विनियमितीकरण करने की मांग

96-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में प्रदेश में दैनिक वेतन कर्मियों के विनियमितीकरण करने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो पात्रता क्षेत्र में आने वाले कर्मियों का विनियमितीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी हां।

शासन द्वारा 29 जून, 1991 के पूर्व से लगातार कार्यरत दैनिक वेतन कर्मियों के विनियमितीकरण करने हेतु शासनादेश संख्या-15रिट/का-2-2001, दिनांक 21-12-2001 द्वारा ''उत्तर प्रदेश समूह-'घ' के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2001'' प्रख्यापित की गई है एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2063/दस-54 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 8-9-2010 द्वारा यथाअपेक्षित अधिसंख्य पद सृजित करते हुए विनियमित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले दैनिक वेतन कर्मियों के विनियमितीकरण पर विचार करने हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय स्तर पर गठित विभागीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संस्तुति के अनुसार नियमानुसार विनियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

इसके लिये कोई निश्चित समय सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय महाविद्यालय छपरौली जनपद बागपत को उच्चीकृत कर वाणिज्य वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के साथ ही परास्नातक बनाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

97-श्री वीरपाल राठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र कम्प्यूटर संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/पी0जी0-10227703/ 2013 जो राजकीय महाविद्यालय छपरौली, जनपद बागपत को उच्चीकृत कर वाणिज्य वर्ग एवं विज्ञान वर्ग खोलने के साथ ही परास्नातक बनाये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

आवश्यक आधारभूत सुविधायें यथा भवन, प्रयोगशाला, फर्नीचर आदि उपलब्ध न होने के कारण राजकीय महाविद्यालय छपरौली, बागपत, को उच्चीकृत कर स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय की कक्षायें यथा विस्तारित कर स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय एवं विज्ञान संकाय की कक्षायें संचालित किये जाने का अवसर नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मो0 हसीब, राजस्व निरीक्षक, फतेहपुर की सेवानिवृत्ति के पश्चात् जी0पी0एफ0 आदि के भुगतान विषयक जानकारी

98-श्री अमर पाल शर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोहम्मद हसीब, राजस्व निरीक्षक, जनपद फतेहपुर की सेवानिवृत्ति दिनांक 31-12-1997 को हो गयी थी ? यदि हां, तो उक्त राजस्व निरीक्षक के बकाया जी0पी0एफ0 आदि का 10 प्रतिशत देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

श्री मोहम्मद हसीब के 10 प्रतिशत बकाया जी0पी0एफ0 के भुगतान हेतु प्रपत्र 425क सा0भ0निधि पासबुक व 90 प्रतिशत भुगतान आदेश की प्रति सहित महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद को पंजीकृत पत्रांक-1259/सात भू-लेख/व्यक्ति0 पत्रांक /2004-05, दिनांक 17-02-05 द्वारा प्रेषित किया गया। महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्रांक निधि प्रकोष्ठ 385 दिनांक 03-03-05 द्वारा अन्तिम भुगतान हेतु पत्र प्रेषित किया गया। महालेखाकार के पत्रांक निधि-18/93 दिनांक 20-6-05 जिसकी प्रति श्री हसीब को भी प्रेषित की गई द्वारा अवगत कराया गया कि अभिदाता को रु0 15,602/- का ऋणात्मक भुगतान हो गया है अतएव उक्त धनराशि को माह 4/05 से ब्याज सहित अभिदाता से वसूल करवाकर ट्रेजरी चालान द्वारा लेखाशीर्षक 8009 सा0भ0नि0 चतुर्थ श्रेणी से भिन्न के अन्तर्गत जमा करवाकर चालान की एक प्रति प्रेषित करें। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी फतेहपुर कार्यालय के पत्रांक-2830 दिनांक 05-08-05 द्वारा श्री हसीब के निवास के पते पर एक पत्र भेजा गया। उक्त से क्षुब्ध होकर श्री मो0 हसीब ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं0 22127/07 मो0 हसीब बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित किया जिसमें पारित निर्णय दिनांक 10-05-07 के समादर में प्रत्यावेदन दिनांक 03-11-06 का निस्तारण करते हुए याची को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई। श्री मो0 हसीब ने पुनः मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं0-11579/08 मो0 हसीब बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित किया गया है जो मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद उन्नाव में वित्तीय वर्ष में आवासीय पट्टे निरस्त करने विषयक जानकारी

99-श्री दीपक कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा चमरौली परगना झलोतर अजगैन, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव में वर्ष 1997 व 1999 में कुल 49 आवासीय पट्टे किये गये थे, जिनमें से 43 पट्टों पर कोई कब्जा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवासीय पट्टे पर आज तक कोई निर्माण न होने की दशा में उक्त पट्टे निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

अनुसूचित जाति से भिन्न अन्य आवंटियों, जिनका कब्जा/निर्माण आवंटित भूमि पर नहीं है, उनके पट्टे निरस्त किये जाने हेतु स्वप्रेरणा से आख्या तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, हसनगंज, उन्नाव को दिनांक 07-6-2013 को प्रेषित की जा चुकी है। प्रश्नगत प्रकरण में सुनवाई न्यायालय अपर कलेक्टर (वि/रा0) उन्नाव में प्रचलित है और आवंटियों को सम्मन/नोटिस जारी होकर प्राप्त कराई जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर ''सिविल एयरोड्रम'' के विस्तार की योजना

100-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में सैनिक हवाई अड्डे में स्थित ''सिविल एयरोड्रम'' के विस्तार करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उसका विस्तारीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गोरखपुर स्थित भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे में एक सिविल एन्क्लेव के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। इस हेतु राज्य सरकार से 50 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोरखपुर को निर्देश दिया गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वांछित 50 एकड़ भूमि का चिन्हींकरण, भूमि की उपलब्धता तथा भूमि की लागत के बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध करायें ताकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुरोध पर मत स्थिर किया जा सके।

श्रीमती शुभराजी देवी डिग्री कालेज गोरखपुर के प्रबन्धक द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का गबन

101-श्री सन्त प्रसाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शुभराजी देवी डिग्री कालेज, तिवारीपुर, बढ़यापार, गोरखपुर के प्रबन्धक द्वारा जिला सहकारी बैंक, शाखा सिकरीगंज की मिलीभगत से वर्ष 2011-12 के अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का गबन कर लिया गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रबन्धक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

श्रीमती शुभराजी देवी डिग्री कालेज, तिवारीपुर बढ़यापार गोरखपुर के अनुसूचित जाति के छात्रों की वर्ष 2011-12 की छात्रवृत्ति की धनराशि रुपया 562840/- जो छात्रों के खातों में अन्तरित करने के लिये प्रेषित की गई थी, को जिला सहकारी बैंक सिकरीगंज के तत्कालीन शाखा प्रबन्धक के सहयोग से कालेज के प्रबन्धक द्वारा संस्था के खाते से अन्तरित करा ली गई थी। जिसे सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य द्वारा चेक संख्या-093814 दिनांक 01-11-2012 रुपया 5,62,840/- के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर को वापस कर दिया गया है।

प्रकरण में जांच कर प्रबन्धक व अन्य दोषियों के विरुद्ध जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्र संख्या-4429/स0क0/छात्रवृत्ति/2012-13, दिनांक 26-02-2013 द्वारा थाना सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड हजूरपुर में मॉडल डिग्री कालेज की स्थापना

102-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच विकास खण्ड हजूरपुर में मॉडल डिग्री कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/13-14/क-5नं0-102767/4148, दिनांक 04-05-2013 उन्हें तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड हजूरपुर में एक मॉडल डिग्री कालेज स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती जयपत्ती देवी स्मारक महाविद्यालय करछना के प्राचार्य एवं किसी अध्यापक के विरुद्ध फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्ति का प्रकरण

103-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में स्थित श्रीमती जयपत्ती देवी स्मारक महाविद्यालय पनासा उपरहार (लोहारी) करछना के प्राचार्य एवं किसी प्राध्यापक के विरुद्ध फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्ति का अनुमोदन कराने पर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा अपराध संख्या-174/2012, 175/2012, 176/2012 के अन्तर्गत धारायें 419, 420, 467, 468, 471, 506 तथा 120बी थाना कीडगंज, इलाहाबाद में मुकदमा दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राय सिक्ख व मजहबी सिक्ख को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग

104-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिक्खों में राय सिक्ख व मजहबी सिक्ख को पंजाब में अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में भी इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

जी नहीं।

भारत में संविधान के अनुच्छेद-341 में वर्णित प्राविधानानुसार किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किये जाने का अधिकार भारत की संसद एवं महामहिम राष्ट्रपति में निहित है। राय सिक्ख व मजहबी सिक्ख को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

प्रदेश में वर्ष 2013 में बारिश के दौरान गिरी बिजली से हुई मौतों की जानकारी

105-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2013 में दिनांक 13-6-2013 तक तेज बारिश के दौरान गिरी बिजली (आकाशीय बिजली) से कितनी मौतें हुईं तथा कितने लोग घायल हुये ? क्या सरकार यह बतायेगी कि आकाशीय बिजली से मारे गये तथा घायल लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार जनपदवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश में वर्ष 2013 में जून तक तेज बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली से कुल 238 मौतें हुईं तथा 11 लोग घायल हुए।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अनुमन्य सहायता प्रदान की गई।

समस्त जिलाधिकारियों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0 एग्रो का0 लि0 कम्पनी वाराणसी के मण्डलीय अभियन्ता को हैण्डपम्प लगाने के लिये उपलब्ध कराये गये धन की जानकारी

106-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा विधायक निधि 2012-13 से यू0पी0 एग्रो का0लि0 कम्पनी वाराणसी के मण्डलीय अभियन्ता को दिनांक 5-10-2012 तथा 24-12-2012 को (53+15) हैण्डपम्प लगाने के लिए धन उपलब्ध कराया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त धन से अब तक मात्र 18 हैण्डपम्प ही लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए शेष हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम नेतवार पट्टी के ग्रामों में चकबन्दी कराने की मांग

107-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम नेतवार पट्टी के ग्राम सभा द्वारा चकबन्दी प्रस्ताव प्राप्त होने पर चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0 द्वारा पत्रांक-4553/जी0-02/11 (मु0स0च0प्र0) 10 अक्टूबर, 2011 के तहत बन्दोबस्त अधिकारी, गोरखपुर को कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त चकबन्दी कब तक आरम्भ होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-4(2) के अन्तर्गत दिनांक 02-05-2013 को विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् चकबन्दी प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

हमीरपुर कालपी मार्ग में फैक्ट्री एरिया के लिये भूमि देकर औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना

108-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के कुरारा विकास खण्ड के अन्तर्गत हमीरपुर-कालपी मार्ग में फैक्ट्री एरिया के लिए भूमि देकर औद्योगिक क्षेत्र बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद हमीरपुर में हमीरपुर विधान सभा में सुमेरपुर के निकट हमीरपुर-महोबा मार्ग (एन.एच. -86) पर निगम द्वारा 506.92 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र सुमेरपुर विकसित किया गया है जिसमें वर्तमान में 43 भू-खण्ड हैं जिनका क्षेत्रफल 68.48 एकड़ आवंटन हेतु रिक्त है। अतः निगम के उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए पृथक से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषित जल प्रवाह रोकने विषयक पत्र

109-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में मेसर्स अमित केमिकल्स तथा अन्य डाईंग फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषित जल उत्प्रवाह रोकने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5-396755, दिनांक 20-3-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलन्दशहर से जांच कराई गई। जांच आख्या दिनांक 30-8-2013 के अनुसार मे0 अमित केमिकल्स के नाम से औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में कोई इकाई नहीं है। वस्तुतः मे0 अमित प्लास्टिसाइजर्स के नाम से प्लाट नं0 आई-1, औ0 क्षेत्र सिकन्दराबाद इकाई है। इस इकाई द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारण नहीं किया जाता है।

औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में 07 डाईंग उद्योग स्थापित है जिसमें से एक इकाई मे0 शेड डाईंग मिल्स, एच0सी0-27, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद बुलन्दशहर दोषी पाई गई है। जिसे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम की धारा 33ए के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस दिनांक 06-09-2013 को जारी कर दिया गया है।

दोषी पायी गई उक्त इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अन्य किसी को दोषी/उत्तरदायी नहीं पाया गया ।

जनपद बरेली की तक्मीरगंज में भू-माफियाओं द्वारा पंचायत घर की भूमि पर जबरन कब्जा

110-श्री सुल्तान बेग-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील मीरगंज ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी में भू-माफियाओं द्वारा पंचायत घर (ग्राम समाज) की भूमि पर जबरन कब्जा करके किये गये अवैध निर्माण को तत्काल हटाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या-पी0जी0-10035917, पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/ एम-पी0जी0 10035917/2012, दिनांक 15-5-2012 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत शिकायत की जांच उप जिलाधिकारी, मीरगंज से कराई गई। उप जिलाधिकारी, मीरगंज की आख्या पत्रांक-114/र0का0-13, दिनांक 09-09-2013 के अनुसार ग्राम मन्सूरगंज स्थित पंचायत घर के लिये आरक्षित भूमि गाटा संख्या-169 क्षेत्रफल 0051 हे0 के 120 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध लालाराम लेखपाल द्वारा धारा 122बी उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार मीरगंज के वाद संख्या-76/11-12, योजित किया गया। तत्कालीन तहसीलदार मीरगंज द्वारा दिनांक 23-03-2013 को अवैध अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित कर प्रश्नगत ग्राम समाज की भूमि/पंचायत घर की भूमि से अवैध कब्जा हटवाकर भूमि को ग्राम प्रधान की अभिरक्षा में दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

111-श्री सलिल विश्नोई-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी के पहाड़िया मण्डी की सड़कों का जीर्णोद्धार कराने की मांग

112-श्री रविन्द्र जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी की पहाड़िया मण्डी की सड़कों की हालत जीर्ण-शीर्ण है तथा वहां पर जल जमाव रहता है जिससे मण्डी में आने वाले व्यापारियों एवं आमजन

को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पहाड़िया मण्डी की सड़कों का जीर्णोद्धार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, किन्तु मण्डी स्थल में कूड़ा एकत्र हो जाने से सीवर लाइन चोक हो जाने एवं वर्षा से जल एकत्र हो जाने के कारण कहीं-कहीं पर आन्तरिक सड़कें आंशिक रूप से जीर्ण-शीर्ण हैं।

मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी काशी विश्वनाथ मन्दिर के परिसर में बहुखण्डी इमारत के निर्माण पर रोक

113-श्री रविन्द्र जायसवाल-

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मन्दिर के परिसर में कोई बहुखण्डी इमारत बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि बहुखण्डी इमारत बनने से बाबा विश्वनाथ के मन्दिर का स्वर्ण शिखर दूर से दिखाई नहीं देगा जिसके कारण दर्शनार्थियों में रोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बहुखण्डी इमारत के निर्माण पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी हां।

स्पष्ट करना है कि श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर न्यास परिषद् द्वारा पहले से स्थित दो भवनों जो पूर्व से ही चार मंजिला था, का क्रय करके उसके स्थान पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये अन्न क्षेत्र व कार्यालय हेतु तीन मंजिला भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि चूंकि उक्त स्थल पर पहले से ही चार मंजिल भवन स्थापित था, अतः प्रस्तावित भवन के निर्माण से श्री विश्वनाथ मन्दिर का स्वर्ण शिखर दूर से दिखाई देने में कोई समस्या नहीं होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत खादर में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराने की मांग

114-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खादर में चकबन्दी हेतु सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत में चकबन्दी की प्रक्रिया पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम बरैचा खादर में धारा-4(2) की विज्ञप्ति दिनांक 14-10-1996 से प्रख्यापित किया गया था। उक्त ग्राम नदी के कटान से प्रभावित होने तथा चकबन्दी हेतु उपयुक्त न होने के कारण जिलाधिकारी, शाहजहांपुर की संस्तुति दिनांक 26-2-2013 के आधार पर निदेशालय की विज्ञप्ति दिनांक 14-3-2013 द्वारा धारा-4(2) की विज्ञप्ति निरस्त कर दी गई है। वर्तमान में उक्त ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं है।

प्रदेश के महानगरों में वायु प्रदूषण की रोकथाम

115-श्री सलिल विश्नोई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश के महानगरों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए पिछले 2 वर्षों में जांचोपरान्त क्या उ0 प्र0 सरकार को कोई सुझाव एवं निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराये गये अध्ययन के फलस्वरूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश में क्रिटिकली प्रदूषित क्षेत्र चिन्हित किये गये जिसमें प्रदेश के गाजियाबाद, सिंगरौली, नोएडा, कानपुर, आगरा एवं वाराणसी-मिर्जापुर क्षेत्र क्रिटिकली प्रदूषित क्षेत्र के रूप में आच्छादित किये गये। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन क्रिटिकली प्रदूषित क्षेत्रों की पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु कार्य योजना बनाये जाने का सुझाव दिया गया। उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सुझावों के आधार पर क्रिटिकली प्रदूषित क्षेत्र गाजियाबाद, सिंगरौली, नोएडा, कानपुर, आगरा एवं वाराणसी-मिर्जापुर की पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार लाने एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये कार्य योजना बनाई गई, जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

116-श्री अमर पाल शर्मा-

[दिनांक 18-9-2013 को अता0प्र0सं0-188 द्वारा उत्तरित]

जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में उपमण्डी समिति के निर्माण की जानकारी

117-श्री संजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में उपमण्डी समिति के निर्माण के लिए नहर विभाग की भूमि का भुगतान कर दिया गया है मगर अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उपमण्डी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

सिंचाई विभाग से भूमि अंतरण होने के उपरान्त नियमानुसार उपमण्डी स्थल केमरी का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में वृद्धावस्था पेंशन हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

118-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में वित्तीय वर्ष 2012-13 में वृद्धावस्था पेंशन हेतु कितनी धनराशि जारी की गयी ? क्या समस्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ? यदि हां, तो कितने वृद्धों को पेंशन दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद लखीमपुर खीरी में वित्तीय वर्ष 2012-13 में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत रु0 2861.076 लाख की धनराशि जारी की गयी।

जी हां।

उक्त जारी की गयी धनराशि रु0 2861.076 लाख के सापेक्ष 77005 पात्र वृद्धजनों को पेंशन दी गयी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद वाराणसी विकास खण्ड हरहुआ के छूटे गांवों में चकबन्दी कराने की मांग

119-श्री त्रिभुवन राम-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी, विकास खण्ड चोलापुर के बाबतपुर, अजगरा व अन्य तथा विकास खण्ड हरहुआ के छूटे गांवों में चकबन्दी कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक 59/2011, दिनांक 20-9-2011 तथा पत्रांक 28/2012, दिनांक 10-5-2012 चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब तक चकबन्दी की प्रक्रिया सम्पन्न करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10-5-2012 में उल्लिखित ग्राम बाबतपुर को विज्ञप्ति दिनांक 02-9-2005 द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक कर दिया गया है। अतः पुनः चकबन्दी कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम अजगरा में मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से चकबन्दी कार्य स्थगित/बाधित है। अन्य ग्रामों में जिला उप संचालक चकबन्दी की आख्यानुसार पुनः चकबन्दी कराने की आवश्यकता नहीं पायी गयी है।

पत्र दिनांक 20-9-2011 में उल्लिखित ग्राम टेकुरी व डेडुआ को विज्ञप्ति दिनांक 15-4-2008 तथा ग्राम सरैया को विज्ञप्ति दिनांक 24-3-2011 द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

एल0एच0 शुगर फैक्ट्री पीलीभीत व अन्य मिलों के प्रदूषित पानी से हो रही फसलों व जन-जीवन की हानि को रोकने की मांग

120-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल0एच0 शुगर फैक्ट्री पीलीभीत का गन्दा पानी खकरा नदी एवं सण्डा नदी में बजाज हिन्दुस्तान चीनी मिल, बरखेड़ाकला (पीलीभीत) एवं नोवल शुगर इकाई बरखेड़ाकला (पीलीभीत) का गन्दा पानी नदी दियोहा एवं नदी अमेड़ी में बजाज चीनी मिल मकसूदापुर (शाहजहांपुर) का गन्दा पानी नदी खन्नौत में एवं डालमियां चीनी मिल निगोही (शाहजहांपुर) का गन्दा पानी नदी कैनुआं एवं कटना नदी में प्रवाहित किया जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त नदियों को प्रदूषण से मुक्त कराने की सरकार की कोई योजना है ? क्या यह भी सही है कि उक्त चीनी मिलों की राखी व मैली के प्रदूषण से क्या जन-जीवन एवं फसलें एवं पेड़-पौधे भी प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

इन नदियों में कथित उद्योगों का उत्प्रवाह शुद्धिकरण के उपरान्त प्रवाहित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है। उक्त समस्त उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की गयी है। जो मानकों के अनुरूप संचालित पाये गये हैं एवं वायु प्रदूषण के रोकथाम की व्यवस्था स्थापित है जो मानकों के अनुसार संचालित पायी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती में बिना निविदा निकाले राहत कार्यों में करोड़ों रुपयों के आवंटन की जांच

121-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में राहत कार्यों के लिए राहत आयुक्त, उ0 प्र0 लखनऊ से मई, 2013 में मिले 13.74 करोड़ रुपये के कार्यों को मनमाने तरीके से बिना निविदा निकाले व बिना अनुबन्ध के अधिशासी अभियन्ता, बस्ती के द्वारा ठेकेदारों को आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नियम विरुद्ध किये गये आवंटन की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला-मऊ में तालाबों की भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

122-श्री वीरपाल राठी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रकौली, तहसील सदर, जिला मऊ स्थित तालाबों की भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार

उक्त अतिक्रमण हटाते हुए अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। कुल आठ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

सभी 08 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार, सदर के यहां वाद विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

123-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 16-9-2013 को अता0प्र0सं0-13 द्वारा उत्तरित]

जनपद सन्तकबीर नगर ग्राम पंचायत बसवारी में कब्रिस्तान की भूमि पर मुर्गी फार्म का अवैध निर्माण

124-डा0 मो0 अयूब-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्तकबीर नगर, तहसील घनघटा ग्राम पंचायत बसवारी में कब्रिस्तान के नाम पर गाटा संख्या-397 भूमि, राजस्व अभिलेख में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त नम्बर एवं चकरोड पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके मुर्गी फार्म का निर्माण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कब्रिस्तान गाटा संख्या-397 के मात्र 0.003 हे0 तथा चकमार्ग गाटा संख्या-398 के मात्र 0.002 हे0 पर रामफल पुत्र रामसमुझ जाति मल्लाह ग्रामवासी ने मुर्गी फार्म बनाकर अतिक्रमण कर रखा है।

अवैध अतिचारी के विरुद्ध बेदखली एवं क्षतिपूर्ति हेतु तहसीलदार घनघटा के न्यायालय में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधि0 की धारा-122बी (नियम-115-सी) के अन्तर्गत वाद संख्या-134 व 154 पंजीकृत कराया गया है। रामफल द्वारा मा0 दीवानी न्यायालय में वाद संख्या-223/13 रामसमुझ बनाम मुस्तफा योजित किया गया है। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 23-4-2013 को स्थगन आदेश पारित किया गया है और निर्देशित किया गया है कि मुर्गी फार्म को क्षतिग्रस्त न किया जाय।

अतर्रा महाविद्यालय अतर्रा, बांदा में शिक्षा निदेशक की संस्तुति के अनुरूप कार्यवाही की मांग

125-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतर्रा महाविद्यालय अतर्रा, बांदा में वित्तीय प्रशासनिक अनियमितताओं के आधार पर प्रबन्ध समिति को भंग कर साधिकार नियुक्त करने की दिनांक 15-6-2011 को संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या शिक्षा निदेशक की संस्तुति के अनुरूप सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

शासन के पत्र दिनांक 13-2-2013 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-58 की उपधारा-1 में विहित व्यवस्थान्तर्गत अतर्रा महाविद्यालय अतर्रा, बांदा में व्याप्त प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितताओं के दृष्टिगत प्रबन्ध समिति को अपवर्जित करते हुए दिनांक 17-1-2013 से आगामी एक वर्ष हेतु जिलाधिकारी, बांदा को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखीमपुर, बहराइच आदि जनपदों में काला नमक चावल के अधिक उत्पादन हेतु विशेष योजना

126-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काला नमक चावल (के0एन0-3) का पूर्व में लखीमपुर, बहराइच आदि जनपदों में भारी उत्पादन होता था, क्या उसका उत्पादन अब कम हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त काला नमक चावल के अधिक उत्पादन हेतु कोई विशेष योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी नहीं।

जी हां।

भारत सरकार द्वारा संचालित ''न्यूट्रीफार्म'' योजनान्तर्गत प्रदेश में जनपद ''सिद्धार्थनगर'' में काला नमक धान की उपयुक्त प्रजाति को बढ़ावा देने की योजना संचालित है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

चित्रकूट धाम मण्डल के जनपदों में निर्माणाधीन मण्डी समिति में कराये गये कार्यों में बरती गयी अनियमितता

127-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत जनपदों में निर्माणाधीन मण्डी समिति में कराये गये कार्यों में बरती गयी अनियमितता की जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-12-2012 जो मा0 मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, कृषि विभाग को भी पृष्ठांकित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जांच करायी जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखीमपुर खीरी में लघु व सीमान्त कृषकों को शाक भाजी, फल व मसाले की खेती करने हेतु प्रोत्साहन पर विचार

128-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद लखीमपुर खीरी में लघु व सीमान्त कृषकों को शाक भाजी, फल व मसाले की खेती करने हेतु प्रोत्साहित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभाग द्वारा भारत सरकार वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 30 नान एन0एच0एम0 जनपदों की औद्यानिक विकास योजना एवं नर्सरी सीडलिंग रेजिंग इन लोटनल पालीनेट एण्ड प्रोडक्शन आफ हाई वैल्यू वेजिटेबल्स परियोजना के अन्तर्गत शाक भाजी, फल व मसाले कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत लघु व सीमान्त कृषकों सहित सभी वर्ग के कृषकों हेतु राज्य सहायता अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

129-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल तथा श्री सतीश महाना-

[दिनांक 16-9-2013 को अता0प्र0सं0-191 द्वारा उत्तरित]

टिकैतराय सचिवालय कालोनी के सिविल कार्यों में स्वीकृत अवमुक्त धनराशि की जानकारी

130-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिकैतराय सचिवालय कालोनी, लखनऊ के आवास संख्या-आर0एस0 3/134 के आगणन संख्या-2237/बी0 44-2013, दिनांक 18-6-2013 सहित दिनांक 01 जून, 2013 से 20 जून, 2013 तक सिविल कार्यों के सम्बन्ध में कितने आगणन वांछित धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त आगणन स्वीकार कर धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

टिकैतराय सचिवालय कालोनी, लखनऊ के आवास संख्या-आर0एस0-3/134 के आगणन संख्या-2237/बी-44/2013, दिनांक 18-06-2013 तक सिविल कार्यों के सम्बन्ध में कुल 16 आगणन कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-3 सिविलि लो0 नि0 वि0 लखनऊ को प्राप्त हुए।

उपरोक्त आगणनों में 01 अदद आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त हेतु रु0 0.55 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी तथा सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत आवंटित बजट के क्रम में अवशेष आगणनों को संशोधित कर पुनः प्रेषित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया।

तदन्तर संदर्भित आवास संख्या-आर0एस0-3/134 में सिविल मरम्मती कार्य हेतु रु0 0.57 लाख का आगणन कार्यदायी संस्था के पत्रांक-3251/बी-44/13, दिनांक 27-08-13 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या-आ-1860/32-4-13-8टीआर/10 टीसी-3, दिनांक 11-09-13 द्वारा अनुरक्षण कार्यों हेतु उपरोक्त धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री काशी विश्वनाथ व अन्य मन्दिरों में सेवादारों हेतु सेवा नियमावली

131-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री काशी विश्वनाथ एवं अन्य मन्दिरों में कार्यरत सभी अर्चकों तथा सेवादारों हेतु कोई सेवा नियमावली बनाया जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त को मूर्तरूप कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर वाराणसी के अतिरिक्त अन्य कोई मन्दिर राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है, अतः केवल श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर के अर्चकों एवं सेवादारों के लिए सेवा नियमावली बनाये जाने का सुविचारित प्रस्ताव मन्दिर प्रशासन से न्यास परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करते हुए, उपलब्ध कराये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त विहित प्रक्रियानुसार शासन स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन फोर्स का गठन

132-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन फोर्स की भांति क्या प्रदेश में कोई राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन फोर्स का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन फोर्स के गठन हेतु गृह विभाग द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसकी संस्तुतियां अभी प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद कौशाम्बी के सिराथू क्षेत्र में निर्यात की सुविधा सहित अन्तर्राष्ट्रीय सब्जी मण्डी का निर्माण

133-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में इलाहाबादी अमरूद, आम, बेर, नीबू, करौंधा एवं आलू सहित हरी सब्जियों के व्यापक उत्पादन का मुख्य केन्द्र है ? यदि हां, तो क्या सरकार सिराथू क्षेत्र में निर्यात की सुविधा सहित अन्तर्राष्ट्रीय सब्जी मण्डी का निर्माण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

सिराथू विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मण्डी समिति, अजुहा निर्मित है, जिसमें मुख्य रूप से गल्ले का व्यापार होता है। सिराथू विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ही मण्डी समिति, अजुहा में सब्जी में मुख्य रूप से आलू का उत्पादन होता है तथा सीजनल उत्पाद के रूप में खीरा, केला, खरबूज, तरबूज, आम, नीबू एवं अमरूद का उत्पादन होता है।

134-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कुशीनगर के तमकुहीराज में आये चक्रवात से पीड़ित परिवारों को दैवी आपदा कोष से आर्थिक मदद

135-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुशीनगर जनपद के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में 16 मई, 2013 को आये चक्रवात में 06 गांवों में लगभग 1000 (एक हजार) परिवारों के मकान एवं फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वे कराकर पीड़ित परिवारों को दैवी आपदा कोष से आर्थिक मदद दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज में दिनांक 16 मई, 2013 के आये चक्रवात से 09 ग्राम सभा में कुल 717 परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। फसल को कोई क्षति नहीं हुई है।

प्रभावित परिवारों को मानक के अनुसार दैवी आपदा राहत मद से गृह अनुदान प्रदान किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सन्त कबीरनगर के सेमरियावां को नई तहसील बनाने की योजना

136-डा0 मो0 अयूब-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त कबीर नगर के विकास खण्ड मुख्यालय सेमरियावां को नई तहसील बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

विकास खण्ड मुख्यालय सेमरियावां नई तहसील के सृजन हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करती है।

जनपद सन्त कबीरनगर, खलीलाबाद के निकट स्थित रैना पेपर मिल के धुयें से प्रभावित जन-जीवन

137-डा0 मो0 अयूब-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के निकट स्थित रैना पेपर मिल धौरहरा से निकलने वाली राख एवं धुयें से आस-पास का जन-जीवन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के निराकरण हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मे0 मेसर्स रैना बोर्ड इन्डस्ट्रीज लि0 यूनिट-1 खलीलाबाद, सन्तकबीरनगर का निरीक्षण दिनांक 27-7-2013 को क्षेत्रीय कार्यालय बस्ती द्वारा कराया गया। उद्योग की उत्पादन क्षमता 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन मीडिया क्राफ्ट पेपर की है जिसमें 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन एग्रोवेस्ट पर आधारित एवं 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन वेस्ट पेपर पर आधारित है। उद्योग में स्थापित 25 टन प्रति घण्टा एवं 9 टन प्रति घण्टा वाष्पजनन क्षमता के ब्वायलर स्थापित हैं, जिसमें वर्तमान में केवल 25 टन प्रति घण्टा ब्वायलर का ही प्रयोग किया जाता है। उक्त ब्वायलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टीसाइक्लोन डस्ट कलेक्टर एवं वेट स्क्रबर की स्थापना की गयी है एवं फ्लूगैस के निस्तारण हेतु 30 मी0 ऊंची चिमनी स्थापित है। उद्योग द्वारा स्टैक मानिटरिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला मेसर्स शिवा टेस्ट हाउस, पटना से कराया गया है जिसमें सेस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस0पी0एम0) की मात्रा 102.80 मिग्रा/एनएम पायी गयी जो कि निर्धारित मानक 150 मिग्रा/एनएम के अनुरूप है।

उद्योग मेसर्स रैना पेपर बोर्ड इन्डस्ट्रीज लि0 यूनिट-2 खलीलाबाद, सन्तकबीरनगर जिसमें वेस्ट पेपर का प्रयोग कर मिडिया क्राफ्ट पेपर का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में सह-इकाई मेसर्स रैना पेपर बोर्ड इन्डस्ट्रीज यूनिट-1 में स्थापित 25 टन प्रति घंटा क्षमता के ब्वायलर से स्टीम की आपूर्ति की जा रही है जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है। उद्योग में स्थापित ब्वायलर से जनित राख का निस्तारण उद्योग परिसर के अन्दर लो-लैण्ड की फिलिंग हेतु किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मौजा कटरा बक्कास, तहसील मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ पर से अवैध कब्जा हटाने की मांग

138-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि गाटा संख्या-2943, 2954, 2966, 2967, 2968, 2971 एवं 2972 मौजा कटरा बक्कास, तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ पर से अवैध कब्जा हटाने विषयक श्री कृष्ण गोपाल, पूर्व विधायक, पीलीभीत के पत्र दिनांक 03-06-2013 सहित मा0 ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या-963/वी0आई0पी0, दिनांक 07-06-2013 जिलाधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जिलाधिकारी, लखनऊ की आख्या के अनुसार उक्त पत्र की जांच उप जिलाधिकारी, मोहनलालगंज से करायी गयी। जांच आख्या के अनुसार आवेदिका श्रीमती गीता देवी द्वारा दिनांक 30-06-09 को कराये गये बैनामे में खसरा संख्या का उल्लेख नहीं है, ऐसी स्थिति में क्रय की गयी भूमि के चिन्हांकन की कार्यवाही नहीं हो सकती है। आवेदिका के बयान के अनुसार उसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 जिला जज लखनऊ के न्यायालय में एक वाद दायर कर रखा है जो विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में सिविलियन एयरपोर्ट बनाने की योजना

139-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में सिविलियन एयरपोर्ट (नागरिक हवाई अड्डा) बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बरेली में सिविल एयरपोर्ट बनाने की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनपद बरेली स्थित भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे पर यात्री सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से एक सिविल एन्क्लेव के निर्माण की योजना बनाई गयी है जिसके लिये प्राधिकरण ने राज्य सरकार से 25 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का सैद्धान्तिक निर्णय ले लिया गया है और भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है।

चूंकि सिविल एन्क्लेव का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा कराया जाना है, इसलिए यह बिन्दु भारत सरकार से सम्बन्धित है।

जनपद पीलीभीत स्थित बालाजी ट्रस्ट की परिसम्पत्तियों की जांच व रिकवरी की धनराशि की वसूली

140-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाला जी ट्रस्ट तहसील बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की परिसंपत्तियों की जांच वर्ष 2006 के माह मार्च, अप्रैल एवं मई में की गई तथा 26 लाख रुपया की क्षतिपूर्ति हेतु रिकवरी किये जाने के आदेश निर्गत किये गये ? यदि हां, तो क्या रिकवरी की धनराशि वसूल हो गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्नगत ट्रस्ट शासन के किसी आदेश के अन्तर्गत गठित नहीं है। प्रकरण में कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है। जिला अधिकारी, पीलीभीत को यह निर्देश दिये गये हैं कि जांचोपरान्त पंजीकरण से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराते हुए यह अवगत करायें कि उक्त ट्रस्ट किस अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत है। इस प्रकार वांछित सूचना/अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् मामले में सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जनपद लखीमपुर खीरी के कुम्भी चीनी मिल व अन्य मिलों से निकलने वाले जहरीले पानी से हो रहे जन-जीवन को नुकसान

141-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- लखीमपुर खीरी के कुम्भी चीनी मिल एवं अजबापुर चीनी मिल से निकलने वाले धुंआ, कूड़ा व गन्धकयुक्त जहरीले पानी को पड़ोस के गांवों में खुली जगहों व सार्वजनिक नालों द्वारा जमीन पर छोड़ने से ग्रामीण जानलेवा बीमारी के शिकार हो रहे

हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त समस्या को रोकने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मे0 कुम्भी चीनी मिल, कुम्भी, जनपद लखीमपुर खीरी में 10000 टन/दिन गन्ने की पेराई कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शोधन हेतु 1000 कि0ली0/दिन क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाइयां बार स्क्रीन, आयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, इक्वालाइजेशन टैंक, केमिकल डोजिंग टैंक, एयरेशन टैंक, क्लैरीफायर, सैण्ड एवं कार्बन फिल्टर, स्लज डाइंग वेड्स इत्यादि हैं। उद्योग द्वारा शुद्धिकरण उत्प्रवाह का निस्तारण उद्योग से लगभग तीन कि0मी0 की दूरी पर कठिना नदी में किया जाता है। उद्योग में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत के रूप में 90 टन/घण्टा (प्रत्येक) क्षमता के दो ब्वायलर हैं जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रवर के साथ 65 मी0 ऊंची आर0सी0 चिमनी स्थापित है।

अजबापुर स्थित मे0 डी0एस0सी0एल0 शुगर मिल में 11000 टन/दिन गन्ने की पेराई कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शोधन हेतु 1100 कि0ली0/दिन क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। जिसकी प्रमुख इकाइयां बार स्क्रीन, आयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, इक्वालाइजेशन टैंक, केमिकल डोजिंग टैंक, एयरेशन टैंक, क्लैरीफायर, सैण्ड एवं कार्बन फिल्टर, स्लज डाइंग वेड्स इत्यादि हैं। उद्योग द्वारा शुद्धिकरण उत्प्रवाह का प्रयोग परिसर में ही सिंचाई, फायर फाइटिंग, बैगास पर छिड़काव हेतु किया जाता है तथा परिसर के बाहर उत्प्रवाह का निस्तारण नहीं किया जाता है। उद्योग में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत के रूप में 60,60,60,75 टन/घण्टा क्षमता के चार ब्वायलर हैं, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रवर तथा ई0एस0पी0 के साथ 55,65 मी0 ऊंची आर0सी0 चिमनी स्थापित है।

ग्रामीणों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, खीरी ने अपने पत्र दिनांक 29-8-2013 द्वारा ग्रामीणों के जानलेवा बीमारी के शिकार नहीं होने की सूचना दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी के काशी विद्यापीठ को बनवाने हेतु उपलब्ध धन की जानकारी

142-श्री रविन्द्र जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के काशी विद्यापीठ (विश्वविद्यालय) का भवन पूरा न होने के कारण पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कठिनाई को देखते हुए उक्त विश्वविद्यालय हेतु धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (विश्वविद्यालय) में भवन पूरा न होने के कारण पठन-पाठन प्रभावित नहीं है। विश्वविद्यालय के विधि संकाय के निर्माणाधीन भवन, बार काउन्सिल के नये नियमों के

मानकानुसार पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के अनुदान से भवन का भू-तल निर्मित हो गया है एवं अवशेष निर्माण कार्य कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

लखीमपुर खीरी के शुगर मिल के दूषित पानी से हो रही समस्या की रोकथाम

143-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में शुगर मिल, खम्भारखेड़ा व अजबापुर से निकलने वाला विषैला पानी पड़ोस के गांव में बहता है ? यदि हां, तो क्या यह सही हैं कि उस दूषित पानी को पीने से पशु मर जाते हैं तथा नहाने पर आंखों की बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच कराकर उक्त समस्या की रोकथाम की कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि0, शुगर इकाई खम्भारखेड़ा, लखीमपुर खीरी से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह को इकाई में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से शुद्धिकृत किया जाता है। शुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण परिसर से बाहर ह्यूम पाइप लाइन के माध्यम से कन्डवा नदी में किया जाता है। उद्योग के शुद्धिकरण उत्प्रवाह के नमूने दिनांक 28-12-2012 में परिणाम बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

मेसर्स डी0एस0सी0एल0 शुगर अजबापुर लखीमपुर खीरी से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह को इकाई में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के माध्यम से शुद्धिकृत कर शुद्धिकृत उत्प्रवाह का प्रयोग परिसर में ही सिंचाई में फायर फाइटिंग व बैगास पर छिड़काव हेतु किया जाता है तथा परिसर के बाहर उत्प्रवाह का निस्तारण नहीं किया जाता है।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी ने पत्र दिनांक 08-8-2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि पशुओं के मरने एवं उससे फैली बीमारी की सूचना किसी भी पशुपालक के द्वारा नहीं प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्साधिकारी, खीरी द्वारा पत्र दिनांक 29-8-2013 द्वारा अवगत कराया है कि नहाने से आंखों की बीमारी नहीं फैल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

144-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[दिनांक 16-9-2013 को अता0प्र0सं0-183 द्वारा उत्तरित]

लखीमपुर खीरी क्षेत्र मोहम्मदी में राजकीय डिग्री कालेज खोलने की मांग

145-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में सरकारी डिग्री कालेज न होने के कारण क्षेत्र के छात्रों को कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में एक राजकीय डिग्री कालेज खुलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र में 02 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय (गन्ना किसान महाविद्यालय, मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी एवं बाबू रामेश्वर दयाल महाविद्यालय, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी) संचालित हैं जिससे उक्त क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है।

लखीमपुर खीरी के गांवों में चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने की मांग

146-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत चकबन्दी का कार्य किन-किन गांवों में शेष है ? शेष गांवों में चकबन्दी कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

तहसील मोहम्मदी में 76 ग्रामों में चकबन्दी पूर्ण होना शेष है। (ग्रामों की सूची संलग्न* है)

वर्ष 2017 तक शेष ग्रामों में चकबन्दी कार्य पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

रायल होटल-9 विधायक निवास-4 लखनऊ के पिछले कमरे की मरम्मत की मांग

147-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास संख्या-72, रायल होटल-9, विधायक निवास-4, लखनऊ के पिछले कमरे की मरम्मत कराने तथा भवन को रहने योग्य सुरक्षित बनाने के सम्बन्ध में श्री राजकिशोर यादव, विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या-एम0एल0ए0/91-32-4-12, दिनांक 16-04-2012 अधिशासी अभियंता अनुरक्षण खण्ड, सिविल-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त पत्र के क्रम में विधायक निवास-4 स्थित आवास संख्या-72 में अतिरिक्त कक्ष के मरम्मत के उपरान्त नवीनीकरण कार्य हेतु रु0 1.68 लाख का आगणन प्राप्त हुआ, जिसके परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-आ-1935/32-4-13-6वीएन (4)/12टीसी-1, दिनांक 13-9-2013 द्वारा उपरोक्त धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

* (दखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-241-243 पर।)

प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धों को पेंशन का लाभ

148-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अशक्त एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धों को जिनके पास बी0पी0एल0 कार्ड नहीं हैं, को सरकार वृद्धा पेंशन का लाभ देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति हेतु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 सूची-2002 में उल्लिखित पात्र वृद्धजन तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 मानक के पात्र वृद्धजन अर्ह हैं। उक्त पात्रता में आने वाले सभी वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित पात्र व्यक्तियों की जानकारी

149-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किये जाने जैसे शादी अनुदान, पारिवारिक लाभ योजना एवं लोहिया आवास की पात्रता हेतु वार्षिक आय क्रमशः 19,200 एवं 36000/- से अधिक न होने का मानक निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान में वार्षिक आय की अधिकता को बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? जिससे अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति योजनाओं से लाभान्वित हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

शासनादेश सं0-1670/26-3-2006-4 (100)/2006, दिनांक 30-5-2006 में निहित व्यवस्थानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे शादी-अनुदान एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों/परिवारों को लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में गरीबी रेखा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रु0 19884/-तथा शहरी क्षेत्रों में रु0 25546/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की आय सीमा निर्धारित है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु लाभार्थी को आवास आवंटन की पात्रता रु0 36000/- वार्षिक आय निर्धारित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जिला सीतापुर ग्राम बड़रिया निवासी श्री कामता प्रसाद की भूमि पर दबंगों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाने की मांग

150-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कामता प्रसाद आदि निवासी ग्राम बड़ेरिया, जिला सीतापुर की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा कर फसल को जबरन जुतवाकर नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में

मा0 नरेन्द्र सिंह वर्मा, समाज कल्याण राज्य मंत्री का पत्र दिनांक 28-06-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या पीड़ित किसानों को फसल का मुआवजा तथा भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर कब्जा दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण की जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर क्रमशः एन0सी0आर0 333/12 व 334/12 धारा-323/504 आई0पी0सी0 थाना तम्बौर में पंजीकृत किया गया। मेडिकल में श्री अशोक कुमार मौर्य को धारदार हथियार से चोट पाये जाने पर मुकदमा अपराध संख्या-275/12 धारा-323, 324 व 504 आई0पी0सी0 में दर्ज कर विवेचना की गयी तथा दिनांक 09-02-13 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

जांच में श्री कामता प्रसाद की फसल विपक्षीगण द्वारा काट लिये जाने की पुष्टि नहीं हुई। उभयपक्षों के खेत नदी के किनारे स्थित हैं, वर्तमान समय में वहां बाढ़ के पानी के कटान होने के कारण पैमाइश कराकर कब्जा दिलाया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

151-श्री देव नरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री दलवीर सिंह तथा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[दिनांक 16-9-2013 को अता0प्र0सं0-192 द्वारा उत्तरित]

जनपद-झांसी में आधुनिक हवाई अड्डा बनाये जाने के लिए सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भूमि उपलब्ध कराने की मांग

152-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में आधुनिक हवाई अड्डा बनाये जाने के लिये ग्राम सफा, ब्लाक बबीना में भूमि चयनित की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार को भूमि उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

153-डा0 अरुण कुमार-

[दिनांक 18-9-2013 को अता0प्र0सं0-189 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के जलाशयों एवं तालाबों पर अतिक्रमण रोकने की मांग

154-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के जलाशयों एवं तालाबों पर अतिक्रमण रोकने तथा तालाबों की सुरक्षा हेतु उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम में विशेष उपबन्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। प्रदेश के जलाशयों एवं तालाबों पर अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी पूर्व से ही उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-122-ख सपठित नियम-115 ग से 115 ञ तक में विस्तृत व्यवस्थायें दी गयी हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी में पारित आदेश दिनांक 25-7-2001 के अनुपालन में प्रदेश के सार्वजनिक तालाबों से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 0-10-2001 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश प्रसारित किये गये हैं। जनपदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। राजस्व परिषद् के स्तर पर मासिक समीक्षा भी की जाती है।

उक्त के साथ ही रिट याचिका संख्या-6472 (एम0बी0)/2012 ओम प्रकाश वर्मा व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 7-8-2012 के अनुपालन में प्रदेश के ग्राम सभाओं की भूमि यथा तालाब पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान आदि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में शासन स्तर प्रमुख सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में एक बहुसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय गठित समितियों द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। शासन स्तर पर गठित बहुसदस्यीय उच्च स्तरीय समिति द्वारा इसकी नियमित समीक्षा भी की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के चारागाहों व जौनपुर में बड़े-बड़े चारागाहों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग

155-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चारागाहों पर हो रहे अतिक्रमण को बचाने हेतु कोई कार्य योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो जनपद जौनपुर की तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम नैनसन्ड, पिलाखिनी, मगरांवा, कबीरुद्दीनगर में बड़े-बड़े चारागाह पर हुए अतिक्रमण को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ऐसे मामलों में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-122बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। प्रदेश के ग्राम सभाओं की भूमि पर यथा तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान आदि पर से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 06-9-2012 द्वारा शासन स्तर पर बहुसदस्यीय समिति तथा शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 21-9-2012 द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

जनपद जौनपुर की तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम नयनसण्ड परगना सरेमू स्थित गाटा संख्या-339मि0/4-509, 348/7-103, 349/0-263 व 358/6-006 हे0 भूमि चारागाह खाते में अंकित है तथा सभी नम्बरान मौके पर खाली पड़े हैं, जिसमें जंगली बबूल व झाड़ के पेड़ उगे हैं।

ग्राम पिलखनी के सरकारी कागजात में चारागाह नाम से कोई भूमि अंकित नहीं है।

ग्राम मंगरावा परगना सरेमू स्थित गाटा संख्या-50/0-010, 51/0-035, 52/0-810, 500/0-280, 501/1-360, 600/0-727 व 601/3-220 हे0 चारागाह खाते में अंकित है उपरोक्त सभी नम्बरान मौके पर खाली हैं, जिसमें वन विभाग के पेड़ लगाये गये हैं।

ग्राम कबीरुद्दीनपुर परगना सरेमू में स्थित चारागाह की भूमि गाटा संख्या-484/3-787 हे0 के लगभग 0-387 हे0 रकबे पर राजकीय जूनियर हाई स्कूल कबीरुद्दीनपुर विद्यालय बना है तथा 0-400 हे0 भूमि पर राजकीय मुर्गी फार्म हाउस बना हुआ है। शेष रकबा 3-000 हे0 भूमि पर पुरानी हरिजन आबादी है जो लगभग 15-20 वर्षों से आबाद है। चारागाह भूमि गाटा संख्या-551/0-260 हे0 में भी लगभग 15-20 वर्षों से पुरानी हरिजन आबादी है उपरोक्त दोनों चारागाह की भूमि पर आबादी बनाकर रह रहे व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-122बी जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत बेदखली की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है।

बेदखली आदेश पारित होने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

लखीमपुर खीरी के ग्राम शिवनगरा में अवैध रूप से बने सीवर टैंक को हटाने की मांग

156-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी के ग्राम शिवनगरा में माह दिसम्बर, 2012 में गांव के ही कतिपय दबंगों द्वारा आम रास्ते में अवैध तरीके से सीवर टैंक बनाकर किये गये अवैध कब्जे को हटवाने हेतु दिनांक 16-01-2013 को उप जिलाधिकारी, मोहम्मदी द्वारा आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध रूप से बने सीवर टैंक को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां। उप जिलाधिकारी, मोहम्मदी के आदेशानुसार तहसीलदार, मोहम्मदी एवं प्रभारी निरीक्षक, मोहम्मदी जनपद खीरी द्वारा ग्राम शिवनगरा मजरा दिलावलपुर परगना व तहसील मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी में सीताराम के मकान के सामने पूरब दिशा में अवैध रूप से रास्ते में बना हुआ सीवर टैंक दिनांक 29-8-2013 को तुड़वाकर बन्द करा दिया गया है। अब मौके पर रास्ता खाली व अवरोध मुक्त है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली स्थित फैक्ट्रियों के गन्दे पानी को रामगंगा तथा देवरानिया नदी में डालने से रोकने की मांग

157-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर बरेली स्थित फैक्ट्रियों से निकलने वाले गन्दे पानी को बिना जल शोधन किये सीधे रामगंगा तथा देवरानिया नदी में डालने से रोकने के सम्बन्ध में सरकार कोई कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महानगर बरेली क्षेत्र में जल प्रदूषणकारी प्रकृति के निम्नलिखित सात उद्योग हैं। इन इकाइयों में जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली द्वारा इकाइयों की समय-समय पर जांच की जाती है। इकाइयों में स्थापित शुद्धिकरण संयंत्रों का संचालन मानकों के अनुरूप पाया गया है।

1-मे0 कैम्फर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि0 सी0बी0 गंज, बरेली।

2-मे0 सुपीरियल इण्डस्ट्रीज, लि0 सी0बी0 गंज, बरेली।

3-मे0 बी0एल0 एग्रो आयल्स लि0, बी-4 औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा, बरेली।

4-मे0 विमको लि0 सी0बी गंज, बरेली।

5-मे0 वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लि0, औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा, बरेली।

6-मे0 वृन्दावन बीवरेज प्रा0लि0 परसाखेड़ा, बरेली।

7-मे0 मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्रा0 लि0 मोहनपुर, बरेली।

इलाहाबाद के उत्तराखण्ड में जून को आयी भारी दैविक आपदा में लापता होने सम्बन्धी पत्र

158-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विपिन कुमार भारतीय, निवासी-23 सी नेवादा, तहसील सदर, इलाहाबाद के उत्तराखण्ड में 15/16 जून को आयी भारी दैविक आपदा में लापता होने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, इलाहाबाद को सम्बोधित दिनांकित पत्र 27-06-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जिलाधिकारी, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 27-6-2013 द्वारा राहत आयुक्त एवं सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून से यह अनुरोध किया गया कि श्री विपिन कुमार भारतीय के सम्बन्ध में कोई सूचना हो तो अवगत करायें।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 03-07-2013 द्वारा लापता व्यक्तियों को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्षित करने हेतु राहत आयुक्त एवं सचिव, उत्तराखण्ड से अनुरोध किया गया।

इसी क्रम में उत्तराखण्ड में आई प्राकृतिक आपदा से जनपद इलाहाबाद के श्री विपिन कुमार भारतीय सहित के सम्बन्ध में पुनः सत्यापन कराया गया। सत्यापन में पाया गया कि अभी तक व्यक्ति वापस नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ग्राम बसडिलिया व अन्य ग्रामों के पशुचर भूमि पर गांव के दबंग व्यक्तियों का कब्जा

159-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ग्राम बसडिलिया तथा छपिया परगना रसूलपुर, तहसील भानपुर के खाता सं0-326, गाटा संख्या 344/0.4220 हे0 स्थित पशुचर भूमि पर गांव के ही दबंग व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त पर से कब्जा कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम बसडिलिया, तप्पा छपिया, परगना रसूलपुर, तहसील भानपुर के खाता संख्या 326 गाटा संख्या 344 रकबा 0.4220 हे0 पशुचर भूमि पर श्री विजय प्रताप पुत्र गया राम द्वारा धान की फसल बो ली गयी है। जिससे सम्बन्धित वाद संख्या-330 सरकार बनाम विजय प्रताप, तहसीलदार भानपुर के न्यायालय में नियम-115सी के अन्तर्गत जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122बी के अन्तर्गत दिनांक 06-09-2013 को दाखिल किया गया है। प्रकरण में सुनवाई की तिथि 06-10-2013 नियत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में मोहिउद्दीनपुर स्थित पसवाड़ा पेपर मिल से फैल रहे संक्रमण को रोकने की मांग

160-श्री रविन्द्र भड़ाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में मोहिउद्दीनपुर स्थित पसवाड़ा पेपर मिल में जलशोधन संयंत्र का उपयोग न करके प्रदूषित जल एवं कचरा बिना फिल्टर किये छोटे-छोटे नालों से होकर सिंचाई विभाग के नाले में छोड़ने से जल एवं वायु प्रदूषण के कारण संक्रमण रोग फैल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मे0 पसवाड़ा पेपर्स लि0, मोहिउद्दीन, जनपद मेरठ द्वारा कच्चे माल के रूप में रद्दी कागज का प्रयोग कर क्राफ्ट पेपर का उत्पादन किया जाता है। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित एवं संचालित है। शुद्धिकृत उत्प्रवाह का आंशिक भाग प्रक्रिया में रिसाइकिल किया जाता है एवं शेष शुद्धिकृत उत्प्रवाह को नाले में निस्तारित किया जाता है। उद्योग का शुद्धिकरण उत्प्रवाह अन्तिम रूप से काली नदी (पूर्वी) में निस्तारित होता है। दिनांक 22-8-2013 को एकत्रित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

जनपद प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भूडबराल, मेरठ से प्राप्त आख्या दिनांक 05-09-2013 के अनुसार किसी रोग की संक्रामक रूप में पृष्टि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर के गोला बाजार स्थित रकबों पर पुलिस द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाने की मांग

161-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के गोला बाजार स्थित आराजी नं0 827 एवं 828 रकबा क्रमशः 0.040 हे0 एवं 0.096 हे0 पर पुलिस द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाने हेतु सिविल जज जूडी0 बांसगांव द्वारा बाद संख्या 20/98 में दिनांक 18-12-12 को कब्जा बेदखली, ध्वस्तीकरण का आदेश किया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं। वाद संख्या-20/98 वेद प्रकाश बनाम रघुनाथ प्रसाद में हुए फैसले के विरुद्ध जनपद न्यायाधीश के यहां अपील लम्बित है। अपीलीय वाद में बहस हेतु दिनांक 19-9-2013 की तिथि नियत है। न्यायालय के निर्णयानुसार समुचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के गाटा सं0-652 के रकबा 19 बिस्वा पर मकान व बाउन्ड्री बनाकर किये गये अवैध कब्जे को हटाने की मांग

162-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के तृतीय गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-65 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विसायकपुर बांगर, परगना व तहसील सदर, जिला कानपुर नगर के गाटा संख्या-652 के रकबा 19 बिस्वा पर मकान व बाउण्ड्री बनाकर किये गये कब्जे को हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ग्राम विसायकपुर बांगर की आराजी संख्या-652 रकबा 19 बिस्वा के सम्बन्ध में न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-12 कानपुर नगर द्वारा सिविल अपील सं0-193/2000 गजराज सिंह आदि बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण आदि में पारित आदेश दिनांक 7-5-03 के द्वारा यह आदेशित किया गया कि अपीलार्थी की आराजी सं0-652 में बने मकान सं0-97-सी मौजा विसायकपुर बांगर तहसील व जिला कानपुर नगर में किसी प्रकार का अवैध हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से रोका जाता है। प्रतिवादी को आदेश दिये गये कि बिना प्रश्नगत सम्पत्ति अधिग्रहीत करे अपीलार्थी के मकान सं0-97-सी तथा उसके सहन की भूमि में अपीलार्थी के कब्जे में अवैध रूप से कब्जा व हस्तक्षेप न करें। उक्त आदेश का प्रभाव आराजी सं0-652 पर स्थित प्रतिवादी द्वारा निर्मित सड़क पर नहीं पड़ेगा। उपरोक्त स्थगनादेश के कारण आराजी सं0-652 रकबा 19 बिस्वा से कब्जा नहीं हटाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पीलीभीत की तहसील बीसलपुर की सीमा का निर्धारण

163-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत, बरेली एवं शाहजहांपुर की सीमायें नदियों के कटान के कारण प्रभावित होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर की सीमा निर्धारित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सीमा का विवाद विधिवत् सन्दर्भ आने पर ही राजस्व अभिलेखों के अनुसार सीमा निर्धारण की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पीलीभीत के गजरौला में नवीन तहसील सृजित करने की मांग

164-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व गांव पृथक करके जनपद पीलीभीत से सम्बद्ध किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार परिसीमन करके जनपद पीलीभीत के गजरौला में नवीन तहसील सृजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पीलीभीत के तहसील बीसलपुर के राजस्व गांव पुराधारम की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की मांग

165-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के राजस्व गांव पुराधारम की भूमि संख्या 106, 107, 108, 146, 148, 149 पर अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में पुराधारम नाम का कोई राजस्व गांव नहीं है। राजस्व गांव बढ़ेपुरा धारम की भूमि गाटा संख्या-106/3.635 श्रेणी-6 (9) नाला दर्ज कागजात है जो स्थल पर खाली पड़ा है तथा किसी का अवैध कब्जा नहीं है। इस पर नाला जिसे रपटुआ नाला के नाम से पुकारते हैं, बह रहा है।

गाटा संख्या-107/0.417 श्रेणी 5 बंजर दर्ज कागजात है, जिसमें 0.167 हे0 क्षेत्रफल खाली है, किसी का कब्जा नहीं है। गाटा संख्या-107 मि0 रकबा 0.250 हे0 पर कमरजहां पत्नी अयूब खां

नि0 हबीबुल्ला खां शुमाली बीसलपुर का अवैध कब्जा है जिनके विरुद्ध धारा-122बी का मु0नं0-23/11-12 तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन है।

गाटा संख्या-108 रकबा 0.130 हे0 श्रेणी-6 नाला दर्ज कागजात है जिसमें 0.047 हे0 खाली पड़ा है किसी का कब्जा नहीं है। गाटा संख्या-108मि0/0.083 पर अनाधिकार काबिज कमरजहां पत्नी अयूब खां नि0 हबीबुल्ला खां शुमाली बीसलपुर के विरुद्ध धारा-122बी जेड0ए0एल0आर0 ऐक्ट के अन्तर्गत मु0नं0-23/11-12 तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है।

गाटा संख्या-146 रकबा 0.198 हे0 श्रेणी-6 ईंट भट्ठा दर्ज कागजात है जिसमें से रकबा 0.154 हे0 पर अवैध कब्जेदार ध्रुव कुमार पुत्र सोहन लाल निवासी ग्राम के विरुद्ध धारा-122 बी का वाद संख्या-20/11-12 तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन है। क्षेत्रफल 0.044 हे0 खाली पड़ा है किसी का अवैध कब्जा नहीं है।

गाटा संख्या-148 रकबा 0.121 हे0 श्रेणी-1 (क) पवन कुमार, अचल कुमार पुत्रगण ध्रुव कुमार के नाम दर्ज कागजात हैं।

गाटा संख्या-149 रकबा 0.275 हे0 श्रेणी-5 (1) कृषि योग्य भूमि नई परती अंकित है, जो स्थल पर खाली पड़ी है, किसी का अवैध कब्जा नहीं है। न्यायालय के निर्णयानुसार यथासमय कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के राजस्व ग्राम सभा की भूमि पर अवैध प्रयोग बन्द करने की मांग

166-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के राजस्व गांव मुड़िया करोड़ की गांव सभा की भूमि संख्या-512 पर ईंट उद्योग एवं रपटुआ नाले की भूमि पर पेड़ लगाकर वर्षों से अवैध रूप से प्रयुक्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका अवैध प्रयोग बन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

167-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[दिनांक 16-9-2013 को अता0प्र0सं0-189 द्वारा उत्तरित]

जनपद गौतमबुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण द्वारा किसानों को न्याय न दिलाने विषयक-पत्र

168-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण द्वारा किसानों को न्याय न दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुवेर सिंह, पूर्व विधायक जलेसर

जनपद एटा का पत्र सं0-क-4 नं0-235480, दिनांक 27-6-2013 व ई-मेल दिनांक 27-6-2013 आपको तथा पत्रांक सं0-क-4 नं0-235479 एवं ई-मेल दिनांक 27-6-2013 उपाध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-वाई0ई0ए0/भू-लेख/1756/2013, दिनांक 05-09-2013 द्वारा मा0 पूर्व विधायक जी को यह अवगत करा दिया गया है कि ग्राम-दनकौर के खसरा संख्या-256 की भूमि प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि है। भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत कोई प्लाट छोड़ने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद के अल्लापुर निवासी स्व0 अभिलाष सोनकर की नृशंस हत्या व परिवार को अधिकतम अनुदान की जानकारी

169-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 अभिलाष सोनकर, निवासी 1347/23/47/115बी किदवईनगर अल्लापुर, इलाहाबाद की 30-3-2013 को नृशंस हत्या कर दिये जाने से परिवार पर आर्थिक संकट में शासन द्वारा अनु0 जाति के परिवार को अधिकतम अनुदान 05 लाख रुपये दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, इलाहाबाद को सम्बोधित-पत्र दिनांकित 2-5-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

प्रकरण में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत न होने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद के कार्यालय से अनुदान हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिस कारण सम्बन्धित को अनुदान दिया जाना संभव नहीं हो सका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/विशेष जांच प्रकोष्ठ इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया है। सभी आरोपी/अभियुक्त अनुसूचित जाति के हैं। प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, इलाहाबाद को सम्बोधित पत्र दिनांक 02-05-2013 न तो विशेष जांच प्रकोष्ठ इलाहाबाद में प्राप्त हुआ और न ही जिला समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद के कार्यालय में।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के जनेश्वर मिश्र समग्र ग्राम्य विकास योजना में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन की स्वीकृति के पत्र

170-श्री बजरंग बहादुर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में जनेश्वर मिश्र समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत मण्डी परिषद् से ग्राम सभा कम्हरिया बुजुर्ग, ग्राम

सभा पिपरा, तहसीलदार ग्राम सभा सोहाबाद, ग्राम सभा करमहा एवं ग्राम सभा परासखाड़ में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के अनुरोध-पत्र संख्या-ख-5/078481, दिनांक 5-12-2012 के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/पी0जी0-10186333/2012, दिनांक 19-12-2012, निदेशक, मण्डी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

तत्समय मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद् से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

महराजगंज के फरेन्दा तहसील में विगत वर्ष हुए भीषण आग में हजारों किसानों के नुकसान का मुआवजा

171-श्री बजरंग बहादुर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के फरेन्दा तहसील में विगत 13-14 अप्रैल, 2013 को भीषण आग में हजारों एकड़ फसल नष्ट हो जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसान हित को देखते हुए फसल का मुआवजा/नुकसान किसानों को दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

खलिहान, अग्नि, दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत तहसील फरेन्दा के 315 किसानों को रु0 6,22,728/-की धनराशि सहायता के रूप में दी गई है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला खीरी में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान

172-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में 15 जून, 2013 से 31 जुलाई, 2013 तक बाढ़ राहत के रूप में कितनी धनराशि खर्च की गयी एवं कितने बाढ़ पीड़ितों का भुगतान अवशेष है ? क्या सरकार शेष बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जिला खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में 15 जून, 2013 से 31 जुलाई, 2013 तक बाढ़ राहत के रूप में कुल 4,089 लाभार्थियों को रु0 45,06,938/-की धनराशि खर्च की गयी है।

जिन कृषकों की फसलों की क्षति हुई है तथा भूमि नदियों के द्वारा काट दी गई है। उसका सर्वे क्षेत्रीय लेखपालों से कराया जा रहा है। सर्वे के उपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के

अनुसार बाढ़/कटान से प्रभावितों को कृषि निवेश एवं भूमि कटान की सहायता राशि का वितरण शीघ्र कर दिया जायेगा।

जी हां।

सर्वे के उपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार बाढ़/कटान से प्रभावितों को कृषि निवेश एवं भूमि कटान की सहायता राशि का वितरण शीघ्र कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

173-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर में शारदा नदी बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाने का मुआवजा

174-श्री रामहेत भारती-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा में शारदा नदी में बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण आई बाढ़ से ग्राम बेलवा डिंगुरा, भदफर, चंदवासोन टिकौना, मंझरी, घुसियाना, तेजवापुर, पदीदहेली, खनियापुर कुसेया, गदियाना, रतौली, सोनहरी, मुसियाना, खालेपुरवा, सैतियापुर, मुगलपुर, खैरीपदी, चटेला, बरेला शाहपुर शेखनापुर, दोनवा महसी जल्लापुर आदि गांवों के किसानों की फसल बर्बाद होने पर मुआवजा दिये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-5052, दिनांक 27-6-2013 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत ग्रामों के फसल क्षति का आंकलन जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा कराया गया जिसके अनुसार फसलों की क्षति 25 प्रतिशत तक हुई है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार फसल की क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

हमीरपुर के कुरारा ब्लाक के टोडरपुर से उदनपुर तक के क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग

175-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के कुरारा ब्लाक के टोडरपुर से उदनपुर तक रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

समय अन्तराल के कारण प्रश्नगत सड़क मरम्मत योग्य है, किन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक विकास कार्यों की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मरम्मत हेतु विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली तहसील मीरगंज में डा0 राममनोहर लोहिया ग्राम घोषित करने सम्बन्धी पत्र

176-श्री सुल्तान बेग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या-पी0जी0-10034089, पत्र संख्या-सी0एम0/ वि0को0/एम0पी0जी0-10034089/2012, दिनांक 13-5-2012, जो तहसील मीरगंज, जनपद बरेली में डा0 राममनोहर लोहिया ग्राम घोषित करने सम्बन्धी है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

तत्समय मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद् से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों श्री बदन सिंह यादव, श्री दुलारे लाल, श्री रामफेर कोरी, श्री बब्बन सिंह, श्री हरदयाल सिंह, श्री जमुना प्रसाद, श्री शुकरू लाल, श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय, श्री पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री राम सरन सिंह, श्री पहलवान, श्री गुलाम मोहम्मद खान, श्री रमेश चन्द्र, श्री महेन्द्र पाल सिंह, श्री राम स्वरूप निम, श्री केदार सिंह, श्री देवी प्रसाद, श्री राम हर्ष राय, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, डा0 राम सिंह, श्री राम रेखा यादव, श्री हरशरन सिंह, श्री मंगल प्रसाद आर्य, श्री मुन्नू सिंह, श्री गन्धर्व सिंह भदौरिया, श्री भगौती प्रसाद, श्री श्याम देव, श्री रमेश बहादुर सिंह, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री जगेश्वर, श्री माधव, श्री रती राम, श्री मेड़ी लाल रावत एवं श्री सोहनवीर सिंह तोमर के निधन पर शोकोद्गार

[12.20] श्री अध्यक्ष-

अब मैं निधन के निर्देश ले रहा हूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बदन सिंह यादव का 11 दिसम्बर, 1984 को निधन हो गया। वे लगभग 63 वर्ष के थे। श्री बदन सिंह यादव का जन्म वर्ष 1921 में ग्राम रेवाड़ी, जिला एटा में हुआ था। श्री बदन सिंह यादव वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र सकीट, जिला एटा से रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री बदन सिंह यादव ब्लॉक प्रमुख रहे थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे। अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बदन सिंह यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दुलारे लाल का 10 मई, 1988 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष के थे। श्री दुलारे लाल का जन्म वर्ष 1920 में ग्राम दऊ जिला उन्नाव में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री दुलारे लाल वर्ष 1969 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र पुरवा (अ0जा0), जिला उन्नाव से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री दुलारे

लाल जिला कॉग्रेस कमेटी, उन्नाव के सदस्य तथा क्रिमिनल ट्राइब्स आर्गेनाइजर रहे थे। वे साधन सहकारी समिति, असावर के अध्यक्ष भी रहे थे। श्री दुलारे लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामफेर कोरी का 25 अप्रैल, 1991 को निधन हो गया। वे लगभग 45 वर्ष के थे। श्री रामफेर कोरी का जन्म 20 अप्रैल, 1946 को हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी। श्री रामफेर कोरी वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र जगदीशपुर (अ0जा0), जिला सुल्तानपुर से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रामफेर कोरी अपने जिले की जनसंघ कमेटी से जुड़े रहे थे। सत्संग एवं कृषि में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रामफेर कोरी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बब्बन सिंह का 7 मार्च, 1992 को निधन हो गया। श्री बब्बन सिंह वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र सीयर, जिला बलिया से निर्दलीय तथा वर्ष 1980 में कॉग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री बब्बन सिंह एक कर्मठ सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बब्बन सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरदयाल सिंह का 21 नवम्बर, 1999 को निधन हो गया। श्री हरदयाल सिंह ने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरदयाल सिंह वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री हरदयाल सिंह एक कर्मठ सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाजसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हरदयाल सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जमुना प्रसाद का 07 अप्रैल, 2001 को निधन हो गया। वे लगभग 54 वर्ष के थे। श्री जमुना प्रसाद का जन्म 01 जनवरी, 1947 को हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जमुना प्रसाद वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर (अ0जा0), जिला बाराबंकी से जनता (एस0) चरण सिंह पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री जमुना प्रसाद राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप अनेक बार जेल जा चुके थे। मानव जाति का कल्याण, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों के भ्रमण तथा अध्ययन उन्हें प्रिय था। राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जमुना प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शुकरू लाल का 14 नवम्बर, 2003 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री शुकरू लाल का जन्म वर्ष 1927 में ग्राम भटखेरा, जिला हरदोई में हुआ था। उन्होंने एच0टी0सी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शुकरू लाल वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र बेनीगंज (अ0जा0), जिला हरदोई से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री शुकरू लाल जिला परिषद् के सदस्य रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष

रुचि थी तथा अपने क्षेत्र के विकास के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहते थे। श्री शुकरू लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय का 29 अगस्त, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय का जन्म वर्ष 1933 को ग्राम टीकुर, जिला बस्ती में हुआ था। उन्होंने बी0एस0सी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र नौगढ़, तत्कालीन जिला बस्ती से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय गोरक्षा आंदोलन से जुड़े रहे। समाज सेवा एवं भ्रमण में उनकी रुचि थी। श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री पशुपतिनाथ मेहरोत्रा का 29 जनवरी, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे। श्री पशुपतिनाथ मेहरोत्रा का जन्म 6 अक्टूबर, 1922 को कानपुर में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री पशुपतिनाथ मेहरोत्रा वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र कैन्टूनमेंट, जिला कानपुर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री पशुपतिनाथ मेहरोत्रा ने पार्टी द्वारा संचालित आन्दोलनों में भाग लिया था तथा कारागार में बन्दी भी रहे थे। वे नगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे। वे कई सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे थे। सामाजिक कार्य, शिक्षा, राजनीति, भ्रमण और अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री पशुपतिनाथ मेहरोत्रा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। .....

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम सरन सिंह का 10 जुलाई, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष के थे।

श्री राम सरन सिंह का जन्म नवम्बर, 1942 में ग्राम नगला अनी, जिला अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम सरन सिंह वर्ष 1967 में जनसंघ से, वर्ष 1977 में जनता पार्टी तथा वर्ष 1989 एवं 1991 में जनता दल से निर्वाचन क्षेत्र हाथरस, तत्कालीन जिला अलीगढ़ से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम सरन सिंह जी0एस0ए0एस0 इण्टर कालेज, मुरसान के प्रबन्धक, अभिभावक संघ के अध्यक्ष तथा जूनियर हाईस्कूल, बरद्वारी के प्रबन्धक रहे थे। कृषि कार्य, अध्ययन तथा समाज सेवा में उनकी विशेष रूचि थी तथा खेलकूद उन्हें प्रिय था। श्री राम सरन सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री पहलवान का 17 नवम्बर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 60 वर्ष के थे।

श्री पहलवान का जन्म 18 सितम्बर, 1952 को ग्राम कुम्भ, जिला जौनपुर में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री पहलवान वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र शाहगंज (अ0जा0) जिला जौनपुर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री पहलवान दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता रहे थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव

प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री पहलवान के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गुलाम मोहम्मद खान का 23 दिसम्बर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 69 वर्ष के थे। श्री गुलाम मोहम्मद खान का जन्म 01 जनवरी, 1943 को ग्राम कसमढ़ा, जिला बहराइच में हुआ था। उन्होंने बी0एस0सी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गुलाम मोहम्मद खान वर्ष 2007 में निर्वाचन क्षेत्र कैसरगंज, जिला बहराइच से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री गुलाम मोहम्मद खान जरवल ब्लाक के ब्लाक प्रमुख, न्याय पंचायत के सरपंच, जिला पंचायत के सदस्य, गन्ना समिति, जरवल रोड के उपाध्यक्ष, गन्ना विकास परिषद्, जरवल रोड और साधन सहकारी समिति, खासेपुर के अध्यक्ष रहे थे। सामाजिक कार्य में उनकी विशेष रुचि थी। श्री गुलाम मोहम्मद खान के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रमेश चन्द्र का 27 मार्च, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे। श्री रमेश चन्द्र का जन्म वर्ष 1938 में हुआ था। श्री रमेश चन्द्र वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र मानिकपुर (अ0जा0), जिला बांदा से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री रमेश चन्द्र आपातकाल के दौरान जिला कारागार, बांदा तथा जिला कारागार, महोबा में बंदी रहे थे। वे मण्डी समिति, अतर्रा तथा नगर पालिका परिषद्, अतर्रा के अध्यक्ष भी रहे थे। खेलकूद तथा लोकगीत गायन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रमेश चन्द्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री महेन्द्र पाल सिंह का 27 मार्च, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 89 वर्ष के थे। श्री महेन्द्र पाल सिंह का जन्म 22 मार्च, 1924 को ग्राम शादीपुर, जिला बिजनौर में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री महेन्द्र पाल सिंह वर्ष 1991 तथा 1993 में निर्वाचन क्षेत्र बिजनौर, जिला बिजनौर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री महेन्द्र पाल सिंह वर्ष 1993 में राजनीतिक आन्दोलन में जिला कारागार, बिजनौर में बंदी रहे थे। वे ग्राम प्रधान तथा ब्लाक प्रमुख रह चुके थे तथा जिला कोआपरेटिव के चेयरमैन भी रहे। कृषि में उनकी विशेष रुचि थी। श्री महेन्द्र पाल सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम स्वरूप निम का 30 मार्च, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री राम स्वरूप निम का जन्म 01 जनवरी, 1940 को जिला मथुरा में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम स्वरूप निम वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र नागल (अ0जा0), जिला सहारनपुर से जनता (एस0) चरण सिंह पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम स्वरूप निम वर्ष 1980 में धारा-144 के अन्तर्गत बंदी रहे थे। वे ग्राम सुधार सेवा मण्डल, ऊधई, परिवार नियोजन कर्मचारी संघ, परिवार कल्याण कर्मचारी संयुक्त परिषद् तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के अध्यक्ष एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् की कार्यकारिणी के सदस्य रहे थे। सामाजिक एवं आर्थिक एकरूपता लाने के लिये वे

सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री राम स्वरूप निम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री केदार सिंह का 08 मई, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे। श्री केदार सिंह का जन्म 06 जुलाई, 1942 को हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री केदार सिंह वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र घोसी, तत्कालीन जिला आजमगढ़ से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री केदार सिंह विभिन्न आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप कई बार जेल जा चुके थे। उन्होंने अपने जिले में जूनियर हाईस्कूल की स्थापना की तथा उसके उपाध्यक्ष भी रहे थे। श्री केदार सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री देवी प्रसाद का 09 मई, 2013 को निधन हो गया वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री देवी प्रसाद का जन्म 1 जुलाई, 1933 को हुआ था उन्होने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री देवी प्रसाद वर्ष 1980 में कांग्रेस (आई) तथा 1989 में जनता दल के टिकट पर विधान सभा क्षेत्र चर्दा (अ0जा0), जिला बहराइच से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री देवी प्रसाद जिला कांग्रेस कमेटी तथा जिला परिषद् के सदस्य एवं ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। वे श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रि-मण्डल में उपमंत्री रहे थे । कृषि एवं राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। श्री देवी प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम हर्ष राय का 11 मई, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री राम हर्ष राय का जन्म 2 जून, 1929 को गाजीपुर में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं बी0एड0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम हर्ष राय वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र दिलदार नगर, जिला गाजीपुर से कांग्रेस (अर्स) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम हर्ष राय भारत सेवक समाज के सदस्य तथा सुहवल इण्टर कालेज में प्रवक्ता रहे थे। जनता की सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा खेलकूद भी उन्हें प्रिय था। श्री राम हर्ष राय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि का 23 मई, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 55 वर्ष के थे। श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि का जन्म 1 जुलाई, 1958 को मुहल्ला दरीबा, मैनपुरी में हुआ था । उन्होने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि सर्वप्रथम वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र किशनी, जिला मैनपुरी से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1991 में जनता पार्टी तथा 1933 एवं 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र किशनी (अ0जा0) जिला मैनपुरी से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि वर्ष 1975-76 में आपातकाल में डी0आई0आर0 व मीसा के अन्तर्गत तथा वर्ष 1981 एवं 1993 में विभिन्न आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप बन्दी रहे थे। वे 1989-91 में बिक्रीकर व खेलकूद की समितियों के सदस्य रहे थे। श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि उत्तर प्रदेश बाल्मीकि प्रोग्रेस सोसायटी युवा जन कल्याण समिति मैनपुरी जिला बाल्मीकि समाज विकास परिषद्, मैनपुरी तथा उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष तथा समाजवादी पार्टी के

प्रदेशीय महासचिव रहे थे। जनता की सेवा तथा जनहित के कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डा0 राम सिंह का 24 मई, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। डा0 राम सिंह का जन्म 1 जनवरी 1935 को ग्राम इटौरा, जिला हमीरपुर में हुआ था। उन्होंने आयुर्वेद में ए0एम0बी0एस0की शिक्षा ग्रहण की थी। डा0 राम सिंह वर्ष 1987 के उप चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) के टिकट पर तथा 1991 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र राठ, जिला हमीरपुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

डा0 राम सिंह उज्जैन तथा बोलियार में शासकीय चिकित्सक रहे थे। वे ब्रह्मानन्द विद्यालय, राठ के उपाध्यक्ष, ब्रह्मानन्द कृषि महाविद्यालय के सचिव तथा कई शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे थे। वे वर्ष 1978 में धारा 144 के अन्तर्गत जिला कारागार, हमीरपुर में बन्दी रहे थे। चिकित्सा एवं राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी तथा अध्ययन उन्हें प्रिय था। डा0 राम सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम रेखा यादव का 2 जून, 2013 को निधन हो गया वे लगभग 77 वर्ष के थे। श्री राम रेखा यादव का जन्म सितम्बर, 1936 में हुआ था। श्री राम रेखा यादव वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र नौगढ़ तत्कालीन जिला बस्ती से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम रेखा यादव जिला जनसंघ के मंडल मंत्री रहे थे। कृषि एवं उद्योग में उनकी रुचि थी तथा खेलकूद उन्हें प्रिय था। श्री रामरेखा यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरशरन सिंह का 4 जून, 2013 को निधन हो गया। श्री हरशरन सिंह का जन्म ग्राम इकला रसूलपुर तहसील मवाना, जिला मेरठ में हुआ था उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरशरन सिंह वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र हस्तिनापुर (अ0जा0) जिला मेरठ से कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री हरशरन सिंह एक कर्मठ सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हरशरन सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मंगल प्रसाद आर्य का 9 जून, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री मंगल प्रसाद आर्य का जन्म वर्ष 1934 में ग्राम लखनपुर, जिला बहराइच में हुआ था। श्री मंगल प्रसाद आर्य वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र इकौना, जिला बहराइच से स्वतंत्र पार्टी के सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री मंगल प्रसाद आर्य एक कर्मठ, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा एवं अध्ययन में उनकी रुचि थी। श्री मंगल प्रसाद आर्य के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मुन्नू सिंह का 18 जून, 2013 को निधन हो गया। श्री मुन्नू सिंह वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र भिनगा, तत्कालीन जिला बहराइच से स्वतंत्र पार्टी के

टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री मुन्नू सिंह एक कर्मठ राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिये प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रूचि थी। श्री मुन्नू सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गन्धर्व सिंह भदौरिया का 26 जून, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री गन्धर्व सिंह भदौरिया ने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गन्धर्व सिंह भदौरिया वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र घिरोर, जिला मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री गन्धर्व सिंह भदौरिया धारा-151 के अन्तर्गत जिला कारागार, मथुरा में बन्दी रहे थे। वे जनता परिवहन संघ तथा टाउन एरिया कमेटी, घिरोर के अध्यक्ष रहे थे। वे भारतीय जनता पार्टी, मैनपुरी के जिलाध्यक्ष तथा नगर पंचायत, घिरोर के चेयरमैन भी रहे थे। राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। श्री गन्धर्व सिंह भदौरिया के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगौती प्रसाद का 9 जुलाई, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे। श्री भगौती प्रसाद का जन्म ग्राम भदारा, तत्कालीन जिला बहराइच में हुआ था। श्री भगौती प्रसाद वर्ष 1967 एवं 1969 में निर्वाचन क्षेत्र इकौना (अ0जा0), तत्कालीन जिला बहराइच से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री भगौती प्रसाद एक कर्मठ सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री भगौती प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्याम देव का 11 जुलाई, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री श्याम देव का जन्म 30 जनवरी, 1940 को ग्राम सेमरा, तत्कालीन जिला वाराणसी में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एलएल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री श्याम देव वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र चकिया (अ0जा0), तत्कालीन जिला वाराणसी से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री श्याम देव जनसंघ के जिला मंत्री एवं अध्यक्ष रहे थे। वे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति मोर्चे के संयोजक भी रहे थे। दलित व दुर्बल वर्ग के उत्थान में उनकी विशेष रुचि थी। अध्यापन एवं अध्ययन उन्हें प्रिय था। श्री श्याम देव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रमेश बहादुर सिंह का 15 जुलाई, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री रमेश बहादुर सिंह का जन्म ग्राम बहुचरा, जिला प्रतापगढ़ में हुआ था। श्री रमेश बहादुर सिंह वर्ष 1991 तथा वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र गड़वारा, जिला प्रतापगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री रमेश बहादुर सिंह एक कर्मठ सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रमेश बहादुर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शिवपाल सिंह यादव का 17 जुलाई, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री शिवपाल सिंह यादव का जन्म 15 अप्रैल, 1939 को

ग्राम इस्माईलपुर, जिला बुलन्दशहर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शिवपाल सिंह यादव सर्वप्रथम वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र बिछिया, जिला उन्नाव से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात वे वर्ष 1974 में भारतीय क्रान्ति दल, वर्ष 1980 में जनता (एस0) चरण सिंह तथा वर्ष 1991 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र उन्नाव, जिला उन्नाव से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री शिवपाल सिंह यादव वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान मीसा के अन्तर्गत जिला कारागार, उन्नाव में बन्दी रहे थे। वे महाशिव समिति, उन्नाव के संरक्षक भी रहे थे। कृषि एवं ग्राम्य विकास के कार्यों में उनकी विशेष रूचि थी तथा जनसेवा उन्हें प्रिय थी। श्री शिवपाल सिंह यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सर्वेश कुमार सिंह 'सीपू' का 19 जुलाई, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 34 वर्ष के थे। श्री सर्वेश कुमार सिंह 'सीपू' का जन्म 5 जुलाई, 1979 को ग्राम अमुवारी, जिला आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सर्वेश कुमार सिंह 'सीपू' वर्ष 2007 में निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी, जिला आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री सर्वेश कुमार सिंह 'सीपू' एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सर्वेश कुमार सिंह 'सीपू' के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जागेश्वर का 31 जुलाई, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 89 वर्ष के थे। श्री जागेश्वर का जन्म 01 जनवरी, 1924 को ग्राम लम्हेटा, जिला फतेहपुर में हुआ था। उन्होंने जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जागेश्वर सर्वप्रथम वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र किशनपुर, जिला फतेहपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1974 में कांग्रेस, वर्ष 1977 में जनता पार्टी तथा वर्ष 1989 एवं 1991 में जनता दल के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र किशुनपुर (अ0जा0), जिला फतेहपुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री जागेश्वर ने अनेक आंदोलनों में भाग लिया जिसके फलस्वरूप वे फतेहपुर कारागार में बन्दी रहे थे। वे सर्वोदय आन्दोलन तथा भूदान आंदोलन से भी जुड़े रहे। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रि-मण्डल में उप मंत्री रहे थे। श्री जागेश्वर उत्तर प्रदेश दलित वर्ग संघ, फतेहपुर तथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति विकास परिषद, फतेहपुर शाखा के अध्यक्ष भी रहे थे। समाज सेवा, लोक संगीत एवं सत्संग में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जागेश्वर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री माधव का 19 अगस्त, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 86 वर्ष के थे। श्री माधव का जन्म 01 जनवरी, 1927 को ग्राम उड़ेसर, जिला फिरोजाबाद में हुआ था। उन्होंने मिडिल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री माधव वर्ष 1977, 1989 तथा 1991 में निर्वाचन क्षेत्र जलेसर (अ0जा0), जिला एटा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री माधव राजनीतिक आन्दोलन में धारा 144 के अन्तर्गत एटा कारागार में बन्दी रहे थे। जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा धार्मिक कथाएं पढ़ना उन्हें प्रिय था। श्री माधव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रती राम का 4 सितम्बर, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 60 वर्ष के थे। श्री रती राम का जन्म 15 दिसम्बर, 1953 को हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रती राम वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद (अ0जा0), जिला बिजनौर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री रती राम वर्ष 1958 में धारा 188 के अन्तर्गत कारावास में बन्दी रहे थे। वे कत्था फैक्ट्री मजदूर ट्रेड यूनियन तथा ब्लाक युवा कांग्रेस, नजीबाबाद के महामन्त्री एवं दलित वर्ग संघ, बिजनौर के सदस्य रहे थे। अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रती राम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मेड़ी लाल रावत का 8 सितम्बर, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 86 वर्ष के थे। श्री मेड़ी लाल रावत का जन्म वर्ष 1927 में हुआ था। श्री मेड़ी लाल रावत वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र सतरिक, जिला बाराबंकी से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री मेड़ी लाल रावत ग्राम समाज के चेयरमैन रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री मेड़ी लाल रावत के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सोहनवीर सिंह तोमर का 16 सितम्बर, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री सोहनवीर सिंह तोमर का जन्म 1 जुलाई, 1931 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0 एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सोहनवीर सिंह तोमर वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र मोदी नगर, जिला गाजियाबाद से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री सोहनवीर सिंह तोमर एक कर्मठ सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। पठन-पाठन एवं राजनीतिक चर्चा में उनकी विशेष रुचि थी। कृषि तथा शिक्षा के कार्य उन्हें प्रिय थे।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

आज भूतपूर्व मा0 सदस्यों के निधन से पूरा सदन शोकाकुल है मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवार को इस महान दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाओं को उनके परिवारों तक पहुंचा दूंगा।

अब हम दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

(2 मिनट मौन रखने के बाद सभी मा0 सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण किया)

श्री अध्यक्ष-

एक और शोक-संवेदना है, राज्यपाल जी की है, उस पर नेता लोग बोलेंगे।

[12.45] निधन के निदेश के समय सदन में गम्भीरता बनाये रखने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सलिल विश्नोई-

अध्यक्ष जी मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आप अभी निधन के निदेश पढ़ रहे थे, पूरी सरकार या तो ठहाके लगा रही थी, कुछ लोग तो आपकी पीठ की तरफ पीठ किए हुए थे। इसलिए मान्यवर, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइये कि जब सदन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित कर रहा हो तो कम से कम उस समय हम लोग संजीदगी रखें, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

[12.46] उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री रोमेश भण्डारी कि निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

यह शोक-संवेदना रोमेश भण्डारी जी की है, मा0 मुख्य मंत्री जी इस पर बोलेंगे ? उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री रोमेश भण्डारी जी का निधन हो गया था, उनके प्रति भी शोक-संवेदना व्यक्त करनी है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, रोमेश भण्डारी जी के निधन से यूं तो पूरे राष्ट्र का और राजनीति में काम करने वालों का नुकसान है लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की हैसियत में जितने भी दिन वह यहां रहे, उन्होंने बड़े निष्पक्ष भाव से, क्योंकि वह अपने मिजाज से बहुत सरल थे और कहा जा सकता है कि राज्यपालों की उस सूची में उनका नाम आता है, जिन्हें पढ़ा-लिखा व्यक्ति कहा जा सकता है और बहुत पढ़े-लिखे, बहुत सूझबूझ वाले और सबको साथ लेकर चलने का भाव रखने वाले, रोमेश भण्डारी जी बहुत बाजौक व्यक्ति, हर महफिल में खप जाने वाले, कवि हैं तो कवियों के साथ, शायर हैं तो उनके साथ, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ, जवानों के साथ जवान, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग, बड़ी अजीब सी शख्सियत के मालिक थे और उन्होंने अधिकारी होते हुए भी और राजनैतिक होते हुए भी अपनी एक खास छाप छोड़ी है। उनके निधन से बहुत नुकसान हुआ है और यह एक अपूर्णनीय क्षति है। हम अपनी संवेदनाएं आपके माध्यम से चाहेंगे कि उनके परिवार तक भेजने का कष्ट करें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व में महामहिम राज्यपाल के पद पर सुशोभित रहे श्री रोमेश भण्डारी जी के सम्बन्ध में अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो शोक संवेदना व्यक्त की है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए, मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि वह आज हमारे बीच में नहीं हैं, स्वाभाविक रूप से यह बड़ी क्षति है, अपूर्णनीय क्षति है क्योंकि वह केवल राजनयिक ही नहीं थे, राजनैतिक विद्वता भी उनके अन्दर थी और उसी के चलते काफी दिनों तक भारतीय वाणिज्य दूतावास में रहने के बाद उनके अनुभवों को देखते हुए कई प्रदेशों में महामहिम राज्यपाल जी के पद पर सुशोभित हुए। दिल्ली के उप राज्यपाल रहे, त्रिपुरा एवं गोवा के भी राज्यपाल रहे, उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल रहे और इत्तिफाक से जब मैं उत्तर प्रदेश सरकार में पहली बार मंत्री बना तो हमें शपथ भी श्री रोमेश भण्डारी जी द्वारा,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तत्कालीन राज्यपाल द्वारा कराई गई थी। तो मान्यवर, वह स्वभाव से सरल थे, कामों में दक्ष थे और साथ ही साथ अपने निर्णयों के प्रति कठोर भी थे। इसलिए ऐसे विद्वान, राजनयिक, राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में उनकी सारी की सारी यादें हमारे मानस पटल पर सदैव रहेंगी। मैं अपनी ओर से, पूरे विपक्ष की ओर से और बहुजन समाज पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं और साथ ही मान्यवर, आपसे अनुरोध करते हूं कि हमारी इस शोक-संवेदना को उनके परिवारीजनों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अभी जो शोक संवेदना श्री रोमेश भण्डारी जी के लिए मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ने व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने आपको संबद्ध करता हूं। रोमेश भण्डारी जी एक दृढ़निश्चयी व्यक्ति थे और जहां तक मुझे याद है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय वह इस प्रदेश के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति शासन के समय एक राज्यपाल के रूप में जो एक प्रदेश की कमान संभाल रहा हो उस समय उसकी जिम्मेदारी अधिक हो जाती है और उस जिम्मेदारी को किस दक्षता के साथ उन्होंने निर्वहन किया था यह हम सब लोगों को पता है। उनके न रहने से देश ने एक महत्वपूर्ण राजनेता खोया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से उनके प्रति शोक संवेदनायें व्यक्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी संवेदना अपनी तरफ से उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, श्री रोमेश भण्डारी जी के निधन पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष और नेता भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी शोक संवेदना व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं। मान्यवर, रोमेश भण्डारी जी इंडियन फारेन सर्विसेस से सेलेक्ट होकर वह सेक्रेटरी फारेन अफेयर्स बने और उसके बाद उन्होंने कई प्रदेशों के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। वह बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे उनको बहुत ज्ञान था। वह जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे तो उनकी दक्षता उनके निर्णय पूरे प्रदेश को याद रहेंगे। वह बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और जिस तरह से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वह हर माहौल में खप जाने वाले व्यक्ति थे। आज वह हमारे बीच में नहीं है। मैं और हमारा दल उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता है। उनके निधन पर हम सब दुखी हैं। हमारे दल की संवेदनायें उनके परिवार तक आप कृपया पहुंचवाने का कष्ट करें।

*श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको नेता प्रतिपक्ष, नेता भाजपा और नेता कांग्रेस से संबद्ध करते हुए अपनी तरफ से अपने दल की तरफ से आपके माध्यम से शोक संवेदना भेजता हूं। भण्डारी साहब के समय में जब राष्ट्रपति शासन था मुझे उनसे कई बार विभिन्न समस्याओं पर मिलने का मौका मिला। वह बहुत विद्वान और पढ़े लिखे तो थे ही साथ ही साथ उनमें प्रशासनिक क्वालिटी भी थी। उस समय लगभग एक वर्ष राष्ट्रपति शासन प्रदेश में रहा था। कई ऐसी ज्वलंत समस्याओं को हम लोगों के बीच में बैठकर उन्होंने निस्तारित किया और सब समस्याओं को बहुत करीब से समझा। आज

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम सबको बहुत दुख है कि आज वह हमारे आपके बीच से चले गये हैं। मैं अपनी और अपने दल की तरफ से उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। आप कृपया हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक भिजवाने का कष्ट करें।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे श्री रोमेश भण्डारी जी से कभी मिलने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ लेकिन आज उनके बारे में मैंने मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के, मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता भाजपा, मा0 नेता कांग्रेस और मा0 नेता राष्ट्रीय लोक दल सभी के मुख से जो बातें सुनी उसे सुनकर यही कह सकती हूं कि उनका राजनीतिक पटल पर एक बहुत बड़ा कद था और निश्चित रूप से उनके निधन पर आज पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति हुयी है। इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों के राज्यपाल और उप राज्यपाल के सम्मानित पद को सुशोभित किया और पूरे दृढ़निश्चय के साथ अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए एक उदाहरण के रूप में अपने आपको सबके समक्ष पेश किया। इस संकट की घड़ी में अपना दल उनके परिवार के साथ है। उनके परिवार को अपनी संवेदनायें भेजती हूं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनके परिवार को इस कठिन समय में पूरी ताकत, पूरी शक्ति प्रदान करे और पूरे सदन की तरफ से उनको बहुत-बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री रोमेश भण्डारी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदना मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए 02 मिनट का मौन धारण करते हैं।

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

कृपया अब स्थान ग्रहण करें।

माह जून, 2013 में उत्तराखण्ड में हुई त्रासदी के सम्बन्ध में शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तराखण्ड में हुई त्रासदी से सम्बन्धित शोक प्रस्ताव रखें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड में हुई त्रासदी के सम्बन्ध में शोक संवेदना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

माह जून, 2013 में उत्तराखण्ड में आई भीषण प्राकृतिक आपदा में भू-स्खलन के फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और लाखों लोग बेघर हो गये हैं। इस प्रकार वृहद स्तर पर जन-धन की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं आपके माध्यम से इस सदन की ओर से सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड में हुई त्रासदी सम्बन्धित प्रस्तुत किया गया शोक प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। अब हम दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए 02 मिनट का मौन धारण करते हैं।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर 02 मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया अब आप सब स्थान ग्रहण करें।

[12.58] मुजफ्फरनगर में दगें में मारे गये लोगों के प्रति सरकार की ओर से शोक संवेदना प्रस्ताव लाने का अनुरोध

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा और यह मेरी मांग भी है कि जनपद मुजफ्फरनगर में घटित घटना में जो लोग मारे गये हैं, उनके सम्बन्ध में भी शोक संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए और 02 मिनट का मौन धारण किया जाना चाहिए।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी यही मांग है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल यह प्रस्ताव रखा था, अगर नेता विरोधी दल और नेता सदन.....

श्री अध्यक्ष-

देखिये, इस सम्बन्ध में नेता सदन और नेता विरोधी दल दोनों मिलकर बैठ कर बात कर लेंगे, अभी कल भी सदन है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं यही अनुरोध कर रहा हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस समय शोक संवेदना व्यक्त की जा रही हैं, तो हम अनुरोध करते हैं, मुजफ्फरनगर में जो लोग मरे हैं, उनके सम्बन्ध में भी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सर्वसम्मति से प्रस्ताव रख दें और 02 मिनट के लिए हम लोग भी शोक संवेदना व्यक्त कर दें ।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मान्यवर, इसमें जो लोग मरे हैं, उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त की जाय और एक अपील भी सदन करे, उत्तर प्रदेश की विधान सभा एक अपील भी करे कि वहां पर शान्ति स्थापित हो। यह दोनों प्रस्ताव मान्यवर, शोक संवेदना और वहां शान्ति

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थापना की अपील, दोनों का प्रस्ताव मान्यवर अगर कल आ जाय या आज दिन में किसी समय आ जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब यह नेता सदन और नेता विरोधी दल पर डिपेण्ड करता है, निर्भर करता है, जैसा भी हो, आपस में बात कर के तय कर लें, अगर तय हो जायेगा तो कल भी सदन है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, नियमावली के नियम-70 में प्राविधान है, आप देख लें कि कोई सदस्य ला सकता है।

श्री अध्यक्ष-

आज कार्य-मंत्रणा में इस पर विचार हो जायेगा, तो बात करेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

ठीक है, मान्यवर कल कर लीजिए। विधिवत कर लीजिए, नियमों में प्राविधान है।

[1.00] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19-09-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 58 सूचनायें प्राप्त हुईं। अब 58 में 15 ही लेना है, आप 45 लोग तो दिक्कत महसूस करेंगे।

पहली सूचना श्री राघव लखनपाल शर्मा की जनपद सहारनपुर की तहसील रामपुर मनिहारन के ग्राम शेरपुर में ग्राम सभा के सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी महानगर में व्याप्त भीषण पेयजल संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्रीमती बिमला सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में वैर हिरनौटी सम्पर्क मार्ग के अवशेष 1.5 कि0मी0 भाग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी (अनुपस्थित)।

पांचवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में अवैध कब्जे हटाये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की वाराणसी नगर के कतिपय मोहल्लों में व्याप्त पेयजल संकट के निराकरण हेतु हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री दलजीत सिंह की जनपद बांदा में बाढ़ पीड़ितों को दैवीय आपदा राहत न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज-मुहम्मदपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना श्री ललितेशपति त्रिपाठी की जनपद मिर्जापुर के बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की जनपद आगरा की विभिन्न जर्जर सड़कों की मरम्मत व लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री राम मगन रावत की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ अन्तर्गत कस्बा कोठी में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरी घाट एवं फतेहपुर मंड़ाव को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री मदन चौहान की गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका क्षेत्र में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई जल निगम के द्वारा कराये गये सीवेज व वाटर ट्रीटमेण्ट कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में विद्युत समस्या का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ला की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर स्थित महाराजा पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वाणिज्य की कक्षायें प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में है।

सोलहवीं सूचना श्री ओम कुमार की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत गागैन नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

1. श्री गेंदालाल चौधरी,
2. श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,
3. श्रीमती कृष्णा पासवान,
4. श्री मुकुट बिहारी वर्मा,
5. श्री धर्मपाल सिंह,
6. श्री केशव प्रसाद मौर्य,
7. श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,
8. श्री सुरेश कुमार खन्ना,
9. श्री साध्वी निरंजन ज्योति,
10. श्री उमाशंकर सिंह,
11. श्री पंकज मलिक,
12. श्रीमती रूबी प्रसाद,
13. श्री प्रदीप चौधरी,
14. पं0 सुदेश शर्मा,
15. डा0 रीता बहुगुणा जोशी,
17. श्री राकेश बाबू,
18. श्री अब्दुल मशहूद खां,

19. श्री विजय कुमार पासवान,
20. श्री सुल्तान बेग,
21. पं0 अमर पाल शर्मा,
22. श्री छोटे लाल वर्मा,
23. श्री चन्द्रभान सिंह पटेल,
24. श्री जगपाल सिंह,
25. डा0 धर्मसिंह सैनी,
26. श्री बब्बन सिंह चौहान,
27. श्री मुकेश श्रीवास्तव,
28. श्री संजय प्रताप जायसवाल,
29. श्री सुधीर कुमार,
30. श्री जियाउद्दीन रिजवी,
31. श्री भीम प्रसाद सोनकर,
32. श्री बंशी सिंह पहाड़िया,
33. डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,
34. डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,
35. श्री राजेश त्रिपाठी,
36. श्री बाला प्रसाद अवस्थी,
37. श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,
38. श्री आशीष कुमार यादव,
39. श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,
40. श्री सन्तराम कुशवाहा,
41. श्री सतीश महाना तथा
42. श्री भगवान सिंह कुशवाहा।

[01.05] नियमों को शिथिल करते हुए नियम-301 की सभी सूचनाओं को लिए जाने का अनुरोध

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, आप अपनी कृपा से शिथिलता प्रदान कर दें।

श्री अध्यक्ष-

एक सीमा द्विवेदी नहीं है, उन्हीं की जगह पर जिसको कहिये, उसकी ले लें। अच्छा वाजपेई जी, आपका 301 की सूचना है। आपका ले ले रहा हूं सीमा द्विवेदी की जगह पर।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह चार दिन का अल्प सदन है और सभी मा0 सदस्यों के समक्ष अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाये जाने का विषय है। आप कृपा करके यदि इस बार इस 15 की संख्या को शिथिलता दे दें और जैसा अन्तिम दिन आप करते हैं कि जितनी सूचना प्राप्त हुयीं, सब स्वीकार हो गयीं तो मेरा निवेदन है कि दो दिन बाकी हैं तो कृपा करके जो

सूचनायें नियमों में आती हों, संख्या के प्रतिबन्ध को शिथिल करते हुये कृपा करके स्वीकार करने का कष्ट करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

अब आज हो गया, कल देखा जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, कल तो हो ही जायेगा।

श्री सन्तराम कुशवाहा-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में 19 विधायक हैं और एक भी विधायक की सूचना नहीं ली गयी। कम से कम बुन्देलखण्ड से एक-आध विधायक की सूचना तो ले लें।

श्री अध्यक्ष-

अभी कल भी सदन है, दीजिये, सभी दीजियेगा कल।

श्री सन्तराम कुशवाहा-

मा0 अध्यक्ष जी, तीन दिन हो गये सूचना लगाते-लगाते, अभी तक नहीं ली गयी।

श्री अध्यक्ष-

विषय की महत्ता को देखा जाता है, क्षेत्र नहीं देखा जाता है।

श्री सन्तराम कुशवाहा-

मान्यवर, हमारे यहां माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 16 लोगों की मृत्यु हो गयी है बाढ़ आ गयी थी। हमारे यहां नरीगांव ब्लाक है उसमें ब्यौना गांव है। उसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की दबकर मृत्यु हो गयी। उसमें दो लोगों को ही सहायता राशि दी गयी है। पूरे क्षेत्र में 80 प्रतिशत लोग प्रभावित रहे और 15 दिनों तक पानी में रहे । सड़कें खराब हो गयी हैं। मैंने इसे 301 में भी दिया है उसे आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आपने 301 में दिया है ?

(स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद सहारनपुर की तहसील रामपुर मनिहारन के ग्राम शेरपुर में ग्राम सभा के सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राघव लखनपाल शर्मा-

[महोदय,

जनपद सहारनपुर की तहसील रामपुर मनिहारन के ग्राम शेरपुर में नरसिंह पुत्र मुसद्दी ने ग्राम सभा के सार्वजनिक रास्ते पर कुछ वर्ष पहले अवैध कब्जा कर लिया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 04-04-2006 को अवैध कब्जा हटवाकर दोषी से जुर्माने के रूप में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4500/- रुपये वसूल कर कोषागार में जमा करवाये गये थे। इसके बावजूद उसी व्यक्ति व उसके तीन पुत्रों ने दिसम्बर, 2008 में पुनः उसी स्थान पर अवैध कब्जा कर लिया। ग्राम प्रधान व ग्रामीणों द्वारा दोबारा कब्जा हटवाने के लिए मण्डलायुक्त महोदय व जिलाधिकारी, सहारनपुर को प्रार्थना-पत्र दिया गया। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी को दोषियों के प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही किये जाने के स्पष्ट आदेश दिये गये जिसमें दिनांक 03-05-2011 को उप जिलाधिकारी, रामपुर मनिहारन द्वारा 123बी एफ0आई0आर0 एवं पब्लिक प्रापर्टी डैमेज की कार्यवाही के आदेश पारित किये लेकिन तहसीलदार रामपुर मनिहारन द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। कब्जे की कार्यवाही से ग्रामीणों में अत्यन्त रोष व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार को ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त रास्ते पर पुनः हटवाने के सम्बन्ध में धारा 123 बी की कार्यवाही कराते हुए दोषी नरसिंह पुत्र मुसद्दी व उनके तीन पुत्रों व तहसीलदार रामपुर के विरुद्ध कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

वाराणसी महानगर में व्याप्त भीषण पेयजल संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[महोदय, वाराणसी महानगर में पेयजल की समस्या पिछले कुछ सालों से बहुत गम्भीर है जो निरन्तर बिगड़ती जा रही है। रानीपुर शिवाला, तुलसीपुर विनायका के बाद अब जंगमबाड़ी वार्ड में भी घर के नलों में सीवर का गन्दा पानी आ रहा है। यही नहीं गंगा का कीचड़ युक्त पानी भी नलों में आ रहा हैं। बारम्बार अधिकारियों का ध्यान जनता व पत्रकारों के द्वारा दिलाने के बाद भी इसका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है।

जरूरी है कि स्वच्छ पेयजल हेतु वाराणसी में तत्काल कदम उठाया जायं। दीर्घकालीन योजना न बनाकर गंगा जी के पानी को तत्काल स्वच्छ कर पूर्ति करने हेतु आवश्यक मशीनरी प्रतिष्ठापित करने, टूटे व क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को ठीक करने तथा सीवर लाइन से पेयजल पाइप लाइन में पानी जाने से रोकने हेतु युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जाय।

इस अति संवेदनीय विषय को जो जनता के जीवन से सीधे जुड़ा है सरकार तत्काल ध्यान दे और इस महानगर को इस भीषण समस्या से छुटकारा दिलाने के लिये आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में बैर हिरनौटी सम्पर्क मार्ग के अवशेष 1.5 कि0मी0 भाग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, मेरी विधान क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत वर्षों पहले वैर रेलवे स्टैशन से हिरनौटी सम्पर्क मार्ग (काली सड़क) का निर्माण कराया गया था, लेकिन उस सम्पर्क मार्ग का निर्माण पूरा नहीं हो पाया तथा हिरनौटी गांव से लगभग 1.5 कि0मी0 पहले तक ही वह सड़क बन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पाई। पिछले वर्ष सरकार द्वारा उस सड़क का पुनर्निर्माण कराया गया लेकिन बचे हुए अवशेष भाग लगभग 1.5 कि0मी0 मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया जिसके कारण हिरनौटी तथा कमलापुर गांव पूर्णरूप से उस सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़ पाये। बरसात के दिनों में उस 1.5 कि0मी0 रास्ते पर चलना अत्यन्त दूभर हो जाता है तथा हिरनौटी तथा कमलापुर गांव के लोग वैर रेलवे स्टेशन की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। यहां यह बताना आवश्यक है कि हिरनौटी पूर्व विधायक स्व0 श्री प्रताप सिंह जी का पैतृक गांव है। जनहित में वैर हिरनौटी सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग 1.5 कि0मी0 मार्ग का निर्माण होना अति आवश्यक है।

लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये आवश्यक कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में अवैध कब्जे हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[महोदय, जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर के अन्तर्गत बारह पत्थर विलसण्डा मार्ग/स्टेशन मार्ग पर सघन अतिक्रमण करके दुकाने, सब्जी बाजार रिक्शा, तांगा स्टैण्ड तथा कारखाने मार्ग पर ही स्थापित कर लिये गये हैं जिससे की आवागमन बाधित है। पूर्व नगर अध्यक्षों ने एक सादे कागज पर पूर्व के तिथियों में किरायेदारी एवं भवन बनाने की अनुमति दी हुई है जिसके आधार पर अवैध कब्जों की भरमार है। राजस्व गांव खमरिया नवदिया की भूमि संख्या 521 से 559 तक तथा राजस्व गांव ग्यासपुर की भूमि संख्या 392 एवं 393 जलप्लावित भूमियों पर भी कब्जा करके निर्माण करा लिया गया है। बीसलपुर परियोजना में बिहारी जी एवं बाला जी ट्रस्ट की भूमियों पर ही नहीं ठाकुर द्वारा गौशाला एवं मन्दिरों की भूमियों पर भी अवैध कब्जे करके निर्माण करा लिया गया है। राजस्व गांव ग्यासपुर की भूमि संख्या 390 पर बसपा कार्यालय तथा कस्बा पट्टी में मीट मार्केट की भूमि पर गैराज बना कर अवैध कब्जा किया गया है परिणामतः सम्पूर्ण नगर में सार्वजनिक धार्मिक एवं शैक्षिक स्थलों पर गौवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं के मांस की दुकानें सक्रंमित हैं। नगरपालिका परिषद् पीलीभीत की चुंगी चौकियों की भूमि, थाने के पास पौड़ भूमि, स्टैशन मार्ग पर पुस्तकालय की भूमि पर भी अवैध कब्जे हैं नगर पालिका परिषद् के भवनों तथा दुकानों पर अनेकों कब्जे हैं।

नगरपालिका परिषद् बीसलपुर में तहसील कार्यालय के सामने ऊपरी मंजिल पर पुस्तकालय एवं वाचनालय का फर्नीचर दुर्लभ चित्र मैट, बिजली के पंखे पुस्तकें एवं अन्य बहुमूल्य सामग्री लूट ली गयी है। पथ प्रकाश एवं सफाई के सम्पूर्ण उपकरण के मूल्यों में कमीशन खोरी कर क्रय तो किये गये लेकिन इस समय प्रचलन में भी नहीं हैं। निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री भी मानक के अनुरूप प्रयुक्त न करके घोटाला किया गया है। 1.50 लाख जनसंख्या के नगर में मात्र 3 हजार भवनों पर ही गृहकर एवं जलकर आरोपित हैं शेष निर्माण वगैर अनुमति के अवैध निर्मित है। इस हेतु भारी क्षति नगरपालिका परिषद् को पहुंचायी गयी है फर्जी नामों से ठेकेदारी का कार्य नगरपालिका परिषद् बीसलपुर के अध्यक्ष के पुत्र राजू व गिरधर तथा सदस्य राजेश सिंह आदि-आदि ठेकेदारी कर रहे हैं। अन्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाहरी व्यक्ति भी दूसरे नामों से ठेकेदारी करने में लिप्त हैं। नगर में 20-21 जनरेटर लगवाकर समानान्तर अवैध विद्युत व्यवस्था है। जिनके केविल गली-गली में गुच्छे के गुच्छे लटक रहे हैं अनेक कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियां हैं। 13 वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के धन का विनियोजन में भी भारी घोटाला है नियमित रूप से भारी मात्रा में डीजल वाहनों में प्रयुक्त करके घोटाला किया जा रहा है। अधिशाषी अधिकारी बरेली, अवर अभियन्ता, इलाहाबाद में रहते हैं। नगरपालिका परिषद् के सदस्य अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान भी संचालित कर रहे हैं।

नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व की इस सूचना पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाय तथा सम्बन्धित विषय पर प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा की जाय।]

वाराणसी नगर के कतिपय मोहल्लों में व्याप्त पेयजल संकट के निराकरण हेतु हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

[महोदय, वाराणसी उत्तरी विधान सभा जो शहरी विधान सभा लेकिन इसकी भोगौलिक स्थिति इसकी देहात की है काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र इसके प्रमुख मोहल्ले जैसे पहाड़ियां गांव, अखता गांव, तरना नान्हूपुर, पैगम्बरपुर आदि मोहल्ले यह अभी गांव के तरह ही है यहां पेयजल की समस्या बनी रहती है। यहां पर पेयजल के लिए हैण्डपाइप लगाना तथा पांच रि-बोर की आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा में बाढ़ पीड़ितों को दैवीय आपदा राहत न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह-

[महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से जनपद बांदा में केन नदी व यमुना नदी की बाढ़ से तबाह पीड़ितों को दैवीय आपदा राहत न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

केन नदी व यमुना नदी की बाढ़ से बांदा, बबेरू व तिन्दवारी के सैकड़ों गांव तबाह हो गये हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दैवीय आपदा राहत कोष से चारों तहसीलों के लिए धनराशि जारी की गयी, किन्तु उक्त धनराशि बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंच पा रही है जिससे बाढ़ पीड़ितों की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। बाढ़ पीड़ित आये दिन मदद की गुहार लेकर कलेक्ट्रेट में चक्कर लगा रहे हैं, परन्तु उन लोगों को मदद नहीं मिल रही है। दोनों नदियों की भयंकर बाढ़ से लोगों के अनेकों मकान पूरी तरह गिर गये हैं, कुछ लोगों के क्षतिग्रस्त हो गये हैं, कुछ लोगों के आधे व आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। उक्त बाढ़ से क्षेत्र की 50 हजार जनसंख्या प्रभावित हुयी है, लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुयी है एवं लगभग 2500 हेक्टेयर बोया गया क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है, जिससे कृषि फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए पर्याप्त मदद और मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सरकार से मांग है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए पुनर्वास

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की व्यवस्था की जाये, कृषि फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाय तथा बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली दैवीय आपदा राहत दिलवाई जाये ताकि प्रभावित लोगों की मदद हो सके, राहत न मिलने से बाढ़ पीड़ितों में रोष एवं कुण्ठा व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार से तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज-मुहम्मदपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलम बदी-

[श्रीमान्,

मैं आप द्वारा लोक निर्माण मंत्री, उ0 प्र0 सरकार लखनऊ का ध्यान जनहित में उपरोक्त विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं।

इस मार्ग की लम्बाई 26.00 कि0मी0 है। यह मार्ग अन्य जिला मार्ग की श्रेणी का है। यह मार्ग लुम्बिनी-बस्ती-टाण्डा-आजमगढ़, वाराणसी मार्ग (राष्ट्रीय मार्ग) के (आजमगढ़ से 15 कि0मी0 की दूरी पर) मुदुरी बाजार से निकलकर इसी मार्ग के मुहम्मदपुर बाजार (आजमगढ़ से 20 कि0मी0 की दूरी पर) में मिलता है। आजमगढ़-जौनपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-66ए) मुहम्मदपुर से ही निकलता है। दो महत्वपूर्ण मार्ग के बीच स्थित होने के कारण 15 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है एवं उक्त मार्ग बाईपास का कार्य करता है।

अतएव वाराणसी, इलाहाबाद, जौनपुर की तरफ से गिट्टी, कोयला, बालू, बोल्डर व मौरंग से लदे 50-50 टन के ट्रक कुछ कि0मी0 की दूरियां बचाने एवं शहरी भाग से बचने के कारण उक्त मार्ग से जाते हैं। मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ओवर लोडेड ट्रकों को रोकना असम्भव लगता है। इसलिए जनहित में इस सड़क का चौड़ीकरण करा करके पूरे क्षेत्र की जनता को सुविधा प्रदान की जाये।]

जनपद मिर्जापुर के बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललितेश पति त्रिपाठी-

[मान्यवर, जनपद मिर्जापुर का लगभग आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। इस जनपद के 12 विकास खण्ड में से 05 विकास खण्ड बाढ़ से प्रभावित हुआ है तथा 07 विकास खण्ड सूखा से प्रभावित है। इस क्षेत्र में गंगा नदी एवं अन्य सहायक नदियों में आई बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की खड़ी फसल पूर्णतः बर्बाद हो गयी तथा कई लोगों के घर गिर गये। यहां कई दिनों तक गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती रही, नदी की तेज धारा की कटान से कई लोगों के घर बह गये, इससे यहां काफी धन-जन की हानि हुई है, किन्तु प्रशासन द्वारा लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, पीड़ितों को, राष्ट्रीय तथा राज्य आपदा मोचक निधि के जरिये प्राकृतिक आपदा से पीड़ित एवं प्रभावित को दी जाने वाली राहत राशि जो बाढ़, भू-स्खलन, क्षतिग्रस्त पक्के मकान के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुनर्निर्माण, पशुहानि आदि राहत मदों में दी जाती है, की मांग पीड़ितों द्वारा लगातार की जा रही है, किन्तु प्रशासन स्तर पर इस पर कोई प्रभावी कार्यवाही न होने से लोगों में आक्रोश है, इसलिए अविलम्ब इस क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वे कराकर प्रभावित हुए लोगों को राहत प्रदान करते हुए उनका पुनर्वास कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवश्यक प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा की विभिन्न जर्जर सड़कों की मरम्मत व लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरन सुमन-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत 1-ग्राम रजरई से नौवरी सेमरी इरादतनगर रोड तक 2-फतेहाबाद रोड से नगला गाड़े तक 3-ग्राम कुन्डौल परिक्रमा मार्ग 4-गढ़ी देवरी पुल से देवरी परिक्रमा मार्ग ग्राम परिक्रमा मार्ग 5-बाई खेड़ा पुल से शेष भाग जारूआ कटरा बैंक तक 6-जगनेर रोड मलपुरा से माइनर नहर बरारा गांव तक 7-फतेहपुर सीकरी रोड पथोली रोड से नगला अक्खे विचपुरी तक 8-इरादत रोड से विसैराकला तक 9-नदौता से बरौली गूजर महरा नाहर तक 10-ग्राम अकौला से नगला श्याम तक। यह सड़कें उ0 प्र0 मण्डी परिषद् द्वारा बनायी गयी थी। जो काफी जर्जर हालत में पानी भराव है। होने के कारण लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे सरकार के प्रति क्षेत्रीय जनता में भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त जर्जर सड़कों की मरम्मत/लेपन का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ के अन्तर्गत कस्बा कोठी में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम मगन रावत-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोठी विकास खण्ड सिद्धौर में पूर्ववर्ती मा0 नेताजी की सरकार में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हुई थी जिसमें अब तक किसी प्रकार के उपकरण उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। वर्तमान समय में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरण/सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त ही जनहित में है।

अतः मा0 अध्यक्ष महोदय अति लोक महत्व व जनहित को देखते हुए उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सीय उपकरण व सुविधाएं बढ़ाने की कृपा करें जिसके लिए सम्बन्धित क्षेत्र की जनता व मैं स्वयं आपके व सरकार के प्रति आभारी रहेंगे।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरी घाट एवं फतेहपुर मंडाव को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

[महोदय,

कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन की तहसील मधुवन के ब्लाक दोहरी घाट एवं ब्लाक-फतेहपुर मन्डाव, ब्लाक-सीयर के अन्तर्गत दोहरी घाट, मधुवन बेलधरा होते हुए बलिया और बिहार को जोड़ने वाली सड़क जो लगभग 40 किलोमीटर है। उक्त सड़क का पूर्ण निर्माण न करके टुकड़ों में निर्माण कर छोड़ दिया गया है और सड़क पर बीच-बीच सिर्फ गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है जिसके कारण वर्षा में सड़क ने तालाब का रूप ले लिया है। यह सड़क दो राज्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इस सड़क पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन वाहनों का संचालन होता है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आने-जाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर आये दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग घायल हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया गया है, परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़क बनाये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका क्षेत्र में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई जल निगम के द्वारा कराये गये सीवेज व वाटर ट्रीटमेन्ट कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, जल निगम द्वारा नगरपालिका में सीवरेज व वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का कार्य लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत का चल रहा है निर्माण में पाइप सीमेन्ट ब्रिक आदि की भारी अनियमितता की गई है। नगर में सभी मार्गों को उखाड़कर बीच में छोड़ दिया गया है जिससे आम जनता की गलियों, मार्गों की सफाई न होने से बीमारी फैलने की आशंका है तथा सभी मार्ग ब्रजघाट नया बांस आदि में उखाड़कर पुनः निर्माण नहीं कराये गये हैं। आवागमन की भारी परेशानी है। घोटाला उच्च स्तर का किया गया है। मैं शासन का ध्यानाकर्षण कराते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की प्रार्थना करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में विद्युत समस्या का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया जो वर्तमान समय में बाढ़ की समस्या से त्रस्त है वहां पर विद्युत सप्लाई बुरी तरह से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रभावित है। समयबद्ध तरीके से विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है और क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों की कमी भी है जो ट्रांसफार्मर लगे भी हैं उनकी क्षमता भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। जिले के अधिकारियों से बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी समयबद्ध तरीके से विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है। इससे जन मानस में आक्रोश है, तत्काल विद्युत सप्लाई सुचारु रूप से किये जाने की आवश्यकता है एवं पुराने ट्रांसफार्मरों को बदल कर नये लगाये जाने की भी आवश्यकता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों आदि की भी मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता है। यह गम्भीर विषय है, जनहित का है।

अतः इस गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्युत समस्या के निदान कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर स्थित महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वाणिज्य की कक्षायें प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

[मान्यवर,

मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के इस गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर जनपद लखनऊ के अन्तर्गत स्थित महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। उक्त महाविद्यालय में शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि रुपये 1,14,13,000/ (रुपये एक करोड़ चौदह लाख तेरह हजार मात्र) से भवन बनकर तैयार हो गया है। 2 प्रवक्ताओं की नितान्त आवश्यकता है। पदों का सृजन न होने के कारण प्रवक्ता पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है जिसके कारण उक्त भवन का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। साथ ही छात्र-छात्राएं बी0काम0 की कक्षाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए प्रवक्ता पदों का सृजन तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से तत्काल कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत गागैन नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम कुमार-

[मान्यवर,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद बिजनौर के मेरे विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत ग्राम पाडली माँटू के गांगन नदी पर पुल न बनने एवं सभी लिंक रोड का नया निर्माण एवं उनका रिपेरिंग न होने से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक दुर्घटनाएं आये दिन होती रहती हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अतिशीघ्र उक्त पुल निर्माण एवं लिंक रोड बनवाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

पश्चिम उ0 प्र0 के निवासियों तथा अधिवक्ताओं की मांग पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक खण्डपीठ उ0 प्र0 के जनपदों यथा-सहारनपुर, बागपत, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[महोदय,

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक खण्डपीठ की स्थापना की मांग विगत कई वर्षों से पश्चिमी उ0 प्र0 के निवासियों तथा अधिवक्ताओं द्वारा की जाती रही है। इस सम्बन्ध में अभी हाल ही में अधिवक्ताओं द्वारा फिर से आन्दोलन किया गया था, उनकी मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों यथा-सहारनपुर, बागपत, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर की दूरी इलाहाबाद से 500-600 कि0मी0 से ज्यादा होने के कारण काफी असुविधा तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां के निवासियों तथा अधिवक्ताओं को अपने मामले की सुनवाई/पैरवी तथा न्याय पाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद जाना पड़ता है जिसमें उनका काफी धन एवं समय बर्बाद होता है। जो गरीब व्यक्ति हैं वह मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तक अपनी दयनीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण प्रकरण लेकर पहुंचने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते तथा अधूरे न्याय से उन्हें संतोष करना पड़ता है। इसलिए उनकी मांग है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी उपयुक्त जनपद में एक खण्डपीठ की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किया जाय। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या एवं उसी अनुपात में बढ़ रहे अपराध के कारण लोगों को न्याय हेतु अक्सर न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है तथा वर्तमान में कुछ राज्यों में शीघ्र न्याय हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मामले की सुनवाई होने लगी है, ऐसी परिस्थिति में पश्चिमी उ0 प्र0 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक खण्डपीठ की स्थापना नितान्त आवश्यक है। अतएव राज्य सरकार द्वारा पुनः अद्यतन तथ्यों के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उक्त खण्डपीठ के गठन हेतु एक सहमति प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा जाय, जिससे उक्त खण्डपीठ स्थापित हो सके तथा यहां लोगों को न्याय पाना सुलभ हो सके।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

[01.06] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

आज दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 13 सूचनाएं प्राप्त हुयीं :-

पहली सूचना श्री सतीश महाना की मा0 सदस्यों द्वारा नियम-51, 301 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के उत्तर मा0 सदस्यों को निर्धारित अवधि में न प्राप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की भारत के संविधान के अनुच्छेद-170 (1) के उपबन्ध 333 के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधीन उत्तर प्रदेश विधान सभा में परिसीमन के आधार पर 500 सदस्य किये जाने हेतु प्रस्ताव भेजकर लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की बजट सत्र, 2013 में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सभी माननीय विधायकों के संस्तुति पर 100-100 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने की घोषणा के अनुसार नगरीय क्षेत्रों के लिए शासनादेश जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की विधायक निवासों से नाई, धोबी, दर्जी व अन्य को हटाने, बीसलपुर, सीतापुर में बाईपास बनवाने, नियम-63 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने आदि के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री सन्त प्रसाद की मा0 नगर विकास मंत्री द्वारा दिनांक 03-07-2013 को दिये गये वक्तव्य के अनुसार नगर निगम के अन्तर्गत बरावन कला में त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज के पास अतिक्रमण न हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव की जनपद बहराइच/श्रावस्ती के 263 बर्खास्त प्राथमिक शिक्षकों की बहाली किये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की द्वितीय सत्र, 2013 के सत्राहूत विषयक अधिसूचना के साथ सत्र का कार्यक्रम न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली में वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में आवंटित बजट के अनुरूप सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के थाना निगोही में मा0 सदस्य के विरुद्ध दर्ज मुकदमों की विवेचना सी0बी0 सी0आई0डी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की राष्ट्र एवं समाज की रक्षा एवं शान्ति के लिए प्राण गवाने वाले शहीदों के नाम भी विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अतिविशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' की नियम-301 की सूचना दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 के सन्दर्भ में मा0 मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुरूप जनपद वाराणसी में विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना डा0 अरुण कुमार की महानगर बरेली के 124 विधान सभा क्षेत्र में विधायक की संस्तुति पर 100 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है तथा तेरहवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी में स्थित पारीक्षा थर्मल पावर कार्पोरेशन में अधिग्रहीत जमीन के मालिकों/कृषकों के वारिसों को अभी तक नियुक्तियां न प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

इनमें से एक भी नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आ रही है। कोई पुल से संबंधित है तो कोई सड़क से संबंधित है। आप नियमों को पढ़ लें।

मा0 सदस्यों द्वारा नियम-51, 301 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के उत्तर मा0 सदस्यों को निर्धारित अवधि में न प्राप्त होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हम विधान सभा में सदस्य चुनकर आते हैं। मान्यवर, इस विधान सभा में हम नियम-300, 301 में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं और कुछ जनहित की बात करते हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको स्वीकार आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके करते हें। पहले 12 स्वीकार होती थी उसको आपने कृपापूर्वक बढ़ाकर 15 कर दिया है। लगभग छह माह बाद सदन प्रारम्भ होता है उसमें भी यह व्यवस्था है कि आप एक हफ्ते में एक सूचना ही दे सकते हैं। अब यह एक हफ्ते का सत्र हो गया यह चार दिन इसमें समय आया है यह उसमें सिमट कर रह गया है। मान्यवर, एक हफ्ते में एक सूचना ली जायेगी। कोई छोटा-मोटा काम सड़क बनाने के लिए निवेदन करते हैं। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारे उस निवेदन को सुनकर जनहित के कामों को करायेगी। उसकी सूचना आप द्वारा निर्धारित एक महीने के अंदर हम लोगों को मिलनी चाहिए। विगत 22 मार्च को यह सदन समाप्त हुआ था। उसके छह महीने के बाद जब वहां के अधिकारियों को यह लगता है कि छह महीने पूरे होने को आये हैं अब कम से कम इसका जवाब दे दिया जाये तो जवाब आता है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम सूचना देते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि यह काम हमारा पूरा हो जायेगा। छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जैसे एक 300-400 मीटर की हमने सड़क लिखकर दी कि यह सड़क बन जाये सड़क बननी आवश्यक है। हमारे पास माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आता है। उसमें यह लिखकर आया है कि यह सड़क बहुत क्षतिग्रस्त है बननी आवश्यक है और बनेगी भी लेकिन संसाधन उपलब्ध होने के पश्चात् यह सड़क बना दी जायेगी। मान्यवर, संसाधन उपलब्ध होने के बाद की बात लिख दी गयी है। माननीय मंत्री जी का यह लिखित आश्वासन है इसलिए यह आशा करते हैं कि यह बन जायेगी। मान्यवर, नगर निगम के टेंडर होते हैं सड़कों के बनने का टेंडर होता है। हम लोग अपने क्षेत्र की सड़कों को देखते हैं। मैं उसमें देख रहा था कि मंत्री जी का आश्वासन है शायद यह हमारी सड़क आ गयी होगी। लेकिन वह सड़क नहीं आयी। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री जी से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि इस पर ध्यान देने का कष्ट करें। मान्यवर, हमारे नियम बने हुए हैं उसमें यदि हम यहां पर कोई विषय उठाते हैं तो उसका जवाब आता है उसमें लिखकर आ जाता है कि संसाधन उपलब्ध होने के पश्चात् तो माननीय अध्यक्ष जी इस पर अगर सरकार लिखकर भेजती है कि संसाधन उपलब्ध होने के पश्चात् तो उसमें प्रायरिटी तय होने के बारे में भी यहां से निर्देश होने चाहिए ताकि समय से वह कार्य हो सकें। मान्यवर, उसमें हम यहां पर हम बहुत कहने की स्थिति में नहीं होते क्योंकि छह महीने बाद सदन चलेगा और उसमें एक हफ्ते में एक ही सूचना ली जाती है और उसमें भी कोई बहुत बड़ी समस्या हो तो उसके लिए संशोधनों की आवश्यकता हो या फिर ऐसा पालिसी मैटर हो जहां पर उसको नहीं किया जा सकता हो तब तो माना जा सकता है लेकिन जो सामान्य और छोटे छोटे काम हैं वह भी अगर हमारे नियम-301 के अन्तर्गत स्वीकार नही होंगे और हम उन कामों को नहीं करवा सकते हैं तो औपचारिकता में हमको वहां भी चिट्ठी मिल जायेगी कि जब संसाधन होंगे तो कर दिये जायेंगे। वहां की चिट्ठी में और यहां की चिट्ठी में कुछ अन्तर महसूस हो। मान्यवर, आपके द्वारा, हमारे को विधान सभा के द्वारा जो अधिकार दिये गये हैं उन अधिकारों का प्रयोग करके हम छोटा सा काम करवा सकें तो हम अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि समझ लेंगे। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि हम जो विषय यहां पर उठाये उस विषय को प्राथमिकता के आधार पर यदि आप कहें कि होने वाला नहीं है तो बात दूसरी है और अगर होने वाला है तो वह प्रायरिटी के ऊपर हो जाय यह मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह दिखवाऊंगा या तो बहुत मंहगी होगी अगर दरमियानी है तो हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

दूसरा है माननीय तिवारी जी, आपका जो दूसरा प्रश्न है यह कई बार आप उठा चुके हैं संविधान के अनुच्छेद-170(1) अब क्या इसको उठायेंगे ? बाजपेयी जी का है, आप बोल सकते हैं।

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है और जब....

(श्री रघुननन्दन सिंह भदौरिया द्वारा बोलने के लिए खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

अपने लोगों को तो बैठाइये, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं अपने नेताओं को तो कम से कम समझाइये कि आप खड़े हों तो यह बैठ जायें। आप इन्हीं को परम्परा नहीं समझा पा रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने देखा नहीं था, और आपका निर्देश हो गया वह बैठ गये। यहां सदन में माननीय अध्यक्ष विधान सभा का निर्देश चलता है अन्य किसी अध्यक्ष का नहीं। माननीय अध्यक्ष जी यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है सामान्यतः आपके कार्यालय से सदन आहूत होने की सूचना 15 दिन पहले प्राप्त होती है परम्परा में यह भी था कि अन्तरिम कार्यक्रम, कि सदन कितने दिन चलेगा और क्या कार्यक्रम असरकारी दिवस यह सब उसमें उल्लिखित होकर आता था। इस बार मान्यवर, सूचना तो सदन के आहूत होने की 30 तारीख, 23 तारीख को हुई लेकिन सदन का अन्तरिम कार्यक्रम 10 तारीख को जारी हुआ। मैं केवल विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह सदन की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के अन्तर्गत है जो परम्परा सदन की है अन्तरिम कार्यक्रम यदि समय से आ जाय आहूत होने वाले दिन न आये तो दो तीन बात की सूचना में आ जाय तो हम सबको व्यवस्थित होकर सदन की तैयारी करने में मदद मिलती है। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह इस औचित्य प्रश्न के माध्यम से यह करना चाहता हूं कि आप कृपापूर्वक ऐसी व्यवस्था दीजिए कि सदन का अंतरिम कार्यक्रम भी 10 दिन पहले मिल जाया करे ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाजपेयी जी, सदन आहूत करने की सूचना महामहिम राज्यपाल के माध्यम से आती है, कैबिनेट तय करता है कैबिनेट महामहिम राज्यपाल को भेजता है तो सूचना तो आ जाती है आहूत वाली वह चली जाती है कार्यक्रम कैबिनेट तय करता है और कैबिनेट से जब आता है तब भेजी जाती है लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि वह आप सबको मिले।

राष्ट्र एवं समाज की रक्षा एवं शान्ति के लिए प्राण गवाने वाले शहीदों के नाम भी विधान मण्डल विकास निधि मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अति विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक औचित्य के प्रश्न में मैंने दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

300 में आपका लिया ही नहीं गया है। यह इसमें कहां आता है ?

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, नियमों से संबंधित बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

नियमों में कैसे आयेगा यह पोषणीय ही नहीं है ?

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, एक मिनट में मैं अपनी बात कह लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

हम आपका पढ़ देते हैं आप कहना जो चाहते हैं कि राष्ट्र एवं समाज की रक्षा एवं शांति के लिए प्राण गवाने वाले शहीदों के नाम भी विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अतिविशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मिलित किये जाने के संबंध में, यही है न। यह औचित्य के प्रश्न में नहीं आता है। आप प्रस्ताव लिखकर शासन को भेजे और शासन से बात करें या फिर बजट चर्चा पर इस सुझाव को आप दें इसमें नहीं आता है। आपका तो यह हर साल आता है पंडित जी।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैने पहली बार इसको दिया है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आता है क्यों इस पर बोलोगे ? अभी बजट पर चर्चा होगी आप उस में सुझाव दे सकते हैं।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं इस आदेश का एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम मत तोड़िये, यह औचित्य का नियम नहीं है। यह सुझाव का है कि बजट भाषण में या वैसे आप शासन को सुझाव लिखकर दीजिये, यह आपका विषय औचित्य में नहीं आता।

(श्री प्रमोद कुमार जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पंडित जी, आपने पिछली बार भी इस प्रश्न को उठाया था, अब यह प्रस्ताव शासन भेजे, 500 की संख्या केन्द्र सरकार संशोधन करके कर सकती है। तो यहां से इससे क्या मतलब।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक व्यक्तिगत मामला है, सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

अरे आप बैठिये। यह संविधान लिये बैठे हैं, आप बैठ जाओ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद-170 (1) के उपबन्ध 333 के अधीन उत्तर प्रदेश विधान सभा में परिसीमन के आधार पर 500 सदस्य किये जाने हेतु प्रस्ताव भेजकर लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, संविधान पीठ तो उधर से चलती होगी क्योंकि उधर से ही तोड़ी जाती है। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि आप तो संविधान के रक्षक के रूप में बैठे हैं। मान्यवर, मैं संविधान के अनुच्छेद-170 का जिक्र कर रहा हूं। जिसमें दिया है कि अनुच्छेद-333 के उपबंधों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुये पांच सौ से अनधिक और साठ से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। मान्यवर, इसका गठन भारत के संविधान के अनुसार होता है, अनुच्छेद-333 के अधीन रहते हुये। मेरा सिर्फ यह कहना है कि कृपया इस पर विचार कर लें कि इस भारतवर्ष में बहुत सी ऐसी विधान सभायें हैं, जहां 10 हजार पर एम0एल0ए0 बन जाता है। बहुत सी ऐसी विधान सभायें हैं, जहां 30 हजार पर बन जाता है और 500 की सदस्य संख्या इस विधान सभा की हो सकती है। 425 की विधान सभा में तो मान्यवर, आप भी बैठते थे और ज्यादातर इधर ही बैठते थे। 425 वाले में मैं भी बैठता था मान्यवर। अब आबादी बढ़ गयी, जिम्मेदारी बढ़ गयी और हम घटकर 403 पर आ गये। मेरा सिर्फ यह कहना है कि हमें संविधान अनुमति देता है कि हम 500 तक सदस्य संख्या कर सकते हैं और आज यहां पर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां 3 लाख से अधिक की आबादी है।

एक माननीय सदस्य-

साढ़े 7 लाख आबादी है।

श्री प्रमोद तिवारी-

और हम साढ़े 7 लाख पर आ गये। तो मान्यवर, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 7 लाख तक पहुंच गये। तो मान्यवर, जब एक प्रावधान है कि हम अपनी सदस्य संख्या बढ़ाकर 403 से 500 कर सकते हैं तो उससे हमारा क्षेत्र छोटा हो जायेगा और हमें बेहतर ढंग से शासन सुविधा चलाने में विधायक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करने में मदद मिलेगी। तो मैं जो बात कह रहा हूं, वह सिर्फ विकास की बात कह रहा हूं। जो कह रहा हूं, उसका एक-एक शब्द संविधान के अनुसार है तो क्या यह सदन अगर सहमत हो, अगर नहीं सहमत हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर सहमत हो तो क्यों न इस विधान सभा की सदस्य संख्या 403 से बढ़ाकर 500 कर दी जाये तो इससे ज्यादा सदस्य हो जायेंगे और इससे हम पर कम बोझ पड़ेगा, कम हमारा प्रतिनिधित्व होगा, आपने एक बात कही कि इसको बनाने का अधिकार भारत सरकार को है, उसका जवाब भी मैं दे रहा हूं। मान्यवर, जब यहां से प्रस्ताव जायेगा, आवश्यकता जायेगी, यह बात कही जायेगी कि आप ही का, इसी भारत का एक अंग अरुणाचल, मणिपुर है, जहां 10 हजार पर विधायक बन रहे हैं, हमारे बगल में हम से ही कटकर उत्तराचंल बना है, वहां 30 हजार पर बन रहे हैं और हमें आप 3 लाख 4 लाख की सेवा का आदेश दे रहे हैं तो नियमानुसार, संविधान के अनुसार हम कर सकते हैं और अगर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश सरकार चाहे और आप चाहें तो यह हो सकता है। मान्यवर, हम तो आपको बड़े का मुखिया बनाने की बात कर रहे हैं, अभी 403 आपके हाथ जोड़ते हैं, तब 500 जोड़ा करेंगे। मान्यवर, मैं तो आपका कद बढ़ा रहा हूं, विधान सभा का कद बढ़ा रहा हूं और विधान सभा के ज्यादा सदस्यों को मान्यवर, सेवा का अवसर मिल सके। 424 सदस्य इस सदन में बैठा करते थे तो 500 भी बैठ सकते हैं। मान्यवर, अगर यह हो सकता हो, सम्भव हो तो इस पर विचार कर लें, ना करना हो तो मत कीजिए लेकिन नियमानुसार संविधान के अनुसार अगर यह हो जायेगा तो हम विधायकों को अपने क्षेत्र में बेहतर सेवा का अवसर मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रमोद तिवारी जी को सुना, यह कई बार यहां पर उठ चुका है, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(मा0 सदस्य श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल एवं श्री रोशन लाल वर्मा के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

बजट सत्र, 2013 में मुख्य मंत्री द्वारा सभी मा0 विधायकों की संस्तुति पर 100-100 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जाने की घोषणा के अनुसार नगरीय क्षेत्रों के लिए शासनादेश जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

मान्यवर, माननीय विधायकों को सौ-सौ नल देने की बात हुई थी और यहां पर घोषणा हुई थी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अग्रवाल साहब, विधायक जी अपनी व्यक्तिगत बात कह रहे हैं, उसके बाद आप कह लीजिएगा।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

मान्यवर, सारे विधायक बैठे हुए हैं, सारे विधायकों को सौ-सौ नल दिये गये थे बजट सत्र 2013 में। यहां माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, मा0 आजम खां साहब बैठे हुए हैं हमें बताया जाए कि जो बोला है वह सत्य है या असत्य है क्योंकि हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग नल की मांग करते हैं।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा व्यक्तिगत मामला है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

मान्यवर, बजट सत्र 2013 में जो 22 मार्च को तय हुआ था कि सौ-सौ नल प्रत्येक विधायक को दिये जायेंगे। मा0 आजम खां साहब मेरठ गये थे इन्होंने कहा था कि आप सदन में उठाइयेगा, मैं कराऊंगा। सौ-सौ नल की घोषणा यहां हुई थी हर विधायक के लिए, आजम खां साहब मेरठ गये थे और उन्होंने कहा था कि इसे सदन में उठाइयेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(मा0 सदस्य श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 भदौरिया जी, आप कृपया बैठ जाएं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य हमारे बहुत पुराने और बहुत ही सज्जन साथी हैं, हैं बी0जे0पी0 में यह अलग बात है लेकिन अच्छे भले हैं। अब इन्हें मेरी उतनी कही बात तो याद रही लेकिन मैंने एक बात यह भी कही थी कि दंगा मत कीजिएगा, वह याद नहीं रही। तो एक आप भूल गये, एक हम भूल गये। मा0 मुख्य मंत्री जी ने जितने भी आदेश दिये हैं और जो भी घोषणाएं की हैं सब पर काम शुरू हो गया है और उन्हें पूरा किया जा रहा है।

[01.24] जनपद शाहजहांपुर में अवैध खनन को रुकवाने हेतु थाना निगोही के थानाध्यक्ष द्वारा फोन पर अशोभनीय भाषा का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा तथा श्री काली चरन सुमन, सदस्य, विधान सभा का व्यक्तिगत प्रकरण

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यक्तिगत मामला है और मैं लगातार तीन दिनों से बार-बार अनुरोध कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी आज सुबह 19-9-13 को 10.15 बजे की बात है, मुझे शिकायत मिली कि हमारे क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। मैंने पहले थानाध्यक्ष निगोही को फोन मिलाया, उनसे बात हुई लेकिन उन्होंने ट्राली नहीं बन्द की, उसके बाद हमने डी0एम0 साहब को फोन मिलाया, जिलाधिकारी को फोन मिलाया उसके बाद भी खनन बन्द नहीं हुआ तो हमने फिर से थानाध्यक्ष को फोन मिलाया तो उसने कहा कि विधायक जी तुमको जो करना हो करो, हमारे पास उसकी सारी कॉल डिटेले हैं थानाध्यक्ष ने कहा कि तुम्हें जो करना हो करो, हम खनन नहीं बन्द करायेंगे। अभी मान्यवर, 17 तारीख की बात है हमारे एक सगे रिश्तेदार ने एक प्रार्थना-पत्र दिया था और उसी थानाध्यक्ष निगोही ने उसे पीटा, पीटने के बाद उसके घर पर दबिश दी। 17 तारीख को 25 वर्ष के एक लड़के पीयूश ने फांसी लगा ली और थाने में यह प्रार्थना-पत्र दिया गया यह सारे अखबारों में भी छपा है। अखबारों का यहां संज्ञान नहीं लिया जाता है लेकिन मान्यवर, उसने फांसी लगाकर जान दे दी, इस तरीके से जनता का शोषण हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यदि आप हमें संरक्षण नहीं देंगे तो हम लोगों का कैसे अपमान रुकेगा। इस तरीके से अपमान किया जा रहा है, हमारा आपसे निवेदन है कि सरकार इसमें व्यवस्था दे और चाहे कहीं भी जांच करा ली जाए, हर थाने में दो-तीन लोग ऐसे दलाल बैठे हैं जिनके कारण पीड़ित व्यक्ति की एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जाती है और उल्टा उसे ही प्रताड़ित किया जाता है। मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि इसमें जांच करा ली जाए। अभी 17-9-13 तारीख की बात है, बृज किशोर जो हमारा रिश्तेदार था, उसने पुलिस के डर से उसने कमरा बन्द कर लिया और फांसी लगा ली। मैंने फोन लगाया कि पुलिस खड़ी है फिर भी वह इतनी देर में फांसी पर झूल गया, यह सभी पेपरों में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आपने नियमों में भी दिया है, आपकी बात आ गई, आप बैठिये, जो असली बात है वह आप कह ही नहीं रहे हैं।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, थानेदार हम लोगों का इस तरह से अपमान करेगा। अध्यक्ष जी, उसने सीधे कहा कि जो मर्जी हो कर लीजिए। इसमें आप जांच करा लीजिए। मेरा व्यक्तिगत मामला है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की खनन की पीड़ा को सबने महसूस किया, सरकार ने भी। इतना और बता दें कि कौन कर रहे थे पहले खनन, बड़ी पीड़ा है न खनन की आपको, किससे शिकायत है आपको, यह अगर मालूम हो जाए कि आपकी शिकायत क्या है, शिकायत आपने नहीं बतायी ? पहले खनन कौन करते थे ? (सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी कि यही करते थे)

श्री रोशन लाल वर्मा-

हमने शिकायत खनन बंद कराने की थी लेकिन थानाध्यक्ष ने कहा कि हम नहीं बंद करायेंगे जो मर्जी हो कर लीजिए। यही शिकायत थी। चलो खूब खनन कराओ लेकिन अपमानित तो न करो। मेरे पास सारे कागजात हैं, मैने जिलाधिकारी से, उप जिलाधिकारी से भी बात की। थानाध्यक्ष हमें धमकी दे रहा है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

बहुत बुरी बात है। नेता सदन बैठे हैं यह भी देखना पड़ेगा कि कौन साहब वहां पर हैं। ऐसा तो नहीं है कि पुराने मिजाज के कोई दरोगा जी वहां हैं। भाई बिगड़ी हुई आदतें थोड़े दिन में ठीक होती हैं। ''तवीयत को होगा कलक चन्द रोज, बहलते-बहलते बहल जायेगी।''

[01.25] उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 में नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की सोलहवी विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 (दिनांक 14 फरवरी, 2013 से 22 मार्च, 2013 तक) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2- 546/ग्यारह-9(1)-08-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(90)-2013, दिनांक 29 अप्रैल, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-546/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(90)-2013, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5)के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2- 623/ग्यारह-9(66)-2012-उ0 प्र0 अधिनियम-5-2008-यू0पी0 वैट नियमावली-08-आदेश-(91)-2013, दिनांक 13 मई, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-623/ग्यारह-9(66)-2012-उ0प्र0अधिनियम-5-2008-यू0पी0 वैट नियमावली-08-आदेश-(91)-2013, दिनांक 13 मई, 2013 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-23-क के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-603/ग्यारह-9(33)-2012-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(92)-2013, दिनांक 13 मई, 2013 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-603/ग्यारह-9(33)-2012-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(92)-2013, दिनांक 13 मई, 2013 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2- 643/ग्यारह-9(66)-2012-उ0 प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(94)-2013, दिनांक 16 मई, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-643/ग्यारह-9(66)-2012-उ0प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(94)-2013, दिनांक 16 मई, 2013 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-606/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(95)-2013, दिनांक 22 मई, 2013 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-606/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश- (95)-2013, दिनांक 22 मई, 2013 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा-(5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-729/ग्यारह-9(1)-2008-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(98)-2013, दिनांक 13 जून, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-729/ग्यारह-9(1)-2008-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(98)-2013, दिनांक 13 जून, 2013 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा-(5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-730/ग्यारह-9(227)-12-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(99)-2013, दिनांक 13 जून, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-730/ग्यारह-9(227)-12-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(99)-2013, दिनांक 13 जून, 2013 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा-(5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-857/ग्यारह-9(1)-2008-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(100)-2013, दिनांक 08 जुलाई, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-857/ग्यारह-9(1)-2008-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(100)-2013, दिनांक 8 जुलाई, 2013 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा-(5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-8 की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1237/30-4-2013-346-95-टी0सी0, दिनांक 10 जुलाई, 2013†

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1237/30-4-2013-346-95-टी0सी0, दिनांक 10 जुलाई, 2013 को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-212 की उपधारा (3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन[††]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन † †

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

[01.33] माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध एवं रिहाई की सूचनाएं

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या-06, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुयी है :-

1-जिलाधिकारी, अलीगढ़ के फैक्स सन्देश दिनांक 09 सितम्बर, 2013 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री दलवीर सिंह, स0वि0स0, बरौली एवं श्री भगवती प्रसाद, स0वि0स0 खैर को दिनांक 09 सितम्बर, 2013 को समय 17.15 बजे शान्ति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया जिन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

2-कार्यकारी मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के फैक्स सन्देश दिनांक 12 सितम्बर, 2013 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री विजय बहादुर यादव, स0वि0स0, गोरखपुर को दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को पूर्वाह्न 10.30 बजे गोरखपुर के नौसढ़ चौराहा थाना बेलीपार से धारा-107/116/151 द0प्र0सं0 की अधीन शान्ति भंग के आरोप में हिरासत में लिया गया तथा दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को अपराह्न 1.50 बजे निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

3-जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के फैक्स सन्देश दिनांक 12 सितम्बर, 2013 द्वारा सूचित किया गया है कि अपराह्न 2.40 बजे माननीय श्री कलराज मिश्र, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री रवि शर्मा, श्री महेश शर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, श्रीमती कृष्णा पासवान, सदस्य, विधान सभा को प्रभारी निरीक्षक, कवि नगर द्वारा धारा-151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया तथा नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के समक्ष दिये गये आश्वासन के उपरान्त उन्हें छोड़ दिया गया है।

4-जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर के फैक्स सन्देश दिनांक 12 सितम्बर, 2013 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री लोकेन्द्र सिंह, स0वि0स0, नूरपुर को दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को समय 12.28 बजे रानीबाग पुलिस चौकी, धामपुर में धारा-151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया जिन्हें दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को 17.00 बजे निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

[††] छापा नहीं गया।

5-जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के फैक्स सन्देश दिनांक 12 सितम्बर, 2013 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 12 सितम्बर, 2013 पूर्वाह्न 10.50 बजे माननीय सुरेश कुमार खन्ना, श्री बावन सिंह, श्री रामचन्द्र यादव, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री सन्त प्रसाद, सदस्य, विधान सभा को थानाध्यक्ष, मुरादनगर द्वारा धारा-151 द0प्र0स0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया तथा उप जिला मजिस्ट्रेट, मोदीनगर के समक्ष दिये गये आश्वासन के उपरान्त उन्हें छोड़ दिया गया है।

6-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के फैक्स सन्देश दिनांक 12 सितम्बर, 2013 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को माननीय श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री रविन्द्र कुमार जायसवाल, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा को थाना फूलपुर, वाराणसी पुलिस द्वारा धारा-151/107/116 द0प्र0स0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया तथा उप जिला अधिकारी, पिण्डरा, वाराणसी द्वारा निजी मुचलके पर रिहा किया गया है।

7-जिला मजिस्ट्रेट, बरेली के फैक्स सन्देश दिनांक 12 सितम्बर, 2013 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को प्रातः 11.30 बजे माननीय श्री राजेश अग्रवाल, डा0 अरुण कुमार, श्री धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा को थाना मीरगंज पर धारा-151/107/116 द0प्र0स0 के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया तथा सायं 16.20 बजे निजी मुचलके पर रिहा किया गया है।

8-जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, हापुड़ ने अपने फैक्स सन्देश दिनांक 17 सितम्बर, 2013 के द्वारा यह सूचित किया है कि डा0 मोहम्मद अय्यूब, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को मुजफ्फरनगर जाते समय हापुड़ नगर में अन्तर्गत धारा-151 दण्ड प्रक्रिया संहिता लगभग 8.25 बजे गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को ही 15.30 बजे निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-17 में कुछ नहीं है।

[01.37] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 सितम्बर, 2013 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 19 सितम्बर, 2013 से दिनांक 20 सितम्बर, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2013 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें ली जायं।

2-दिनांक 19 सितम्बर, 2013 से 20 सितम्बर, 2013 तक का शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाय।

3-तद्नुसार दिनांक 19 सितम्बर, 2013 से 20 सितम्बर, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

सितम्बर, 2013

19 गुरुवार

1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

2-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण।

3-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 तथा

(ग) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2013

20 शुक्रवार

1-विधायी कार्य।

2-डा0 धर्मपाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे-आधे घण्टे की चर्चा :-

(1) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में लगातार गिर रहे भू-गर्भ जल-स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(2) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र के लिये पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(3) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि आगरा महानगर में यातायात की सुविधा हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(4) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर को सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0हब) बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(5) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(6) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान शीघ्र किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

3-डा0 अरूण कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

''यह सदन प्रदेश सरकार से सिफारिश करता है कि बरेली महानगर के संजयनगर, गोपालनगर, गोसाई गौटिया, दुर्गानगर, सैनिक कालोनी आदि आस-पास के मोहल्लों में लकड़ी के बल्लियों पर केबिल डालकर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराई जाय।''

4-श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

''यह सदन राज्य सरकार से प्रस्ताव करता है कि जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित करें।''

5-श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कानपुर के बढ़ते हुये स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाया जाय।''

6-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा एक घण्टे की चर्चा हेतु ग्राह्य निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

''पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में।''

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मैं प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

[01.40] उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013†

कृषि, कृषि शिक्षा मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कुंवर आनन्द सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 के प्रथम गुरुवार के अता0 प्रश्न संख्या-156 के उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर प्रश्न का संशोधित उत्तर

कृषि, कृषि शिक्षा मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वितीय सत्र, 2012 के प्रथम गुरुवार दिनांक 29 नवम्बर,2012 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-156 के उत्तर के सम्बन्ध में ''उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (चौदहवां संस्करण)'' के निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना, दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 के सम्बन्ध में निदेश संख्या-168 (2) के अन्तर्गत उक्त प्रश्न का ''संशोधित उत्तर'' सदन को देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कृषि मंत्री जी यह संशोधित उत्तर श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी का है यह पढ़ा हुआ मान लिया जाए ?

कुंवर आनन्द सिंह-

पढ़ा मान लिया जाए।

(कई मा0 सदस्य पढ़ा मान लिया जाए।)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है पढ़ा मान लिया गया।

(सदन की सहमति से उत्तर पढ़ा हुआ माना गया)

---

† दिनांक 3-10-2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण
1	2	3	4
क्या कृषि शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा वर्ष 2011-2012 में पंजाब विश्वविद्यालय से टीम आमंत्रित करके मेरठ कृषि विश्वविद्यालय में लागू शासन की वित्तीय नीति की समीक्षा कराई गई थी ? यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा खर्च की गई ? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी अनुमति राजभवन/कृषि शिक्षा विभाग से प्राप्त की थी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सरकारी	जी नहीं। शासन की किसी भी वित्तीय नीति की समीक्षा नहीं कराई गई है।	कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक, श्री ए0 सी0 राणा, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, श्री सतीश गोस्वामी तथा डा0 वाई0 पी0 सचदेवा, विभागाध्यक्ष, बिजनेस मैनेजमेंट की समिति विश्वविद्यालय में विद्यमान वित्तीय व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन हेतु अपेक्षित सुझावों के लिये आमंत्रित की गई थी। उक्त समिति की विश्वविद्यालय में दिनांक 12-02-2011 एवं 09-04-2011 को बैठक आहूत की गई थी। समिति से कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में लागू शासन की किसी भी वित्तीय नीति की समीक्षा नहीं कराई गई है। उक्त समिति के आमंत्रित किये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा कुल रु0 14,016/- की धनराशि व्यय की गई है। जिसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा शासन से अनुमति नहीं ली गई है, न ही किसी प्रकार का पत्राचार ही किया गया है। उक्त व्यय कुलपति द्वारा वित्तीय अधिकारों के	कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्न का उत्तर तत्कालीन कुलपति डा0 अरविन्द कुमार बख्शी द्वारा स्वयं दिया गया है। डा0 अरविन्द कुमार बख्शी दिनांक 01-01-2013 को अपना कार्यकाल पूर्ण कर चले गये हैं। उपलब्ध दस्तावेजों से किसी अन्य से सम्बन्ध स्थापित न होने के कारण उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण
धन के दुरुपयोग के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?		अन्तर्गत किया गया है। प्रश्नगत प्रश्न का उत्तर भेजने के समय कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाया गया है। जिसके लिये सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर, दण्डात्मक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को प्राथमिकता पर अवगत कराये जाने हेतु कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ को निर्देशित किया गया।]	

[01.44] श्री कालीचरन सुमन, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2013 के प्रथम मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या-4 के त्रुटिपूर्ण उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर प्रश्न का संशोधित उत्तर

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री काली चरन सुमन, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2013 के प्रथम मंगलवार दिनांक 26 फरवरी, 2013 को सदन में उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-4 के उत्तर के सम्बन्ध में ''उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (चौदहवां संस्करण)'' के निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना, दिनांक 26 फरवरी, 2013 के सम्बन्ध में निदेश संख्या-168 (2) के अर्न्तगत उक्त प्रश्न का ''संशोधित उत्तर'' सदन को देता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-21 में एक प्रस्ताव है यदि यह सदन सहमत हो तो आज सदन में पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 के विचार एवं उसके पारण संबंधी मदें आज ही सदन में विचारार्थ ले ली जाएं।

सदन सहमत है ?

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है यह मदें आज ही ले ली जाएं।

श्री कालीचरन सुमन, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2013 के प्रथम मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या-4 के त्रुटिपूर्ण उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर प्रश्न का संशोधित उत्तर (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

सूचना के लिए नत्थी-घ देखें।

(संशोधित उत्तर पढ़ा हुआ माना गया, पढ़ा माना गया उत्तर संलग्न है)

[मूल प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण
1	2	3	4
1-क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अकोला, घड़ी हरदयाल, सहारा, नानपुर, पचगाईखेड़ा, कुण्डौल, खाल खलौआ, मनकेड़ा, सिकन्दरपुर आदि गांवों में खारे पानी की समस्या है ?	जी हां।	जी हां।	प्रकरण में दोषी तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री मुंशीलाल को निलम्बित किया गया है। चार्ज शीट अलग से प्रेषित की गई है। **नोट** :-चार्ज शीट का आलेख जल निगम मुख्यालय के शिकायत अनुभाग को प्राप्त हो गया है, जिसे श्री मुंशीलाल को दिये जाने की कार्यवाही शिकायत अनुभाग द्वारा की जा रही है।
2-यदि हां, तो क्या सरकार की मीठे पेयजल उपलब्ध कराने की कोई कार्य योजना	उल्लिखित ग्रामों में निजी नलकूप बोर कराकर टैंक टाइप स्टैण्ड	उल्लिखित ग्रामों के समीपवर्ती मीठे पानी के क्षेत्र में मिनी नलकूप बोर कराकर टैंक टाइप स्टैण्ड	

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[मूल प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण
है ?	पोस्ट एवं पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।	पोस्ट तथा पेयजल योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम गढ़ी हरदयाल जहां मीठे पानी का श्रोत नहीं है, उसे अकोला पुनर्गठन पेयजल योजना में सम्मिलित किया जा रहा है। ग्राम सिकन्दरपुर में जहां खारे पानी की समस्या है, वहां पाइप लाइन पुनर्गठन कार्य कराकर उपलब्ध अवर जलाशय से मीठे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। अकोला तथा कुण्डौल ग्राम समूह पेयजल योजनायें अपनी आयु (अभिकल्पन वर्ष) पूर्ण कर चुकी है। इन दोनों योजनाओं हेतु सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं प्राक्कलन शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।]	
3-प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।	

[01.45] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19-9-2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 37 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री प्रदीप माथुर, श्री अमरपाल शर्मा, श्री रामहेत भारती, श्री राजबली जैसल, श्री संतराम कुशवाहा की- जनपद बांदा में एक सिपाही द्वारा किशोरी के साथ दुराचार करने एवं प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

दूसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री गजराज सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री नवाब काजिम अली खां नवेद मियां, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्रीमती रूबी प्रसाद, श्री दिलनवाज खां की-पश्चिमी उ0प्र0 के निवासियों तथा अधिवक्ताओं की मांग पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक खण्ड पीठ उ0प्र0 के आगरा, मेरठ अथवा गौतमबुद्धनगर (ग्रेटर नोएडा) में स्थापित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

(श्री प्रदीप माथुर के कुछ बोलने पर)

प्रदीप माथुर जी, यह प्रश्न कल उत्तरित हो गया, परसों भी उत्तरित हो गया तो एक बार जब सदन के पटल पर आ जाता है, उस पर दोबारा बात नहीं की जाती है। दूसरे ढंग से कोई बात करना चाहें तो कर लें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, हम इस पर बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए।

तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी की-प्रदेश में अतिवृष्टि होने के कारण प्रमुख नदियों में बाढ़ की वजह से हो रहे धन-जन की हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत थाना तरया सुजान के चौकी में दिनांक 14-7-2013 को चौकी इंचार्ज द्वारा श्री मनोज यादव के साथ निर्मम पिटाई के उपरान्त उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

पांचवी सूचना पं0 सुदेश शर्मा की- जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में मोदी शुगर मिल पर पेराई सत्र 2012-13 का मिल मालिक द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं- श्री हुकुम सिंह, श्री राम प्रसाद चौधरी, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री मनीष असीजा, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री दलजीत सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री वीरपाल राठी, श्री त्रिलोकी राम, श्री दलवीर सिंह, श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सुल्तान बेग, श्री मुकेश श्रीवास्तव, श्री ललितेश पति त्रिपाठी, श्री संतराम कुशवाहा, श्री महावीर सिंह राणा, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री काली चरन सुमन, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, श्री प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री उमेश पाण्डेय, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री सतीश महाना, श्री उपेन्द्र तिवारी और श्री राम चन्द्र यादव।

(भारतीय जनता पार्टी के डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा कुछ अन्य सदस्य अपनी बात रखने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, पहले इतना होने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में विधायक निधि का सारा काम रूका हुआ है, बालू मिल नहीं रही है, रेत मिल नहीं रही है, सब जगह अधूरे काम पड़े हुए हैं। मान्यवर, एक भी सड़क नहीं बन रही है, सी0सी0 रोड नहीं बन रही हैं। आखिरकार मान्यवर, खनन सम्बन्धी नीति स्पष्ट करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठें। मौर्या जी बोल लें।

नेता, विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 के अन्तर्गत कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित सूचना पर आपने मुझे बात रखने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से अराजकता बढ़ती जा रही है और यहां तक कि कानून के रखवाले भी आज अराजकता के रास्ते पर चल पड़े हैं और मान्यवर, इस सूचना के माध्यम से बांदा के एक पुलिस कर्मी की ओर इंगित किया गया है जिसके द्वारा मान्यवर, 15 तारीख, मंगलवार को एक महिला के साथ दुराचार करने की घटना प्रकाश में आई। यद्यपि स्थानीय पुलिस अधीक्षक ने उसे सस्पेंड कर दिया है लेकिन मान्यवर, ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि आज जिस तरीके से पुलिस और कानून से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, इसके लिए कहीं न कहीं शासन, प्रशासन और सरकार को सावधान रहना पड़ेगा और समय रहते इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा क्योंकि खाकी वर्दी वह वर्दी होती है, जिस पर जनता का विश्वास होता है कि वहां से हमें इन्साफ मिलेगा, यहां से हमें न्याय मिलेगा और इसीलिए मान्यवर, उस व्यक्ति विशेष से मात्र उसको वर्दी ही अलग करती है, अन्यथा जन सामान्य और पुलिसकर्मी में कोई भेद नहीं है। यह वर्दी आस्था, विश्वास, न्याय के प्रतीक के रूप में पुलिसवालों को दी जाती है आज उसका दुरुपयोग हो रहा है। और बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार की घटनायें आम होती जा रही हैं जो बहुत ही शर्मनाक है और साथ ही साथ कानून के लिए चुनौती भी है और सरकार के लिए एक गंभीर विषय भी है। आज लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है। आज कानून के रखवाले भी सुरक्षित नहीं हैं। आक्रोश जब जनाक्रोश के रूप में आ जाता है तो कहीं न कहीं खामियाजा पुलिसवालों को भी उठाना पड़ता है। यही कारण है कि 17 महीने की सरकार में 50 पुलिसकर्मी आज तक गुण्डों की गोली का शिकार हो गये। एक ओर जब कानून के रखवाले सुरक्षित नहीं हैं वहीं दूसरी ओर कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह चिंता का विषय है इस पर सदन और सरकार को गंभीर होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में पुलिस कर्मियों ने सरकार की किरकिरी करायी है।

श्री अध्यक्ष-

आप वहां कहां चले गये। आप विषय पर रहिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं सरकार को इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से वहां पर सरकार की किरकिरी हुयी है। उसी प्रकार से आज पूरे प्रदेश में पुलिस सरकार को कठघरे में खड़ा करने के लिए बार-बार ऐसा

मौका देती रहती है। तो मान्यवर, इस प्रकार के जो भी प्रकरण संज्ञान में आते हैं उसको गंभीरता से लिया जाये और तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाये। ऐसे लोगों को केवल सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा बल्कि जो कोई पुलिसकर्मी इस प्रकार की घिनौनी हरकत करता है तो उसको पुलिस की सेवा से बर्खास्त करने की व्यवस्था की जाये ताकि इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगे। मान्यवर, चूंकि यह कानून व्यवस्था से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष-

कानून-व्यवस्था का तो दिया नहीं है। आपकी बात आ गयी। कल कानून व्यवस्था पर इतना बोले कुछ बाकी बचा है। अब बैठिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अगर आप अनुमति दें तो अभी जब विषय आएगा।

श्री अध्यक्ष-

बजट पर चर्चा में बोल लीजिएगा। ठीक है। बैठ जायें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इस सूचना पर सदन और सरकार भी गंभीर है। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से बात को रखा है। सरकार के संज्ञान में पहले से है। कार्रवाई भी हुयी है। मान्यवर, इस तरह के मामलों में सरकार की तरफ से किसी तरह की ढील का कोई प्रश्न हीं नहीं उठता। तत्परता से कार्रवाई हुयी है। सरकार का काम यह है कि मुजरिम को अदालत के दरवाजे तक पहुंचा दे। बर्खास्तगी की बात आपने सही कही लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया है वह अपनानी पड़ेगी वर्ना ऐसे लोग कोई ऐसा रिलीफ ले आते हैं कि जिसके बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इन चीजों पर नजर रहती है। जाहिर है कि पूरे समाज में इस वक्त यह घिनौना काम हो रहा है उससे कोई राजनैतिक दल नहीं पूरा देश अछूता नहीं है। देखने में तो यह आया है कि जितने कड़े कानून बने जितनी सजायें तय हुयीं उसके बाद इस तरह के अपराध की संख्या बढ़ गयी है। अब क्योंकि बहुत सी चीजें बहस की हैं। और हम, समाज, राजनीति करने वाले लोग बहुत सी चीजों से बच रहे हैं। कहीं कोई नाराज न हो जाये, कहीं कोई नाराज न हो जाय। कहीं हमारा वोट कम न हो जाय, कहीं किसी को शिकायत न हो जाय, कहीं मैं विचारक न माना जाऊं, कहीं मैं किसी का विरोधी न माना जाऊं, इस एहतियात की वजह से भी जिस तरह के कानून होना चाहिए और जिस तरह की पकड़ और रोकथाम होनी चाहिए उसमें कहीं शायद हम सब की तरफ से कोताही हो रही है। हालांकि यह सवाल इस वक्त बहस का नहीं है, लेकिन कभी न कभी हमें या पार्लियामेण्ट में संसद में बैठकर लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर वह कौन सी ऐसी वजह है कि इतना सख्त कानून बनने के बाद, इतनी सख्त सजा के बाद भी बजाय इसके कि कोई कमी आती, अपराधों में बढ़ोत्तरी हो गई है, तो इस अपराध को अलग से देखने की आवश्यकता है, आपकी जिज्ञासा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपराध नहीं बढ़े हैं, यह अपराध की जो प्रवृत्ति है, इस तरह के बलात्कार के अपराध की प्रवृत्ति, इसके बारे में तो जरूर चिन्ता हैं, पूरे देश को चिन्ता है, आपकी भी चिन्ता है, सही है, कोई कानूनी कार्रवाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गयी है, अदालत से क्या तय होता है, वह सरकार की हदों से बाहर की बात है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 प्रदीप माथुर जी, आ चुके हैं यह।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं अपनी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा कह लीजिए, महत्वपूर्ण है।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों तथा अधिवक्ताओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के खण्डपीठ की पश्चिम उत्तर प्रदेश में आगरा या मेरठ अथवा यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी क्षेत्र में स्थापित किये जाने की मांग दशकों से चली आ रही है। मान्यवर, इस बेंच की स्थापना के लिए जस्टिस जसवंत सिंह आयोग बना था, 1981 में जिन्होंने 1986 में आगरा में बेंच स्थापित करने की मांग की थी। मान्यवर, पिछले एक साल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी न्यायालयों में हड़तालें चल रही हैं, अधिवक्ता काम बन्द किये बैठे हैं और उनकी मांग है कि इस बेंच का प्रस्ताव प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार को और कानून मंत्रालय को भेजे। मान्यवर, 500-600 किलोमीटर दूर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से लोगों को इलाहाबाद जाना पड़ता है और छोटे न्यायालयों से जो भी वहां से उनका निर्णय होता है, उससे वहां के निवासियों को संतोष करना पड़ता है। मान्यवर, प्रदेश सरकार को यह प्रस्ताव बना कर भेजना चाहिए, मैं पुनः विचार करने की मांग करता हूं क्योंकि यह कोई राजनीति का मामला नहीं है, यह वास्तव में एक समस्या है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। पश्चिम में बेंच का खुलना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, वादकारियों के लिए, वहां की जनता के लिए, वहां के अधिवक्ताओं के लिए एक परम आवश्यक व्यवस्था बन चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

बस, हो गई बात।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं आपकी पीठ से अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि इस प्रस्ताव पर पुनः विचार कर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव भेजें, जिससे कि हम केन्द्र सरकार से वहां पर खण्डपीठ की ब्रान्च बनवा सकें।

श्री अध्यक्ष-

बस अब हो गया।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, स्थान कोई भी हो सकता है, मेरठ भी हो सकता है, आगरा भी हो सकता है, यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी भी हो सकता है, परन्तु जब तक सरकार, मा0 संसदीय मंत्री जी भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, तो इस पर मैं चाहूंगा कि आप भी इस मामले में सरकार से पुनर्विचार करने की बात करें। खण्डपीठ की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो जाने की ओर मैं पुरजोर मांग करता हूं, यह जनहित का अविलम्बनीय प्रश्न है, उस खण्डपीठ की स्थापना न होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता एवं अधिवक्ताओं में सरकार के प्रति व्यापक रोष एवं आक्रोष व्याप्त है, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ बननी बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, आपकी बात आ गई। प्रश्नों के माध्यम से इसका उत्तर आ चुका है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अब पता नहीं अनुग्रह नारायण सिंह जी से आपकी बात हुई है या नहीं हुई है। अनुग्रह नारायण सिंह जी, आपको तो कुछ नहीं कहना है ? सोंच लीजिए आपको इलाहाबाद में रहना है। समझ लीजिए, मैं तो रिकार्ड पर ले आता हूं। मैं रिकार्ड पर ले आऊंगा कि आप तैयार हैं।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर 16 तारीख को मेरा प्रश्न था और उसमें शासन की ओर से यह आ गया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव यहां पर विचाराधीन नहीं है। फिर अभी कल अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के माध्यम से एक प्रश्न था जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। मान्यवर, जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट 1981 में आई थी, उत्तराखण्ड उसमें शामिल था, उसके बाद उत्तराखण्ड एक अलग राज्य बन गया और वहां पर एक हाई कोर्ट बन गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-214 में कहा गया है कि एक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। मान्यवर, एक हाई कोर्ट वहां बन गया, तो जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट का जो मुख्य उद्देश्य था उसकी पूर्ति पहले से हो चुकी है, अब वह रिपोर्ट स्वतः अपने आप निरस्त हो गई, समाप्त हो गई। अब नए ढंग से अगर शासन सोंच रहा है, अभी दो दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब बताइये, आपका उत्तर तो आपकी पार्टी के लोगों ने दे दिया ?

(मा0 सदस्य श्री प्रदीप माथुर के द्वारा खड़े रहकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गयी बात, अब मंत्री जी को उत्तर देने दीजिये। उत्तर देने दीजिये बैठिये। आपका उत्तर आपकी पार्टी के लोगों ने दे दिया।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, ये हमारे लोगों को भिड़वाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ये भाषण नहीं होगा, सबका भाषण नहीं होगा। ये कोई चर्चा नहीं है जिसने दिया है वही इस पर बोलेगा। ये बात गलत है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता कांग्रेस अपने साथी के विचारों से और उनके सुझावों से सहमत होंगे और जसवन्त सिंह कमीशन का सच सदन के सामने भी आया और हमारे नये सदस्यों को भी मालूम हुआ। एक अच्छी जानकारी मिली है लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि एक बड़ा आंदोलन चल भी रहा है। इस वक्त भी चल रहा है और सच बात यह है कि इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि एक खण्डपीठ और होना चाहिये। सच तो यह है कि एक ही क्यों अनेक होना चाहिये क्योंकि जब हमें सस्ता न्याय देना है तो सस्ता न्याय देने के तरीके भी अख्तियार करना चाहिये और यह भी शायद नेता कांग्रेस जानते हैं कि उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश की सरकार को इसका अधिकार प्राप्त नहीं है। केन्द्र सरकार जब, जहां चाहे बेन्चेस बना सकती है, खण्डपीठ बना सकती है। हमारा प्रस्ताव जा चुका है, बहुत पहले जा चुका है, आपके संज्ञान में है, बार-बार प्रस्ताव नहीं भेजा जाता। आप आदेश करा दें, जगह दी जायेगी, आप इमारत का पैसा ला देंगे, इमारत बन जायेगी, खण्डपीठ कायम हो जायेगी तो ये सब कुछ तो आपको करना है लेकिन लड़ाओ राज करो।

श्री प्रदीप माथुर-

आप पहले प्रस्ताव को रिन्यू करके भेज दीजिये। अपनी सरकार से भिजवा दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप क्योंकि लड़ाओ, राज करो में, अंग्रेजों के बाद सीधे सत्ता आपको मिल गयी थी। काम-काज वैसे ही चल रहा था तो अब आप प्रदेश के लोगों को न लड़ाइये या तो अपने साथी की मानिये या सरकार की मानिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं तो बल्कि इसका सुलहनामा लगाये देता हूं कि बेहतर यह होगा कि अगर विधान सभा से प्रस्ताव जाना है तो प्रस्ताव चला जाये कि सुप्रीट कोर्ट की एक सर्किट बेन्च इलाहाबाद में स्थापित हो जाये, ये अनुग्रह नारायण सिंह जी का प्रस्ताव है। मान्यवर, चूंकि आगे आपने लगाई तो थोड़ा मुझे बुझानी पड़ी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में धन्यवाद देता हूं मैं मानसून को कि इस बार मानसून अच्छा आया है, औसत से ज्यादा मानसून आया है और इसीलिये अच्छी फसल की सम्भावना भी की गयी है। मान्यवर, एक बात के लिये मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस बार पूर्वांचल में कहीं कोई बड़ा बांध नहीं टूटा है। एक बांध सिर्फ सन्त कबीर नगर के आस-पास कहीं टूटा है अन्यथा तीन-चार बांध जो नेपाल से पानी आने की वजह से टूटते थे जिसमें आपका सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, गोण्डा, कुशीनगर होता था मान्यवर। मैं बिल्कुल एक अलग बात कह रहा हूं। मान्यवर, उत्तराखण्ड का सीधा असर हम पर पड़ा, हरियाणा का सीधा असर हम पर पड़ा, पंजाब का सीधा असर हम पर पड़ा है। मान्यवर, मध्य प्रदेश का भी पड़ा होगा। कारण क्या हुआ मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि जब उत्तराखण्ड के पानी के बांध पूरी तरीके से अपनी अधिकतम सीमा पर पहुंच गये तो वहां से जल छोड़ा गया। ठीक भी था, बचाने के लिये बांध का पानी छोड़ा गया होगा। उत्तर प्रदेश से उससे मतलब नहीं है लेकिन जब वो पानी आया तो हमारी जो बड़ी नदियां थीं, गंगा, यमुना, सरयू इनमें सबमें पानी बढ़ा और मान्यवर, जब इनमें पानी बढ़ा तो पूरे गंगा के किनारे बड़े जितने शहर थे,

ग्रामीण अंचल थे, वे पानी में डूब गये। मैंने स्वयं इलाहाबाद में इससे बड़ी बाढ़ पिछले 20-25 सालों में नहीं देखी जो ज्यादातर हमारे मित्र अनुग्रह नारायण सिंह जी के क्षेत्र में आयी थी और मैं इनको बधाई देता हूं हफ्तों ये नाव पर रहे मान्यवर, और खुद बोरी डाल-डाल कर बांध को बचाने का प्रयास किया इन्होंने। मान्यवर, वो एक अजीब कहानी है आगे बनारस में भी रहा, पर बलिया में मान्यवर, मैं समझता हूं कि बहुत दिनों तक बाढ़ रही है। इसका एक और असर पड़ा मान्यवर, जब नदियों में पानी चढ़ा तो इनसे मिलने वाली जो ट्रिगेटरी थी उनके पानी का डिस्चार्ज उनका फ्लो कम हो गया मान्यवर, वह ठहर गयीं। वह ठहर ही नहीं गई बल्कि उनका पानी विपरीत दिशा में लौट गया। तो बहुत से गांवों में मान्यवर, बाढ़ नहीं आई लेकिन जल-प्लावन की स्थिति रही। ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पायी, और पानी की निकासी नहीं हो पाई तो मान्यवर, उससे फसल पर भी असर पड़ा लेकिन जो कच्चे मकान थे, शायद जितना इस बार गिरे हैं, उतना बहुत कम गिरे हैं। यह एक सच्चाई है मान्यवर, इसको स्वीकार करना चाहिए इन्हें। मेरा आज इस प्रश्न लाने के पीछे एक मात्र उददेश्य यही है मान्यवर, कि चाहे उत्तराखण्ड का पानी हो, चाहे हरियाणा से यमुना में छोड़ा गया पानी हो चाहे मान्यवर, अन्य प्रदेशों से आया हुआ पानी हो, या फिर ज्यादा मानसून की वजह से, क्योंकि इस बार मानसून मई और जून से ही दस्तक देने लगा था, जो जलभराव की स्थिति हुई है, उससे मकान बहुत गिरे हैं और खेतों की फसल भी बहुत नष्ट हुई है। और जहां पर यह हुआ है मान्यवर, निश्चित रूप से वहां महामारी के रूप में बीमारी फैल रही है। ये जो बीमारी फैल रही है मान्यवर, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को एक बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा, चाहे वह हमारा पूर्वान्चल हो, या हमारा पश्चिमांचल हो, तो आज इस प्रश्न को उठाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है मा0 सरकार के सिंचाई मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, उनके पास सौभाग्य से राजस्व विभाग भी है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठे हैं। जो ये मकान बड़ी भारी संख्या में गिरे हैं, इनको क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। इन्हें राहत दी जानी चाहिए। इसी तरह से जहां पर मान्यवर, जलभराव हो गया था, वहां की सड़कें भी नगरों की और ग्रामीण अंचलों की टूट गई हैं। उनका भी पुनर्निर्माण करना पड़ेगा और मान्यवर, एक वार्निंग देते हुए सदन को, जहां पर भी पानी भरा था और निकल गया है वहां महामारी के रूप में बीमारी आ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग को भी सचेत रहने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से मान्यवर, इस पूरे प्रदेश के गम्भीर प्रश्न को उठाते हुए कि बाढ़ जो आई, जल-प्लावन हुआ, जल भराव हुआ और उससे मान्यवर, जो स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें मकान गिरे हैं, जिसमें सड़कें टूटी हैं। जिसमें मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि महामारी के रूप में बीमारी फैल रही हैं। अस्पतालों में नो वैकेन्सी का बोर्ड लग गया है। इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं चाहता हूं कि युद्ध स्तर एक नए ढंग से इस क्राईसिस मैनेजमेंट को देखा जाए और सरकार इसका सामना करे लेकिन मकानों के पुनर्निर्माण के लिए मैं धनराशि दिए जाने की मांग करता हूं। मान्यवर, ये लोकमहत्व का है, पूरे प्रदेश का है, अविलम्बनीय है, बाढ़ का असर चल रहा है तो अविलम्बनीयता भी है, लोकमहत्व भी है, मैं समझता हूं कि नियम-56 में हर तरह से यह आता है, इसलिए इसे स्वीकार कर लें, चर्चा करा लें। अगर चर्चा अभी न करा सकें तो आज शाम को या कल कोई समय निर्धारित करके करा लें। लेकिन अगर बाढ़ पर चर्चा सदन नहीं करता है मान्यवर, तो इससे महत्वपूर्ण विषय कोई और नहीं हो सकता है। मेरा प्रबल अनुरोध है कि सरकार अगर तैयार हो जाए तो 1 घंटे या 2 घंटे की चर्चा कर

लें। आप चर्चा चाहे तो आधे घण्टे की करा दें या 1 घण्टे की करा दें, सदस्यों के विचार आ जाने दें मान्यवर, कम से कम ये लगे कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने जनता से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चिंता भी प्रकट की और समाधान भी ढूंढा। इसलिए आपसे पुरजोर अपील करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चाहे अभी और चाहे नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा करा लें मान्यवर। चर्चा जरूर करा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह तो सारी बात, मा0 नेता कांग्रेस ने रख ही दी है और यह माना है कि क्योंकि इस साल बारिश अच्छी थी, मानसून अच्छा था और नुकसान के बारे में भी बतलाया कि कोई बांध ऐसा काबिल-ए-जिक्र नहीं टूटा, जिससे कोई बड़ी क्षति हुई होती, जिन मकानात के बारे में आपने एक सुझाव दिया है, सिंचाई मंत्री जी यहां मौजूद हैं, नियम-56 में नहीं आता, चर्चा के लिए भी नहीं आता, आपने जो कह दिया वो काफी हैं और आपकी बात तसलीम। आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इस पर बिल्कुल सहमत है सरकार।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रमोद तिवारी जी को सुना, संसदीय कार्य मंत्री को सुना इसे अग्राह्य करता हूं।

*श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। मान्यवर, कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत थाना-तरया सुजान के चौकी तमकुहीराज में 14-7-2013 को ग्राम सभा तमकुहीराज में सुदामा यादव पुत्र मोहन यादव के यहां बारात आयी थी। जिसमें मनोज यादव पुत्र राजेन्द्र यादव जो ग्राम सभा तमकुहीराज का निवासी है, बारात में आये अतिथियों का सेवा सत्कार कर रहा था तथा मनोज यादव बरातियों को रात्रि में खिलाने पिलाने के पश्चात अपने घर आ गये। अचानक उसके घर तमकुहीराज चौकी इंचार्ज विकास कुमार और अन्य पुलिस कर्मी उसके घर पहुंचकर बुला लिए तथा घर के सामने गाली देने लगे, मौके पर शांति देवी जो रिश्ते में मनोज यादव की चाची हैं ने मनोज यादव को बचाना चाहा तो विकास कुमार ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और लाठियों से मारने पीटने लगे जिससे उनकी साड़ी फट और खुल गयी। जिससे उनकी इज्जत को धक्का लगा। तत्पश्चात् मनोज यादव को चौकी से उठाकर पुलिस चौकी तमकुहीराज में खंभों में बांध कर बूरी तरह मारते पीटते रहे। बेहोश होने की दशा में थाना तरया सुजान में बन्द किया गया और दूसरे दिन 15-7-2013 को 107/116 में चालान किया जाता है और उसकी जमानत होती है। पुलिस की इस निमर्म पिटाई से क्षुब्ध होकर गांव की समस्त महिलाएं व पुरुष चौकी इंचार्ज व पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं जिससे पुलिस ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों पर लाठीचार्ज कर देती है तथा फर्जी तरीके से 64 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कर देती है। मान्यवर, पुलिस की इस बर्बरतापूर्वक कार्यवाही से क्षुब्ध होकर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से मिलकर सारी स्थिति को अवगत कराया जाता है तथा चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाती है। कार्यवाही न होने पर पुलिस उपमहानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर से मिलकर ज्ञापन देकर दिनांक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

29-7-2013 से लेकर दिनांक 6-8-2013 तक अनशन प्रदर्शन एवं मशाल जुलूस निकाल कर तमकुहीराज में विरोध प्रदर्शन किया जाता है। फलस्वरुप अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर मौके पर आये एवं कार्यवाही का आश्वासन दिया परन्तु अब तक न ही किसी तरह का मुकदमा उनके खिलाफ पंजीकृत हुआ और न ही उनको वहां से हटाया गया है। इस संबंध में श्रीमती शांति देवी द्वारा डी0आई0जी0 रेंज गोरखपुर व आईजी जोन गोरखपुर को भी प्रार्थना-पत्र दिया जा चुका है लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। चौकी इंचार्ज तमकुहीराज विकास कुमार पर मुकदमा पंजीकृत कर गैर जनपद स्थानांतरण की मांग करता हूं। मान्यवर, इसमें दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। कृपया शासन का उत्तर दिलाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य को मैंने सुना। मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

*श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के किसानों से संबंधित समस्या है। वहां पर जो शुगर मिल है उसका वर्ष 2012-2013 का करीब 72 करोड़ रुपया बकाया है। लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। मान्यवर, वहां पर रोज किसान मिलते हैं। उनके पास में अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। वह ब्याज पर पैसा ले रहे हैं। लेकिन उनके बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है। मान्यवर, यदि आप केला लेने जायें तो दुकानदार पैसा मांगता है मूंगफली लेने जायें तो ठेले वाला पहले पैसा मांगता है। जिसको कहा जाता है कि आज सरकार किसानों की सरकार होने का दावा करती है लेकिन किसान के साथ इतना बड़ा धोखा कि माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भुगतान का आदेश किया है लगभग 6 सप्ताह उसको बीत चुके हैं और आज तक उस पर अमल नहीं किया जा रहा है ऐसा कौन सा कारण है माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी किसानों का सरकार भुगतान नहीं करा पा रही है और दूसरा यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता द्वारा यह एक शपथ-पत्र लगाया गया है हाई कोर्ट में कि किसान ब्याज का अधिकारी नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, सरकार से इस बात पर कहना चाहता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं मैं उनसे यह मांग करता हूं कि बड़े लोकमहत्व का किसानों से जुड़ा हुआ मामला है कि वह इस पर अपना वक्तव्य दें कि अगला पेराई सत्र जो यह मिल का चालू होने जा रहा है, जो पेराई सत्र चालू होने जा रहा है क्या उससे पहले सरकार भुगतान करायेगी अथवा नहीं दूसरे अभी कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी जो सरक्शन बैठक लखनऊ के अन्दर हुई थी, परसों मैं खुद उस बैठक में गया था उसमें एक प्रथा है कि उसमें मिल मालिक, सरकार के प्रतिनिधि और विधायक भी जाते हैं किसान आते हैं लेकिन इस बार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक भी मिल मालिक वहां मौजूद नहीं था तो मैं समझता हूं कि शायद सरकार का अंकुश नहीं रहा है मिलमालिकों पर और मैं इसी के माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि आज गन्ना मूल्य की जो लागत है वह डीजल, खाद, बिजली और कीटनाशक जैसे यन्त्र बहुत मंहगें हो गये हैं इसलिए गन्ना मूल्य भी इस बार बढ़ा दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपका नियम-56 में सुना, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। मंत्री जी कुछ यह गन्ना मूल्य के बारे में कहेंगे ?

(अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

देखिये, जब 37 सूचनायें रहेंगी तो कितनों की ली जायेंगी उसमें आप सोच लीजिए। कुल 37 सूचनायें आई थीं और 3-4 लेना रहता है, मैं क्या करूं ?

मैं मुकुट बिहारी वर्मा जी आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं और अनुग्रह नारायण सिंह जी की सूचना पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। इन दोनों सूचनाओं पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक सूचना रवीन्द्र कुमार जी की है और एक सूचना यह जय प्रकाश निषाद की है। इस पर केवल आप वक्तव्य मांग लें।

श्री अध्यक्ष-

सरकार का ध्यान आकृष्ट करा लेते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, रवीन्द्र कुमार और जय प्रकाश वाली पर वक्तव्य मांग लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य मांग लेते हैं यह हो गया।

(श्री सुदेश शर्मा और श्री वीरपाल राठी के सदन के फ्लोर पर आने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह क्या हो रहा है ? यह क्या अब हम भुगतान करेंगे ? भुगतान तो मिल मालिक करेगा, सरकार करायेगी। आप अपनी जगह पर जाइये। संसदीय कार्य मंत्री जी बतायेंगे। पहले अपनी जगह पर चलिये शर्मा जी।

श्री सुदेश शर्मा (सदन के वेल से)-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह दें किसानों का भुगतान होगा कि नहीं होगा ? महाधिवक्ता वहां शपथ-पत्र दे रहे हैं कि किसान ब्याज का अधिकारी नहीं है तो यह कैसी किसानों की हितैषी सरकार है, जो अपने आपको किसानों के हितैषी होने का दावा करती है। इस शपथ-पत्र से उसकी पोल खुल चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

शर्मा जी, अब आप चलिये अपने आसन पर चलिये तब तो वह जवाब देंगे।

(श्री सुदेश शर्मा और श्री वीरपाल राठी सदन के वेल में बैठ गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक अनुरोध और है यह विधायक जी का व्यक्तिगत मामला है इनके घर पर यहां चोरी हो गयी है उस पर कार्यवाही हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है वह कह लेंगे।

यह चर्चा का स्थान है आपने चर्चा कर ली, आपकी बात आ गयी, सरकार के संज्ञान में आ गया, अब हम क्या आपको जबरदस्ती रुपया दिला पायेंगे, अब आप लोग अपनी सीट पर चलिये, शर्मा जी अपनी सीट पर चलें, यह तरीका अच्छा नहीं है, अब क्या चाहते हो कि भविष्य में न सुना जाये।

(वेल में आये हुये माननीय सदस्य अपनी सीट पर गये)

संसदीय कार्य मंत्री जी, इनके गन्ना मूल्य के बारे में कुछ है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बात तो ठीक ही है, 72 करोड़ रुपया बकाया है, बड़ी रकम है, किसान छोटा है तो इसकी अदायगी तो होनी चाहिये, सरकार प्रयास करेगी कि नया सत्र शुरू होने से पहले यह पैसा मिल जाये, यह किसानों की ही सरकार है।

(कई सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं। आप लोग बैठें। वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा। माननीय मौर्य जी अपनी चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट मेरी बात सुन लें। जैसे आप नियम-56 की सूचनायें कृपापूर्वक स्वीकार करते हैं, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं और उस पर मुझे कुछ कहना भी नहीं है। मान्यवर, मेरा केवल इतना निवेदन है कि जैसे अभी आपने बाढ़ के विषय पर माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना, उसी के ऊपर हमारे माननीय उपेन्द्र तिवारी जी की भी सूचना थी, मेरा निवेदन यह है कि जब एक विषय पर दो माननीय सदस्यों की सूचना हो तो आप दोनों को सम्बद्ध कर देते।

श्री अध्यक्ष-

इनको उसी समय खड़े होना चाहिये था। लेकिन आप खड़े नहीं हुये। मैंने तो दोनों को जोड़ भी दिया था।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं सिर्फ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि यह जो सूचनायें हैं इन पर आप सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम इन पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं। अब माननीय मौर्य जी अपनी चर्चा शुरू करेंगे।

[02.25] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों की मांग पर चर्चा और मतदान

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल यहां पर अनुपूरक अनुदानों की मांग 2013-14 के लिये रखी और जिसके माध्यम से 7,112,39,07 करोड़ रुपये की व्यवस्था अतिरिक्त धन के रूप में की गयी है। मान्यवर, मैं यहां पर केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि

समाजवादी पार्टी की सरकार बिना धन का सदुपयोग किये और बिना व्यवहारिक खर्च किये हुये लगातार अनुपूरक बजट मांग के माध्यम से प्रदेश सरकार पर अतिरिक्त भार झोंकती जा रही है। इसमें मान्यवर, प्रदेश के हितों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है। हां इतना जरूर है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का गृह जनपद और माननीय मुख्य मंत्री जी की पत्नी जो सांसद हैं, उनके लोक सभा क्षेत्र का ज्यादा ध्यान रखा गया है। इसके अलावा अपने चचा पर भी थोड़ा मेहरबान हुये हैं। लेकिन प्रदेश की जनता का इसमें कोई विशेष ख्याल नहीं किया गया, चाहे बुन्देलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो जो विकास की दृष्टि से अति पिछड़े क्षेत्र हैं इनकी घोर उपेक्षा हुई है। मान्यवर, हमने जब यह अनुपूरक बजट पुस्तिका पढ़ने का काम किया तो उसमें केवल इटावा और कन्नौज के अतिरिक्त कहीं कोई भी विशेष धन की व्यवस्था की अपेक्षा इस अनुपूरक मांग में नहीं की गई। मान्यवर, यहां पर मैं एक अनुरोध यह भी करना चाहूंगा कि आज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का जो विकास होना चाहिए वह कहीं न कहीं आज ठप पड़ा हुआ है और माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में होगा कि अभी तक विकास का पैसा जो जिला योजना के मद में जाना चाहिए वह उत्तर प्रदेश के किसे भी जिले में नहीं पहुंचा है। ऐसे हालात में जब उत्तर प्रदेश में विकास का काम ठप है और साथ ही साथ हम समझते हैं कि जब विकास का कार्य ठप है तो अनुपूरक बजट के माध्यम से और धन की मांग करने का कोई औचित्य नहीं उठता है। यहां पर मा0 अधिष्ठाता महोदय जी हम आपके माध्यम से यह भी सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं कि यहां पर अनुपूरक बजट के माध्यम से एक ओर कायमगंज, फर्रुखाबाद में पराग दुग्ध डेरी दूध संकलित करने की व्यवस्था हेतु सरकार चिन्ता कर रही है, छाछा भोगांव मैनपुरी में दुग्ध अवशीतन की चिन्ता तो है, यह चिन्ता होनी चाहिए लेकिन उसके साथ ही साथ पूर्व से पूरे देश का सबसे बड़ा यहां पर शाहीवाल गाय की नस्ल को बढ़ावा देने के लिए जो चक गंजरिया फार्म लखनऊ में है और अपना एक ऐतिहासिक स्थान रखता है आज उसका अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि मान्यवर, एल0डी0ए0 के लोग उस जमीन को अधिग्रहीत करके आवासीय तथा विभिन्न अन्य योजनाओं में, यहां तक कि जो प्राईवेट भवन निर्माता हैं उनको देने की साजिश सरकार की अन्दर-अन्दर चल रही है। जबकि चक गंजरिया फार्म एक ऐसा राजकीय पशुपालन विभाग पशुधन प्रक्षेत्र है जो 1949 में स्थापित हुआ। शाहीवाल गायों का दूध विशेष रूप से बहुत अच्छा माना जाता है, घी की भी मात्रा जिसमें अच्छी होती है।

(इस समय 2 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए।)

ऐसी शाहीवाल गाय की नस्ल को बढ़ावा देने के लिए चक गंजरिया फार्म को जहां बढ़ावा देने की आवश्यकता है वहां पर उसकी जमीन को इधर-उधर करके अन्य मदों में देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि जहां आपको अन्य क्षेत्र में चिन्ता है वहीं पर चक गंजरिया फार्म की भी चिन्ता रहनी चाहिए और उसके मूल स्वरूप के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। यदि विकास के लिए आपको कहीं और भी जमीन की आवश्यकताएं हैं, अपेक्षाएं हैं तो और भी तमाम जमीनें खाली हैं उन खाली जमीनों का उपयोग किया जाना चाहिए और जो पूर्व से संचालित व्यवस्था है उसको चलने देना चाहिए। मान्यवर, इस पर भी सरकार को गम्भीरता से संज्ञान लेना चाहिए जिससे कि उसका अस्तित्व खतरे में न पड़े। इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने आपके माध्यम से अनुरोध किया कि बजट पुस्तिका में राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, कैंसर अस्पताल कन्नौज, मेडिकल इंस्टीट्यूट कन्नौज और सावित्री विश्वविद्यालय, इटावा परिसर में निर्माणाधीन दुग्ध अभियान्त्रिकी

महाविद्यालय, मत्स्य महाविद्यालय, इटावा, इसी तरीके से तमाम केवल इटावा कन्नौज के इर्द-गिर्द यह पूरा का पूरा अनुपूरक बजट मंडराता रहा। हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन कन्नौज, इटावा की तरह आपके बगल में मैनपुरी भी है और साथ ही साथ प्रदेश के 80 जिले भी हैं। उन जिलों को भी उतनी प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी और बराबर-बराबर सभी क्षेत्रों में ध्यान रखा जाना चाहिए था, विशेष रूप से पिछड़ेपन के आधार पर बुन्देलखण्ड की प्राथमिकता आनी चाहिए थी और पूर्वान्चल जो उद्योग से बहुत ही परे है और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर वहां अतिरिक्त विकास की आवश्यकता है उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए था जिसका इसमें अभाव दिखाई पड़ा है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ आज जिस तरीके से सरकार की पकड़ हर क्षेत्र में ढ़ीली होती जा रही है। जैसा कि मैंने अवगत कराया विकास कार्य पूरे प्रदेश में ठप्प है, सारी जिला योजनाओं में विकास का पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है। इसके साथ ही साथ जैसा कि विगत वर्षों में यहां पर बजट सत्र के दौरान मैंने कहा था एक साल तक किसी भी पंचायत में एक पैसा नहीं गया था और जब सरकार की बड़ी घेराबंदी हुई और बजट सत्र में बात आयी तो उसके तीसरे दिन संबंधित विभागीय मंत्री ने कहा कि मैंने आज जारी कर दिया यानि एक साल बाद। अगर सदन में सरकार को न घेरा जाता तो शायद वह भी जारी न होती और एक साल तक ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें उन सभी का पैसे के अभाव में, वहां का सारा विकास का काम ठप्प था। आज जिला योजना में भी यही हालात है। पैसे के नाते सारे विकास कार्य ठप्प हैं। इसी के चलते अभी तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने अगर किसी कार्य का लोकापर्ण किया है तो हमारी सरकार में जो कार्य प्रारम्भ किये गये थे और पूरा हो गया था, पूरा होते-होते चुनाव आ गया केवल उन्हीं कार्यों का आपने लोकापर्ण किया और जनता को देने का काम किया है। जहां तक रही समाजवादी पार्टी की सरकार की उपलब्धियां तो वह आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है और वाकई में अपने अन्तर्मन से माननीय मुख्य मंत्री जी सोचेंगे तो वह भी अपने को पायेंगे कि हम कहां खड़े हैं ? साथ ही साथ इस पूरे अनुपूरक बजट में जो बिगड़ी कानून-व्यवस्था है उसको चुस्त-दुरुस्त करने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गयी है, कोई अलग से नीति निर्धारित नहीं की गयी है जिससे कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया जा सके और कानून-व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके। उत्तर प्रदेश की जनता की जो अपेक्षायें आप से हैं, कहीं न कहीं उस पर कुठाराघात न हो सके और उन अपेक्षाओं पर कानून-व्यवस्था खरी उतर सके और प्रदेश सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, आज विशेष रूप से सरकार कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर एक नहीं अनेक बार कहीं न कहीं कटघरे में खड़े होने के लिए मजबूर होती है। मान्यवर, उसका कारण है कि आज जिस तरीके से स्थानीय स्तर पर अराजक तत्वों का दबाव है और कहीं न कहीं सत्ता के दबाव में भी ईमानदारी से अधिकारी काम नहीं कर पाते जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। तो माननीय मुख्य मंत्री जी को इस ओर भी गंभीर होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। साथ ही साथ सत्तापक्ष के लोगों के द्वारा यदि कहीं कानून-व्यवस्था खराब होती है तो इसको भी बिना भेदभाव के संज्ञान ले करके प्रभावी कार्यवाही करनी पड़ेगी क्योंकि प्रदेश की जनता आपके सामने है और आपकी जवाबदेही मुख्य मंत्री होने के नाते प्रदेश की जनता के प्रति पहले है, आपके अपनी पार्टी के पदाधिकारी और विधायकों के प्रति बाद में है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की उपेक्षा करके हम अपने लोगों को अगर प्राथमिकता देंगे तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को निराशा हाथ

लगेगा। इसलिए इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। इसी के साथ ही साथ मान्यवर, जो यह बजट प्रस्तुत हुआ है यद्यपि कि इसमें अलग से कोई प्रभावी योजना नहीं है, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा किया था कि हमारी जितनी भी विकास की योजनायें हैं उनमें 20 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए उनके क्षेत्र के विकास के लिए धन का उपयोग करेंगे। इसके लिए भी इसमें अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन घोषणा तो हो गई लेकिन न तो पिछले बजट में इसका प्राविधान किया गया न अनुपूरक बजट में इसका प्राविधान किया गया आखिर जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं 20 प्रतिशत धन की बिना व्यवस्था किए बिना मदों में व्यवस्था किए बिना धन की व्यवस्था किए उनके लिए अलग से आप कैसे खर्च करेंगे। यह अपने आप में एक सोचनीय विषय है। यह अल्पसंख्यकों के लिए छलावापूर्ण निर्णय है। यदि वाकई में माननीय मुख्य मंत्री जी की नीयत साफ है तो इसके लिए अनुपूरक बजट में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से धन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। जिसकी व्यवस्था इसमें नहीं की गई है इसी तरीके से पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति उनको नहीं मिल पा रही है इस अनुपूरक बजट में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए हम आपसे यह चाहते थे कि यदि आप अनुपूरक बजट ला ही रहे थे तो विशेष रूप से समाज के पिछड़े लोग जो विकास से कोसों पीछे रह गए थे उनकी विशेष चिन्ता करनी चाहिए थी और उनके लिए जो अनुपूरक बजट का प्राविधान कर रहे थे उसमें उनके लिए चिन्ता साफ-साफ दिखाई पड़नी चाहिए थी। इसी के साथ ही साथ हम माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में यह भी लाना चाहेंगे कि आज आपको विशेष रूप से कानून-व्यवस्था के ऊपर अलग से आपको रणनीति अपनानी होगी क्योंकि आपको अब शुरुआत में तो आप यह कह सकते थे कि यह सारे के सारे अधिकारी बहुजन समाज पार्टी के हैं सारी की सारी पुलिस बहुजन समाज पार्टी की सरकार की पुलिस है आप यह कहते थे लेकिन 17 महीने की आपकी सरकार हो गई अगर अब आप यह कहेंगे तो उल्टा यह आप पर चस्पा होगा क्योंकि आपकी सरकार है और अधिकारी या पुलिस कर्मी कोई भी हों जिसकी सरकार होती है उसके होते हैं वह किसी पार्टी के नहीं होते हैं इसलिए हम यह कहते हैं कि यह आरोप लगाकर आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप से बाज आएं साथ ही साथ इस व्यवस्था को चाक-चौबंद करें कि कौन ऐसी परिस्थितियां हैं कौन ऐसे कारण हैं कि हमारा पुलिसतंत्र हमारे नियंत्रण में नहीं है। आज वह अराजक होता जा रहा है इस प्रकार की घटनाएं नित्य प्रति होती जा रही हैं यह गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि यह प्रदेश की जनता से सीधे जुड़ा हुआ विषय है। सरकार का इकबाल भी इससे झलकता है यदि आपके शासन प्रसासन चुस्त-दुरस्त होंगे यदि स्थानीय पुलिस प्रशासन से लोगों को इन्साफ मिलेगा लोगों को न्याय मिलेगा तो सरकार का इकबाल का संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। आज पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो सरकार की छवि बननी चाहिए वह नहीं बन रही है तो यह भी कहीं न कहीं चिन्ता का विषय है। आपके माध्यम से हम यह भी कहना चाहते हैं कि इसी सदन के हमारे विधायक थे श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू जो पिछली विधान सभा के सदस्य थे। विगत दिनों उनकी हत्या हो गई हत्या के बाद वहां जनाक्रोश उभरा और जनाक्रोश को दबाने के लिए पुलिस ने जिस तरह से बर्बर गोलीबारी की कि वहां तीन ग्रामीण भी मौत के घाट उतार दिए गए कहां आज वहां मलहम लगाने की जरूरत कहां जो लोग मौत के घाट उतारे गए या जिन विधायक जी की हत्या हुई उनके लोगों को न्याय और इंसाफ दिलाने के बजाय आज वहां पर ग्राम वासियों के ऊपर फर्जी मुकदमा लादकर 49 के

साथ-साथ एक हजार अन्य और एक हजार अन्य के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों से बड़े पैमाने पर स्थानीय पुलिस कर्मियों द्वारा धन की उगाही करने का काम किया जा रहा है जो बड़ी ही चिन्ता का विषय है। ऐसे मामले जहां पर पुलिस निरंकुश हो पुलिस अराजक हो जहां पर पुलिस की कार्यवाही से क्षेत्र की जनता को तकलीफ पहुंचे और पुलिस पर सवालिया निशान हो वहां पर सरकार को आगे आना होगा पार्टी और राजनीति से ऊपर उठकर बिना भेदभाव के वहां पर कड़ाई करनी होगी तब जाकर कहीं बात बनेगी। मान्यवर, इसीलिये मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज पुलिस किस तरह से निरंकुश है। बाराबंकी में 3 दिन पहले जौरास गांव में एक शिवा सिंह पटेल की हत्या होती है और नदी में उसको फेंक दिया जाता है और गायब करने का प्रयास किया जाता है। स्थानीय लोग जब पुलिस, एस0पी0 का घेराव करते हैं तब जा करके लाश खोजवाते खुदवाते हैं और लोगों के दबाव में एफ0आई0आर0 तो दर्ज करते हैं लेकिन जो नामजद अभियुक्त हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से मान्यवर, आज यह जो पुलिस की अराजकता आ रही है उसका सीधा-सीधा वार समाजवादी पार्टी सरकार पर जा रही है इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम यह बात आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में इसलिये लाये हैं ताकि सरकार ऐसे मामलों को गम्भीरता से लें, उसका संज्ञान लें और ऐसे मामलों पर प्रभावी निर्णय ले करके उचित कार्यवाही करने का काम लें। इसी तरह से मान्यवर, अभी अभी बनारस में तीन दिन पहले एक छोटे लाल पटेल की गोली मार करके हत्या कर दी गई और मौके पर उसी थाने की पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार भी करती है लेकिन बाद में पता नहीं कहां से दबाव आता है कि उन अभियुक्तों को आर्म्स ऐक्ट में चालान करके उनको उस हत्या के केस में बचाने का प्रयास कर रही है। इसी प्रकार से मान्यवर, हमने छोटे-छोटे आपको दो तीन दिन के अंदर वाले केस आपके सामने रखे हैं, सदन के दौरान जो घटनाएं घटी हैं मैं उसका संज्ञान आपके सामने ला रहा हूं। मान्यवर, इसी तरह से मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्या कारण है कि आज आई0बी0 की रिपोर्ट के मुताबिक माननीय मुख्य मंत्री जी, जो लिखत-पढ़त में रहता है उसको न आप झुठला सकते हैं न हम झुठला सकते हैं। आई0बी0 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में छोटे-बड़े सब मिलाकर अभी तक 107 दंगे हो गये। आखिर इन दंगों के पीछे है कौन यहां तक आपको जाना होगा। केवल यह कह कर कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह किया है, फलां के लोगों ने यह किया है इससे बात नहीं चलेगी। जिसने भी किया हो, किसी भी पार्टी का हो। जाति और सम्प्रदाय से ऊपर उठ करके ऐसे लोगों को जो भी साम्प्रदायिक शक्तियां सिर उठाने की कोशिश कर रही हैं उनको कुचल दिया जाना चाहिए उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए। आज संख्या अगर 107 आई0बी0 की रिपोर्ट के मुताबिक हैं तो कल यह संख्या बढ़ सकती है। अभी आपको मात्र 17 महीने मुख्य मंत्री बने हुए हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि ऐसी जो साम्प्रदायिक ताकते हैं उनको दबाने के लिये कोई मुरव्वत न करिये। दाएं बाएं मत देखिये और साथ ही भविष्य को भी मत देखिये। अगर आप कड़ाई से पेश आयेंगे तो भविष्य आपका उज्जवल रहेगा लेकिन अगर आप कड़ाई से पेश नहीं आयेंगें तो कहीं आपका भविष्य आपके हाथों बर्बाद न हो जाए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता विपक्षी दल, अब आप समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी। मैं बिल्कुल शार्ट कर रहा हूं। इसीलिये मान्यवर, चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आज क्या कारण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमारी भी सरकार थी माननीय मुख्य मंत्री जी, एक भी कोसी परिक्रमा करने कभी कोई नहीं आया। न पंच कोसी, न चौरासी कोसी, न सोलह कोसी। यह सारी की सारी कोसी परिक्रमा करने वाले चूहे के बिल में घुस गये थे कोई सड़क पर दिखाई नहीं पड़ता था। क्या कारण है कि वह आज सिर उठा रहे हैं। क्या कारण है कि साम्प्रदायिक शक्तियां जिनकी बोली कल तक बंद थी आज वह सिर उठा रही हैं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी अभी कहेंगें कि यह आपके कभी कभी के साथी रहे हैं। साथी तो आप भी हमारे रहे हैं। 1993 में आपका हमारा गठनबंधन रहा। 1996 में कांग्रेस का हमारा गठबंधन रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का हमारा गठबंधन रहा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके आपने भी सरकार बनाई चाहे वह 1977 रहा हो 1989 रहा हो। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे जनता दल की सरकार रही हो। उसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा था। और भारतीय जनता पार्टी दो सांसदों वाली पार्टी को केन्द्र में जो सरकार बनाने के लिये किसी ने ताकत दिया है तो वह जनता दल के नाम पर वह जो तमाम संगठित फोर्सेस इकट्टी हुई थीं उन्हीं ने इनको ताकत देकर यहां तक बढ़ाने का काम किया था और मान्यवर, मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से तालमेल करना हमारी मजबूरी रही होगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या ज्यादा थी हमारी संख्या 67 थी लेकिन हमने बहुजन समाज पार्टी और प्रदेश की जनता के हितों की कभी अनदेखी नहीं की। यहां तक कि चाहे मथुरा वृन्दावन का मामला हो, चाहे बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद हो यहां तक कि उसके बगल में मंदिर और वहां पर जाकर पैदल मार्च करना चाहते थे जलाभिषेक करना चाहते थे, हमारे साथ रहकर भी हमने इनको अनुमति नहीं दी। सिर के बल खड़े हो गये फिर भी हमने कह दिया आपको अनुमति नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी क्या कारण है कि आज साम्प्रदायिक शक्तियां सिर उठा रही हैं। उसका क्या कारण है ?

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 मुख्य मंत्री जी अगर विश्व हिन्दू परिषद् के साथ आप चाय पानी करेंगे उनको घर में बैठायेंगे और उसके बाद 84 कोसी परिक्रमा होगी और उसके लिए आप आदेश जारी करेंगे तो प्रदेश की जनता कहेगी कि कल दावत उड़ा रहे थे। आज अदावत की बात कर रहे हैं। यह मिली-भगत का संदेश चला जाएगा। मैं खत्म करने जा रहा हूं। मैं तो मा0 मुख्य मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि आपके अगल-बगल बैठने वाले चचा लोग से आपको सावधान रहना है यहीं कहीं आपकी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल न कर दें। अपने पड़ोसियों से आपको सावधान रहना है। हम तो जब भी आयेंगे लौटकर आयेंगे, लड़कर आयेंगे पटक कर आयेंगे, आप इधर आयेंगे हम उधर जायेंगे, यह सब तो चलता रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं तो आपके सामने बैठा हूं मैं तो विपक्ष हूं मैं तो आपका विरोधी हूं। लेकिन विरोधी भी हूं तो मैं सकारात्मक बात पर विश्वास करता हूं इसीलिए मैंने अपनी

तमाम बातों के माध्यम से आपको आगाह भी किया है और सावधान भी किया हूं और कमजोर बिन्दुओं पर आपका ध्यान भी आकृष्ट किया हूं इसलिए कि समय रहते आप सावधान हो जाएं और इस गिरती व्यवस्था को आप सुधारने का काम करें। जो ठहरा हुआ विकास है उसको आगे बढ़ाने का काम करें और जो कानून-व्यवस्था की बात है कानून के रक्षक ही आज कानून के भक्षक बन गये हैं और कानून से लोगों का विश्वास उठा है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समय रहते आप सावधान हो जाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब भी मुख्य मंत्री के रूप में कोई निर्णय लेते हैं तो आपकी नजर के सामने उत्तर प्रदेश का नक्शा होना चाहिए और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता होनी चाहिए जब सबके लिए सोचेंगे तो हम समझते हैं मुख्य मंत्री के रूप में आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि इस समय कोई भी अनुपूरक बजट की आवश्यकता नहीं थी। क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता नहीं थी मा0 मुख्य मंत्री जी 16-17 महीने केवल झुनझुना बजाते रहे हैं सारे के सारे काम ठप हैं इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने मुझे अनुपूरक अनुदानों की बजट मांगों पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे लग रहा था कि कुछ विकास की बात हो जाएगी मुझे लग रहा था कि कुछ प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात हो जाएगी। लेकिन विधान सभा में बैठे हुए कुछ लोगों के चश्मा ऐसा चढ़ा हुआ है कि उनको एक बात के अलावा दूसरी कोई बात नजर नहीं आती हैं वह लोग जो सब जगह से होकर आते हैं और सब जगह से अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं और अकेले कहते हैं कि हम इनका साथ नहीं देते हैं वह लोग जो प्रादेशिक पार्टी के हैं और अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में टिप्पणी करते हैं उनको यह शोभा नहीं देता है क्योंकि वह देश में कहीं है ही नहीं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से क्योंकि बजट के ऊपर सीमित रहना चाहता हूं बजट मान्यवर, जिस समय आया था और जिस समय यह सरकार नई-नई बनी थी आज से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व इस बात का मन में विश्वास था कि नये मुख्य मंत्री होने के नाते नौजवान मुख्य मंत्री होने के नाते विजन होगा प्रदेश को विकास के रास्ते आगे बढ़ाने का, विजन प्रारम्भ में दिखाई भी पड़ा होगा लेकिन उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का सहयोग सरकार का होना चाहिए था कदाचित वह मुख्य मंत्री के साथ नहीं था। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं इस बात का अपने-अपने मन से और अपनी-अपनी आत्मा से इस प्रश्न का उत्तर ले लें तो सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। मान्यवर, यह जो अनुपूरक बजट आया तो लगा कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात होगी लगा कुछ विद्युत परियोजनाओं की बात होगी लगा कि कुछ इन्डस्ट्री की बात होगी, लगा कि कुछ प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की बात होगी लेकिन जैसा आज तक होता आया है पिछले 2004 से कि कुछ क्षेत्र चयनित हैं कि उस समय उनकी सरकार होगी तो उन क्षेत्रों के विकास के बारे में बात होगी और इनकी सरकार होगी तो उन क्षेत्रों के विकास के बारे में सोचेंगे और जिस समय कदाचित कोई डिफाल्टर मुख्य मंत्री बन जायेंगे और आ जायेंगे तो उन क्षेत्रों की बात करेंगे। जैसे अभी यहां पर कहा गया कि प्रदेश को सिर्फ सैफई तक, इटावा तक, कन्नौज तक और रामपुर को भी मैं जोड़ लेता हूं, उन क्षेत्रों तक सीमित रख दिया गया। मान्यवर, प्रदेश केवल इन 2, 4, 5 जिलों से जोड़ कर नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनता, प्रदेश बनता है, उन क्षेत्रों से जो इन्डस्ट्री के नाम से विश्व भर के अन्तर्गत जाने जाते हैं। प्रदेश बनता है, मान्यवर, उन क्षेत्रों से जिनका नाम चाहे सांस्कृतिक आधार पर लिया जाता हो, चाहे ऐतिहासिक आधार पर लिया जाता हो, चाहे देश की आजादी के आधार पर लिया जाता हो, उनके परिलक्षण, उनके प्रतिबिम्ब न तो बजट में दिखायी पड़े थे और न अनुपूरक बजट में दिखायी पड़ रहे हैं। एक बात जरूर दिखायी पड़ रही है, इस सरकार को अपने लोगों को खुश करने के लिए रोज लाल बत्ती देने का आह्वान किया गया है। रोज अखबार पढ़ो तो लगता है कि आज इस विभाग में नई लाल बत्ती दे दी गयी, आज उस विभाग में लाल बत्ती दे दी गयी। मान्यवर, लाल बत्ती देने की एवज में लोगों को कुछ सुविधाएं तो मिलें। वह लोग राजनीतिक दल के नाते से उस राजनीतिक दल का काम करते रहेंगे और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। लाल बत्ती वालों को किसी को उपाध्यक्ष बनाया गया, किसी को चेयरमैन बनाया गया तो यह तो सरकार का अधिकार है, लेकिन उसमें आप सरकार की सीमा तय कर दें, जब तक आप खर्चों में कटौती नहीं करेंगे, जब तक मितव्ययिता नहीं बरतेंगे, तब तक प्रदेश के संसाधनों के लिए आप पैसा नहीं निकाल पायेंगे। सरकार के माननीय मंत्री हैं, व्यवस्था के अन्तर्गत हैं, हम भी सम्मान करते हैं लेकिन बहुत से आपके जो चेयरमैंन है वह आपसे बड़ा मंत्री अपने आप को लिखने का प्रयास करते हैं और वह कभी यह नहीं लिखता है कि मैं इसका चेयरमैन बना हूं, उपाध्यक्ष बना हूं सदस्य बना हूं, यहां पर जितने कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, उनसे बड़ा उनके नाम के आगे लिखा होता है, कैबिनेट मंत्री। मान्यवर, वह कैबिनेट मंत्री के नाम का दुरुपयोग करते हैं, उस कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी लेने के बाद उनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है और पैसे का अपव्यय होता है। इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है और उस पैसे के अपव्यय को रोकना चाहिए। आप प्रारम्भ तो करिए, आप संदेश तो दीजिए। मुख्य मंत्री जी ने संदेश दिया था, जिस समय मुख्य मंत्री बने थे, आज से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व, उन्होंने कुछ सन्देश दिए थे कि मैं उस गाड़ी से नहीं चलूंगा और आने-जाने का पूर्व का जो रवैया था, तानाशाही रवैये से प्रदेश जकड़ा हुआ था, उसे तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन आपके अकेले प्रयास से आपके साथियों को सहमति नहीं है, इनको सहमत होना पड़ेगा। यह जो तथाकथित मंत्री है, मैं उनको तथाकथित मंत्री इसलिए कहता हूं कि वह मंत्री नहीं हैं फिर भी वह अपने को मंत्री, कैबिनेट मंत्री लिखते हैं, जिनको मंत्री का दर्जा भी नहीं है और जिनको दर्जा प्राप्त है, वह अपना दर्जा भी नहीं लिखते हैं। एक-एक व्यक्ति के साथ मान्यवर, 3-3, 4-4 पुलिस स्कार्ट की गाड़ियां चलती हैं, यह गंभीर बात है, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। यदि प्रदेश का मुख्य मंत्री कोई बात कहता है तो वह पूरी होनी चाहिए। अगर दिल्ली से उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश करता है तो वह कहता है कि सड़क टूटी हुई थी, हमें पता चल गया कि हम उत्तर प्रदेश में इण्टर कर गए हैं। आज हम विपक्ष के विधायक हैं, सत्ता पक्ष में भी रहे हैं, मैं गाजियाबाद के अन्दर घुसा तो वहां लोगों ने कहा, साथियों ने कहा कि तुम्हारे प्रदेश में आ गये हैं, उन्होंने यह नहीं कहा कि श्री अखिलेश यादव जी के प्रदेश में आ गए हैं जहां के वह मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने हमारे को चिन्हित करके, हमारे को अपमानित करने का प्रयास किया कि आपके प्रदेश में आ गए हैं। सड़कों का क्या हाल है, लोक निर्माण मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मान्यवर, सड़कों पर चला ही नहीं जाता है, गोण्डा की ही नहीं सारे प्रदेश में सड़कों का यही हाल है। मान्यवर, माननीय सदस्यों को मैं जानकारी दे दूं, यह जो इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम है,

विकास का काम है यह साल डेढ़ साल और 6 महीने तक सीमित नहीं रहता है, यह अनवरत् चलने वाली प्रक्रिया है और अनवरत् चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसमें जिस दिन जिस समय सड़क टूटे उस समय उसको ठीक करने की जिम्मेदारी होती है। आपने कहा कि डेढ़ साल में खराब हो गयी। डेढ़ साल में खराब नहीं हो सकती क्या ? बरसात से पहले दो महीने के अंदर खराब हो जाती हैं इस बात की जानकारी कर लें। आप प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं आप उद्योग की बात करते हैं। विकास के नाते से गुजरात के साथ तुलना करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते आप।

(समाजवादी पार्टी के कई माननीय सदस्यों के टोकाटाकी करने पर)

श्री सतीश महाना-

आप नहीं करना चाहते। वहां पर 24 घण्टे बिजली मिलती है। आप 24 घण्टे बिजली नहीं देना चाहते। यही तो मैं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहते और कर भी नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि आपकी सोच नहीं है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

महाना जी, आपने बार-बार कहा कि नहीं बनाना चाहते गुजरात, गुजरात की नकल नहीं करना चाहते। और आपने प्रोसीडिंग्स में बहुत जगह गुजरात पर ला दिया। गुजरात कितना बड़ा है गुजरात की जनसंख्या क्या है गुजरात में क्या होता है गुजरात किस लिये धनवान स्टेट है। यह आपने नहीं बताया। अगर आप यह भी बताते चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। और फिर यह भी बताते चलें कि गुजरात में आप जब चाहें जनसंख्या को कम भी कर देते हैं। तो यह भी एक बड़ा हुनर प्राप्त है गुजरात में। तो वह यहां नहीं और वह यहां संभव भी नहीं है।

श्री सतीश महाना-

मैंने कहा कि वह नहीं कर सकते। वहां पर 24 घण्टे बिजली उपलब्ध है। इसके बारे में यह सोच भी नहीं सकते। मान्यवर, इनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम छत्तीसगढ़ से सीखना चाहिए था नहीं सीखा। आम गरीब आदमी तक राशन कैसे पहुंच सकता है यह करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते। टेलीविजन में खराब बात भी आती है अच्छी बात भी आती है आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं यह आपके ऊपर है। खराब बात छोड़ दीजिए अच्छी बात ग्रहण कर लीजिए। मान्यवर, बिजली के उत्पादन के संबंध में पिछली विधान सभा के सत्र में जिस समय बजट सत्र हुआ था तो यहां पर मा0 लोक निर्माण मंत्री जी ने चूंकि ऊर्जा विभाग मा0 मुख्य मंत्री जी के पास है तो इन्होंने जवाब दिया। कहा गया कि 31 ऐसी परियोजनायें हैं जिन पर काम चल रहा है और यह अधूरी पड़ी हैं। तो मैंने उस समय निवेदन किया था कि यह जो 31 ऐसी परियोजनायें हैं जो अधूरी पड़ी हुयी हैं तो इनमें से एक-एक प्रियारिटी पर लेकर जिनमें 80-90 प्रतिशत काम हो गया है उनको पूरा कर दीजिए। उसमें 6 महीने तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की। नहीं की। मा0 मुख्य मंत्री जी, आपसे विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि आपने कानपुर की चर्चा की, चिंता की। आपने यह कहा था कि पिछले साल वर्ष 2012 में गंगा बैराज से जो सड़क निकलकर आयी है वह उन्नाव की सड़क के साथ मिल गयी थी, लो यह नवम्बर आ गया। आ रहा है नवम्बर। मेरा विनम्र निवेदन है कि जो बात आप कहें आपके नाम से जनवरी में जो पत्थर लगा है, मेरा आपसे निवेदन है कि आपके नाम का किसी भी स्थान पर अगर

पत्थर लग जाता है तो मैं एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते कहना चाहता हूं कि उस पर काम करवाया जाये। उसका सम्मान हो।

(समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्यों के टोका-टाकी करने पर)

अगर 9-9 महीने उस पर काम शुरू नहीं होता तो इस पर आपको शर्म आती है कि नहीं आती लेकिन हमें जरूर आती है। इसमें भी मान्यवर, टिप्पणी आ गई, मुझे उम्मीद थी कि जरूर आयेगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय महाना जी, खत्म करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं बस खत्म ही कर रहा हूं, मान्यवर कोई ऐसी घोषणा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस समय ला एण्ड आर्डर की बात आई, आज साईबर क्राईम के जो तरीके हैं, हर तीरके से नए-नए तरीके से जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हुआ दंगा, हम सब लोगों को उसके लिए अफसोस है, हम उसकी निन्दा करते हैं, उसकी जितनी भर्त्सना हो सकती है, हम उसकी उतनी भर्त्सना/निन्दा करते हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए मान्यवर जिस प्रकार से, पुलिस का एक आधुनिकीकरण होना चाहिए मान्यवर, आप उस आधुनिकीकरण के नाते से उस आधुनिकीकरण के लिए क्या कर रहे हैं। आपने विस्तार से मान्यवर उसकी कोई चर्चा नहीं की। मान्यवर, ला एण्ड आर्डर के लिए जब तक आप अपने सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक उस ला एण्ड आर्डर की स्थिति सही होने वाली नहीं है, उसको आप अपडेट नहीं करेंगे, अगर उसको आप अत्याधुनिक सुविधायें देने का प्रयास नहीं करेंगे, मुझे मालूम है आप सी0सी0टी0वी0 कैमरा और जी0पी0एस0 सिस्टम भी लगवाने की आपने घोषणा की थी, लेकिन वह कहीं भी अभी तक जमीन के ऊपर नजर नहीं आई। मा0 मंत्री जी आपको कोई जानकारी होगी, आप अभी बतायेंगे, मैं अपडेट हो जाऊंगा, अभी तक नहीं हुई। घोषणा करने के बाद बजट अब यहां आने के बाद फिर उसमें हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, तो मान्यवर इस प्रकार के बजट का, अनुपूरक बजट का कोई औचित्य नहीं है। सरकारी काम-काज है, आपको पूरा करना है, सरकार का अधिकार है, सरकार के पास संख्या है, लेकिन संख्याबल के आधार पर प्रदेश को प्रगति के पथ पर नहीं लाया जा सकता, प्रदेश को प्रगति के पथ के ऊपर लायेंगे जब दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, विश्वास होगा और विश्वास प्रमुख रूप से यहां पर बैठे हुए सभी मा0 सदस्यों का सरकार के ऊपर होना चाहिए, चाहिए कह रहा हूं, है नहीं, वह होना चाहिए और विश्वास के कारण प्रदेश में विकास होगा, तब बिजली आयेगी, तब खाद-पानी मिलेगा। आप लैपटॉप दे रहे हैं, आप जहां कहीं भी जाते हैं, एक बात कहते हैं कि झुनझुना पकड़ाने की बात कही थी, जिन्होंने झुनझुना कहा होगा, उनको आपने पकड़ा दिया होगा या उसके ऊपर बोले वो, लेकिन केवल लैपटॉप देने से प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है और भी बहुत सारी योजनाएं और भी बहुत सारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए थीं, उन प्राथमिकताओं के ऊपर आप ध्यान देंगे, यह भी अनुपूरक बजट में, मान्यवर मैंनें कहा इसके ऊपर जितना क्योंकि बजट के ऊपर बोलूंगा और विस्तार से, इसलिए आपने जो समय निर्धारित किया था, एक बात अन्त में कह कर मैं अपनी बात को विराम दूंगा, मान्यवर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहूंगा बड़ी विनम्रतापूर्वक मा0 मुख्य मंत्री जी से और मा0 नगर विकास मंत्री जी से, संसदीय कार्य

मंत्री तो हैं ही, लेकिन नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जिस समय यहां पर घोषणा की थी, 22 मार्च को आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था, मेरे पास उसकी प्रोसीडिंग है कि इस सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने 100-100 हैण्डपम्पों की घोषणा की थी, सभी में सभी आते हैं, सभी में यह नहीं आते हैं कि यह शहरी क्षेत्र वाले हैं, इनको छोड़ दो और यह ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं, इनको दे दो। मान्यवर, मेरा निवेदन है, इसीलिए मैंने दोनो सम्मानित महानुभावों से यह निवेदन किया, दोनों का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया, मंत्री जी अभी आपने आज पहली बार कहा है यहां पर कि मुख्य मंत्री जी जो भी आदेश देंगे, हम उनको पूरा करेंगे, तो मुख्य मंत्री जी की यह इच्छा है कि सभी विधायकों को 100-100 हैण्डपम्प मिलें, उसके लिए आप कृपापूर्वक आदेश जारी कर देंगे, तो मुझे लगेगा, कम से कम इस अनुपूरक बजट का बहुत फायदा हुआ हो या न हुआ हो, एक न्यूनतम आवश्यकता जो एक गरीब आदमी की पानी पीने की हो सकती है, हम उसको पूरा कर सकेंगे, मान्यवर इतनी बात कह कर के हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अधिष्ठाता जी, अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। यह अनुपूरक अनुदानों की बुकलेट मैंने पढ़ी, तो बुकलेट में यह तो एक परम्परा रही है कि अनुपूरक बजट लाया जाता है, अपने सरकार की व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के लिए और चुनाव भी आ रहा है, उसके लिए भी आपने 100 करोड़ का प्रावधान किया है, 40 करोड़ का एक हवाई जहाज भी खरीदने की बात कही है, तो यह बातें ठीक हैं, अच्छी हैं, परन्तु हमारी सोंच यह थी और हम बहुत उम्मीद करते थे और करते हैं, मुख्य मंत्री जी सुन लीजिए, हम यह कहना चाहेंगे कि हमने सोंचा था एक बहुत अच्छी सोंच, एक पूर्ण बहुमत की सरकार, आप लोग खाली अपने मैनीफेस्टो तक सीमित हैं, जैसा मा0 महाना जी ने कहा लैपटॉप बांटना, कन्याधन योजना का करना, बेरोजगारी भत्ता देना, उसके लिए आपने बजट प्राविधान किया। अभी मैं मा0 शिवपाल जी से बात कर रहा था उन्होंने सहमति भी जताई थी कि प्रदेश में बहुत सी सड़कें बननी हैं, सड़कों का बहुत पुरषाहाल है, आपने अनुपूरक बजट में पैसा लिया, पहले भी पैसा लिया....

(इस समय 03 बजकर 05 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आपने अनुपूरक बजट में पैसा लिया, पहले भी पैसा लिया और स्थिति यह है कि जैसे हमारे बड़े भाई प्रमोद तिवारी जी कहते हैं कि समग्र विकास की बात जब आप करेंगे तो 403 सेगमेण्ट में उत्तर प्रदेश को बांटिये। ये मत देखिये, मुझे याद है कि आपके वालिद साहब जब मुख्य मंत्री की चेयर सुशोभित करते थे तो सबको समदृष्टि से देखते थे और वो सबको 7 कि0मी0 सड़क देते थे, वो सबको हैण्डपम्प देते थे, वो सबको 5-5 गांव विद्युतीकरण के देते थे। पर यहां आपकी घोषणा के बावजूद भी हम सब लोगों को आपसे बार-बार कहना पड़ रहा है कि 100 हैण्डपम्प, 100 हैण्डपम्प, 100 हैण्डपम्प। शहरी क्षेत्र में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जो नगर विकास मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा था कि शहरी क्षेत्र के लिये भी देंगे। अब जिनका शहरी क्षेत्र आता है तो उनके लिये भी तो एनाउन्स करिये आप। वे हैण्डपम्प

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहां से आयेंगे। मुख्य मंत्री जी आपकी सोच को मैं हमेशा एप्रिशियेट करता हूं। हमेशा मैंने ये कहा कि मुख्य मंत्री जी की पॉजिटिव सोच है। हमेशा वो एक बड़ी थिंकिंग की बात करते हैं। जब कॉरपोरेट जगत से भी बात करते हैं तो आप कोरिया से लोगों को बुलाते हैं, चीन से बुलाते हैं, अमेरिका से बुलाते हैं। मुझे अमेरिकन एम्बेसी के कुछ लोगों ने कहा कि वाई दिस गवर्नमेण्ट इज कॉलिंग चाइनीज़। क्यों बुला रहे हैं चाइना को, मेरे भी अच्छे रिलेशन्स हैं तो वो थोड़े सकपका गये। मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में बाहर से निवेश आयेगा और निवेश के लिये फिर वही बात आ जाती है तो थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश करिये। मैं किसी और उस पर नहीं जा रहा। काश ऐसा होता कि जो हवाई जहाज की बात है। आप जैसे तमाम विदेशों में गये हैं। अगर छोटे छोट हवाई अड्डे भी उत्तर प्रदेश में बन जायें तो एक लिंकअप हो जायेगा और केन्द्र सरकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागरिक उड्डयन मंत्री, अजित सिंह साहब ने मेरी चुनावी सभा में कमिटमेण्ट किया था कि मथुरा में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेगा। वह बार-बार कहते हैं कि आप मा0 मुख्य मंत्री जी से जमीन दिलवा दीजिये, हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट खोल देंगे तो इसमें तो आपको संकीर्ण होना ही चाहिये। यदि भूमि देने की बात है तो बोलो लो भूमि, हवाई अड्डा बनाओ तो इस तरह के हवाई अड्डे प्रदेश में तमाम इम्पॉर्टेण्ट शहर हैं। यदि आप इस तरह के हवाई अड्डों के लिये प्रदेश में कहीं जगह दिलवायेंगे तो एक तो पर्यटन बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों के आने जाने के संसाधन सुलभ होंगे। मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप इन बातों को समझते हैं, आप रूढ़िवादी मुख्यमंत्री नहीं हैं। आप थोड़ा मॉर्डन कॉन्सेप्ट के मुख्य मंत्री हैं और आपकी एप्रोच पॉजिटिव है। कोई मस्का लगाने की बात नहीं हो रही है, सीधी-सीधी बात हो रही है। मैं जानता हूं कि आपकी क्षमता है, मा0 शिवपाल जी की क्षमता है, मैं जानता हूं कि इनके डण्डे में दम है, इनसे अधिकारी घबराते हैं, पसीने देते हैं और ये काम कराते हैं। आजम भाई से तो इतना डरते हैं कि वो बोल ही नहीं पाते हैं, वो अफसर बोल ही नहीं पाते इसलिये मैं कह रहा हूं कि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूल जैसी स्कीम जो प्रदेश में केन्द्र सरकार की लागू हैं। यदि आप उनकी बारीकियों में जायें तो दक्षिण भारत के सारे स्टेट पैसा ले रहे हैं और आपके यहां की डी0पी0आर0 अभी तक वहां नहीं पहुंची। मा0 नगर विकास मंत्री, भारत सरकार कमल नाथ जी से मैं कई बार कह चुका हूं, आपसे भी बात करा चुका हूं। न आपके पास फुरसत है जाने की, न यहां से डी0पी0आर0 भेजने की। आप डी0पी0आर0 जब भेजेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह भ्रमित करना है सदन को। नहीं, नहीं गलत बात। यहां कोई डी0पी0आर0 पेण्डिंग नहीं है। आपके यहां से कोई पैसा नहीं आता। कुम्भ के लिये आपने पैसे का एनाउन्समेण्ट किया, कोई पैसा नहीं दिया।

श्री प्रदीप माथुर-

आप डी0पी0आर0 तो भेजें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात। मैं विभागीय मंत्री होने के नाते कह रहा हूं कि कोई डी0पी0आर0 पेण्डिंग नहीं है। आप गलतबयानी से काम ले रहे हैं और आप जो घोषणा करते हैं, कुम्भ के मामले में अगर राज्य सरकार पैसा न खर्च करती तो क्या मुंह काला होता पूरी दुनिया में।

क्या मुंह काला होता पूरी दुनिया में, हमने विकास के कामों को रोककर, उसमें से कटौती करके कुम्भ का खर्च किया है। कहां आप बेकार की बात करते हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

देखिये, कोई ऑर्ग्युमेण्ट्स की बात नहीं है। आपके अधिकारी वहां दिल्ली में जाकर ज़रा उस तरह की सोच तो रखें। मुख्य मंत्री जी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश में डी0पी0आर0 को बनाने के लिये प्लानिंग विभाग को..

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप डी0पी0आर0 के पेण्डिंग होने की बात कर रहे हैं। कोई डी0पी0आर0 पेण्डिंग नहीं है, कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 माथुर साहब, मंत्री जी का स्पष्टीकरण आ गया। अब आप उससे आगे बढ़िये।

श्री प्रदीप माथुर-

मैं पिछले एक साल से आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि रिवर साइड डेवलपमेण्ट, स्ट्रीट लाइटनिंग और अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो डी0पी0आर0 मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के माध्यम से बनवाईं थीं हमने जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत उसे अपडेट करके केन्द्र सरकार को भिजवा दीजिये। पैसा प्रदेश सरकार में ही आयेगा, मेरे पास नहीं आयेगा। आपके प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। मान्यवर, ये भी रामपुर की बात करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ये बात अगर आपने पहले बता दी होती तो मैं इतनी हुज्जत क्यों करता। आप ये कहिए कि आप सिर्फ मथुरा में अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मान्यवर। मान्यवर, इसी तरह खेल विभाग के उस मामले को, जिसमें कि आपने प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप में खेल स्टेडियमस् बनाने की बात, वह एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के तमाम स्टेडियम, जिसमें भैसें चरती रहती हैं और जिसमें लोग कब्जा करते रहते हैं, आप प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप के लिए दीजिए। कम से कम वो खेल के स्टेडियम तो चलेंगे और आपका खेल विभाग का बजट भी बहुत कम है। इसी तरह पर्यटन विभाग का बजट बहुत कम है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड अलग हो जाने के बाद आपको पर्यटन विभाग के लिए एक काफी बड़े फण्ड को समावेशित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरह पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इसी तरह संस्कृति विभाग का आपका बजट बहुत कम है। जब आप कल्चर एण्ड हेरीटेज की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत आगे है। जहां तक प्रश्न है आपके उद्योगों को.....

(सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आई कि बेसिक शिक्षा का बजट है, उस पर बोलिए)

मैं आ ही रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। उद्योगों की हालत यह है कि आज सुबह मा0 मंत्री जी जवाब दे रहे थे और किसी भी प्रश्न का उत्तर इस तरह का नहीं था जिससे कि यहां बैठे लोगों को सेटिशफेक्शन हो। आज स्थिति यह है कि जितने भी औद्योगिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वह पूर्ववर्ती सरकार के कारनामे रहे हो, चाहे किसी सरकार के कारनामे रहे हो, आप देख सकते हैं कि लगभग 90 प्रतिशत उद्योग उत्तर प्रदेश में रूग्ण पड़े हुए हैं, इण्डस्ट्रीज सिक पड़ी हुई हैं, और जब तक आप उनके रिहबिलेटेशन की बात नहीं करेंगे, उद्योग के बजट में, चाहे मध्यम उद्योग हो, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे हैवी इण्डस्ट्रीज हो, उनके लिए आपको अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अलग से बजट निकालना पड़ेगा। वॉन टाइम स्टेलमेंट की बात करनी पड़ेगी। औद्योगिकरण तभी हो पायेगा प्रदेश में जब कानपुर जैसे महानगर, आगरा आपका लेदर इण्डस्ट्री, आपके इटावा में ही और तमाम एक लंबी फेहरिस्त है उद्योगों की, उन उद्योगों को रिवाइव करने के लिए जब तक आप कोई पॉलिसी नहीं लाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप नई इण्डस्ट्री को लगाने की बात करते हैं, पुरानी को वैसे ही छोड़ते चले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब, थोड़ा संक्षेप करें।

श्री प्रदीप माथुर-

संक्षेप ही कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मुझसे क्या खता हो गई आप मुझे ही टोकते रहते हैं। बैठ जाओ, ये करो, वो करो, आप हमारे आदरणीय हैं, सम्मानीय भी हैं, थोड़ा कृपा हम पर भी कर दीजिए। हम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे।

(प्रमोद तिवारी जी को दे दिजिए अधिकार, कई मा0 सदस्यों के द्वारा कहा गया)

ये तो बड़े भाई हैं, इनको अधिकार है। ये तो सबके बड़े भाई हैं, इनको पूरा विधान सभा सुनता है, तो इनका पार्टी से कोई वो नहीं है। ये सबसे जुड़े हुए लोग हैं।

(सदन में हंसी)

ये सबसे जुड़े हुए हैं। ये सब विधायकों के, ये 403 विधायकों के नेता हैं। ये सब एम0एल0एज़0 की बात करते हैं। ये सभी विधायकों की बात करते हैं, सब के हित की बात करते हैं और 9 बार एम0एल0ए0 बनकर इन्होंने एम0एल0ए0 बनने की पी0एच0डी0 हासिल कर रखी है। आप लोग सुनिये, इण्डस्ट्रीज की सीरियस बात करिए, आप लोग गंभीर नहीं होते हैं। उद्योगों के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी, सी0एन0जी0, पी0एन0जी0, इण्डस्ट्रियल गैस, इसके लिए आप सम्पर्क करिए पेट्रोलियम मंत्रालय। आप देखेंगे कि इण्डस्ट्री खास तौर पर जब पाइपलाइन गैस या औद्योगिक गैस आप कितनी भी चला लेंगे, वह और ईधन से सस्ती पड़ेगी। आपके यहां बिजली की कमी है, बात यह हुई थी कि बिजली का बजट और बिजली को आप बराबर देंगे, पर थर्मल पॉवर हाउस की अपग्रेडेशन, नए पॉवर हाउसेस, अब डेढ़ साल निकल गए अब हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है आपका। अब तो ये मामला है कि कर के मैदान में कुछ दिखायेंगे तो जनता का दिल जीतेंगे। स्थिति क्या है, ये ताकतें संतुलित नहीं होने देती, कोई-न-कोई बिगाड़ खाता करती रहती हैं प्रदेश में तो इसलिए पिछड़ जाते हैं। तो स्थिति यह है कि उद्योग लगाने के लिए माहौल की आवश्यकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय से कॉन्ट्रेक्ट

करके एक पॉलिसी बनाइये, एक कमेटी बनवाइये, बजट का एलोकेशन करिए। फिर वही बात मथुरा की आएगी, हमने मथुरा और वृंदावन के लिए पाइपलाइन गैस, इन्डस्ट्रियल गैस और सी0एन0जी0 सैंक्शन कराइये। मान्यवर, इसके अलावा बेसिक शिक्षा का मामला है। काफी अच्छा काम किया है। पहली बार इस तरह के तबादले हुए हैं जो टीचर्स हैं वह काफी सटिस्फाईड हैं। परन्तु केन्द्र सरकार के पैसे की बात करेंगे तो वह पैसा आपको तभी मिल पायेगा, जब आप जाकर प्रयास करेंगे। मान्यवर, इसी तरह से बाढ़ की बात करुंगा। बाढ़ आयी तीन/चौथाई प्रदेश डूबा रहा। मान्यवर, राहत का काम आपके कहने के बावजूद माननीय सिंचाई मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं हम कहते रहे, यह कहा जाता रहा कि आप डी0एम0 से सम्पर्क कीजिये। आप अपनी उस मशीनरी को देखिये जो एक्जीक्यूट करती है वह एक्जीक्यूट नहीं करती है। आप यहां से पैसा निर्गत कर देते हैं आपकी मंशा साफ रहती है लेकिन ग्रास रुट पर आम जनता को राहत नहीं मिलती है। जिला योजना का पैसा पहुंच नहीं रहा है। अब आप बताइये जिला योजना इतना इम्पारटेंट मामला इसमें भी प्रावधान रहता है आप इधर के लोगों से पूछ लीजिये जिला योजना का पैसा नहीं पहुंचा है। जब पैसा नहीं पहुंचेगा तो कैसे बनेंगी सड़कें। जिला योजना में प्लानिंग रहती है पूरे प्रदेश में व्यवस्था रहती है। तो जिला योजना का पैसा पहुंचवाइये। लोहिया ग्राम योजना है उसके लिए आपने प्राविजन किया है। हमारे यहां नहीं पहुंचा है। आपने अपने प्राविधानुसार चयनित कर लिये लेकिन पैसा हमारे यहां नहीं पहुंचा है। हमारे यहां के प्रभारी परिवहन मंत्री जी परिवहन मंत्री जी बैठे हुए हैं। हमारे जिले के मंत्री हैं तो उनसे पूछिये कि जिला योजना का पैसा हमारे क्यों नहीं पहुंचा है। मथुरा के लिए कितना पहुंचा है। मान्यवर इसी तरह आपके जनेश्वर मिश्र योजना है।

मान्यवर, सोती हुई सरकार को जगा रहा हूं। आपने जनेश्वर मिश्र योजना की घोषणा कर दी। हम बड़े खुश हो गये कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे गांवों को भी शामिल कर लिया बाद में पता चला कि झुनझुना है। हमने कहा कि जनेश्वर मिश्र योजना का पैसा पहुंचवा दो ताकि कार्य हो सके अधिकारी बोले कि पैसा ऊपर से नहीं आया है। तो माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, माननीय विकलांग कल्याण मंत्री जी, जो बहुत वोकल मिनिस्टर हैं, आप सबसे अनुरोध करुंगा कि उन योजनाओं का कम से कम पैसा तो पहुंचवा दिया करें। आपकी कलम से पैसा स्वीकृत हो जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है। मान्यवर, यह अनुपूरक बजट इतनी बड़ी पोथी है। हम भी खुश कि अनुपूरक बजट पास हो गया हमें भी कुछ मिलेगा। पर हमें झुनझुना मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी हम अपने पक्ष की बात कर रहे हैं जो भी कुछ है चाहे वह कोई भी योजना हो। केन्द्र सरकार किसी मद में पैसा देती है या नहीं देती है। पर केन्द्र सरकार की मंशा साफ रहती है। हमारी एक्जीक्यूटिव की बाडी इतनी मजबूत नहीं है कि वहां जाकर पैसा ले आयें। प्रदेश सरकार के अधिकारी उसकी पूरी फारमेल्टी पूरी नहीं करते हैं तो फिर केन्द्र से पैसा कहां से मिल पायेगा। केन्द्र से तभी पैसा आ पायेगा जब आप पूरी कागजी कार्यवाही कर लेंगे। आप उसको पूरा करायें। माननीय मुख्य मंत्री जी जब आप दिल्ली की सरकार का समर्थन करते हैं तो यहां पर हम लोगों का भी समर्थन कीजिये।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई जनरल डिबेट नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर-

इधर नजर इनायत कीजिये मा0 मुख्य मंत्री जी। जब आप दिल्ली में समर्थन देते हो तो यहां पर समर्थन देने में क्या दिक्कत है। यहां के विकास की आप बात करें। हमारे कांग्रेस के विधायक विकास की राह देखते रहते हैं। अनुपूरक बजट एक मजबूरी होती है प्रदेश सरकार की। अनुपूरक बजट मजबूरी में लाया जाता है। यह ऐसा बजट है जिसमें हम न समर्थन कर सकते हैं और न विरोध कर सकते हैं।

*श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सप्लीमेन्ट्री बजट पर बोलने का मौका दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व वक्ता काफी विस्तार से, विभागों पर बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। मैं 3-4 बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहला गन्ना का जो हमारा अवशेष भुगतान है उसका पर्याप्त प्राविजन बजट में नहीं किया गया। दूसरा जितने भी प्रदेश में पेन्डेंसी नार्मल कनेक्शनों की पड़ी है विद्युत विभाग की मेरे ख्याल से कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले में नार्मल कनेक्शनों की 4-4, 5-500 की पेन्डेंसी न पड़ी हो। मैं चाहूंगा इस बजट प्राविजन में, इस सप्लीमेन्ट्री बजट में यह प्राविजन जरूर किया जाय कि जितने पेन्डिंग नार्मल कनेक्शन किसानों के पड़े हैं उनके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था कराई जाय। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी प्रसन्नता हुई हमारे माननीय प्रभारी मंत्री राजकिशोर जी, बड़े प्रतिभाशाली और बड़े एक्टिव हैं। चयन किया गया गांवों का कि इन सब गांवों को लोहिया गांवों में टेकअप किया जायेगा वहां केवल और केवल वह बिजली का खम्भा लेकर ठेकेदार पहुंच जाता है जब मैंने कहा कि भाई, पूरा काम तो करो तो उसने कहा कि मेरा पूरा पेमेन्ट ही नहीं हुआ है। किसी का कोई पेमेन्ट नहीं हुआ और न वहां कोई काम हो रहा तो मैं चाहूंगा कि जो घोषणा किया कम से कम आपकी घोषणा के मुताबिक जो हमें एक दो चांस मिल गये उसमे काम हो जाय। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार में सौभाग्य से हमारे क्षेत्र के ही मंत्री थे आर0ई0एस0 के पूरे क्षेत्र में ओवरलोडिंग की वजह से एक भी सड़क 6 महीने नहीं चली। इतना भारी कमीशन लिया गया था कि एक भी सड़क वहां नहीं चल रही है अब मैं उसमें परेशान हूं। मैं सवाल करता हूं माननीय आर0ई0एस0 मंत्री जी बैठे हैं, नहीं बैठे हैं वह जवाब देते हैं कि 5 साल की गारन्टी है, 5 साल की गारन्टी के बाद तुम्हारी सड़कों की बात सुनी जायेगी। जब 5 साल की गारन्टी अभी पूरी हो नहीं रही है, नया कोई विभाग उसको टेकअप कर नहीं रहा है। हमारी इतनी बड़ी मुसीबत हो गयी है। अभी मंत्री जी का जवाब जाता है कि 5 साल की गारन्टी थी गारन्टी 6 महीने भी नहीं पूरी हुई। एक सड़क नहीं चल रही है इतना कमींशन लिया गया बताते हैं 9 परसेन्ट, 15 परसेन्ट कितना कमीशन लिया गया, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों का हाल बता रहा हूं। हमारे क्षेत्र में एन0एच0-91 बन रहा है उसके लिए गिट्टी मिट्टी लाने के लिए पूरे ओवरलोडेड डम्फर से सब मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कें, खुर्जा की, बुलन्दशहर की और यहां एटा, सिकन्दराराऊ तक की सब बेकार करके फेक दी। कोई भी सड़क नहीं चल रही है और उस समय जितनी भी सड़क बनी थी आर0ई0एस0 विभाग से एक भी काम करके नहीं दे रही है। वैसे माननीय मंत्री जी बहुत सख्त भी हैं और घोषणा भी बहुत सख्ती से की जाती है मेरे क्षेत्र की एक सड़क है दो तहसीलों को मिलाती है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा ग्राम भी है सोमना से खैर, भगवान की दया से आर0ई0एस0 के द्वारा वह भी बनाई गयी। वह 16 कि0मी0 की सड़क जो यमुना एक्सप्रेस-वे को मिलाती है जो नेशनल हाइ-वे को मिलाती है 6 महीने नहीं चली। अब 6 महीने नहीं चली हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं वहां से जवाब आ जाता है चूंकि सड़कों का गारन्टी पीरिएड 5 साल का है इसलिए इस पर काम नहीं होगा। हमको डेढ़ पौने दो साल एम0एल0ए0 बने हो गये वहां की जनता के लोग कहते हैं कि हमने आपको एम0एल0ए0 इसीलिए तो बनाया था, इस बेइमानों से फण्ड काटने के लिए आपको एम0एल0ए0 बनाया, आपकी भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। एक तो किसानों के गन्ने का पर्याप्त मूल्य दूसरे जो नार्मल कनेक्शन, माननीय मुख्य मंत्री जी आपका विभाग है, नार्मल कनेक्शनों की जो पेन्डेंसी है किसानों के जो ट्यूबवेल सेंग्शन और एग्रीमेन्ट हुए पड़े हैं उसकी पूर्ति कराई जाय और जितने भी बकाया भुगतान हैं किसानों के गन्ना का यह पूरा हो जाना चाहिए। साथ ही साथ जो बिजली कृषि विभाग में आपने सबपे घोषणा कर दी किसानों को बड़ा भारी अनुदान दे रहे हैं हम, ट्रैक्टर ले जाओ, थ्रिलर ले जाओ, हैरो ले जाओ, फलां ले जाओ, ढका ले जाओ। मैंने अपने एग्रीकल्चर आफिसर से बात की कहा कि 3 का बजट है कहीं 4 का बजट है, कुछ भी नहीं है। इस सप्लीमेन्ट्री बजट में इतना कम प्राविजन किया गया है मैं चाहता हूं कृषि विभाग मुख्य विभाग है और आपकी सरकार का भी यह कहना है कि किसानों की सरकार है कृषि विभाग को तो बिल्कुल नगण्य कर दिया गया है कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हमारे यहां बड़ा हो हल्ला हुआ, माननीय मुख्य मंत्री जी की जै-जैकार हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी की जय-जयकार हुयी, बड़ा लोग खुश हुये, लोगों ने आभार व्यक्त किया लेकिन कोई काम नहीं। वेस्टर्न यू0पी0 और नार्दन इंडिया में, मैं उसके लिये तो धन्यवाद दूंगा कि आपने 660 मेगावाट का बिजली घर कासिमपुर पावर हाउस में दे दिया। इसके लिये आपकी सरकार को और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन करें क्या, धन्यवाद देने से भी क्या काम चल रहा है, कोल ब्लाक का आवंटन आपका हो गया, इनवायरमेंट का एन0ओ0सी0 मिल गया है। केवल आपने टोकेन मनी के रूप में 5-10 करोड़ रुपये दिये हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि उसके लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था कराई जाये। जब तक आपके वेस्टर्न यू0पी0 और नार्दन इंडिया में हरदुआगंज और कासिमपुर पावर हाउस पूरी शक्ति के साथ नहीं चलेगा तब तक वेस्टर्न यू0पी0 की बिजली की दशा अच्छी नहीं हो सकती है। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जो हमारी सड़कें टूट-फूट गयी हैं, उनको बनवाया जाये। सब पर कृपा होती है, सबको मिल रही है, माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां से सड़कें। किसी को 5 किसी को 10 और हमारे यहां से जो एम0पी0 का चुनाव लड़ रहे हैं उनको 25-25 करोड़ की सड़क दे दी । जब बराबर के क्षेत्र में दे दी तो हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि तुम तो फटीचर विधायक हो।

श्री अध्यक्ष-

यह आप पीछे से कौन सा कागज ले लिये।

श्री दलवीर सिंह-

यह विधायक जी ट्रैक्टरों के लिये कह रहे हैं, ट्रैक्टरों पर जो अनुदान दिया जाता था, माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, शायद वह खत्म हो गया। उसमें आपने क्या प्राविजन किया है, कुछ पैसे भी तो मांगो।

कृषि, कृषि शिक्षा मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

ट्रैक्टरों की जहां तक बात है, इसके लिये आप केन्द्र के मंत्री से मिल लें। हम लोग डेलीगेशन लेकर गये।

श्री दलवीर सिंह-

केन्द्रीय मंत्री, वह तो हवाई जहाज के मंत्री हैं। उनसे क्या लेना देना। माननीय चौधरी अजीत सिंह जी ने उत्तर प्रदेश को इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिया है। पहले उत्तर प्रदेश में कोई इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं था, माननीय मुख्य मंत्री जी के कहने पर लखनऊ को इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया, बनारस को इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया, आगरा को इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात कार्यवाही में आ गयी है लेकिन किसी तरीके से दिल्ली तक न पहुंच जाये। हमारे नेता, लोकदल ने यह कहा कि वह तो जहाज के मंत्री हैं, उनका किसानों से क्या लेना देना।

श्री दलवीर सिंह-

पूरे उत्तर प्रदेश के लिये चौधरी अजीत सिंह ने यह घोषणा कर दी कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी स्थान हो, सरकार जमीन उपलब्ध कराये, निश्चित रूप से हर जगह हवाई अड्डे बनाये जायेंगे। चाहे आप सैफई में बनवाओ, चाहे कहीं बनवाओ। वह हमारे पास विभाग है। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि किसानों के बिजली कनेक्शन का काम पूरा हो, गन्ने का शेष भुगतान हो, छात्रवृत्ति के चक्कर में हमारी मंगलायतन यूनिवर्सिटी में गोली चल गयी, झगड़ा हो रहा है और वहां यहां से छात्रवृत्ति पहुंची नहीं है। बैकवर्ड क्लास के जितने लड़के हैं, उसमें उनकी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। शायद अभी भी पूरी नहीं हुयी है। एक माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लैपटाप आपने इलाहाबाद बोर्ड के लड़कों को देने के लिये कहा और अलीगढ़ में सेंटर की यूनिवर्सिटी है। माननीय नगर विकास मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी लड़के इण्टर पास करके जाते हैं उनको भी बी0ए0, बी0एस0सी0, एल0एल0बी0 में दाखिला मिलता है। उन बेचारों को आप लैपटॉप क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसी बात है जो उनको आप लैपटॉप नहीं दे रहे हैं, उनको भी लैपटॉप मिलना चाहिए।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

पॉलिसी यह है कि जिसने भी इंटर पास किया है उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया लेकिन लैपटॉप लेने के लिए उनको वहीं जाना पड़ेगा जहां लैपटॉप वितरण हो रहा है। जहां उन्होंने दाखिला लिया है वहीं पर उन्हें लैपटॉप नहीं बांटा जायेगा, पूरे मण्डल को बांटने की व्यवस्था अगर यूनिवर्सिटी में होगी तो यूनिवर्सिटी में बांट दिया जायेगा लेकिन यदि माननीय मुख्य मंत्री जी कहीं और बांटने जायेंगे तो वहां पर मिलेगा।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

(बैठे हुए) अलीगढ़ का अभी बंटा नहीं है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मा0 मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि अलीगढ़ का अभी बंटा नहीं है इसलिए नहीं मिला है अन्यथा जितने भी बच्चों ने इंटर पास किया है जहां सबको लैपटॉप मिलेगा वहां अलीगढ़ के बच्चों को भी मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठाकुर साहब, अब आप समाप्त करें। यह सप्लीमेंटेरी बजट है इसमें डिबेट जनरल बजट की तरह नहीं होती है।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मेरी अभी बहुत जरूरी बात बाकी है। आप नहीं बोलने दे रहे हैं यह अलग बात है लेकिन किसानों से सम्बन्धित बात है। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं, भाई किसी को बनवाओं या मत बनवाओ लेकिन एक सड़क मेरी जरूर बनवा दें शोभना से खैर।

लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

बन जायेगी।

(मा0 मंत्री श्री शिव कुमार बेरिया और मा0 सदस्य श्री प्रदीप माथुर के एक साथ खड़े होने पर)

वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री शिव कुमार बेरिया)-

मान्यवर, ये तो बोल चुके हैं अब क्या बोलेंगे, आप बैठिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय माथुर साहब आप बजट पर बोल चुके हैं अब और क्या बोलेंगे। यह परम्परा गलत है एक बार आप अपनी बात कह चुके हैं और बार-बार आप कहना चाह रहे हैं। अब मैंने माननीय मंत्री जी को बुला लिया है उन्हें बोलने दें, क्या यह जरूरी है कि आप बार-बार हस्तक्षेप करें। आप इतनी देर बोल चुके हैं अभी भी आपकी बात बाकी रह गई है।

श्री शिव कुमार बेरिया-

यह क्या बात हुई, सप्लीमेंट्री बजट में सप्लीमेंट्री भाषण दे रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय मुख्य मंत्री जी की जो घोषणाएं हैं उनका भी प्रावधान यदि इस अनुपूरक बजट में होता तो अच्छा रहता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप पिछली बार मथुरा में 22 सितम्बर को गये।

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय बेरिया साहब आप बोलिये यदि माथुर साहब नहीं मानेंगे तो लिखा नहीं जायेगा।

श्री शिव कुमार बेरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक बजट पर भाषण देने का मौका दिया मैं आपका हृदय से आभारी हूं। अभी नेता विरोधी दल की ओर से कई बार यह बात आई कि जब से यह

सरकार बनी है कानून-व्यवस्था खराब हुई है। आज मैं इस हाउस में पूछना चाहता हूं कि कानून-व्यवस्था की परिभाषा क्या है। कानून-व्यवस्था खराब हो रही है, इसकी परिभाषा क्या है ? कानून-व्यवस्था उसको कहा जाता है जहां पर संगठित अपराध होते हैं। संगठित अपराध जिस प्रदेश में हो रहे हों उसको कहा जाता है कि कानून-व्यवस्था खराब है। सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर आज क्या कोई जिला ऐसा बताया जा सकता है जहां पर इस सरकार के रहते हुए कोई संगठित अपराध हो रहा हो, क्या कहीं पर जुआखाने के अड्डे चल रहे हैं।

(विपक्ष की ओर से शोर)

आप बोलने दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर माफिया गिरोह नहीं चल रहे हैं, कहीं पर जमीनों पर कब्जे नहीं हो रहे हैं, कहीं पर जुआखाने नहीं चल रहे हैं, कहीं पर मादक पदार्थों के अड्डे नहीं चल रहे हैं। जब से यह सरकार आई है तब से माफिया गिरोहों को कुचल दिया गया है। आज भू-माफियाओं की चिन्ता है जो लोग भू-माफियाओं से सांठ-गांठ करके। अपनी जेबें भरकर काले धन्धे करते थे, जो लोग सड़कों पर चलते थे आज उनकी आलीशान कोठियां खड़ी हुई हैं। यहीं राजनीति का धन्धा करके ऐसे ही लोगों को कानून-व्यवस्था खराब दिख रही है। कानून-व्यवस्था कहीं खराब नहीं है, कानून-व्यवस्था खराब उसी को कहा जाता है जहां पर संगठित अपराध चल रहे हों। (प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा टोकने पर शोर) आप स्वयं शामिल रहे होंगे। आप स्वयं संगठित अपराध के मुखिया रहे होंगें। दूसरी बात यह कहा गया कि जबसे सरकार बनी है, कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 15 महीने में इस सरकार में जितनी सड़कें बनी हैं पिछले 7 साल में उतनी सड़कें नहीं बनी हैं, 15 महीने के अन्दर इस सरकार में जितने पुल बने हैं पिछले 10-15 वर्षों में उतने पुल नहीं बने हैं।

श्री उमेश पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

वह बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बैठिये। कुछ नहीं।

श्री शिव कुमार बेरिया-

इस सरकार में सिंचाई के काम में आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसी सिंचाई हुई है और नहरों की सफाई जिस ढंग से हुई है, जो खुदाई हुई है वह मानक के अनुरूप हुई है। समाजवादी पार्टी की सरकार के पहले जितनी भी सरकारें आयी हैं कभी भी सिंचाई में जो कटान हुई है या सिंचाई में नहरों की सफाई हुई है। पहले नहरों पर छिलाई होती थी, कहीं पर सफाई नहीं होती थी, पहली बार सफाई हुई है। मैं सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जा करके देखो बम्बे से लेकर नहरों तक किस तरह से सिंचाई हुई है। यह आपको देखने से पता चल जायेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कोई काम नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता डा0 लोहिया ने कहा था कि इस देश की सबसे बड़ी बदनसीबी है कि जहां पर इंसान, इंसान पर सवारी करता है। उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, मैं उनका नाम यहां पर नहीं लूंगा। डा0 लोहिया कभी रिक्शे पर नहीं बैठते थे, आप जानते होंगे अध्यक्ष जी। उन्होंने सवाल किया कि क्या डा0 साहब आप कभी

रिक्शे पर नहीं बैठेंगे ? डा0 साहब ने कांग्रेस के उस मंत्री से लोक सभा के अन्दर कहा था कि हां बैठूंगा जिस दिन आप रिक्शा चलाओगे। आज मैं अपने माननीय नगर विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जहां इंसान, इंसान को ढोता था, गरीब आदमी खून थूक-थूक कर मरता था, टी0बी0 का मरीज हो जाता था, आज इस सरकार ने, 64 वर्ष की आजादी के बाद यह पहली सरकार है जिसने उस खून थूकने वाले मजदूर के ऊपर ध्यान दिया और उसको बैटरी चालित रिक्शा देने का काम किया। विपक्ष कह रहा है कि कोई काम नहीं हो रहा। यह पहली सरकार है जिस सरकार के जमाने में एक्सीडेंट में लोग मरते थे पड़े रहते थे, गांवों में हमारी बहन-बेटियों का प्रसव होता था उनकी मौत हो जाती थी, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। गांवों से अस्पताल दूर थे। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने एम्बुलेंस सेवा चलाया और आज 5 मिनट नहीं लगता जब एक फोन पर एम्बुलेंस सेवा न पहुंचती हो। इनकी छाती पर सांप लोट रहा है क्यों समाजवादी पार्टी का काम हो रहा है ? (प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा टोकने पर) सुन लीजिए, यह जोकरी का स्थान नहीं है, जोकरी करनी है तो नौटंकी में शामिल हो जाओ, यह जोकरी का स्थान नहीं है। सुनिये, लैपटॉप... (इसी बीच सत्तापक्ष के एक माननीय सदस्य द्वारा मा0 नगर विकास मंत्री के पास कुछ पत्र लेकर पहुंचने पर) विधायक जी सुन लीजिए।.....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मंत्री जी को सत्तापक्ष के लोग ही नहीं सुनना चाहते और यही कारण है कि सत्तापक्ष के लोग आ करके बार-बार व्यवधान डाल रहे हैं। हम लोग इत्मीनान से सुन रहे हैं।

श्री शिवकुमार बेरिया-

चूंकि यह पहली सरकार है जो अपने माननीय विधायकों के काम की ओर ध्यान देती है। आपकी जब सरकार थी तो बहन जी के पास जाने में पाजामा गीला हो जाता था।

(सदन के अनेक माननीय सदस्य हंसने लगे)

हमारे यहां नगर विकास मंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी ऐसे हैं कि लोग सर पर चढ़कर काम करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना भाषण दें।

श्री शिवकुमार बेरिया-

नेता विरोधी दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। यह कभी हमारी पार्टी में भी नेता रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी यह [x x x] वाला शब्द कार्यवाही से निकाल दें।

श्री शिवकुमार बेरिया-

माननीय अध्यक्ष जी अगर कोई असंसदीय शब्द है तो मैं उसे वापस लेता हूं। उसे कार्यवाही से निकाल दीजिए। अभी नेता विरोधी दल हमारे सामने बैठे हैं यह समाजवादी आन्दोलन में हम लोगों के नेता थे। आज उन्हें लैपटाप झुनझुना दिखाई पड़ रहा है। अभी 200 विश्वविद्यालय दुनियां के जो हैं ....

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल आपका लैपटाप मेरे पास रखा हुआ है उसे कब आपको दे दें। उस दिन आपने नहीं लिया था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी वह लैपटाप इण्टर पास स्नातक बच्चों के लिए है इसलिए यह लैपटाप या तो आप अपने पास रख लें या माननीय मुख्य मंत्री जी को वापस कर दें वह छात्रों को उपलब्ध करा दें मुझे इस झुनझुने की आवश्यकता नहीं है। यह झुनझुना समाजवादी पार्टी को मुबारक हो।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी इतना संशोधन जरूर कर लें क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को झुनझुना बहुत ही पसन्द है इतनी बार झुनझुने शब्द का प्रयोग किया है जब से यह सरकार आई है कि देशभर के झुनझुनों की गिनती बराबर हो गई होगी तो कम से कम अगर आप लैपटाप नहीं दे रहे हैं तो झुनझुना तो दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी अब संक्षेप में कहें।

श्री शिवकुमार बेरिया-

माननीय अध्यक्ष जी मैं कभी बोलता नहीं हूं आज आपकी कृपा से बोलने का मौका मिला है।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा यह कहने पर कि आज मन की हविश पूरी कर लेने दीजिए)

इसमें मन की हविश पूरी करने की क्या बात है।

माननीय अध्यक्ष जी अभी नेता विरोधी दल ने लैपटाप को झुनझुना कहा तमाम अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट आई है और यह छपा भी था दुनियां के 200 विश्वविद्यालयों की लिस्ट आई है उच्च कोटि के विश्वविद्यालय जिनमें एक भी विश्वविद्यालय भारत का नहीं है हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो देश तक्षशिला का देश रहा हो, नालन्दा का देश रहा हो जो देश विश्वगुरू रहा हो जहां दुनियां के विद्यार्थी हमारे देश में ज्ञान प्राप्त करने आते रहे हों वह देश आज दुनियां के 200 विश्वविद्यालयों की सूची में नहीं है। कैसे हो पाएगा जब 80 फीसदी आबादी इस देश में 20 रुपए रोज में जीवन यापन कर रही हो जब 20 करोड़ लोगों के सर पर छत नहीं है जब 20 करोड़ लोग बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं उस समय जब मुट्ठी भर लोगों के बच्चे एयरकंडीशन बसों में निकलते थे एयरकंडीशन बसों में चलते थे एयरकंडीशन घरों में रहते थे उस समय वह गरीब का बच्चा जिसका बाप केला बेच रहा है जिसका बाप चाय बेच रहा है जिसका बाप समोसा बेच रहा है जिसका बाप खेत में काम कर रहा है जिसका बाप कारखाने में बिनता चला रहा है उसका बाप सोचता था कि क्या कभी ऐसा भी दिन आएगा जब मेरा बच्चा और मेरी झोपड़ी में लैपटाप आएगा आज उस गरीब की झोपड़ी में आज उस ठेला लगाने वाले के घर में आज उस चाय बेचने वाले के घर में आज खेत में हल चलाने वाले के घर में आज हिन्दुस्तान में कोई मुख्य मंत्री है तो उस मुख्य मंत्री का नाम है अखिलेश सिंह यादव जिसने झोपड़ी में रहने वाले की झोपड़ी में लैपटाप पहुंचा दिया हो सकता है कि उन लोगों को झुनझुना दिखाई पड़ रहा हो जिन्होंने गरीब की झोपड़ी का अंधेरा नहीं

देखा। यह लैपटाप किसके घर गया अपने हृदय में झांककर देखोगे तो पता चलेगा कि यह लैपटाप उन घरों में गया है जहां आजादी के 64 वर्ष बाद आज भी मिट्टी के तेल की ढिबरी भी नहीं जल पा रही है। उन घरों में यह लैपटाप गया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वह इसको झुनझुना कहते हैं। (शोर) अभी दंगे की बात आई, मुजफ्फरनगर दंगे की भी बात आई। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह खतरा तो पहले से था जिस दिन गुजरात का एक शख्स अमित शाह के रूप में यहां आया था। उसी दिन तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को दंगे की आग में झोंकने का काम होगा। (शोर) और क्योंकि हमारा वास्ता।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगे कि नाम नहीं लिया जाना चाहिए)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

नहीं नहीं, नाम इसलिये भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं और इसलिये भी नहीं लेना चाहिए नाम क्योंकि 302 के मुलजिम हैं।

श्री शिवकुमार बेरिया-

क्योंकि यह तय था कि जो लोग सत्ता की कुर्सी पर आना चाहते हैं वह मासूम बच्चों के सिर का कत्ल करके आना चाहते हैं। जो सत्ता में आना चाहते हैं वह मासूम बहनों की गोदी को उजाड़ कर आना चाहते हैं। जो सत्ता में आना चाहते हैं वह उन बापों की गोद को उजाड़कर, उनको बर्बाद करके सत्ता में आना चाहते हैं। हमारा रास्ता, हमारी सरकार का रास्ता खून का रास्ता नहीं है। हमारी सरकार का रास्ता मासूम बच्चों का कत्ल कर कुर्सी प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता बहनों के सिंदूर को उजाड़कर सत्ता प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर ऐसा रास्ता बनाना चाहिए जो भारत को खुशहाली की ओर ले जाये। हम सबको मिलकर ऐसा देश बनाना चाहिए जहां अमीर और गरीब समानता की राह पर हो समाजवाद उसे कहते हैं जहां समानता और सम्पन्नता हो वहीं समाजवाद है। एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि कुछ लोग समाजवाद की बहुत मजाक उड़ाते हैं। समाजवाद के बारे में तमाम तरह की बातें करते हैं मैं बताना चाहता हूं जब एक जमाने में, बलिया के लोग यहां बैठे होंगें, आजादी की लड़ाई खत्म हुई थी, बलिया के अंदर एक जनसभा हो रही थी। पंडित जवाहर लाल नेहरू उस जनसभा में आये थे और उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि जब ईश्वर ने एक हाथ की पांचों उंगलियां को बराबर नहीं किया है तो समाजवाद कैसे आ सकता है ? उसी के एक सप्ताह के बाद जय प्रकाश नारायण जी की सभा हुई थी। जय प्रकाश नारायण जी ने कहा था भाषण करते हुए कि यह सही है कि कुदरत ने एक हाथ की पांच उंगलियां बराबर नहीं की है लेकिन कुदरत ने ऐसा भी नहीं किया है कि एक उंगली तीन इंच की और एक उंगली 32 इंच की हो, हम ऐसा समाजवाद नहीं लाना चाहते हैं। हम ऐसा समाजवाद लाना चाहते हैं जिसमें पांचों उंगलियों का अंतर ऐसा हो कि मुट्ठी वैध सके। एक उंगली दो इंच की होगी और दूसरी 32 इंच की होगी तो समाज बिखर जायेगा। हमारे नेता, अखिलेश यादव समाज को बिखरने का काम नहीं करेंगें। सरकार रहे जाय, सरकार पर कोई संकट आय लेकिन गरीब की झोपड़ी में रोशनी करने का काम यह सरकार करती रहेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप जवाब देंगे ? आप बोलेंगे या मुख्य मंत्री जी बोलेंगे ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण होना है और वही सारा जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने फरवरी, 2013 में 2 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट प्रस्तुत किया था। उसी के अनुक्रम में अपनी नीतियां, प्राथमिकताएं और जो वायदे हमने जनता से किये थे उनको मूर्त रूप से पूरा करने के उद्देश्य से लगभग 7,112 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट मैंने सदन में प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य महाना जी, माननीय सदस्य माथुर जी और अभी अभी हमारी पार्टी के, सरकार के एक मंत्री अपना भी पक्ष रख रहे थे, कुछ सुझाव भी आये हैं और कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने चिन्ता भी व्यक्त की है कि अनुपूरक बजट और बजट का पैसा खर्च नहीं हुआ है और जो योजनाएं लागू हुई थीं वह पूरी तरह से लागू भी नहीं हुईं और घोषणा तक ही रह गई। बहुत सारी चिन्ता इसलिये भी व्यक्त की गई यह कहा गया कि प्रदेश के हित में बजट नहीं है जो विकास के रास्ते पर ले जाने का जो काम पुरानी सरकार ने किया था वह विकास की तेजी सब ठप हो गई विकास नहीं हो रहा है और कहा गया कि इधर-उधर की बातें करके सरकार ने गुमराह करने की कोशिश की है। एक आरोप यह भी लगाया कि बजट का बहुत बड़े पैमाने पर पैसा कुछ जिलों में खर्च हुआ है जहां तक जानकारी की बात है अभी तक कई बजट हम लोगों ने पेश किए हैं मा0 अध्यक्ष जी, कई मुख्य बजट भी और आज जो बजट के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हुआ हूं अनुपूरक बजट में कुछ ऐसा नहीं है कि जहां जनता के हित में पैसा खर्चा न किया जा रहा हो, उसके लिए बजट न मांगा गया हो आपके जितने भी बजट आए हैं सदन में, कहीं न कहीं पत्थर, स्मारक और मूर्तियों को लेकर आए हैं कोई बजट और कोई सप्लीमेंट्ररी बजट ऐसा नहीं आया जिसमें आपने पत्थर मूर्ति स्मारक के लिए पैसा न मांगा हो इस सरकार ने अभी तक पत्थर मूर्तियों और स्मारक के लिए कोई अनुपूरक बजट नहीं मांगा है (मेजें थपथपाईं गईं)

जहां तक कुछ जिलों के बारे में आपने बात कही आपने सैफई, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी और रामपुर को भी जोड़ दिया कि ज्यादातर बजट उसी क्षेत्र के लिए है आपने पता नहीं किस आंकड़े के हिसाब से कहा है। अगर आप पूरा ठीक तरीके से हिसाब लगायेंगे तो यह बजट का .7 परसेन्ट भी नहीं है जो हम लोग इन जिलों में खर्च करने जा रहे हैं। एक परसेन्ट भी बजट का खर्चा नहीं है जिन जिलों का आप नाम ले रहे हैं और जो अच्छाई है बजट की, जो किसानों के पक्ष में है और जो अधूरी योजनायें थीं जिससे उत्तर प्रदेश का हित होता और जनता का हित होता वह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों का हित सरकार ने हमेशा सर्वोपरि रखा है। मेन बजट में हमने गन्ना भुगतान के लिए चार

सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी, अनुपूरक बजट में हमने 75 करोड़ रुपये की और व्यवस्था की है इस प्रकार गन्ना मूल्य भुगतान के लिए कुल 475 करोड़ रुपये उपलब्ध हो जाएंगे। बेरोजगारी भत्ते के लिए मेन बजट में 12 सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, अनुपूरक बजट में इसके लिए चार सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार इस योजना के लिए जो राशि है वह 16 सौ करोड़ रुपये की हो जाएगी। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और रख-रखाव के लिए सात हजार 31 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी अनुपूरक बजट में सिंचाई परियोजनाओं के मरम्मत और रख-रखाव हेतु 544 करोड़ रुपये तथा निर्माण कार्य हेतु 290 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल लगभग 834 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है यह आपने पक्ष नहीं रखा। इसी तरह से स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा इसके लिए 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। मशहूर शहनाई वादक स्वर्गीय श्री बिसमिल्लाह खान की स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा इसके लिए अनुपूरक बजट में 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। बजट पूरे सदन के सामने है जहां जो बात रखी गई है आपने कहा कि गजरिया फार्म, साहिवाल उसका क्या होगा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि साहिवाल से आप बहुत आगे बढ़ा रहे थे गजरिया फार्म, मैं पूछना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष से कि पांच साल आपकी भी सरकार रही गजरिया फार्म में आपने कितना काम किया और जो गजरिया फार्म की जगह का इस्तेमाल हो रहा है वह प्रदेश हित में ही होने जा रहा है। जो पूरा का पूरा गजरिया फार्म है उसका इस्तेमाल बेहतर होगा। शहर के पास जगह है और सबसे बड़ी योजना जो आई0टी0सिटी की है वह भी इसी जगह पर आने वाली है। जो हमने कहा कैंसर इन्स्टीट्यूट बहुत जरूरत है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर मरीज उत्तर प्रदेश से बाहर इलाज कराने जाते हैं। खासकर मुम्बई में जाते हैं इलाज कराने के लिए। इसलिए सरकार ने प्राथमिकता पर तय किया था कि कैंसर इन्स्टीट्यूट बनेगा उसके लिए 100 एकड़ जमीन का अलग से इन्तजाम किया गया है। इसके साथ-साथ उस जमीन से सरकार के पास जो पैसा आयेगा, सरकार उस पैसे का बेहतर इस्तेमाल करते हुए उस पैसे को मैट्रो में इस्तेमाल किया जायेगा, उसकी बर्बादी या पार्क, स्मारकों में पैसा खर्च करने नहीं जा रहे हैं। जो बात की गई कि सरकार का यह अनुपूरक बजट किसी विजन के साथ नहीं है और इतने महीनों में कोई विजन दिखाई नहीं दिया है। जिन योजनाओं को हम लोगों ने शुरू किया था, उन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सदन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिला सकते हैं कि जिस रास्ते पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम करना शुरू किया है, बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश भी उन तमाम प्रदेशों के बराबर खड़ा दिखाई देगा, जिन प्रदेशों की आप बात कर रहे हैं। जिस प्रदेश के बारे में माननीय सदस्य बहुत उदाहरण देते हैं, एक तो जनसंख्या के मामले में बहुत पीछे हैं, आप आंकड़े निकाल लेना, हेल्थ इंडीकेटर्स निकाल लेना और कई आंकड़े आप निकाल लेना। अभी वहां किसान भी आन्दोलन कर रहे हैं, उनकी जमीन कैसे छीनी गई है। उन आंकड़ों को निकालेंगे तो पायेंगे कि वह देश के और कई प्रदेशों से पीछे है। यह आंकड़े हमारे नहीं हैं, यह आंकड़े प्लानिंग कमीशन के हैं, आंकड़ों में वह पीछे है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात है, पहली बार यह होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी प्राइवेट पार्टनर शिप से सड़कें बनेंगी और बड़े पैमाने पर बनेंगी। हालांकि शुरूआत इसकी समाजवादी सरकार में ही हुई थी, सड़कें बनने जा रही हैं, जो बजट के पैसे से बनने जा रही है, वह तो बनेंगी, बनेंगी। लेकिन इसके

साथ-साथ प्राइवेट लोग पैसा लगा करके पी0पी0पी0 माडल पर सड़कें बनाने जा रहे हैं। अस्पताल के क्षेत्र में भी काम किया है और प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स जो बेहतर काम कर रहे हैं, सस्ते इलाज के लिए, उन इन्स्टीट्यूशन्स को कैसे उत्तर प्रदेश में लाया जाए, उस पर भी सरकार काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर में बड़े पैमाने पर काम हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो मेडिकल कालेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बन भी गए थे, वह इनकी सरकार ने शुरू नहीं किए। समाजवादी सरकार आई तो उन मेडिकल कालेजों को भी बना करके उन्हें चलाने का काम किया है। आजादी के बाद से ले करके 2012 तक जो संख्या एम0बी0बी0एस0 की सीटों की थी, उसकी आधी के लगभग हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है, लगभग 500 एम0बी0बी0एस0 की सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में बढ़ी हैं। 02 नए मेडिकल कालेज भी दिए हैं, बहुत जल्दी बदायूं में और जौनपुर में एक-एक नया मेडिकल कालेज बनने का काम शुरू हो जायेगा। इस अनुपूरक बजट में हम लोगों ने गोरखपुर और झांसी में जो 500 बेड का अस्पताल है, उसके लिए पैसे का इन्तजाम किया है। इसके साथ-साथ आपने बात की नए तरह का क्राइम होने लगा है। हम लोगों ने घोषणा की थी कि कन्ट्रोल रूम कैसे बनेगा, पुलिस का आधुनिकीकरण कैसे हो, मुझे इस सदन में बताते हुए खुशी हो रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले अगर कहीं कन्ट्रोल रूम बनने जा रहा है और जो चालू हो जायेगा, वह कानपुर में है। 20 अक्टूबर तक कानपुर का कन्ट्रोल रूम चालू हो जायेगा। सरकार ने बात कही थी कि सीसीटीवी हो और डीटीएच हो, जिससे जानकारी होगी कि हमारी फोर्स कहां पर खड़ी हुई है तो उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पहली बार कन्ट्रोल रूम शुरू होने जा रहा वह कानपुर में शुरू हो रहा है। इस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है। सड़क पर काम अच्छा हो रहा है, बिजली के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। ट्रान्समिशन लाइन को भी बेहतर कर रहे हैं, बिजली का जनरेशन कैसे बढ़े, इस पर भी काम चल रहा है। जो काम शुरू हुआ है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है और बिना रुकावट के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे एम0ओ0यू0 हुए हैं, बिजली घरों के लेकिन वह बिजली घर तभी बन जायेंगे जब हमें कोल ब्लाक मिल जायेगा। कोल ब्लाक हैं नहीं, कोयला है नहीं, कोयला के बिना बिजली बन नहीं सकती है और वह कब मिलेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए जो बिजली के उत्पादन का काम है, उस पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। जहां तक और सुविधाओं तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात है, सरकार उन पर काम कर रही है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कैसे हों, 108 सेवा जो है। यह सही है कि हमारे कांग्रेस के साथी बहुत खुश होकर उस बात को कह रहे हैं कि उनकी योजना है। हम लोगों ने केवल समाजवादी नाम लिख दिया तो आप लोगों ने उसका पैसा देना बंद कर दिया। आपको यह जानकर खुशी होगी हमें अपने बजट से पैसा देना पड़ रहा है। अपना पैसे देकर समाजवादी सेवा उत्तर प्रदेश में चल रही है। वह पैसा आपने रोक दिया। इस तरह से अन्य कार्यक्रमों में सरकार की योजनायें चल रही हैं। सड़क, बिजली, पानी का बेहतर इंतजाम कैसे हो। उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े उस पर सरकार काम कर रही है। जहां तक कानून-व्यवस्था का सवाल है कल भी चर्चा हुयी थी। उस समय भी मैंने कहा था कि लगातार काम करना पड़ेगा और उस पर हम सख्ती से काम करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था बेहतर हो। अगर कानून व्यवस्था बेहतर नहीं होगी और दंगे और इस तरह की घटनायें सामने आयेंगी, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की भी छवि खराब होगी और इन्वेंस्टमेंट के लिए बड़े

पैमाने पर जो लोग उत्तर प्रदेश में आना भी चाहेंगे जानकारी मिल जाएगी तो वे रुक जायेंगे। वे उत्तर प्रदेश की तरफ जल्दी देखेंगे भी नहीं। जहां तक आंकड़ों का सवाल है। और अगर होम मिनिस्ट्री के आंकड़े ठीक हैं तो आप दोबारा पलटकर देख लेना, दंगे की परिभाषा जो होम मिनिस्ट्री मानती है अगर वह ठीक है, अगर दंगे सबसे ज्यादा किसी सरकार में हुये हैं तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुए हैं यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x]

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, इन्हें होम मिनिस्ट्री का मान लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष इसीलिए मैंने कहा कि आपको आंकड़े निकालकर देखने चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी ने पिछले प्रश्नों का उत्तर देते हुए खुद आपने स्वीकार किया है कि 27 दंगे हुए, इसके पहले हाउस में आपने ही दिया था। अध्यक्ष महोदय, अभी परसों के सत्र में आपने एक जवाब दिया है कि तीन गंभीर दंगे हुए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, थोड़ा नेता प्रतिपक्ष यह खयाल रखिये कि जब नेता सदन बोल रहे हैं तो आप बैठे रहें। आप बैठें। नेता प्रतिपक्ष बैठें आप।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आप बैठें।

(बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान उत्पन्न हो गया, घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां-

कोई तरीका नहीं है, नेता सदन खड़ें हो तो खड़े हो जायें। चलिए बैठिये। आप नेता प्रतिपक्ष के पद का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। नेता सदन का अपमान है यह। माननीय अध्यक्ष जी, यह संज्ञान आपको लेना चाहिए कि नेता सदन बोल रहे हैं तो किसी को अधिकार नहीं है खड़े रहने का। नेता प्रतिपक्ष का यह आचरण बिलकुल उचित नहीं है। [x x x] कहा है। नेता प्रतिपक्ष ने नेता सदन को [x x x] कहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैं संज्ञान ले रहा हूं। मौर्या जी, जब नेता सदन बोल रहे हैं तो आप काहे उठकर खड़े हो जाते हैं। आप बैठें।

(इस बीच में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोलते रहे, लेकिन उनकी आवाज घोर व्यवधान के कारण सुनाई नहीं पड़ी।)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। नेता सदन को बोलने दीजिए। अब आप बैठ जाइये। माननीय सदस्य बैठिये न। हल्ला मत करिये। बैठिये। देखिये नियम यह है कि जब नेता सदन बोलते हैं तो जब तक वह बैठते नहीं हैं तब तक उठकर आपको बोलना नहीं चाहिए और जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तो तब तक कोई नहीं उठता जब तक कि नेता प्रतिपक्ष बैठ न जायें। तो नेता सदन नहीं बैठे तो आपको नहीं बोलना चाहिए था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[x x x] मान्यवर, यह आज तय हो जाना चाहिए। चीख-चीखकर बोलने से या असभ्य भाषा बोलने से सदन के लोगों को नहीं दबाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह कोई तरीका नहीं है। मान्यवर, आपकी पीठ से यह इंगित होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें। मा0 नेता सदन आप अपनी चर्चा जारी रखें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने एक शब्द [x x x] का इस्तेमाल किया है नेता सदन के लिए वह शब्द निन्दा के साथ निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

वह शब्द निकाल दिया जाएगा। आप बैठिये।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात मैंनें कही, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि जो होम मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, जो होम मिनिस्ट्री का रिकार्ड हैं, इसीलिए मैंने अपनी बात नहीं कही, क्योंकि एक तो यह चिल्लाते बहुत हैं, दूसरा यह हेडफोन लगाते हैं, इन्हें यह ही अन्दाजा नहीं है कि हेडफोन लगाते ही इनकी आवाज दोगुनी हो जाती है, इसलिए जब आप सदन में बैठें तो हेडफोन हटा कर के बैठा करें तो आपकी आवाज थोड़ी डाउन रहेगी। जहां तक आंकड़े की बात है, जो आंकड़े मैंने कहा और मैं फिर दोहराता हूं उस बात को, 2007-2008 उसके बाद निकाल लेना आंकड़े अपनी सरकार के 2008-09 के आंकड़े निकाल लेना होम मिनिस्ट्री के, इसीलिए मैंने कहा कि होम मिनिस्ट्री के आंकड़े निकाल लेना, उसमें आप देखोगे कि आपकी सरकार में दंगे कितने हुए, ज्यादा दंगे हुए हैं, जानें भी बहुत गई हैं। आंकड़े निकाल कर लाना, अभी सदन कल भी है, मैं कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष ये आंकड़े देख कर के आयें, उसके बाद आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और आई0बी0 के आंकड़े।

श्री अखिलेश यादव-

आई0बी0 की बात छोड़िये, अब बात नहीं पलटें नेता प्रतिपक्ष, अब बात नहीं बदलिये नेता प्रतिपक्ष, आई0बी0 के आंकड़े क्या हैं और आंकड़े होम मिनिस्ट्री के क्या हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब बैठा करें, तो हेडफोन हटा कर बैठा करें तो आवाज थोड़ा डाऊन रहेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आपकी आवाज बहुत धीमे आती है।

श्री अखिलेश यादव-

नहीं, हमारी आवाज बहुत तेज है। अब अपना हिसाब किताब लगा लो क्योंकि अब मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अनुपूरक अनुदान में 1999 करोड़ रूपये में से लगभग 509 करोड़ रुपये की धनराशि केवल स्मारक, प्रेरणा स्थल, पार्क, समतामूलक समाज व्यवस्था स्थल आदि कार्यों में आवंटित की गई थी। इस प्रकार अनुपूरक अनुदान की 25 प्रतिशत से अधिक धनराशि मूर्तियां, स्मारक आदि के निर्माण के लिए दी गई थी और इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2008-2009 के प्रथम अनुपूरक 5916 करोड़ रूपये में से लगभग 217 करोड़ की धनराशि लगभग इन्हीं मदों में खर्च हेतु रखी गई और लगभग यही स्थिति 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक एवं द्वितीय अनुपूरक अनुदान के अन्तर्गत भी है जहां 554 करोड़ रुपये प्रथम अनुपूरक बजट में एवं 491 करोड़ रुपये द्वितीय अनुपूरक बजट में स्मारकों, संग्रहालयों आदि के लिए व्यवस्था की गई थी। अब बताओ उन संग्रहालयों का हो क्या रहा है, प्रेरणा स्थल का क्या हो रहा है। कभी गाड़ी से उतर कर जा कर के देखना और किस क्वालिटी का काम किया आपने, वहां पर पत्थर गिर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हाथी फट गये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आप भी फट गये।

श्री अखिलेश यादव-

तो इसलिए यह जो समाजवादी पार्टी की सरकार का बजट है, इसमें जनता का हित रखा गया है और जनता के हित के लिए ही पैसा खर्च होने जा रहा है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए बजट में 520 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, अनुपूरक बजट में एक सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, इस तरह से इस योजना के लिए कुल 620 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे और भी कई बिन्दु हैं। गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट कालेज लखनऊ में वेलेड्रोम का निर्माण कराया जायेगा। राजकीय मेडिकल कालेज झांसी में 500 बेड क्षमता के चिकित्सालय के निर्माण हेतु मैं पहले ही बता चुका हूं। बरेली में आर्मी एवीयेशन सेण्टर के पास एक्सेस स्लांटर हाऊस से उत्पन्न बर्ड हिट के खतरे को समाप्त करने के उद्देश्य से स्लांटर हाऊस के आधुनिकीकरण हेतु अनुपूरक बजट में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। लखीमपुर में गोलागोकरन नाथ तथा बलिया में ददरी मेले में जनसुविधाओं के विकास, जनपद उन्नाव के बक्सर में पौराणिक स्थल के विकास, मथुरा, अयोध्या, चित्रकूट, फर्रुखाबाद,

विन्ध्यवासिनी देवी धाम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनुपूरक बजट में 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। मथुरा-वृन्दावन के मध्य आडोटोरियम का निर्माण कराया जायेगा जिसे शुरू करने के लिए 05 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, इसलिए अनुपूरक बजट में जो रखा गया है, उसमें उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, ठोस विकास के रास्ते पर कैसे ले करके जायें और सभी वर्गों के बीच में योजनाओं के माध्यम से कैसे खुशहाली आये, इसके लिये अनुपूरक बजट है। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा चल रही थी और बीच में मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुमति लेने के बाद और आपका निर्देश प्राप्त होने के बाद दो शब्द बोला। संसदीय कार्य मंत्री जी जिस तरीके से सदन को भी [x x x] के माध्यम से....

श्री अध्यक्ष-

ये शब्द निकाल दिया जाये। [x x x] शब्द निकाल दिया जायेगा, [x x x] शब्द मत कहिये। [x x x]

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

चलिये, वो शब्द वापस लेता हूं। हां, वो शब्द वापस लेता हूं लेकिन मान्यवर, जब सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात चल रही थी, नेता सदन से बात करने के बाद मैं अपनी बात कह रहा हूं तो ये बीच में किस तरीके से आरोप लगे, अगर कोई निर्देश है तो पीठ से आयेगा मान्यवर। हम निर्देश पीठ का मानेंगे। हम किसी मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री का निर्देश मानने के लिये यहां नहीं बैठे हुये हैं और इसलिये मान्यवर नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, ये संसदीय परम्परा में पिछली भी तमाम कार्यवाहियां हैं, जब मौके-मौके पर नेता विरोधी दल के बोलते वक्त सत्तापक्ष के लोग भी बीच-बीच में बोलते हैं, उसमें मैं बैठ जाता हूं और नेता सदन भी बोलते हैं और अगर इसके पहले भी नेता विरोधी दल अगर बीच-बीच में कोई बात करते रहे हैं तो ये पहले परम्परा रही है, कोई नयी परम्परा नहीं है, कोई नयी परम्परा हमने नहीं डाली है, एक चीज। दूसरी चीज संसदीय कार्य मंत्री जी इतने विद्वान हैं, इतना इनका संसदीय अनुभव है, जब संसदीय जानकार होते हुये भी ये बचकानी तरीके से इन्होंने रोकने और प्रत्यारोप की बात की है। ये पीठ की अवमानना है मान्यवर और अगर संसदीय कार्य मंत्री जी को कुछ कहना ही था तो आपके माध्यम से निर्देश हमें दिला सकते थे लेकिन जिस तरीके से डॉट करके, ये नेता विरोधी दल को डांट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये संसदीय परम्परा में यकीन नहीं करते हैं और संसदीय परम्परा की धज्जियां उड़ाने में लगे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। मैं तो शुरु से, जब से सरकार बनी है, तब से मैंने लगातार सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करने का प्रयास किया है और प्रयास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सदन में चर्चा हो। ज्यादा से ज्यादा मैं सहयोग करता हूं और मान्यवर हठधर्मिता, हठधर्मिता पर ये आप मत मानिये, जिस स्कूल से आप आये हैं, उसी स्कूल से मैं भी आया हूं। मैंने सदैव जुल्म, ज्यादती, अत्याचार का विरोध किया है, सदन के बाहर और सदन के अन्दर। जब कभी दबाव की राजनीति होगी, मुझ जैसा व्यक्ति उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष-

कोई दबाव की राजनीति सदन में नहीं होती है। सदन में न सत्तापक्ष दबाव डालता है न विपक्ष। आप बैठिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं लोकतांत्रिक परम्पराओं में यकीन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हमारे मा0 वरिष्ठ मंत्रीगण भी जो लोकतांत्रिक परम्परायें हैं, उनका अनुसरण करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, हम सबके लिये यह लाजिम है कि हम नेता सदन का सम्मान करें। हम सबके लिये ये लाजिम है कि हम किसी दल के हों, कहीं बैठे हों, अगर नेता सदन का सम्मान खत्म हो जायेगा तो उस सदन का सम्मान खत्म हो जायेगा। मैं बड़े अदब और माफी के साथ कहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष का जो तरीका था, जो अन्दाज था, वो इन्तेहाई काबिल-ए-एतराज़ था। नेता सदन बराबर बोल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी बराबर बोल रहे हैं। ये ऐसा कभी नहीं देखा गया, कभी नहीं देखा गया और [x x x] शब्द इस्तेमाल किया गया। हमने उसे भी बर्दाश्त किया लेकिन जब आपका बेअदबी की इन्तेहा हो गयी। नेता सदन उम्र से तय नहीं होंगे। नेता सदन का सफर एक ऐसे वालिद के सफर से है जिसने पैदाइशी राजनैतिक माहौल देखा, एक ऐसे परिवार से। लिहाजा जो तरीका आपने अख्तियार किया, वो बिल्कुल शोभनीय नहीं था और परम्पराओं के बिल्कुल विपरीत था। आपको अपना आचरण बदलना होगा, अगर आप आचरण नहीं बदलेंगे तो आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पायेंगे। जो आपका बोलने का तरीका, जो आपका गुस्से का अन्दाज़ और जो आज तरीका आपका रहा कि जितनी देर नेता सदन बोलते रहे, उतनी देर आप भी बराबर बोलते रहे। आपने तमाम सीमायें लांघ दी और एहसास ही नहीं करने दिया आपने कि आपकी अपनी हदें क्या हैं। नेता सदन की हदों को नेता प्रतिपक्ष पार नहीं कर सकते। चाहे कोई भी नेता सदन हों, उन्हें नेता सदन का सम्मान करना होगा, जब वो इस सदन में बैठे हैं।

(मा0 सदस्य, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म करिये। देखिए वाद-विवाद बढ़ाने से कोई फायदा नहीं अब बजट पास कराने दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी अब मुझे ये सिखायेंगे, जो नेता सदन का रोज मजाक उड़ाया करते हैं। जो रोज नेता सदन को अपनी चौखट पर माथा टेकने को मजबूर किया करते हैं।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

ये बातें अच्छी नहीं हैं, आप बैठ जाए मौर्या जी। बैठ जाएं।

(सत्तापक्ष के अनेक मा0 सदस्य एक साथ खड़े होकर विरोध करने से शोर की स्थिति)

पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ एक अनुरोध है आपसे, इस प्रकरण में मान्यवर, जब नेता सदन बोल रहे थे, नेता प्रतिपक्ष ने जो किया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसका उल्लेख कर दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री के नाते मेरा यह दायित्व है कि मैं इन बातों को इंगित करूं और मैं अगर सदन के अंदर कोई अवमानना हो रही है तो उसमें आपसे गुजारिश करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरी एक अपील है। आपकी आज्ञा से यह बात कहना चाहता हूं कि मा0 अध्यक्ष जी, आज इतनी बार आपके इन बातों के निर्देश देने के बावजूद, जो शब्द अभी भी आए हैं, बार-बार आए हैं, वह अत्यंत आपत्तिजनक हैं, आप उनको देख लेंगे। उन्हें निकाल देंगे।

श्री अध्यक्ष-

वो शब्द निकाल दिए गए हैं। उन्होंने उन शब्दों को वापस ले लिया। उन्होंने खुद उन शब्दों को वापस ले लिया है। अब यह बजट पास करना है, तो यह मदवार ही पास किया जाए।

[04.16] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक बजट को समेकित लगायत के रूप में लिये जाने का अनुरोध

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक से लगायत अंत तक ले लें। आप पहला और आखिरी पढ़ दें। मान्यवर, आप सदन की अनुमति ले लें। एक से लेकर लगायत करके कर दें। जल्दी हो जायेगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

नहीं, नहीं मैं बड़ी माजहत से अर्ज करूं आपसे कि कोई लीगल इम्प्लीकेशन न हो, क्योंकि ऐसी कोई परम्परा नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, कोई लीगल इम्प्लीकेशन न हो, कहीं कोई कोर्ट चला जाए, परेशानी हो जाएगी। मदवार ही लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

[04.18] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुरूप अनुदानों की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-02 आवास विभाग

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 12,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 12,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 1,13,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 1,13,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 91,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 91,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 1,68,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 1,68,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 50,41,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 50,41,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-9 ऊर्जा विभाग

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-09 उर्जा विभाग के अन्तर्गत 10,98,87,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-9 उर्जा विभाग के अन्तर्गत 10,98,87,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

उद्यान मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 15,10,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 1,5,10,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग

कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री (श्री कुंवर आनन्द सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 1,17,73,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 1,17,73,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,00,10,01,,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,00,10,01,,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 8,99,43,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 8,99,43,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 25,75,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 25,75,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राम मूर्ति वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 90,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 90,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 61,79,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 61,79,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-22 खेल विभाग

खेलकूद मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 28,25,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 28,25,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 75,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 75,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार)

पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 7,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 7,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस)

पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,27,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,27,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 37,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 37,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-31 चिकित्सा शिक्षा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 77,55,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 77,55,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 4,34,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 4,34,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 5,36,88,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 5,36,88,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग

पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 2,10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 2,10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग

पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत 64,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत 64,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग

पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 5,14,92,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 5,14,92,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग

पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 1,09,06,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 1,09,06,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग

पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 19,55,27,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 19,55,27,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,65,01,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,65,01,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 15,35,10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 15,35,10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग

पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 13,22,75,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 13,22,75,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 37,11,14,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 37,11,14,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग

बाल विकास एवं पुष्टाहार बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 22,79,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 22,79,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 6,08,32,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 6,08,32,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अंतर्गत 97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अंतर्गत 97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अंतर्गत 4,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अंतर्गत 4,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अंतर्गत 75,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अंतर्गत 75,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अंतर्गत 2,50,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अंतर्गत 2,50,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अंतर्गत 3,77,70,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अंतर्गत 3,77,70,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अंतर्गत 25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अंतर्गत 25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-60 वन विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अंतर्गत 8,20,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अंतर्गत 8,20,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अंतर्गत 8,98,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अंतर्गत 8,98,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प-बचत आदि)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अंतर्गत 28,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अंतर्गत 28,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 6,10,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 6,10,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 8,40,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 8,40,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोबिन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,35,13,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,35,13,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 16,66,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73- शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 16,66,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोबिन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 24,57,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 24,57,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,77,42,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,77,42,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 4,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 4,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 25,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 25,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 84,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 84,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 3,89,33,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 3,89,33,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 74,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 74,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 10,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 10,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 8,56,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 8,56,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत 3,65,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत 3,65,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 7,91,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 7,91,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 8,34,33,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 8,34,33,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[4.57 बजे] उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 का अनुपूरक) विधेयक, 2013

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 का अनुपूरक) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 का अनुपूरक) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 का अनुपूरक) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बंटवा दी जाएं।

प्रतियां बांटी गयीं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 का अनुपूरक) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 का अनुपूरक) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 का अनुपूरक) विधेयक, 2013

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 का अनुपूरक) अधिनियम, 2013 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2013-2014 के लिए 7,1,12,39,07,000 रुपये का दिया जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2014 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 7,1,12,39,07,000 रुपये (सात हजार एक सौ बारह करोड़ उन्तालीस लाख सात हजार रुपये मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (रुपये हजार में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
02	आवास विभाग	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	125000	.–	125000
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	11300	–	11300
		पूंजी :	–	–	0

1	2		3		
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	9128	—	9128
		पूंजी :	—	—	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	16850	—	16850
		पूंजी :	—	—	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	4173	—	4173
		पूंजी :	500000	—	500000
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	10988795	—.	10988795
		पूंजी :	—	—	0
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	151073	—	151073
		पूंजी :	—	—	0
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	1127913	—	1127913
		पूंजी :	49456	—	49456
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	1000	—	1000
		पूंजी :	1000001	—	1000001
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	8994352	—	8994352
		पूंजी :	—	—	0
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्वः	7500	—	7500
		पूंजी :	250000	—	250000
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास)	राजस्व :	9000	—	9000
		पूंजी :	—	—	0
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	—	—	0
		पूंजी :	1	—	1
20	कार्मिक वि□ग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	—	*45,000*	45,000
		पूंजी :	—	—	0
21	खाद्य तथा रसद वि□ग	राजस्व :	1083	—	1083
		पूंजी :	616887	—	616887
22	खेल वि□ग	राजस्व :	10000	—	10000
		पूंजी :	272553	—	272553
24	गन्ना विकास वि□ग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	—	—	0
		पूंजी :	750000	—	750000
25	गृह वि□ग (कारागार)	राजस्व :	20000	—	20000
		पूंजी :	50000	—	50000
26	गृह वि□ग (पुलिस)	राजस्व :	1020001	—	1020001
		पूंजी :	250000	—	250000

1	2		3		
28	गृह वि□ग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	3700	–	3700
		पूंजी :	–	–	0
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	–	*2200*	2200
		पूंजी :	–	–	0
31	चिकित्सा वि□ग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	40000	–	40000
		पूंजी :	735500	–	735500
32	चिकित्सा वि□ग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	1	–	1
35	चिकित्सा वि□ग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	43400	–	43400
		पूंजी :	–	–	0
37	नगर विकास वि□ग	राजस्व :	5368828	–	5368828
		पूंजी :	–	–	0
38	नागरिक उड्डयन वि□ग	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	2100000	–	2100000
39	भाषा विभाग	राजस्व :	6400	–	6400
		पूंजी :	–	–	0
40	नियोजन वि□ग	राजस्व :	2000	–	2000
		पूंजी :	5147257	–	5147257
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	1090601	–	1090601
		पूंजी :	–	–	0
42	न्याय वि□ग	राजस्व :	71673	*259769*	331442
		पूंजी :	123854	*75000*	198854
43	परिवहन वि□ग	राजस्व :	14001	–	14001
		पूंजी :	2500	–	2500
44	पर्यटन वि□ग	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	153510	–	153510
47	प्राविधिक शिक्षा वि□ग	राजस्व :	2	–	2
		पूंजी :	132273	–	132273
48	अल्पसंख्यक कल्याण वि□ग	राजस्व :	171114	–	171114
		पूंजी :	200000	–	200000
49	महिला एवं बाल कल्याण वि□ग	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	30000	–	30000
50	राजस्व वि□ग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	10000	–	10000
51	राजस्व वि□ग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	2279	–	2279
		पूंजी :	–	–	0

* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

1	2		3		
52	राजस्व वि□ाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	832	–	832
		पूंजी :	60000	–	60000
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	97	–	97
		पूंजी :	–	–	0
55	लोक निर्माण वि□ाग (भवन)	राजस्व :	–	*2341*	2341
		पूंजी :	45000	–	45000
56	लोक निर्माण वि□ाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	750000	–	750000
57	लोक निर्माण वि□ाग (संचार साधन–सेतु)	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	2500000	–	2500000
58	लोक निर्माण वि□ाग (संचार साधन–सड़कें)	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	3777039	–	3777039
59	लोक निर्माण वि□ाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	2500	–	2500
60	वन वि□ाग	राजस्व :	12025	–	12025
		पूंजी :	70002	–	70002
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	–	*345845*	345845
		पूंजी :	–	–	0
63	वित्त वि□ाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	630	–	630
		पूंजी :	89178	–	89178
65	वित्त वि□ाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	2862	–	2862
		पूंजी :	–	–	0
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	61014	–	61014
		पूंजी :	–	–	0
69	व्यावसायिक शिक्षा वि□ाग	राजस्व :	81302	–	81302
		पूंजी :	2700	–	2700
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	2301390	–	2301390
		पूंजी :	50000	–	50000
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	28462	–	28462
		पूंजी :	138160	–	138160
75	शिक्षा वि□ाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	4797	–	4797
		पूंजी :	240939	–	240939
76	श्रम वि□ाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	1774200	–	1774200
		पूंजी :	–	–	0
77	श्रम वि□ाग (सेवायोजन)	राजस्व :	4000000	–	4000000
		पूंजी :	–	–	0

1	2		3		
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	250000	–	250000
		पूंजी :	–	–	0
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	1225	–	1225
		पूंजी :	7230	–	7230
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	3893336	–	3893336
		पूंजी :	–	–	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	7460	–	7460
		पूंजी :	–	–	0
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	–	*9697*	9697
		पूंजी :	–	–	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	1006	–	1006
		पूंजी :	–	–	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	1000	–	1000
		पूंजी :	–	–	0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	85622	–	85622
		पूंजी :	–	–	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्व :	31565	–	31565
		पूंजी :	5000	–	5000
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	22637	–	22637
		पूंजी :	56500	–	56500
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	5440670	–	5440670
		पूंजी :	2902716	–	2902716
		राजस्व :	**47188298**	***664852***	**47853150**
	योग :	**पूंजी :**	**23195757**	***75000***	**23270757**
			70384055	***739852***	**71123907**
	महायोग :				

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 का अनुपूरक) विधेयक, 2013 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 का अनुपूरक) विधेयक, 2013 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05.00] मुजफ्फरनगर दंगों के सम्बन्ध में विभिन्न चैनलों पर दिखाये गये स्टिंग आपरेशन की जांच, अन्वेषण एवं प्रतिवेदन हेतु संसदीय समिति के गठन की सूचना

श्री अध्यक्ष-

एक प्रस्ताव है सदन को सूचना देनी है।

कल दिनांक 18 सितम्बर, 2013 के उपवेशन में नियम-56 के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर में हुए दंगों से सम्बन्धित सूचना पर सदन में चर्चा के समय कतिपय मा0 नेतागण द्वारा इलेक्ट्रानिक चैनलों पर दिखाये गये एक स्टिंग आपरेशन का मुद्दा उठाया गया था जिस पर मा0 नेता, विरोधी दल ने सदन में अपना मत व्यक्त किया था कि इस स्टिंग आपरेशन की सी0डी0 आदि की सत्यता की जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें सदन के एक वरिष्ठ सदस्य की गरिमा का प्रश्न भी निहित है। कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक 18 सितम्बर, 2013 में भी इस विषय पर कतिपय मा0 सदस्यों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि मुजफ्फरनगर दंगों के सम्बन्ध में किये गये स्टिंग आपरेशन के सम्बन्ध में जांच कराई जाए और यदि वह स्टिंग आपरेशन सही नहीं है तो इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जाय।

तद्नुसार मुजफ्फरनगर दंगों के सम्बन्ध में विभिन्न चैनलों पर दिखाये गये स्टिंग आपरेशन की जांच, अन्वेषण एवं प्रतिवेदन हेतु एक संसदीय समिति गठित किया जाना उपर्युक्त प्रतीत होता है। यदि सदन सहमत हो तो इस प्रकार की जांच हेतु संसदीय समिति गठित कर दी जाय।

सदन इससे सहमत है ?

(''सहमत है'' की आवाजें)

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[05.00] उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक,2013 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2013 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह 23 अगस्त, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2002 की धारा 10 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 10 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''पांच वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''तीन वर्ष'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

''(3-क)(क) केवल ऐसा व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;

(ख) कुलपति अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा";

(ग) उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थातः–

''(7) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जान-बूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकते हैं।

(8) उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच के अनुध्यात रहते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रतर आदेश न दिया जाय–

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिए वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति पद के कार्य का संचालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।''

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2013

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013

महिला कल्याण, संस्कृति मंत्री (श्रीमती अरूण कुमारी कोरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह 26 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त होगा।

2–उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (2) में,– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2004 की धारा 3 का संशोधन

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात–

''(क) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष तथा दो उपाध्यक्ष, जो महिलायें होंगी और जिन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया हो;''

(ख) खण्ड (कक) निकाल दिया जायेगा;

(ग) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात–

''(ख) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट 25 सदस्य, जो महिलायें होंगी और जिन्होंने महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण के लिए कार्य किया हो:

परन्तु यह कि कम से कम एक सदस्य निम्नलिखित प्रत्येक से संबंधित महिलाओं में से होगा–

(एक) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों;

(दो) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों;

(तीन) अल्पसंख्यकों।''

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :– धारा 4 का संशोधन

''(2) अध्यक्ष कोई उपाध्यक्ष या कोई सदस्य 25 वर्ष की आयु से कम होने पर पद धारण नहीं करेगा।''

4–मूल अधिनियम की धारा 15 में शब्द ''अध्यक्ष'' के स्थान पर शब्द ''अध्यक्ष, उपाध्यक्ष'' रख दिये जायेंगे। धारा 15 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2013

निरसन और अपवाद

5–(1) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई (संशोधन) विधेयक, 2013

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2013

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई अधिनियम, 2005 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह 12 जुलाई, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2005 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई अधिनियम, 2005, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(1) संस्थान में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन – पदेन;

(ख) एक विख्यात व्यक्ति, जिसे आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से शासी निकाय के संकल्प द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, कुलाध्यक्ष होगा;

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

शासन–पदेन;

(घ) संस्थान का निदेशक – पदेन;

(ङ) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश – पदेन;

(च) प्रमुख सचिव/सचिव, प्रभारी वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन–पदेन;

(छ) प्रमुख सचिव/सचिव, प्रभारी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन–पदेन;

(ज) दो व्यक्ति जो सामाजिक विज्ञान, वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा या शोध के कार्य में रत हैं या उसका विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(झ) राज्य विधान मण्डल का एक सदस्य जो उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जिसमें संस्थान स्थित है;

(ञ) संसद का एक सदस्य जो उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जिसमें संस्थान स्थित है;

(ट) स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि, जो उस सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ठ) भारतीय चिकित्सा परिषद् का एक प्रतिनिधि, जो ऐसी परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ड) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् का एक प्रतिनिधि, जो ऐसी परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ढ) जीवन विज्ञान की शाखा से दो ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।''

धारा 5 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 5 में–

(क) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नांकित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

''(3) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) या खण्ड (ञ) के अधीन किसी सदस्य की पदावधि उस दिनांक को समाप्त हो जायेगी, जब से वह, यथास्थिति, राज्य विधान मण्डल का सदस्य या संसद का सदस्य न रह जाय।''

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नांकित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(6) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) या खण्ड (ञ) के अधीन किसी सदस्य से भिन्न कोई पदावरोही सदस्य, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, तब तक के लिए पद पर बना रहेगा, जब तक कि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट न कर दिया जाय।''

धारा 10 का

4–मूल अधिनियम की धारा 10 में उपधारा (1) के स्थान पर

संशोधन

निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन संस्थान के अध्यक्ष होंगे और वह शासी निकाय के सभापति भी होंगे। प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन संस्थान के उपाध्यक्ष तथा शासी निकाय के उप सभापति भी होंगे।''

धारा 17 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 17 में–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(1) शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष;

(ख) उपाध्यक्ष;

(ग) विख्यात कुलाध्यक्ष;

(घ) निदेशक;

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग–पदेन;

(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश–पदेन;

(छ) महाविद्यालयों के प्राचार्य;

(ज) राज्य विधान मण्डल का एक सदस्य, जो उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जिसमें संस्थान स्थित है;

(झ) संसद का सदस्य जो उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जिसमें संस्थान स्थित है;

(ञ) यथाविहित रीति से चक्रानुक्रम में नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो व्यक्ति, जो संस्थान के विभागाध्यक्ष हों;

(ट) यथाविहित रीति से चयनित किये जाने वाले संस्थान के अध्यापकों में से दो व्यक्ति;

(ठ) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो व्यक्ति;''

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

''(3) उपधारा (1) के खण्ड (ज) या खण्ड (झ) के अधीन किसी सदस्य की पदावधि उस दिनांक को समाप्त हो जायेगी जबसे वह, यथास्थिति, राज्य विधान मण्डल जहां से वह निर्वाचित किया गया हो, का सदस्य या संसद का सदस्य नहीं रह जाता है।''

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2013

निरसन एवं अपवाद

6–(1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) अध्यादेश, 2013 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ),

खण्ड-2 व खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1964 की धारा 17–क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 17–क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात् :–

''(1) इस अधिनियम के किसी उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,–

(क) जहाँ राज्य सरकार अथवा यथाविहित प्राधिकारी की राय हो कि राज्य में औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और उक्त इकाइयों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादनों के विपणन को सम्प्रवर्तित करने के लिए लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहाँ वह ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, आवेदन करने पर, अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन या उत्पादनों पर ऐसी अवधि, जो पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये मण्डी शुल्क (विकास सेस को छोड़कर) से छूट प्रदान कर सकती है या उसकी दर में कमी कर सकती है जिन्हें ऐसी नवस्थापित कृषि प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो इस शर्त को पूरा करती हों कि उनके संयंत्र और मशीनरी की लागत पाँच करोड़ से कम नहीं है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाई के तैयार उत्पादन, जो एक विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन हो और उसमें प्रयुक्त सामग्री कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन न हो, पर (विकास सेस को छोड़कर) मण्डी शुल्क से छूट प्रदान कर सकती है या उसके दर में कमी कर सकती है।

(ख) जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ वह, आवेदन किये जाने पर या अन्यथा अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन या उत्पादनों पर ऐसी अवधि, जो पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, मण्डी शुल्क और विकास सेस से छूट प्रदान कर सकती है, जिन्हें लाइसेंसधारी द्वारा विहित रीति से निर्यात किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी नये पूर्णरूपेण निर्यातोन्मुख औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाई के मामले में, जो नष्ट होने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग करती हो, इस खण्ड के अधीन छूट की अवधि 10 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ायी जा सकती है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 के पुनः पारण का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 जो इस सदन द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2013 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 22 मार्च, 2013 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुये तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 जो इस सदन द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2013 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 22 मार्च, 2013 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुये तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05.05] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 में कुल 92 सूचनायें थी। नियमानुसार कुल 10 सूचनायें चयनित करनी थी। 82 रिजेक्ट होंगी तो स्वाभाविक रूप से मन में आएगा ही। स्वीकृत सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है क्योंकि कल जवाब नहीं आ पाएगा।

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान जेल में बन्द घोषित लोकतंत्र सेनानियों को सरकारी खर्चे पर इलाज कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री राजेश अग्रवाल की प्रदेश में चल रहे स्लाटर हाउस में भारी मात्रा में हो रही दुधारू पशुओं की गौकशी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री अनीसुर्रहमान की मुरादाबाद की तहसील कांठ में स्थित राजकीय हाई स्कूल के भवन निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के प्रयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री राजबली जैसल की प्रतापगढ़ के थाना जेठवारा अन्तर्गत मृतक बब्लू पुत्र श्री राम रतन चमार की हत्या करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री दीपक पटेल की प्रदेश के माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत अनुदानित पदों पर नियुक्त प्रधानाचार्य/अध्यापकों की नियुक्ति को 15 माह बाद समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की बस्ती मण्डल में विद्युत कार्यशाला न होने से जले ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की चन्दौली के बाढ़ से प्रभावित किसानों व नागरिकों को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री अब्दुल मशहूद खां की जनपद बलरामपुर मेरे विधान सभा क्षेत्र 291 तुलसीपुर के फारेस्ट रेंज बरहवा एवं बनकटवा के अन्तर्गत नरभक्षी बाघ द्वारा लगभग आधा दर्जन बच्चों को खा लेने एवं हजारों ग्रामीण के मन में व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना डा0 पूर्णमासी देहाती की समाज कल्याण द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के वेतन मंहगाई भत्ता आदि दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रूदौली में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितता की उच्च अधिकारी से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा ग्यारहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत निगोही के निवासी बृज किशोर द्वारा दबंगों के उत्पीड़न से आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

क्र0	नाम
1	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
2	श्री श्याम देव राय चौधरी
3	श्री प्रमोद तिवारी
4	श्रीमती रूबी प्रसाद
5	श्री प्रदीप माथुर
6	श्री जन्मेजय सिंह
7	श्री सुल्तान बेग
8	श्री त्रिलोकी राम
9	श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट'
10	ठा0 दलवीर सिंह
11	श्री रामहेत भारती

क्र0	नाम
12	श्री शाह आलम
13	श्री रवीन्द्र भड़ाना
14	श्री विजय बहादुर यादव
15	श्री मनोज कुमार सिंह
16	श्री आशीष कुमार यादव
	श्री अमित गौरव यादव
	श्री मनोज कुमार सिंह
	श्री रणजीत सुमन
17	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द
18	श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा
19	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत
20	श्री रविदास मेहरोत्रा
21	श्री उमेश पाण्डेय
22	श्री जमील अहमद
23	श्री पंकज कुमार मलिक
24	श्री इकबाल
	श्री मुसर्रत अली बिट्टन
25	श्री जगपाल सिंह
26	पं0 सुदेश शर्मा
27	श्री गोरख पासवान
28	श्री मदन चौहान
29	श्री उमाशंकर सिंह
30	श्री दीपक पटेल एडवोकेट
31	श्री अगयश राम सरन वर्मा
32	श्री काली चरन सुमन
33	श्री मुकेश श्रीवास्तव
34	डा0 धर्म सिंह सैनी
35	श्री संजय कपूर
36	श्री आरिफ अनवर हाशमी
37	श्री जय प्रकाश अंचल
38	श्री गुलाब चन्द्र सरोज
39	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल

क्र0	नाम
40	डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल
41	श्री अजय मिश्र ''टेनी''
42	श्री मनीष असीजा
43	श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव
44	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल
45	श्री राम सरन
46	साध्वी निरंजन ज्योति
47	श्री राम मगन रावत
48	श्री रवीन्द्र जायसवाल
49	श्री भीम प्रसाद सोनकर
50	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
51	श्री राधेश्याम जायसवाल
52	श्री ललितेश पति त्रिपाठी
53	श्री दिलनवाज खान
54	श्री राज कुमार रावत
55	पं0 अमरपाल शर्मा
56	श्री ओम कुमार
57	श्री राकेश बाबू
58	डा0 अरुण कुमार
59	श्री जी0एम0 सिंह
60	श्री भगवती प्रसाद
61	श्री प्रदीप चौधरी
62	श्री उदयलाल मौर्या
63	श्री जगन प्रसाद गर्ग
64	श्रीमती सीमा द्विवेदी
65	श्री धर्मपाल सिंह
66	श्री शारदा प्रताप शुक्ला
67	डा0 धर्मपाल सिंह
68	श्री सुधाकर सिंह
69	श्री संतराम कुशवाहा
70	श्री गेंदा लाल चौधरी
71	श्री अवस्थी बाला प्रसाद

क्र0	नाम
72	श्री जय प्रकाश निषाद
73	श्री राजनरायन बुधौलिया
74	श्री जियाउद्दीन रिजवी
75	श्री अमित गौरव यादव
76	श्री राजेश यादव
77	श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि
78	श्री दलजीत सिंह
79	डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
80	श्री छोटे लाल वर्मा तथा
81	श्री विजय कुमार पासवान।

जनपद प्रतापगढ़ स्थित ट्रांसफार्मरों के रिपेयर/मरम्मत की कार्यशाला बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब बैठिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्रा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[यह बिन्दु उठाया गया है कि विगत कई वर्षों पूर्व जनपद प्रतापगढ़ में विद्युत के ट्रांसफार्मर्स के रिपेयर/मरम्मत की कार्यशाला स्थापित की गयी थी। ट्रान्सफार्मरों के मरम्मत/रिपेयर के कार्यशाला की स्थापना जब की गयी थी तब से आज लोड/भार लगभग 8-10 गुना अधिक बढ़ गया है किन्तु ट्रान्सफार्मरों के मरम्मत/रिपेयर की कार्यशाला की क्षमता अभी तक नहीं बढ़ायी गयी है। ऐसी स्थिति में ट्रान्सफार्मरों के जलने अथवा खराब होने पर गंतव्य स्थान से उस ट्रान्सफार्मर को प्रतापगढ़ लाना पड़ता है और तत्पश्चात् उसे इलाहाबाद, फतेहपुर अथवा रायबरेली की कार्यशाला में भेजना पड़ता है। इस प्रक्रिया में काफी समय अनावश्यक रूप से लग जाता है जिसके कारण ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत समय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से नहीं हो पाती है और 3 से 6 माह तक का समय मरम्मत/रिपेयर में लग जाता है। विद्युत के ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत/रिपेयर समय से न होने के कारण विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है जिससे जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है और जनता आन्दोलित होती है तथा सड़कों पर उतरती है। ऐसी परिस्थिति में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है। अतः जनहित में प्रतापगढ़ स्थित ट्रान्सफार्मरों के रिपेयर/मरम्मत की कार्यशाला की क्षमता अतिशीघ्र बढ़ाया जाना आवश्यक है जिससे ट्रान्सफार्मरों के खराब होने अथवा जलने पर जल्द उनकी मरम्मत हो सके। अभी तक कार्यशाला की क्षमता न बढ़ाये जाने के कारण और ट्रान्सफार्मरों के खराब होने अथवा जलने पर समय से उनकी मरम्मत न होने की वजह से लोगों में रोष तथा चिन्ता व्याप्त है।

<u>आख्या :-</u>

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रतापगढ़ में परिवर्तक के मरम्मत की वर्तमान में कार्यशाला की क्षमता लगभग 110 अदद् प्रतिमाह की तात्कालिक रूप से व्यवस्था की गयी है तथा आगामी माह में यह क्षमता 125 अदद् प्रतिमाह कर दी जायेगी।

स्थायी रूप से कार्यशाला की क्षमता बढ़ाने हेतु योजना बनायी है जिसमें कार्यशाला हेतु शेड, नये उपकरणों की खरीद एवं स्थापना तथा जनशक्ति इत्यादि सम्मिलित है। उक्त कार्यशाला की क्षमतावृद्धि में रु0 3.00 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता होने पर कार्यशाला की क्षमतावृद्धि संभव होगी।

कार्यशाला की क्षमता वृद्धि के उपरान्त प्रतापगढ़ जनपद के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदलने हेतु मरम्मतशुदा परिवर्तक कार्यशाला में उपलब्ध रहेंगे तथा नये उपकरणों की स्थापना से मरम्मत किये गये परिवर्तकों की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी तथा जले हुए परिवर्तकों को बदलने के लिये बाहर से परिवर्तक मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।]

जनपद लखनऊ में जल निकासी हेतु सीवर लाइन डालने के कार्य में हो रहे विलम्ब के कारण विकास नगर, इन्दिरा नगर, शिवाजीपुरम्, सुरेन्द्र नगर, इस्माईलगंज में मार्गों का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कलराज मिश्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

मेसर्स साईं फायर एप्लाईसेंस प्रा0 लि0 बी-21 सेक्टर-10 नोएडा के अम्बेडकर अस्पताल में अग्निशमन कार्य हेतु टेण्डर दिलाये जाने के सम्बन्ध में की धोखाधड़ी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

नियम-51 के अंतर्गत प्राप्त उक्त सूचना में.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्रा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[यह वर्णित है कि मैसर्स सांई फायर एप्लाईसेंस प्रा0 लि0 बी-21, सेक्टर-10, नोएडा से अम्बेडकर अस्पताल में अग्निशमन कार्य हेतु टेण्डर दिलाने के नाम पर श्री के0के0 पाण्डेय, पूर्व परियोजना अभियन्ता द्वारा फर्म के प्रबन्ध निदेशक, श्री अनिल शर्मा से अपने आवास जी-1, सेक्टर-27, नोएडा पर 05 नामित व्यक्तियों जिनके शपथ-पत्र संलग्न है, के समक्ष 16 लाख रुपये लिये थे। श्री पाण्डेय द्वारा उक्त फर्म से अपने पुत्र के इलाज हेतु 20.00 लाख रुपये की मांग दिनांक 15-10-2009 को की थी तथा उक्त फर्म के निदेशक द्वारा अपने रिश्तेदारों आदि से उधार लेकर श्री पाण्डेय को 16.00 लाख रुपये उनके पुत्र के इलाज हेतु मात्र एक माह के दिये गये थे परन्तु उनके द्वारा नाटकीय ढंग से टेण्डर देने की पेशकश उक्त कम्पनी के निदेशक के सामने कर दी, जो आज तक उस कम्पनी को प्राप्त नहीं हुआ तथा निदेशक द्वारा पैसा वापस मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी उनके द्वारा दी जा रही है, जिसकी शिकायत मा0 मुख्य मंत्री जी से की गयी थी तथा मा0 मुख्य मंत्री जी के विशेष कार्याधिकारी द्वारा एस0एस0पी0, गौतमबुद्ध नगर को दिनांक 03-12-2012 एवं दिनांक 08-03-2013 को निर्देशित किया गया था, परन्तु वांछित कार्यवाही लम्बित है तथा वर्तमान में श्री पाण्डेय गाजियाबाद में निवास कर रहे हैं इसलिए कार्यवाही लम्बित है। श्री पाण्डेय लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी जनवरी, 2011 में किसी बड़े घोटाले में लिप्त थे, जिसकी वजह से वर्ष 2011 में लखनऊ जेल में 4-5 माह व्यतीत कर चुके हैं तथा इस तरह के घोटालों के आदतन अपराधी हैं। श्री पाण्डेय द्वारा सरकारी सेवा अवधि के दरम्यान 100.00 करोड़ से ज्यादा की सम्पत्ति इसी तरह के घोटालों से ब0स0पा0 सरकार के दरम्यान अर्जित की है, जो अभिलेखों में दर्ज है। अतः उक्त प्रकरण में वक्तव्य के साथ सी0बी0सी0, आई0डी0 से जांच कराये जाने की मांग मा0 सदस्य द्वारा की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में नियम-301 के अन्तर्गत स्वीकृत मा0 सदस्य, विधान सभा की सूचना आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (अनुभाग-5) में प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में आवास अनुभाग-5 द्वारा औद्योगिक विकास विभाग से सूचना मांगी गयी, उक्त के तारतम्य में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के पत्रांक नोएडा/कार्मिक/2013/875 दिनांक 4-4-2013 द्वारा प्रेषित आख्या में यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण के अभिलेखों के अनुसार श्री के0के0 पाण्डेय, मुख्य परियोजना अभियन्ता के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा श्री पाण्डेय को प्राधिकरण से दिनांक 26-11-2009 को कार्यमुक्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में कोई आख्या दिया जाना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर से आख्या प्राप्त की जा सकती है।

3-प्रश्नगत प्रकरण धोखाधड़ी/आपराधिक प्रकृति का होने के कारण इसमें मूलतः कार्यवाही गृह विभाग के स्तर से की जानी है। नियम-51 की सूचना के साथ संलग्न 02 शिकायती-पत्र भी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आवश्यक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर को प्रेषित है। अतः उक्त के दृष्टिगत औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रश्नगत नियम-51 की सूचना को गृह विभाग द्वारा उत्तरित करने हेतु दिनांक 16-09-2013 को संदर्भित किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर से भी इस प्रकरण में आख्या प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद इलाहाबाद में राष्ट्रीय नदी गंगा एवं यमुना के भीषण बाढ़ से पीड़ित लोगों को प्रतिपूर्ति एवं राहत दिलाकर एस0टी0पी0 रिंग बांध टूटने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 सदस्य द्वारा.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्रा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[दिनांक 16-09-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई थी कि इलाहाबाद विगत 03 अगस्त, 2013 से लगभग 01 माह तक राष्ट्रीय नदी गंगा एवं यमुना के भीषण बाढ़ की चपेट में रहा। दोनों नदियों के किनारे बसे गांवों के साथ ही साथ महानगर के विभिन्न मुहल्लों जैसे-सलोरी, ओम गायत्री नगर, कैलाशपुरी, भुलई का पूरा, चांदपुर, सादियाबाद, बड़ा बघाड़ा, छोटा बघाड़ा, ढरहरिया, रामप्रिया रोड, दारागंज, दशाश्वमेघ घाट, रसूलाबाद, शंकरघाट, मेहदौरी गांव, नयापूरा, म्योराबाद, गणेशपुर, कमलानगर, बेलीगांव, बेली एवेन्यू, ऊंचागढ़ी राजापुर, गंगा नगर, ओमनगर, मऊ सरैयां, अशोक नगर, नेवादा, द्रोपदी घाट, नीवां, सुलेमसरांय, गौस नगर, करैली, सादियाबाद आदि में हजारों मकान एक-एक मंजिल तक डूब गये। घरों में रखे सामानों को छोड़कर लोग अपने परिचितों अथवा प्रशासन द्वारा बनाये गये शिविरों में शरण लिये पड़े रहे। सैकड़ों कच्चे-पक्के मकान धाराशाही हो गये जिससे काफी लोग बेघर हो गये। म्योराबाद में 26 अगस्त, 2013 को बारिस व बाढ़ में बिजली विभाग द्वारा बिजली आपूर्ति चालू रखने के कारण मो0 मकसूद पुत्र स्व0 हमीद की मृत्यु हो गई और उनकी तीन बच्चियां और एक लड़का बेसहारा हो गये। 25 अगस्त, 2013 को सुबह 8.30 बजे बक्शी बांध के उत्तर स्थित एस0टी0पी0 का रिंग बांध टूट जाने से बक्शी बांध स्थित सीवेज गेट पर भारी खतरा उत्पन्न हो गया। वहीं के नागरिकों व नौजवानों ने जिला प्रशासन, सिंचाई बाढ़ विभाग आदि के सहयोग से किसी तरह इस गेट में बोल्डर और बालू की बोरियां डालकर बचाया जिससे अल्लापुर, दारागंज, जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, सोहबतियाबाग, अलोपीबाग,

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मधवापुर, बैरहना के लाखों लोग बच गये। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण करते हुए बाढ़ से पीड़ित लोगों के घरों, क्षतिग्रस्त सामानों की क्षतिपूर्ति/राहत दिलाने, एस0टी0पी0 के रिंग बांध टूटने की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा दारागंज नागबासुकी मन्दिर से शिवकुटी तक मैंहदौरी से द्रोपदीघाट तक एवं यमुना के किनारे बांध बनाने और सदन में वक्तव्य दिये जाने की मांग की गई है।

2-इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद महानगर के मुहल्लों जैसे सलोरी, ओम यायत्री नगर, कैलाशपुरी, भुलई का पूरा, चांदपुर, सादियाबाद, बड़ा बघाड़ा, छोटा बघाड़ा, ढरहरिया, रामप्रिया रोड, दारागंज, दशाश्वमेघ घाट, रसूलाबाद, शंकरघाट, मेहदौरी गांव आदि के डूबने का सम्बन्ध एस0टी0पी0 के रिंग बांध से नहीं है। अगस्त माह में गंगा और यमुना नदियों के जल प्रवाह क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण वर्ष 1978 के अधिकतम जल स्तर 87.980 मीटर से 1.46 मीटर नीचे रह गया। जल स्तर अधिक होने के कारण निर्माणाधीन रिंग बांध कि0मी0 0.425 से 0.455 कि0मी0 के बीच दिनांक 25-8-2011 को प्रातः लगभग 8.30 बजे टूट गया। एस0टी0पी0 का रिंग बांध सिंचाई विभाग द्वारा डिपाजिट मद से उत्तर प्रदेश जल निगम के लिए बनाया गया है।

3-एस0टी0पी0 की सुरक्षा हेतु निर्मित रिंग बांध के अपस्ट्रीम में (बन्धे के अन्दर) गंगा यमुना का सम्मिलित जल स्तर 86.520 मीटर जो सन् 1978 के जल स्तर 87.980 मीटर से केवल 1.46 मीटर नीचे रह गया तथा डाउन स्ट्रीम में पानी की मात्रा प्रचुर होने के कारण रिंग बांध के टूटने के परिणामस्वरूप बक्शी बांध पर बने स्लूस गेट से पानी का रिसाव अल्लापुर के तरफ बढ़ने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्लूस गेट को सर्वप्रथम प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति से सीमेन्ट की खाली बोरियों में बालू भरकर सील करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। सिंचाई विभाग एवं प्रशासन के सम्मिलित प्रयास द्वारा दिनांक 25-08-2013 को सायं 7.00 बजे यह स्लूस गेट पूर्ण रूप से प्लग कर दिया गया।

4-रिंग बांध के कट को बन्द करने का कार्य युद्ध स्तर पर सेना एवं सिंचाई विभाग के मजदूरों एवं अधिकारियों के सहयोग से कराया गया। कट स्थल की चौड़ाई 30 मीटर के मध्य में बल्लियों का क्रेट लगाकर 15 फीट गहरे पानी के ऊपर 3 फीट तक छः मीटर चौड़ाई में सीमेन्ट की खाली बोरियों में बालू भरकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगातार परिश्रम करके रिंग बांध के कट को 48 घण्टे में प्लग कर दिया गया तथा 05 दिवस में बंधे को सेक्शन को पूर्ण कर लिया गया। स्थानीय जानकारी एवं बांध टूटने के वीडियोग्राफी के आधार पर एस0टी0पी0 का रिंग बांध प्राकृतिक कारणों से टूटा है। रिंग बांध के पूरे बाहरी फेस पर गंगा यमुना का जल स्तर अत्यधिक होने के कारण भीषण कटाव हो रहा था, जिसे विशेष प्रयास द्वारा बचाना संभव हो सका। इस कार्य के सम्पादन में किसी अधिकारी/कर्मचारी की शिथिलता नहीं पाई गई। बांध के टूटने से कोई जन-धन की हानि नहीं हुई है। वर्तमान में दारागंज नागवासुकी मन्दिर से शिवकुटी तक, मेंहदौरी से द्रोपदीघाट तक एवं यमुना के किनारे बांध बनाने की कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है।

5-अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से रु0 250.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त बाढ़ से

क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु दिनांक 19-8-2013 को रु0 29,67,000.00 दिनांक 4-9-2013 को रु0 39,23,000.00 तथा दिनांक 18-9-2013 को रु0 37,93,000.00 की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। जनपद इलाहाबाद के जिलाधिकारी से प्राप्त सूचनानुसार 07 तहसीलें, 113 गांव, 3,84,480 की जनसंख्या प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन द्वारा 34,242 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, 14,047 लोग राहत शिविर में पहुंचाए गये, 352 नावें राहत में लगाई गई थीं, 24 राहत शिविर खोले गये थे, 35 पशु सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गये, पशुओं के लिए भी राहत शिविर खोले गये, 15 मेडिकल टीमें लगाई गई थीं, बचाव हेतु सेना की भी सहायता ली गई, 3894 मानव तथा 1662 पशु उपचारित किये गये और 42,825 पशुओं का टीकाकरण किया गया।

इस प्रकार मामले में पूरी तत्परता और सजगता से बाढ़ नियंत्रण एवं राहत संचालन हेतु कार्यवाही की गई है।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के एन0एच0-91 से कन्दौली जगतपुर आदि गांवों से होते हुए बसई जाने वाले सम्पर्क मार्ग के अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ठा0 दलवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अंतर्गत.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्रा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के एन0एच0-91 से कंदौली, जगतपुर, बीरमपुर, फतेहनगलिया होते हुए बसई के जाने वाला सम्पर्क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है, जिसमें जगह-जगह जल भराव एवं गहरे गड्ढे हो गये हैं, जिस कारण आमजन का इस मार्ग से निकलना काफी कठिन हो गया है तथा वर्षा के मौसम में इस मार्ग की दशा अत्यन्त खराब हो जाती है। अतः उपर्युक्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से वक्तव्य की मांग की गई है।

<u>वक्तव्य</u>

जनपद अलीगढ़ में विधान सभा क्षेत्र बरौली के अन्तर्गत एन0एच0-91 से कंदौली जगतपुर, वीरमपुर, फतेहनगलिया होते हुए बसई तक 8.00 कि0मी0 लम्बाई का ग्रामीण मार्ग है। उक्त मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर की सदर तहसील में कम्बोज जाति के सिखों को ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

शाहजहांपुर सदर तहसील में कम्बोज जाति के सिक्खों को जो कि ओ0बी0सी0 श्रेणी में आते हैं, प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्रा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[कम्बोज जाति के सिक्खों के द्वारा तहसील के अधिकारियों से जब प्रमाण-पत्र देने की मांग रखी जाती है तो वह जवाब देते हैं कि पंजाब से जाकर लो। जो कम्बोज जाति के व्यक्ति सदर तहसील के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में निवास करते हैं उनके नाम यहां पर कृषि भूमि है तथा उनके बच्चे यहां पैदा हुए, यहीं बड़े हुए उनको भी कम्बोज जाति (ओ0बी0सी0) का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है। अगस्त, 2013 में ग्राम संतवां तहसील सदर के सरदार जसवीर सिंह के नेतृत्व में कम्बोज जाति के कुछ लोग तहसील के अधिकारियों से इस सन्दर्भ में मिले थे तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि शासनादेश इस प्रकार का नहीं है कि उनको कम्बोज जाति का प्रमाण-पत्र दिया जाये।

कम्बोज जाति के सिक्ख जो ओ0बी0सी0 श्रेणी में आते हैं वह पिछड़ी जाति से मिलने वाली तमाम सुविधाओं से वंचित रह जा रहे हैं। जनहित में कम्बोज जाति के लोगों को ओ0बी0सी0 का प्रमाण-पत्र दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कम्बोज जाति के सिक्खों को ओ0बी0सी0 का प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 के क्रम संख्या-10 पर ''कम्बोज'' अंकित है परन्तु इसके साथ सिक्ख का उल्लेख नहीं है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के पूर्व से ही लागू आरक्षण अधिनियम में कम्बोज जाति अंकित है जिसके साथ किसी धर्म का उल्लेख नहीं है। कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1/1/94/कार्मिक-1/1994, दिनांक 05 जुलाई, 1995 द्वारा जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में निर्गत निर्देश के बिन्दु-3 में निम्नवत् अंकित है :-

> ''इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध क्रम संख्या-45 को छोड़कर अन्य सभी जातियों/वर्गों/समूहों के बारे में किसी धर्म से जुड़े होने का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः अनुसूची-1 में सूचीबद्ध

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्रम संख्या-45 को छोड़कर अन्य सभी पेशेवर जातियों/वर्गों/समूहों के प्रत्येक व्यक्ति को अन्य पिछड़े वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार अनुमन्य होगा, चाहे वे किसी भी धार्मिक समुदाय के हों। जहां तक अनुसूची-1 के क्रमांक-45 का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में केवल मुस्लिम कायस्थ को अन्य पिछड़े वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र अनुमन्य होगा।''

पंजाब राज्य के कम्बोज जति के सिक्ख समुदाय के व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने लगे हैं, को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में पृथक से कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि ''उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही प्रदेश में जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। ''प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक पंजाब राज्य के मूल निवासी हैं, अतः प्रदेश के मूल निवासी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, सिर्फ उन्हीं को अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकता है।''

तद्नुक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत के आधार पर शासन के पत्र संख्या-805/64-1-2013-7/2013, दिनांक 13 मई, 2013 द्वारा जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, बहराइच को यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही प्रदेश में जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। अतः उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, केवल उन्हीं को ही अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकता है। तद्नुसार कम्बोज जाति के लोगों को नियमानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाये।]

जनपद अलीगढ़ विधान सभा क्षेत्र खैर के कतिपय मार्गों पर सरकारी बस सेवा संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवती प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह मद स्थगित रहेगी ।

जनपद मथुरा में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का कार्य कराये जाने हेतु केन्द्र सरकार को धनराशि तत्काल उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह मद भी स्थगित रहेगी।

अब कुछ नहीं बचा है, अब हम उठते हैं, कल दिनांक 20-09-2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 11 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 19 सितम्बर, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी ''क''

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-146 का उत्तर पीछे पृष्ठ-98 पर)

क्रमांक	ग्राम का नाम
1	बलमियाबडंखर
2	खेमसरांय
3	झाराखेमपुर
4	भानपुर बनवारी
5	गुरेला
6	गुलौली
7	रामपुरकला
8	नरहरा
9	बौधीखुर्द
10	बरखेराखुर्द
11	सुनसुना
12	नेवली
13	भूड़ाखान
14	बेहटीअफगान
15	बेनीराजापुर
16	भंगेली
17	सिसौरा
18	तुर्कहटाटप्पागोकन
19	कौडेली
20	केहुआ
21	गदमापुर
22	खाखिन
23	बौधीकला
24	उधन्नापुर
25	रसूलापुर
26	रामपुरमिश्र
27	अजेहरा

क्रमांक	ग्राम का नाम
28	अमरा
31	दिलावरपुर
32	बसबिरवा
33	मुर्तिजाअलीनगर
34	बहादुरनगर
35	पालअभयकचनार
36	खंदेवरा
37	भूड़ापिपरी
38	बैदा
39	फरेंदा
40	रछेलावाजिदपुर
41	कुइयांमदारपुर
42	खेरियामिश्र
43	धमौला
44	बिजौलियासहसपुर
45	ढखियाभाऊ
46	तेंदुआकंजा
47	नयागांव
48	गुलरियापरवस्तनगर
49	गुलरियापरवस्तनगर
50	मोहम्मदीसरांय
51	भोगियापुर
52	बुझारी
53	कमालसरांय
54	ढखियाजोगी
55	पालचक
56	मोहम्मदपुरकला
57	खजुरिया
58	मोहम्मदपुरदीना

क्रमांक	ग्राम का नाम
59	कैमहरा
60	खेरियाजाट
61	देहराअजीतपुर
62	परक्षियाबेला
63	कुंवरपुर
64	बरखेराकला
65	कंधरापुर
66	पकरिया
67	बढवारीमांग
68	मोहम्मदपुरकौमी
69	नकेड़ा
70	बेलहरा
71	छतियासरैंया
72	बड़वारीऊधौ
73	बरैंचा
74	अटसार

पी0एस0यू0पी0-एल0 182 विधान सभा (342)-11-12-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।